



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052020-219411
CG-DL-E-16052020-219411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2020/वैशाख 25, 1942

No. 124]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2020/VAISAKHA 25, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

अंतिम जांच परिणाम

(ओ. आई. मामला संख्या 06/2019)

विषय: चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से
निर्यातित “डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

मामले की पुष्टभूमि

फा. सं. 6/7/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों की पहचान, मूल्यांकन और उन पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

1. मै० टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लि० (जिसे यहां आगे आवेदक अथवा अथवा “घरेलू उद्योग” भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. जापान, कोरिया जन. गण., ताईवान और वियतनाम (जिन्हें यहां संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स” (जिसे यहां संबद्ध सामान भी

- कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।
2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि, जो यदि लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 16 मई, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।
 3. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 12 के अनुसार जांच में प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना सं. 6/7/2019-डीजीटीआर दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं. 02/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 30 जनवरी, 2020 के माध्यम से अनंतिम शुल्क लगाए थे।

क. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी द्वारा इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :-
 - क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए कार्रवाई से पूर्व पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/ प्रतिनिधियों को अधिसूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 16 मई, 2019 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।
 - ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये पतों के अनुसार जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया। प्राधिकारी ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की समय सीमा को 22 जुलाई, 2019 तक बढ़ा दिया था।
 - घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों और ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
 - ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र एवं प्रश्नावली संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों के नामों और पतों के साथ दूतावासों को भी भेजी गई थी।
 - च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली (केवल चीन के लिए) भेजीं।

चीन जनवादी गणराज्य

- (i) मै० कोडक (चीन) ग्राफिक कंयूनिकेशन कं. लि.

(ii) मै० हेनान हुइदा प्रिंटाल डिजीटल मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी

(iii) मै० लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड

वियतनाम

(iv) मै० माइलान प्रिंटिंग मीडिया कारपोरेशन

कोरिया गणराज्य

(v) मै० जेइल सी. एंड पी. कंपनी, लि०

ताईवान

(vi) मै० टॉप हाई इमेज कोरपोरेट

जापान

(vii) मै० फ्यूजीफिल्म कारपोरेशन

छ) संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :

(i) मै० फ्यूजीफिल्म कारपोरेशन, जापान

(ii) मै० फ्यूजीफिल्म ग्लोबल ग्राफिक्स सिस्टम, जापान

(iii) मै० फ्यूजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लि० चीन जनवादी गणराज्य

(iv) मै० फ्यूजीफिल्म (चीन) इन्वेस्टमेंट कंपनी लि०, चीन जनवादी गणराज्य

(v) मै० कोडक (चीन) ग्राफिक कम्यूनिकेशन्स कंपनी लि०

(vi) मै० कोडक (चीन) इन्वेस्टमेंट कंपनी लि०

(vii) मै० लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लि०

(viii) मै० शंघाई स्ट्रांग स्टेट प्रिंटिंग इक्विपमेंट लि०

(ix) मै० अन्हुई स्ट्रांग स्टेट प्रिंटिंग मैटेरियल्स कंपनी लि०

(x) मै. जेइल सी एंड पी कं. लि०

(xi) मै० माइलान प्रिंटिंग मीडिया कारपोरेशन

ज) प्राधिकारी ने नियमावली 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी ।

(i) मै० कोडक इंडिया प्राइवेट लि०, मुंबई

(ii) मै० फ्यूजीफिल्म इंडिया प्राइवेट लि०, हरियाणा

(iii) मै० कपूर इमेजिंग प्राइवेट लि०, चेन्नई

(iv) मै० निप्पन कलर, मुंबई

(v) मै० जे. एन. अरोरा ट्रेडिंग कंपनी, नई दिल्ली

(vi) मै० सुनील इंटरप्राइजेस, नई दिल्ली

- (vii) मै० ब्राइट इंटरप्राइजेस, आंध्र प्रदेश
 - (viii) मै० विशाल प्रिंट ट्रेडर्स प्राइवेट लि०, मुंबई
 - (ix) मै० वैराम इंटरप्राइजेस, तमिलनाडु
 - (x) मै० वेन्नेट, कोलेमन एंड कंपनी लि०, मुंबई
 - (xi) मै० जागरण प्रकाशन लि०, उत्तर प्रदेश
- झ) उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया और आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किये।
- (i) मै० कपूर इमेजिंग प्राइवेट लि०
 - (ii) मै० फ्यूजीफिल्म इंडिया प्राइवेट लि०
 - (iii) मै० कोडक इंडिया प्राइवेट लि०
 - (iv) मै० ब्राइट इंटरप्राइजेस
 - (v) मै० निप्पन कलर
- ट) उपर्युक्त प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों के अलावा इस जांच प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों की ओर से कुछ कानूनी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
- (i) आल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटेर्स
 - (ii) एच. टी. मीडिया
 - (iii) मेट्रोस्टार प्रिंट सल्यूशंस प्राइवेट लि०
 - (iv) गवर्नमेंट ऑफ कोरिया
 - (v) गवर्नमेंट ऑफ ताईवान
 - (vi) टोरे इंडस्ट्रीज
 - (vii) एन पी टी ऑफसेट प्रैस प्रा. लि.
 - (viii) आर.के. एल. प्रिन्टर्स
- (ठ) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर वर्तमान प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।
- (ड) वाणिज्यिक असूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी. जी. सी. आई. एंड एस.) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेनदेनवार ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा के परिकलन और लेनदेनों की उचित जांच के बाद उसके विश्लेषण के लिए डी. जी. सी. आई. एंड एस. के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (ढ) क्षतिरहित कीमत (एन. आई. पी.) का निर्धारण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी. ए. ए. पी.) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर किया गया है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त करने में पर्याप्त होगा।

- (ण) प्राधिकारी द्वारा मौके पर सत्यापन के माध्यम से आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक वास्तविक निरीक्षण द्वारा किया गया था। केवल आवश्यक संशोधन के साथ सत्यापित सूचना जहां लागू हो, पर प्रकटन विवरण के प्रयोजन के लिए विश्वास किया गया है।
- (त) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 16 अगस्त, 2019 को आयोजित सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। तत्पश्चात निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदले जाने के मद्देनजर 5 दिसंबर, 2019 को एक और सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई जिसमें विभिन्न पक्षकारों ने भाग लिया था। सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, को लिखित अनुरोध और उसके बाद खंडन, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।
- (थ) जांच शुरुआत के समय प्राधिकारी ने सर्वाधिक हाल की अवधि अर्थात् 1.7.2018 से 31.3.2019 को पी ओ आई के रूप में अपनाया था। इस अवधि पर 1-4-2018 से विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि पूर्ववर्ती पाटनरोधी शुल्क जून, 2018 तक लागू रहा था। अतः प्राधिकारी ने 9 महीने की जांच अवधि को अपनाया था। 12 महीने से कम की जांच अवधि प्राधिकारी द्वारा अनेक पाटनरोधी जांचों में अपनाई गई है।
- (द) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए थे। प्रारंभिक जांच परिणामों में रिकॉर्ड के अनुसार प्राधिकारी ने उन पर टिप्पणियां आमंत्रित की थीं और प्रारंभिक निर्धारण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए संभव सीमा तक विचार और समाधान किया गया है।
- (ध) इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर, इस प्रकटन विवरण में संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- (न) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।
- (प) जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/अवलोकन दर्ज किये हैं।
- (फ) संबद्ध देशों से प्रतिवादी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना का प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक डेस्क सत्यापन किया गया था। केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर आवश्यक संशोधन के साथ, जहां लागू हो, प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।
- (ब) प्राधिकारी ने 20.4.2020 को प्रकटन विवरण जारी किया था। प्रकटन का उत्तर देने के लिए समय भी बढ़ाया गया था।
- (भ) वर्तमान अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- (म) जांच अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 71.06 रूपए = 1 अमरीकी डॉलर है।

नोट : \$= अमरीकी डॉलर

ख. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु

5. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था-

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स” है, जिसे सामान्य रूप से डिजिटल प्लेट्स” कहा जाता है। डिजिटल प्लेटों का प्रयोग पेपर पर इमेज के रूप में (डाट पैटर्न अथवा टेक्स्ट) के रूप में अथवा टिन सीट अथवा कोइली फिल्मों आदि जैसे नान आब्सारवेंट सबस्ट्रेट पर इमेज के रूप में आंकड़े आंतरित करने के लिए प्रिंटिंग उद्योग में किया जाता है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों का प्रयोग करते हुए प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजिटल वर्क फ्लो लेजरों का प्रयोग करते हुए “कंप्यूटर से प्लेट में” से इमेज का सीधा आंतरण सक्षम होता है, जोकि समान वर्क फ्लो में नहीं होता जिसमें इमेज को आंतरित करने के लिए मध्यवर्ती फिल्म की आवश्यकता होती है। डिजिटल प्लेटें रासायनिक कोटिंग से कोटेड उच्च शुद्धता की लिथो ग्रेड एल्यूमिनियम कोइल्स से बनायी जाती हैं। डिजिटल प्लेटें पॉजिटिव (नान एक्सपोज्ड एरिया इमेज बनाता है) अथवा निगेटिव (एक्सपोज्ड एरिया इमेज बनाता है) वर्किंग प्लेटें हो सकती हैं। डिजिटल प्लेटों का निष्पादन प्लेट की विकास प्रक्रिया में उसे पर्यावरण के अनुकूल बनाते हुए रसायनों का कम प्रयोग करके भी सुधारा जा सकता है, जिन्हें डिजिटल ऑफसेट “केम-फ्री” / “ग्रीन प्लेट के रूप में भी जाना जाता है। इसी प्रकार डिजिटल प्लेटों का निष्पादन उसे प्रक्रियाहीन प्लेट बनाकर भी सुधारा जा सकता है। कोटिंग संघटक, जिन्हें सेंसिटाइजर” के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न प्रकार की प्लेटों के लिए अलग अलग होते हैं। कोटिंग संघटकों और लेजर किस्म के प्लेट सेटरों के आधार पर डिजिटल प्लेटें व्यापक रूप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत की जा सकता हैं, यथा- थर्मल, वायलेट और सीटीसीपी/यूवी सीटीपी (कंप्यूटर से पारंपरिक प्लेट)।

- डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स, जिन्हें इन्फ्रा-रेड ऊर्जा का प्रयोग करके खुले में रखा जाता है, थर्मल प्लेटें कहलाती हैं।
- डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स, जिन्हें दृश्य एवं निकट दृश्य हल्की ऊर्जा का प्रयोग करके खुले में रखा जाता है (वायलेट रेजर्स) वायलेट प्लेटें कहलाती हैं और ;
- डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स जिन्हें अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग करके खुले में रखा जाता है। सीटीसीपी/यूवी सीटीपी प्लेटें कहलाती हैं।

सभी आयामों में सभी प्रकार की डिजिटल प्लेटें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती हैं। संबद्ध सामान अधिनियम के प्रशुल्क उपशीर्ष '8442.50' के अंतर्गत आते हैं। तथापि, संबद्ध सामानों के आयात 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190 और 7606.9290 जैसे अन्य शीर्षों के तहत भी किया गया है। अतः सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और उत्पाद विवरण उत्पाद की पहचान के लिए विद्यमान रहेंगे।

ग. घरेलू उद्योग और बिक्री क्षेत्र द्वारा किए गए अनुरोध

ग.1. घरेलू उद्योग के दृश्य

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं :-

क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स” है, जिसे सामान्य रूप से डिजिटल प्लेट्स” कहा जाता है। डिजिटल प्लेटों का प्रयोग पेपर पर इमेज के रूप में (डाट पैटर्न अथवा टेक्स्ट) के रूप में अथवा टिन सीट अथवा कोइली फिल्मों आदि जैसे नान आब्सारवेंट सबस्ट्रेट पर इमेज के रूप में आंकड़े आंतरित करने के लिए प्रिंटिंग उद्योग में किया जाता है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों का

प्रयोग करते हुए प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजिटल वर्क फ्लो लेजरों का प्रयोग करते हुए "कंप्यूटर से प्लेट में" से इमेज का सीधा आंतरण सक्षम होता है जोकि समान वर्क फ्लो में नहीं होता, जिसमें इमेज को आंतरित करने के लिए मध्यवर्ती फिल्म की आवश्यकता होती है। डिजिटल प्लेटें रासायनिक कोटिंग से कोटेड उच्च शुद्धता की लिथो ग्रेड एल्यूमिनियम कोइल्स से बनायी जाती हैं। कोटिंग निर्माण विभिन्न प्रकार की प्लेटों के लिए अलग अलग होता है।

ख) डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स उच्च शुद्धता वाले लिथो ग्रेड एल्यूमिनियम काइलों से बनाये जाते हैं। इन एल्यूमिनियम काइलों में डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स में परिवर्तित होने के लिए पूर्णतः एकीकृत प्रक्रिया लाइन पर इलेक्ट्रो गेनिंग, एनोडाइजिंग और कोटिंग की विनिर्माण प्रक्रिया होती है। तीन प्रकार की डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स होती हैं, यथा-

(i) थर्मल प्लेट्स ;

(ii) वायलेट प्लेट्स ; एंड

(iii) सीटीसीपी/यूवी सीटीसीपी प्लेट्स

ग) इन सभी किस्म की प्लेटें एक ही संयंत्र में निर्मित की जाती हैं और ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त की जा सकती हैं।

घ) तापीय थर्मल प्लेट सेटरो पर इन्फ्रा-रेड ऊर्जा (थर्मल लेजर) का प्रयोग करके इमेज की जाने वाली डिजिटल ऑफसेट प्लेटें, थर्मल प्लेटें कहलाती हैं। वायलेट प्लेट सेटरो पर विजिबल और नियर विजिबल हल्की ऊर्जा (वायलेट लेजर) का प्रयोग करके एक्सपोज की जाने वाली डिजिटल ऑफसेट प्लेटें, वायलेट प्लेटें कहलाती हैं। यूवी प्लेट सेटरो पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग करके एक्सपोज की जाने वाली डिजिटल ऑफसेट प्लेटें यूवी-सीटीसीपी/सीटीसीपी प्लेटें कहलाती हैं।

ङ) इमेज प्लेट को फिर एक प्रोसेसर में विकसित किया जाता है जिसमें नान इमेज क्षेत्र को अल्कलाइन डेवलपर का प्रयोग करके मिलाया जाता है। फिर प्लेट में गोंद लगाया जाता है और प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग प्रेस पर माउंटिंग के लिए तैयार होती है।

च) जैसे ही प्रौद्योगिकी विकसित होती है, प्लेटों में कुछ सुधार होते हैं। मानक/पारंपरिक प्लेटों के अलावा डिजिटल ऑफसेट प्लेटों के केम-फ्री एवं प्रक्रियाहीन रूपांतर जैसे प्लेटों के अन्य किस्में उपलब्ध होती हैं।

छ) केम-फ्री प्लेटों में अल्कालाइन डेवलपर के लिए प्रयुक्त किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बजाय नान इमेज क्षेत्र रसायन मुक्त गोंद से हटाया जाता है। अतः केम-फ्री प्लेट के प्रयोग के लिए प्रोसेसर को एक क्लीन आउट यूनिट से प्रतिस्थापित किया जाता है। इससे एक पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया बनती है और प्रयोक्ताओं के लिए पानी की बचत होती है। केम-फ्री प्लेटों के मामलों में यह मुख्य लाभ है। केम-फ्री प्लेटें थर्मल एवं वायलेट प्रौद्योगिकियों दोनों में उपलब्ध हैं।

ज) प्रक्रियाहीन प्लेटों के मामले में क्लीन आउट यूनिट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नान इमेज एरिया सीधे ही प्रेस पर हटाया जाता है। इससे प्लेट निर्माण प्रक्रिया में उत्पादकता का सुधार होता है। ये फोटो पोलिमर निगेटिव वर्किंग थर्मल प्लेटें होती हैं। इन प्लेटों में निरंतर नई-नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं।

झ) मानक एवं पारंपरिक प्लेटों में प्रयुक्त कोटिंग फोटो संवेदनशील डियाजो सेंसिटायर होते हैं। केम फ्री और प्रक्रियाहीन प्लेटें अधिक जटिल मोनोमर, पोलिमर और फोटो इनीसिएटरों का प्रयोग करती हैं। इन प्लेटों की कीमत भारत में मानक/ पारंपरिक प्लेटों से न्यूनतम 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक अधिक होती है।

ञ) दोहरी परत की प्लेटें कुछ नहीं होतीं, बल्कि प्लेटों पर दोहरी कोटिंग होती है जो प्लेट को सुदृढ़ देती हैं और प्रयोक्ताओं को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अधिक संचालन लंबाई प्राप्त करने में सक्षम

बनाती हैं। वर्तमान में टेक्नोवा अपने विद्यमान संयंत्र पर दोहरी परत की थर्मल एवं वायलेट प्लेटों का विनिर्माण करती हैं।

- ट) डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें या तो पाजिटिव (नान एक्सपोज एरिया इमेज बनाता है) अथवा निगेटिव (एक्सपोज्ड एरिया इमेज बनाता है) वर्किंग प्लेटें हो सकती हैं। इस रेंज में वे प्लेटें शामिल हैं, जिन्हें प्लेटों के प्रसंस्करण के लिए रसायनों की आवश्यकता होती है और साथ ही पर्यावरण के अनुकूल होती हैं जिन्हें प्रसंस्करण के लिए रसायनों अथवा पानी की आवश्यकता नहीं होती है।
- ठ) टेक्नोवा सभी मोटाई की प्लेटों का विनिर्माण करती है। 0.28 एमएम की मानक मोटाई के अलावा टेक्नोवा वर्तमान में 0.15 एमएम, 0.20 एमएम, 0.25 एमएम और 0.40 एमएम की मोटाई की प्लेटों का विनिर्माण करती हैं। विद्यमान विनिर्माण संयंत्र सभी मोटाई की प्लेटों का उत्पादन करने में सक्षम हैं।
- ड) जहां तक दोहरी परत वाली यूवीसीटीपी प्लेटों का विनिर्माण का संबंध है, दोहरी परत वाली यूवीसीटीपी प्लेटों का निर्माण करना प्रयोक्ताओं के लिए वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं होता है, क्योंकि यूवीसीटीपी प्लेटों का प्रयोग कम समय तक संचालन और अपेक्षाकृत रूप से कम प्रिंट क्वालिटी के मुद्रण कार्यों के लिए किया जाता है। इस कम लंबाई वाले प्रिंट कार्य के लिए प्रयोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति एक परत वाली यूवीसीटीपी प्लेटों से की जा सकती है (जिन्हें पारंपरिक/मानक प्लेटों के रूप में भी जाना जाता है) “शार्टर रन लेंथ” कार्य का बाजार बहुत ही कीमत सजग क्षेत्र है, जो एकल परत वाली प्लेटों का प्रयोग लागत प्रभावी होने के लिए करता है। टेक्नोवा के पास दोहरी परत वाली यूवीसीटीपी प्लेटों के विनिर्माण की पूरी क्षमता है, यदि उस उत्पाद के लिए वाणिज्यिक मांग हो, यह नोट किया जाए कि दोहरी परत वाली यूवीसीटीपी प्लेटों की कीमत पारंपरिक/एकल परत वाली यूवीसीटीपी प्लेटों से अधिक है। याचिकाकर्ता नैमित्तिक रूप से दोहरी परत- तापीय (एलाइट) और वायलेट का विनिर्माण करता है। अतः याचिकाकर्ता सरलता से दोहरी परत की यूवीसीटीपी प्लेटों का उत्पादन कर सकता है।
- ढ) टेक्नोवा अथवा प्रौद्योगिकी अंतरण करार के अंतर्गत तापीय प्रक्रियाहीन प्लेटों का विनिर्माण करती है। टेक्नोवा चार में से केवल एक (अन्य है कोडक, फ्यूजी और स्वयं अल्फा) कंपनी है जो दुनिया में प्रक्रियाहीन प्लेटों का विनिर्माण करती है। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि प्रक्रियाहीन प्लेटों और अन्य प्रकार की डिजिटल प्लेटों के लिए अंतिम प्रयोग, भौतिक स्वरूप, विशेषताएं आदि समान होती हैं। यह समान प्रिंटिंग प्रैस में समान उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले समान उत्पाद की एक अन्य श्रेणी है और किसी भी कारण से इसे बाहर करने से व्यापक परिवर्चना होगी।
- ण) टेक्नोवा अनुरोध करती है कि विश्व बाजार में कोई भी वायलेट और यूवी-सीटीपी प्रक्रियाहीन प्लेटों का विपणन नहीं करता है। परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान इनका कोई आयात नहीं हुआ है या आज की तारीख तक अथवा पहले किसी भी समय याचिकाकर्ता से उपलब्ध सूचना के आधार पर कोई आयात नहीं हुआ है।
- त) टेक्नोवा अपने मौजूदा संयंत्र और मशीनरी में कैम फ्री यूवी-सीटीपी प्लेटों का उत्पादन और आपूर्ति कर सकता है। तथापि, उसकी लागत पारंपरिक यूवी-सीटीपी प्लेटों से काफी अधिक होती है। इसलिए ऐसी प्लेटों की कोई मांग नहीं है। इसके अलावा, बाजार आसूचना के आधार पर जांच अवधि के दौरान या आज की तारीख तक कोई मांग या आयात नहीं किए गए हैं।
- थ) टेक्नोवा ने वर्तमान में ऋणात्मक कार्यशील यूवी-सीटीपी, पी एस और तापीय प्लेटों का उत्पादन और विनिर्माण किया है। अतः ऐसा नहीं करने के दावे निराधार और किसी साक्ष्य के बिना है।
- द) टेक्नोवा दोहरी परत की यूवीसीटीपी प्लेटों, 0.25 एमएम की मोटाई की प्लेटों, प्रक्रियाहीन प्लेटों, वायलेट यूवीसीटीपी प्रक्रियाहीन प्लेटों, कैम फ्री यूवीसीटीपी और निगेटिव वर्किंग यूवीसीटीपी, पीएस

और थर्मल प्लेटों जिन्हें कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच के क्षेत्र से अलग की जाने की मांग की गई है, जैसे रूपों सहित विचाराधीन उत्पाद के सभी रूपों का उत्पादन करने में सक्षम हैं। किसी भी अंतिम प्रयोक्ता ने प्लेटों की किस्मों को अलग करने की मांग नहीं की है, परंतु केवल निर्यातकों अथवा आयातकों ने इन्हें हटाये जाने की मांग की है।

- ध) टेक्नोवा सबसे व्यापक रेंज के उत्पादों का विनिर्माण करती है और उपर्युक्त अधिकतर रूपों सहित पूरी रेंज की प्लेटों का उत्पादन करने में सक्षम है। भारतीय बाजार में प्रौद्योगिकियों को लगाने और उनका प्रेक्षण करने के बाद सभी नवीनतम और परीक्षित रूपांतरों के लिए प्रौद्योगिकी की डिजिटल प्लेटें अगफा ग्राफिक्स से अंतरित की गई हैं।
- न) जलहीन सी टी पी प्लेटों, लैटर लैस प्लेटों और फ्लेक्सो प्लेटों के संबंध में टेक्नोवा ने इनमें से कुछ किस्मों का आयात किया है और इसका पूरा प्रकटन प्राधिकारी को किया गया है। ये सभी प्लेटें डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों से 2-3 गुनी कीमत की हैं। खेदजनक है कि किसी छूट के आधार पर शुल्कों की परिवर्चना करने के लिए आयातकों और निर्यातकों के इतिहास और मनोवृत्ति को देखते हुए टेक्नोवा इन किस्मों को बाहर रखने का समर्थन नहीं कर रहा है।
- त) जांच के क्षेत्र से कुछ किस्म की प्लेटों को हटाये जाने का दावा भविष्य में पाटनरोधी शुल्कों की संभावित प्रवर्चना के लिए एक खामी सृजित करने का प्रयास है। कुछ आयातकों द्वारा प्रवर्चना के इतिहास को देखते हुए याचिकाकर्ता की यह आशंका पूरी तरह से अनावश्यक नहीं है।
- प) टेक्नोवा ने जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से बहुत कम मात्रा में आयात किया है। टेक्नोवा द्वारा चीन जन. गण. से किए गए आयात मुख्य रूप से कुछ सीमित ग्राहकों को सेवा देने के लिए रखे गए/जारी रहने के लिए थे, जो संबद्ध देशों से और विशेष रूप से चीन से निर्यातकों से बहुत ही घटिया तरीके से कम कीमतों पर पेश किए गए थे। कुछ मामलों में चीनी निर्यातकों से कीमत टेक्नोवा के लिए विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत से कम थी।
- फ) टेक्नोवा ने मै० अगफा गोवर्ड, ब्रुसेल्स, बेल्जियम के साथ दीर्घावधि, प्रौद्योगिकी अंतरण करार किया है। इस करार के तहत मै० अगफा डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों की वर्तमान एवं भावी विकसित की जाने वाली अपनी पूरी रेंज की प्रौद्योगिकी अंतरित करेगा। यह प्रौद्योगिकी इन डिजिटल ऑफसेट प्लेटों का भारत में स्थानीय निर्माण एवं विपणन के लिए टेक्नोवा द्वारा अपनाया जाएगा तथा ग्राहक के अनुकूल बनाया जाएगा।
- ब) डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट प्रौद्योगिकी पर्यावरण के अनुकूल विशेषताओं, उत्पादक का सुधार, लागत बचत आदि जैसी विशेषताओं में सुधार एवं वृद्धि के साथ निरंतर विकसित हो रही प्रौद्योगिकी है। इन प्रौद्योगिकी अंतरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अगफा एक नए उत्पाद की प्रौद्योगिकी यूरोप में उसकी शुरू किए जाने के बाद टेक्नोवा को अंतरित करता है। इस प्रौद्योगिकी अंतरण से पूर्व टेक्नोवा अगफा बेल्जियम से इन डिजिटल प्रिंटिंग प्लेटों का आयात करता है और ग्राहकों का चयन करने के लिए इसका बाजार में प्रेक्षण करता है। इन आवर्ण स्थलों पर प्लेटों का स्थानीय स्थितियों की निरंतरता और अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाता है।
- भ) जब ग्राहक प्लेटों को अनुमोदित कर देता है और उनके द्वारा टेक्नोवा को प्रौद्योगिकी अंतरित की जाती है तो टेक्नोवा छोटे बैचों में प्लेटों का अपने संयंत्रों में विनिर्माण करता है और परीक्षणों के लिए ग्राहकों को इसकी आपूर्ति करता है। इस अवधि के दौरान स्थानीय रूप से विनिर्मित और अगफा से आयातित प्लेटों से दोनों की आपूर्ति ग्राहकों को समानांतर रूप से की जाती है। जब ग्राहक गुणवत्ता को आयातित प्लेटों से तुलनीय पता है तो आयात रोक दिए जाते हैं और टेक्नोवा अपने संयंत्रों से उसकी आपूर्ति करता है।
- म) इस पूरी अवधि के दौरान ग्राहकों को वाणिज्यिक बीजकों के तहत आयातित प्लेटें बेची जाती हैं। उदाहरण के रूप में टेक्नोवा अगफा से एन-91 प्लेटों का आयात कर रहा था, जो मार्केट में लगाने के लिए

थी और बेटा परीक्षण प्रयोजनों के लिए थी। वर्तमान में टेक्नोवा इन प्लेटों का निर्माण करता है और ग्राहकों को आपूर्ति करता है तथा इन प्लेटों का अब कोई आयात नहीं किया जाता है।

- य) पूर्व की जांचों में (मूल एवं एसएसआर) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से कुछ को हटाये जाने का अनुरोध किया है तथापि, यह सिद्ध और सत्यापित किया गया था कि घरेलू उद्योग आयातित उत्पादों के सभी रूपों का उत्पादन और आपूर्ति करने में सक्षम था और आयातित उत्पादों को सभी पहलुओं में समान उत्पाद होना सिद्ध किया गया था।
- र) सभी आयामों में सभी किस्मों की डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल हैं। संबद्ध सामान अधिनियम के प्रशुल्क उपशीर्ष 8442.50 के तहत आते हैं, तथापि, संबद्ध सामानों का आयात 3701. 3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190 और 7606.9290 जैसे अन्य शीर्षों के तहत भी किया गया है।

ग.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पादक और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं :-

- क) घरेलू उद्योग में पर्याप्त मात्रा में अगफा ग्राफिक्स से प्रक्रिया मुक्त प्लेटों और दोहरी परत वाली प्लेटों का आयात किया है और घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान भारत में प्रक्रिया मुक्त प्लेटों और दोहरी परत वाली प्लेटों का विनिर्माण नहीं किया है। अतः प्रक्रिया मुक्त प्लेटों को जांच के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।
- ख) घरेलू उद्योग के उनकी याचिका में और मौखिक सुनवाई के दौरान उत्पाद रेंज के दावे भ्रामक हैं, जैसा कि बेल्जियम जैसे गैर संबद्ध देशों से आयातों से सिद्ध है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पाद की पूरी रेंज के विनिर्माण के संबंध में दावा अत्यधिक भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है।
- ग) टेक्नोवा 0.25 एमएम की प्लेटों का विनिर्माण नहीं करता है, आवेदक ने उल्लेख किया कि 0.25 एमएम की प्लेटों का बाजार नहीं है और इसीलिए वे इन प्लेटों का विनिर्माण नहीं करते, परंतु यदि कोई आवश्यकताएं होती हैं तो वे उत्पादन करेंगे। अतः वह स्वयं ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे इन प्लेटों का विनिर्माण नहीं करते। अतः 0.25 एमएम की सभी प्रकार की प्लेटों को पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन नहीं रखा जाना चाहिए।
- घ) आवेदक ने निम्नलिखित प्लेटों के विनिर्माण के बारे में गलत सूचना दी है।

क. डबल लेयर सीटीसीपी प्लेट्स

ख. निगेटिव वर्किंग सीटीसीपी प्लेट्स

ग. कैम फ्री/लो-कैम सीटीसीपी प्लेट्स

घ. प्रक्रियाहीन प्लेट सीटीसीपी/ थर्मल/वायलेट प्लेटें

अतः उपर्युक्त प्लेटों को पाटनरोधी शुल्क समीक्षा के अधीन नहीं होना चाहिए।

- ड) घरेलू उद्योग जलहीन सीटीसीपी प्लेटों का निर्माण नहीं करता। जलहीन सीटीसीपी प्लेटों का उन मुद्रकों द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता जो डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं। जलहीन सीटीसीपी प्लेटों का आयात प्रशुल्क शीर्ष 3701.3000 के तहत किया जाता है। भारत में जलहीन सीटीसीपी प्लेटों का प्रयोग सिक्योरिटी कार्ड प्रिंटिंग और लेबल प्रिंटिंग तक सीमित है, यथा खाद्य एवं औद्योगिक लेबल जिनमें जलहीन प्रिंटिंग के लिए विशेष रूप से बनायी गई प्रिंटिंग

प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अतः जलहीन सीटीपी प्लेटें, डिजिटल आफसेट प्लेटों से भिन्न हैं और इसीलिए वर्तमान जांच में इन्हें विचाराधीन उत्पाद से अलग किया जाना चाहिए।

- च) याचिकाकर्ता द्वारा उनकी याचिका में और मौखिक सुनवाई के दौरान दावा की गई उत्पाद रेंज अधूरी है और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पाद की पूरी रेंज का विनिर्माण किए जाने का दावा अत्यधिक भ्रामक है।
- छ) कोडक अनुरोध करता है कि केसीजीसीसीएल “सोनोरा” प्रक्रिया मुक्त प्लेटों का निर्माण करता है और उन्होंने पहले ही प्राधिकारी से उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटाने का अनुरोध कर दिया है। कोडक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने के स्तर पर प्रक्रियाहीन प्लेटों को बाहर रखने का दावा किया है और घरेलू उद्योग न न तो इस दावे का खंडन किया है और न ही इसके विपरीत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त के बावजूद प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में नोट किया है कि घरेलू उद्योग कैम फ्री प्लेटों, प्रक्रियाहीन प्लेटों और डबल लेयर प्लेटों सहित सभी चौड़ाइयों की डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों की सभी किस्मों का विनिर्माण करता है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यह स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला है कि टेक्नोवा ने पीओआई के दौरान प्रक्रियाहीन प्लेटों का निर्माण किया है और गलती से प्रक्रियाहीन प्लेटों को पीयूसी के दायरे में शामिल कर लिया है।
- ज) मौखिक सुनवाई अनुरोधों के दौरान कोडक ने इस पर विशेष ध्यान दिलाया कि घरेलू उद्योग “अवतार ब्रांड” नाम के अंतर्गत प्रक्रियाहीन प्लेटों और न कि प्रक्रियामुक्त प्लेटों का निर्माण करता है। इसके अलावा, प्रक्रियाहीन और प्रक्रियामुक्त प्लेटें पाटनरोधी कानून के अनुसार समान वस्तुएं नहीं हैं क्योंकि प्रक्रियामुक्त प्लेटों को अलग विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है और उसमें अलग तकनीकी विशेषताएं तथा अंतिम प्रयोग हेतु उपयोग होते हैं। वास्तव में टेक्नोवा अगफा से भी प्रक्रियामुक्त प्लेटों का आयात कर रहा है और भारत में उनका विनिर्माण नहीं कर रहा है। यदि दो उत्पाद श्रेणियों को अंतिम प्रयोक्ता द्वारा समान उत्पाद माना जाता है तो टेक्नोवा को प्रक्रियामुक्त प्लेटों को आयात करना अपेक्षित नहीं होगा।
- झ) प्रक्रियाहीन और प्रक्रियामुक्त प्लेटें पाटनरोधी कानून के अनुसार समान वस्तुएं नहीं हैं क्योंकि प्रक्रियामुक्त प्लेटों को अलग विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है और उसमें अलग तकनीकी विशेषताएं तथा अंतिम प्रयोग हेतु उपयोग होते हैं। वास्तव में टेक्नोवा अगफा से भी प्रक्रियामुक्त प्लेटों का आयात कर रहा है और भारत में उनका विनिर्माण नहीं कर रहा है। यदि दो उत्पाद श्रेणियों को अंतिम प्रयोक्ता द्वारा समान उत्पाद माना जाता है तो टेक्नोवा को प्रक्रियामुक्त प्लेटों को आयात करना अपेक्षित नहीं होगा।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. विचाराधीन उत्पाद संबंधी मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच की जाती है और निम्नलिखित रूप में हल किया जाता है।
9. विचाराधीन उत्पाद आयातित उत्पाद है जो तथाकथित रूप से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीन प्रकार की डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेटें हैं, यथा- थर्मल प्लेट, वायलेट प्लेट और सीटीसीपी / यूवी सीटीपी प्लेट है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रौद्योगिकी के विकास से केम फ्री, दोहरी परत वाली प्रक्रियाहीन रूपांतरों की डिजिटल आफसेट प्लेटों जैसी अन्य प्लेटों के रूपांतर उपलब्ध हैं।
10. प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य के आधार पर नोट करते हैं कि केम फ्री प्लेटों के मामले में अल्कालाइन डेवलपर का प्रयोग किये जाने की आवश्यकता नहीं है और प्रोसेसर के स्थान पर क्लीन आउट यूनिट रखी जाती है जिससे एक पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया बनती है तथा प्रयोक्ताओं के पानी की बचत होती है। प्रक्रियाहीन प्लेटों के मामले में क्लीन आउट यूनिट की भी आवश्यकता नहीं है। प्रक्रियाहीन प्लेटों के मामले में नान इमेज एरिया प्रेस पर सीधे ही हटा दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप प्लेट निर्माण प्रक्रिया में उत्पादकता का सुधार होता है। दोहरी परत वाली प्लेटों के मामले में प्लेटों की दोहरी कोटिंग होती है जो प्लेटों

को सुदृढता प्रदान करती है और प्रयोक्ताओं को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए लंबे समय तक संचालन प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

11. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से कुछ उत्पादों को हटाये जाने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के संबंध में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :-

- क) जहां तक प्रक्रिया मुक्त प्लेटों अथवा प्रक्रियाहीन प्लेटों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतिम प्रयोग, भौतिक दिखावट, विशेषताएं आदि। प्रक्रिया मुक्त प्लेटों और अन्य किस्म की डिजिटल प्लेटों के समान ही हैं। यह केवल उन्हीं ग्राहकों द्वारा प्रयुक्त उसी उत्पाद की दूसरी श्रेणी है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकार्ड की जांच तथा घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि प्रक्रियाहीन थर्मल प्लेटों का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा किया जा रहा है। यह दर्शाने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि क्या वाणिज्यिक स्तर पर प्रक्रियाहीन प्लेटों (अर्थात् वायलेट यूवीसीटीपी) के अन्य रूप की कोई मांग है। इसके अतिरिक्त, यह दर्शाने के लिए रिकार्ड में कोई साक्ष्य नहीं है कि जांच अवधि के दौरान किसी आयातक द्वारा इन अन्य रूपों का आयात किया गया था। कुछ तकनीकी प्रक्रिया अथवा उपस्कर में प्रवर्तन के कारण निर्यात कीमत के संबंध में कोई समायोजन का दावा भी किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने किसी भी किस्म की प्रक्रियामुक्त/ प्रक्रियाहीन प्लेट को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया है।
- ख) जहां तक दोहरी परत वाली सीटीसीपी प्लेटों को हटाने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के थर्मल एवं वायलेट क्षेत्रों में नियमित रूप से दोहरी परत वाली प्लेटों का विनिर्माण करता है। वह मांग होने पर उसी संयंत्र और मशीनरी पर दोहरी परत वाली सीटीसीपी प्लेटों का भी विनिर्माण कर सकता है। तथापि, विशिष्ट रूप से एक परत वाली यूवीसीटीपी प्लेटें ग्राहक का प्रयोजन पूरा करती हैं। इसके अतिरिक्त, दोहरी परत वाली यूवीसीटीपी प्लेटों की कीमतें भी अधिक होंगी तथा इस कारण से उसके लिए मुश्किल से ही कोई मांग होगी। अतः दोहरी परत वाली सीटीसीपी प्लेटों को हटाने का कोई कारण नहीं है। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अतिरिक्त कोटिंग के कारण समायोजनों के संबंध में कोई दावा नहीं किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों की किसी भी किस्म में दोहरी परत वाली प्लेटों को इस जांच के दायरे से बाहर नहीं किया है।
- ग) जहां तक केन फ्री सीटीसीपी प्लेटों को हटाने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अपने विद्यमान संयंत्र और मशीनरी पर इन प्लेटों का विनिर्माण कर सकता है। इन प्लेटों की कीमतें पारंपरिक यूवीसीटीपी प्लेटों से भी अधिक होंगी। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक स्तर पर केम फ्री यूवीसीटीपी प्लेटों के लिए मांग दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। साथ ही प्राधिकारी ने केन फ्री सीटीपी प्लेटों का कोई आयात नहीं पाया है और इसलिए केम फ्री पीयूसी की एक पर्यावरण अनुकूल किस्म है और उसका पारंपरिक यूवी सीटीपी प्लेटों की तरह अंतिम उपयोग है। अतः प्राधिकारी ने डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों की किसी किस्म में केम फ्री प्लेटों को जांच के दायरे से बाहर नहीं किया है।
- घ) जहां तक निगेटिव वर्किंग यूवीसीटीपी प्लेटों को हटाने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में विगत में निगेटिव वर्किंग यूवीसीटीपी प्लेटों का निर्माण किया है और यदि उसकी मांग होती है तो उसकी आपूर्ति कर सकता है। अतः प्राधिकारी ने डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों की किसी किस्म में निगेटिव वर्किंग प्लेटों को जांच के दायरे से बाहर नहीं किया है।
- ङ) 0.25 एमएम की मोटाई वाले विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री न करने के घरेलू उद्योग के मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग 0.40 एमएम, 0.28 एमएम, 0.20 एमएम और 0.15 एमएम की मोटाई वाले विचाराधीन उत्पादक की आपूर्ति करता है। हितबद्ध पक्षकारों ने

यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग के 0.40 एमएम, 0.28 एमएम, 0.20 एमएम और 0.15 एमएम सहित विभिन्न मोटाई की प्लेटों का विनिर्माण करने के बावजूद रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने 0.25 एमएम की मोटाई की प्लेटों का विनिर्माण किया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि सभी मोटाई वाली डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों को जांच के दायरे में शामिल किया जाए।

च) जहां तक टोरे जलहीन सीटीपी प्लेटों को हटाने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि जलहीन सीटीपी प्लेटें पेपर प्रिंटिंग के लिए विशिष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं की जाती हैं। इसके बजाय, इसका प्रयोग क्रेडिट कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड, प्रिंटिंग आदि जैसी विशिष्टीकृत सामग्री पर प्रिंटिंग किया जाता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग जलहीन सीटीपी प्लेटों का विनिर्माण नहीं करता। इसके अतिरिक्त, टोरे को छोड़कर किसी भी अन्य उत्पादक ने जलहीन सीटीपी प्लेटों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने की मांग नहीं की है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टोरे को छोड़कर संबद्ध देशों से किसी उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को जलहीन सीटीपी प्लेटों का निर्यात नहीं किया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने जलहीन सीटीपी प्लेटों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया है।

12. समान वस्तु के संबंध में नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं हैं परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

13. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना और प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु से विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं।

14. इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के अनुसार, संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

15. विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और रिकार्ड में उपलब्ध सूचना और प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पादन “डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें हैं”। “वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डिजिटल प्लेटों का प्रयोग पेपर पर इमेज के रूप में (डाट पैटर्न अथवा टेक्स्ट) के रूप में अथवा टिन सीट अथवा कोइली फिल्मों आदि जैसे नान आब्सारवेंट सब्सट्रेट पर इमेज के रूप में आंकड़े आंतरित करने के लिए प्रिंटिंग उद्योग में किया जाता है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों का प्रयोग करते हुए प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजिटल वर्क फ्लो लेजरों का प्रयोग करते हुए “कंप्यूटर से प्लेट में” (सीटीपी) से इमेज का सीधा आंतरण सक्षम होता है जोकि समान वर्क फ्लो में नहीं होता जिसमें इमेज को आंतरित करने के लिए मध्यवर्ती फिल्म की आवश्यकता होती है। डिजिटल प्लेटें रासायनिक कोटिंग से कोटेड उच्च शुद्धता की लिथो ग्रेड एल्यूमिनियम कोइल्स से बनायी जाती हैं। विचाराधीन उत्पाद में टोरे जलहीन सीटीपी प्लेटें शामिल नहीं हैं। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें पॉजिटिव (नान एक्सपोज्ड एरिया इमेज बनाता है) अथवा निगेटिव (एक्सपोज्ड एरिया इमेज बनाता है) वर्किंग प्लेटे हो सकती हैं। इस रेंज में वे प्लेटें शामिल हैं जिनमें प्लेटों के प्रसंस्करण के लिए रसायनों की आवश्यकता होती है, और साथ ही पर्यावरण के अनुकूल होती हैं जिनमें प्रसंस्करण के लिए किसी रसायन अथवा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कोटिंग निर्माण भिन्न भिन्न किस्मों के प्लेटों के लिए अलग अलग होता है। तीन प्रकार की डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें हैं, यथा-

i. थर्मल प्लेट्स ;

ii. वायलेट प्लेट्स ; और

iii. सीटीसीपी/यूवी सीटीपी प्लेट्स ।

16. प्राधिकरण ने पोस्ट प्रकटीकरण टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और इसे धारण किया है सभी आयामों और मोटाई में सभी प्रकार की डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेटें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। तथापि, उत्पादित जलहीन सीटीपी प्लेटें ऊपर बताये गए कारणों से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग की गई हैं।
17. विचाराधीन उत्पाद अधिनियम की प्रशुल्क मद “8442.50” के तहत आता है। विचाराधीन उत्पाद अन्य सीमा प्रशुल्क मदों 3701. 3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190 और 7606.9290 आदि के तहत भी आयातित किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं स्थिति

घ.1. घरेलू उद्योग के विचार

18. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और स्थिति के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं :-

- क) आवेदक मै० टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लि० भारत ने संबद्ध सामानों का एक उत्पादक है। विचाराधीन उत्पाद तीन और ज्ञात घरेलू उत्पादक हैं। यथा- मै० मेट्रोस्टार प्रिंट सल्यूशंस प्रा० लि०, मै० अक्षय इमेजिंग सिस्टम्स प्रा० लि० और मै० ओरियन फोटोसेंसिटिव सिस्टम्स प्रा० लि० ।
- ख) आवेदक ने चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पादक का आयात जांच की अवधि के दौरान बहुत कम मात्रा में अर्थात् अपने उत्पादन का 3.2 प्रतिशत किया है। आयात प्राथमिक रूप से चीन से भारी पाटन को समाप्त करने के लिए किए गए थे, क्योंकि यह याचिकाकर्ता के लिए बने रहने का मामला था। अब आयात बंद हो गए हैं और याचिकाकर्ता आगामी भविष्य में किसी अतिरिक्त मात्रा का आयात करने का इरादा नहीं रखता। याचिकाकर्ता भारत में किसी आयातक एवं संबद्ध देशों के किसी निर्यातक से संबद्ध नहीं नहीं है।
- ग) आवेदक ने *निरमा लि० बनाम सेंट गोबेन ग्लास* में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जहां माननीय न्यायालय ने माना है कि प्राधिकारी को आयातों पर विचार करने और सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। यदि आवेदक ने संबद्ध देशों से आयातों द्वारा विनिर्माता होने के नाते अपनी “अनिवार्य विशेषताएं” खो दी हों।
- घ) टेक्नोवा ने अपनी विनिर्माण सुविधाओं और अन्य परिसंपत्तियों में 400 करोड़ रूपए का निवेश किया है और अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए निवेश जारी रखे हुए है। इसके अलावा, 3500 परिवार अपनी आजीविका के लिए टेक्नोवा पर निर्भर हैं जो विनिर्माण के व्यवसाय में बने रहने का इरादा रखता है।
- ङ) आवेदक का विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में काफी बड़ा हिस्सा है। आवेदक का विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में हिस्सा जांच अवधि के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक है। तदनुसार, आवेदक स्थिति संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है और इस प्रकार पाटनरोधी

नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसार संबंधित उत्पाद के लिए भारत में “घरेलू उद्योग है”।

घ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और स्थिति के संबंध में विभिन्न अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं :-

- क) आवेदक ने जांच अवधि के दौरान काफी मात्रा में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। अतः याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसरण में घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र नहीं हैं।
- ख) मौखिक सुनवाई के दौरान आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया जाना स्वीकार किया। आवेदक द्वारा किए गए आयात जांच अवधि के दौरान उत्पादन का लगभग 3 प्रतिशत और कुल आयात का 7 प्रतिशत है। संबद्ध देशों से आयात लगभग 1.2 मिलियन वर्ग मीटर है, जो कुछ देशों के निर्यात से अधिक है।
- ग) जेइल सी एंड पी कंपनी लि० कोरिया गणराज्य ने अनुरोध किया है कि आवेदक का आधार आपत्तिजनक है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का आयात करके आवेदक इस जांच में घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं बनता। याचिकाकर्ता के आयातों का मूल्यांकन आवेदक के विरुद्ध ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध देशों से कुल आयातों और घरेलू मांग के लिए भी किया जाना चाहिए।
- घ) आयातक प्रश्नावली दायर करना आवेदक के लिए अनिवार्य है और आयातक प्रश्नावली के उत्तर के अभाव में प्राधिकारी को वर्तमान जांच के लिए संगत सूचना प्राधिकारी द्वारा तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान न करने के लिए टेक्नोवा को असहयोगी मानना चाहिए।
- ङ) भारत ने समान वस्तु के चार घरेलू उत्पादक हैं, यथा (i) टेक्नोवा (ii) मेट्रोस्टार, (iii) अक्षय इमेजिंग और, (iv) ओरियन। उपर्युक्त चार उत्पादकों में से केवल एक उत्पादक टेक्नोवा ने प्राधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र और आंकड़े दायर किये और किसी भी अन्य उत्पादक ने आवेदक का समर्थन नहीं किया है। मेट्रोस्टार ने प्राधिकारी से उसे “घरेलू उद्योग” के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है। क्षति के दावे का समर्थन करने के लिए मेट्रोस्टार ने संभवतः डीजीटीआर ने आंकड़े दायर किए हैं। तथापि, उपर्युक्त अनुरोध/आंकड़ों का अगोपनीय रूपांतर सार्वजनिक फाइल में हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- च) मेट्रोस्टार ने प्राधिकारी से उन्हें “घरेलू उद्योग” के रूप में माने जाने का अनुरोध किया है। कोडक “मेट्रोस्टार” को घरेलू उद्योग के घटक के रूप में शामिल किए जाने का समर्थन करता है। प्राधिकारी को यह भी नोट करना चाहिए कि मेट्रोस्टार कई अंतर्निहित कारकों के कारण संबद्ध सामानों का उत्पादन का करने में असमर्थ है। परिणास्वरूप काफी क्रय आदेश (फ्यूजीफिल्म से) होने के बावजूद मेट्रोस्टार सामान का विनिर्माण और आपूर्ति करने में विफल रहा है।
- छ) यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि संबद्ध देशों से आवेदक द्वारा आयातों की मात्रा (अर्थात् 1.65 मिलियन वर्ग मीटर) जांच अवधि के दौरान कोडक द्वारा निर्यातों के लगभग 50-70 प्रतिशत है।
- ज) आवेदक द्वारा आयातित मात्रा कुल निर्यातों का 50-60 प्रतिशत बनती है। शंघाई स्ट्रांग ने पुष्टि की है कि आवेदक द्वारा आयातित विचाराधीन उत्पाद के अंतिम बैच की पोत परिवहन तारीख 4 अप्रैल, 2019 थी। आवेदक ने तब से शंघाई स्ट्रांग से विचाराधीन उत्पाद की खरीद नहीं की है।

- झ) 1-1.5 मिलियन वर्ग मीटर की रेंज में पर्याप्त आयात संभवतः परीक्षण के प्रयोजन के लिए नहीं हो सकते। टेक्नोवा की आयात मात्रा कुछ संबद्ध देशों द्वारा भारत को समग्र निर्यात मात्रा से भी अधिक हो जाती है।
- ञ) आवेदक ने सुनवाई में स्वीकार किया है कि आयात रक्षात्मक आयात थे, जिसका अर्थ है कि वे आयात देश में किसी अन्य आयातक की तरह किए गए थे और आवेदक ने इन आयातों के लिए कारण उपलब्ध नहीं कराया है।
- ट) उत्पादक एवं आयातकों के लिए पाटनरोधी शुल्क के जरिए संरक्षण की मांग करने की खुली छूट है। अनुरोध यह है कि आवेदक को मौका देखकर रूप बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- ठ) आवेदक ने संबद्ध सामानों के आयातों और व्यापार में लगकर भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों के लिए कीमत निर्धारित करने हेतु अपनी स्थिति से समझौता किया। आवेदक को वर्तमान मामले के तथ्य में स्वप्रभावित क्षति के विरुद्ध संरक्षण की मांग करने के लिए पात्र नहीं माना चाहिए।
- ड) आवेदन पत्र को इस तथ्य के मद्देनजर रद्द किया जाना है कि आवेदक ने स्वयं ही संबद्ध सामानों का आयात किया है। कानून भेदभाव नहीं करता, चाहे आवेदक ने कम मात्रा में आयात किया है अथवा अधिक मात्रा में आयात किया है। जैसाकि आवेदक द्वारा दर्शाया जा रहा है।
- ढ) आवेदक ने मांग में वृद्धि और घटती हुई क्षमता, अपना एक संयंत्र बंद करने के कारण कम हुई क्षमता, देश की मांग को पूरा करने में असमर्थता और सस्ते आयातों का लाभ लेने के कारण संबद्ध सामानों का आयात किया है।
- ण) आवेदक तथाकथित पाटन में पक्षकार है। अतः तथाकथित पाटित आयातों के कारण क्षति का दावा नहीं कर सकता। आवेदक ने क्षमता की कठिनाइयों और आयातों की अपेक्षा अन्य कारकों के कारण क्षति होने के कारण संबद्ध सामानों का आयात किया है।
- त) यदि आवेदक किसी क्षति का दावा करता है तो स्वप्रभावित क्षति का घटक वर्तमान मामले में बहुत स्पष्ट है और यदि क्षति स्वप्रभावित है तो पाटनरोधी योजना के तहत आवेदक के लिए कोई उपचार नहीं है।
- थ) आवेदक को व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन परिपाटी नियम पुस्तक के पैरा 4.9.20 के अनुसार अपात्र उत्पादक भी माना जाना चाहिए।
- द) याचिकाकर्ता मै० टोरे इंडस्ट्रीज इंक (टोरे) से संबद्ध है, क्योंकि वह भारत में जलहीन सीटीपी प्लेटों का वितरक है और इसीलिए याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग होने के लिए अपात्र हैं।
- ध) याचिकाकर्ता प्रौद्योगिकी अंतरण करार की मौजूदगी के कारण अगफा ग्राफिक्स से संबद्ध है। अगफा ग्राफिक्स का चीन जन. गण. में एक संबद्ध उत्पादक, अगफा उक्सी इमेजिंग क० लि० है जो एशियाई बाजारों को निर्यात में लगा हुआ है।
- न) अगफा ग्राफिक्स और लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स क० लि० ने एक नीतिगत सहयोग किया है जिसने लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स क० लि०, अगफा के लिए उत्पादों का विनिर्माण करने हेतु बौद्धिक संपत्ति तथा प्रौद्योगिकी, अगफा ग्राफिक्स की सहायता के साथ नन्यांग, चीन ने प्रिंटिंग प्लेटों के लिए विनिर्माण क्षमता प्रदान करेगा। इन दोनों से याचिकाकर्ता चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातक लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स क० लि० से संबद्ध हो गया है और इसीलिए कानून के तहत घरेलू उद्योग के रूप में अपात्र हो गया है।
- न) आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान तथा जांच की अवधि के बाद संयुक्त अरब अमीरात पत्तन पर आयात किए।

- प) ताइवान से आयातों का 3.55 प्रतिशत घरेलू उद्योग द्वारा काफी अधिक माना गया है जबकि चीन से उनके द्वारा किया गया तुलनीय कीमतों पर 7 प्रतिशत आयात मामूली है और उससे उन्हें क्षति नहीं हुई है तथा वह उचित कीमतों पर है। इसलिए घरेलू उद्योग ने स्पष्ट रूप से जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान और वियतनाम से आयातों को पाटित क्षतिकारी और मात्रा में अधिक के रूप में बताकर दोहरे मानकों का सहारा लिया है, यद्यपि, यह दलील दी है कि उनके द्वारा किए गए आयात अधिक नहीं हैं और वह पाटित कीमतों पर नहीं हैं तथा क्षतिकारी नहीं हैं।
- फ) यह अनुरोध किया जाता है कि वास्तव में टेक्नोवा द्वारा किए गए आयातों की मात्रा टेक्नोवा द्वारा यथाकथित न्यूनतम सीमा की नहीं है, वास्तव में नियमावली के नियम 14(घ) में उस मात्रा को बताया गया है जिसे निर्धारित न्यूनतम सीमा माना जाए। नियम 14(घ) में उस स्थिति में जांच की समाप्ति का उपबंध है, यदि किसी देश से कथित पाटित आयात की मात्रा समान उत्पाद के आयातों के 3 प्रतिशत से कम हो। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि कुल आयातों के 3 प्रतिशत से अधिक किसी भी मात्रा पर विचार किया जाएगा और उसकी विस्तार से जांच आवश्यक होगी।
- ब) आवेदक ने भारी मात्रा का आयात किया है जिससे उन्हें अयोग्य माना जाना चाहिए क्योंकि क्षति विश्लेषण और कारणात्मक संबंध की जांच करते समय उनके द्वारा आयातों को समायोजित किया जाना चाहिए।
- भ) आवेदक द्वारा विश्वास किए गए मामलों में घरेलू उद्योग ने अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत उत्पाद का आयात किया था, प्राधिकारी ने माना है कि इससे घरेलू उत्पादकों को पात्र घरेलू उद्योग माने जाने में बाधा नहीं होनी चाहिए। अग्रिम लाइसेंस के तहत घरेलू उत्पादकों द्वारा आयात सद्भावपूर्ण आयात माने गए थे।
- म) मेट्रोस्टार, अक्षय और ओरियन पहले ही उस समय के दौरान व्यापार से बाहर हैं जब पाटनरोधी शुल्क लागू था। उनका निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से कोई मतलब नहीं है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

20. नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदन पत्र मै० टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम (प्रा०) लि. द्वारा दायर किया है। आवेदक ने सूचित किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य उत्पादक हैं यथा- मै० मेट्रोस्टार प्रिंट सोल्यूशंस प्रा० लि०, मै० अक्षय इमेजिंग सिस्टम्स प्रा० लि० और मै० ओरियन फोटोसेंसिटिव सिस्टम्स प्रा० लि० इन तीन अन्य उत्पादकों में से दो उत्पादक अर्थात् मै० अक्षय इमेजिंग सिस्टम्स प्रा० लि० और मै० ओरियन फोटोसेंसिटिव सिस्टम्स प्रा० लि० ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है। जांच की अवधि में आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 97 प्रतिशत है और वह काफी अधिक हिस्सा है। आवेदक ने उल्लेख किया है कि उसने चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद की बहुत कम मात्राओं में आयात किया है जो जांच अवधि के दौरान आवेदक के उत्पादन का लगभग 3.2 प्रतिशत है। आवेदक द्वारा किए गए आयात प्रकृति में अस्थायी और अपने प्रमुख ग्राहकों को बनाये रखने लिए थे। जांच अवधि के दौरान अस्थायी अवधि के लिए और मई, 2019 में अंतिम रूप से आयातों की कम मात्रा को ध्यान

में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने अपने मुख्य व्यवसाय या पी यू सी का विनिर्माता होने की अनिवार्य विशेषताओं में परिवर्तन नहीं किया है।

22. जहां तक आवेदक और टोरे के बीच संबंधों के बारे में तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों कंपनियां दैनिक प्रचालनों (उत्पादन, कीमत, बिक्री आदि) ने किसी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र हैं। दोनों कंपनियां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के अथवा तीसरी कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, वे साथ-साथ किसी तीसरी कंपनी को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करते। आवेदक विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के अपने व्यापार के संबंध में टोरे के कानूनी अथवा प्रचालनात्मक नियंत्रण में नहीं है। अतः यह बताने के लिए रिकार्ड में कुछ नहीं है कि आवेदक और टोरे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर संबद्ध हैं।
23. जहां तक अगफा ग्राफिक्स के साथ लकी के सहयोग के कारण आवेदक और लकी के बीच संबंध के दावे का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्रौद्योगिकी अंतरण संबंध से पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और पाटनरोधी करार के अभिप्राय से दोनों पक्षकार एक दूसरे से संबद्ध नहीं हो जाते। आवेदक ने एक करार के तहत अगफा ग्राफिक्स, यूरोप से प्रौद्योगिकी ली है, जिसके लिए रायालटी भुगतान किया जाता है। आवेदक और अगफा के बीच करार लकी हुआगुआहंग ग्राफिक्स लि० के साथ अगफा के सहयोग से स्वतंत्र हैं। लकी और/अथवा अगफा का आवेदक के बीच कोई संबंध नहीं है जो आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के तहत घरेलू उद्योग के लिए अपात्र बनाएगा।
24. संयुक्त अरब अमीरात पत्तन पर आवेदक द्वारा आयात के संबंध में यह नोट किया जाता है कि वे आयात भी भारतीय बाजार में नहीं आये और इसीलिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात के रूप में नहीं बनते।
25. प्राधिकारी इस संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के बाद की टिप्पणियों को भी नोट करते हैं और मानते हैं कि आवेदक कंपनी स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करती हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग बनाती है।

ड.. गोपनीयता

ड.1. घरेलू उद्योग के विचार

26. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क) आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार और 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर में पूरी अनिवार्य सूचना प्रकट की है।
- ख) हितबद्ध पक्षकारों ने पर्याप्त एवं पूरी सूचना दायर करने के लिए तीन बार समय बढ़ाये जाने दिनांक 20 जून, 2019, 7 जुला, 2019 और 15 जुलाई, 2019 के बाद भी अगोपनीय रूपांतर में काफी अधूरे उत्तर दायर किए हैं। यह पूरी तरह जांच में बाधा डालने के इरादे से है और शीघ्र निर्धारण के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान न करने के लिए है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के तहत हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्तर अस्वीकृत किए जाने चाहिए और उन्हें असहयोगी घोषित किया जाना चाहिए।

ड.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

27. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क) आवेदक ने पूरी क्षति संबंधी सूचना व्यावहारिक रूप से गोपनीय होने का दावा किया है। अगोपनीय आंकड़े पूरी तरह से आवेदक के दावों को सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त हैं। याचिका में आवेदक द्वारा प्रस्तुत इन निरर्थक आंकड़ों पर टिप्पणी देना कठिन है।

- ख) आवेदक ने उस सूचना को भी गोपनीय होने का दावा किया है, जिसको उन्होंने पूर्व निर्णायक समीक्षा याचिका और मूल याचिका में प्रकट कर दिया है। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के बाजवूद आंकड़ों का गोपनीय होने का दावा किया गया है कि वर्तमान मामले में निर्णायक समीक्षा मामले के बीच की अवधि में अतिव्यापन है और इसीलिए आवेदन पत्र में गोपनीय आधार पर उल्लिखित संख्याएं निकालने के लिए यह सामान्य परिकलन का मामला है।
- ग) आवेदक के अगोपनीय आंकड़े अपर्याप्त हैं, जो सूचना मूल एवं निर्णायक समीक्षा याचिका में प्रकट की गई थी, उसे भी गोपनीय रखा गया है। यह तथ्यों का छुपाने का मामला है और गोपनीयता का सहारा लेते हुए आवेदक के लिए तथ्य छुपाने का कारण बना है।
- घ) प्राधिकारी उचित कार्य और न्याय के हित में गोपनीयता के लिए दावे को रद्द करें और आवेदक से कहें कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को यह सभी आंकड़े बतायें।
- ङ) आवेदक से उसके आयात आंकड़े और वह तरीका बताये जाने के लिए कहा जा सकता है जिसमें उसने गोपनीयता के मुद्दे का सहारा लिए बिना अपनी इमेज तैयार की है। प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत ऐसे निर्देश देने का अधिकार है।
- च) आवेदन पत्र का भाग VI आवेदक की लागत संबंधी सूचना से संबंधित है। उसके उत्पादन, कार्यकरण आदि से संबंधित पूरे आंकड़े आवेदक द्वारा गोपनीय चिन्हित किए गए हैं जिससे दावों की सत्यता सत्यापित करना किसी स्वतंत्र व्यक्ति के लिए असंभव है।
- छ) प्रदर्श 17 आवेदक द्वारा निकाली गई सामान्य कीमत दर्शाता है। चूंकि पूरे आंकड़ों को गोपनीय घोषित किया गया है, अतः यह ज्ञात नहीं है कि उन्होंने कौन सा कीमत पैटर्न चुना है।
- ज) आवेदक ने यह जाने बिना कि वास्तविक क्या हो सकती है, समुद्री भाड़ा और आंतरिक भाड़ा के लिए अपने स्थानीय सी. एच. ए. से कुछ कोटेशनों पर विश्वास किया है। वे भी पुनः गोपनीयता के आधार पर नहीं बताये गये हैं ताकि वे व्यापार में अन्य द्वारा बताये जा सकें।
- झ) नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत क्षति की संपूर्ण सूचना सहित टेक्नोवा द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित सूचना किसी भी औचित्य के बिना नियमावली के नियम 7 के तहत गोपनीय सूचना के रूप में मानी गई है।
- ञ) वह सूचना जिसे दिए गए प्रारंभिक जांच परिणाम में गोपनीय माना गया है, वास्तव में 2018 निर्णायक समीक्षा के दौरान टेक्नोवा द्वारा प्रकट की गई थी।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

28. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नलिखित प्रावधान है:-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

29. प्राधिकारी ने निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
30. गोपनीयता के संबंध में संगत मानी गई सीमा तक घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार, उनका समाधान किया गया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 07 सितंबर, 2018 में किसी घरेलू उत्पादक (जहां किसी एक उत्पादक ने याचिका दायर की हो) के लिए वास्तविक आंकड़ों के विरोध में रूझान स्वरूप कतिपय आंकड़े (जैसे उत्पादन, क्षमता आदि) प्रदान करना अपेक्षित है। अतः यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में वास्तविक आंकड़े प्रदान किए थे, व्यापार सूचना 10/2018 में विहित ढंग से वर्तमान आंकड़ों को प्रस्तुत करने के याचिकाकर्ता के अधिकार को नहीं छीनता है।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

31. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

- क. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कोडेक अपनी चीन की सुविधाओं को बेचने के लिए चीन की एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी हुआगुआंग (लकी) के साथ एक बाध्यकारी करार में शामिल हुआ है। कुछ समाचार रिपोर्टों के आधार पर घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि लकी को कोडेक संयंत्र की बिक्री अगस्त, 2019 में किसी समय पूरी की गई है। तदनुसार, घरेलू उद्योग का तर्क है कि कोडेक को अलग पाटन मार्जिन नहीं दिया जाना चाहिए और एम ई टी दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।
- ख. घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि शुल्कों को गलत घोषणा से बचने के लिए सभी प्लेटों पर एक समान रूप से लगाया जाना चाहिए।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-

- क. कुछ हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा उठाई गई क्षति आवेदक और प्रयोक्ता उद्योग के बीच समझौता ज्ञापन के कारण हुई है।
- ख. ए डी डी को पूर्ववर्ती व्यवस्था की तरह नियत रूप में नहीं लगाया जाना चाहिए अपितु, एल एम ई पर एल्यूमीनियम धातु की मौके पर कीमत के साथ जोड़कर या भारत को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश द्वारा बेची गई समान वस्तु के आधार पर नियमावली में यथाप्रदत्त गतिशील ढंग से लगाया जाना चाहिए। इसे त्रैमासिक आधार पर सीमाशुल्क द्वारा गतिशील रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

- ग. आयात आवश्यक है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है। आवेदक ने आयातों का सहारा लिया है क्योंकि वह मांग को पूरा नहीं कर सकता था।
- घ. पी यू सी के कतिपय प्रयोक्ताओं ने तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आयातों में वृद्धि होगी क्योंकि प्रिंटिंग प्लेट उनकी कुल लागत के 40 प्रतिशत हिस्से से अधिक है।
- ड. लकी ने यह तर्क दिया है कि कोडक संयंत्र की बिक्री पी ओ आई के बाद हुई है और इसलिए, दोनों कंपनियों को अलग-अलग शुल्क दिया जाना चाहिए।
- च. कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने प्लेटों के सभी प्रकारों पर एक ही पाटनरोधी शुल्क लागू करने का विरोध किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि प्राधिकारी को पाटन और क्षति के लिए पी सी एन वार विश्लेषण करना चाहिए।
- छ. कुछ पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि ताइवान और कोरिया से निर्यात काफी कम है और घरेलू उद्योग को उनसे क्षति नहीं हुई है।
- ज. कुछ हितबद्ध पक्षों ने इन आधारों पर वर्तमान जांच की शुरुआत को विवादित करार दिया है, समाप्त करने की मांग की है कि :- (i) क्षति अवधि में अप्रैल, 2018 से जून, 2018 की अवधि का अंतर नहीं हो सकता है। (ii) क्षति अवधि को एक संपूर्ण वित्तीय वर्ष होना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क देने के लिए व्यापार सूचना सं.02/2004 दिनांक 12 मई, 2004 पर भरोसा किया है कि क्षति अवधि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और यह कि क्षति अवधि एक पूरा वित्तीय वर्ष होना चाहिए।
- झ. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के समक्ष दलील दी है कि उनके द्वारा किए गए पाटित आयातों को क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ अलग किया जाए। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात का विश्लेषण नहीं किया है कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात पाटित और क्षतिकारी थे अथवा नहीं। इसके विपरीत निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात पाटित और क्षतिकारी थे क्योंकि घरेलू उद्योग ने दो जांचाधीन निर्यातकों से भारी मात्राओं का आयात किया था और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इन आयातों में भारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पाया था।
- ट. लकी ने अनुरोध किया है कि यह निर्धारित किए बिना कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात पाटित नहीं थे, क्षति विश्लेषण करते समय घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों को अलग और बाहर रखना अवैध है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों को हटाया जाना क्षति विश्लेषण की जांच के प्रयोजनार्थ क्षति को अलग करना नहीं है, स्पष्ट रूप से विधिक अपेक्षाओं और दायित्वों से बाहर है।
- ठ. हिंदुस्तान टाइम्स एक असहयोगी हितबद्ध पक्षकार है क्योंकि उसने प्रयोक्ता प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के दावे समर्थित नहीं हैं और उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है।
- ड. कोडेक का यह अनुरोध कि प्राधिकारी को वर्ष 2018 में की गई मूल जांच का पालन करना चाहिए और अंतिम जांच परिणाम में शुल्क के संदर्भ कीमत रूप, यदि कोई हो, की सिफारिश करनी चाहिए।
- ढ. घरेलू उद्योग और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसा विचार किया हुआ प्रतीत होता है कि एक बार घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात को क्षति विश्लेषण से बाहर कर दिया जाए तो प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है और क्षति विश्लेषण पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों के प्रभाव को अलग किया है। तथापि, जब घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात अन्य आयातकों द्वारा दी गई आयात कीमत की तुलनीय कीमत पर किए गए हैं और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसे आयातों को पाटित और क्षतिकारी पाया है तो क्षति विश्लेषण से इन आयातों को बाहर रखने से संपूर्ण प्रारंभिक जांच परिणाम त्रुटिपूर्ण हो गए हैं।

- ण. लकी प्राधिकारी को सूचित करना चाहता है कि लकी ने कोडक के व्यापार प्रचालन का अधिग्रहण किया है। तथापि, विनिर्माण संयंत्र स्वतंत्र संयंत्र के रूप में प्रचालन करना जारी रखेगा। चूंकि लकी ने कोडक के संयंत्र का अधिग्रहण किया है, इसलिए, लकी प्राधिकारी से कोडक (निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा शुल्क की सिफारिश करने की स्थिति में) के लिए ए डी डी की सिफारिश की राशि के लिए कोडक के नाम के अलावा, लकी के नाम को विनिर्दिष्ट करें। चूंकि दो अलग-अलग संयंत्र हैं और चूंकि पी ओ आई के दौरान इनका स्वामित्व अलग-अलग रहा है, इसलिए लकी का अनुरोध है कि इन दोनों संयंत्रों को अलग-अलग शुल्क प्रदान करना उचित रहेगा।
- त. मै. निप्पोन कलर ने क्षति अवधि और पी ओ आई के लिए पी यू सी के देशवार आयात आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और यह बताया है कि ताइवान से आयात कुल आयातों का 3 प्रतिशत से कम है जिससे एडीडी की लेवी से उसे बाहर रखना आवश्यक है। चीन से इतर चार देशों से आयात भी काफी कम है और हटाए जाएं। इसका अलावा, यह बताया गया है कि आयात आंकड़ों का विश्लेषण जांच परिणामों में दिया जाए और उन्हें सूचित किया जाए।
- थ. मै. निप्पोन कलर ने बताया है कि पाटनरोधी शुल्क को प्रत्येक प्रकार की डिजिटल प्लेट के लिए अलग-अलग लगाया जाए। यह बताया गया है कि सीमाशुल्क परिवर्तन के प्रयास पर रोक लगा सकता है। मै. निप्पोन ने मै. टॉप हाई इमेज, ताइवान से प्राधिकार पत्र वाले दिनांक 27 फरवरी, 2020 के पत्र के माध्यम से भारत को निर्यात का नमूना बीजक और एक घरेलू बिक्री बीजक संलग्न किया है। नमूना बीजक के आधार पर मै. टॉप हाई इमेज के लिए अलग मार्जिन की मांग की गई है। यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी ने पाटन की गणना के लिए विहित पद्धतियों को नहीं अपनाया है और बजाए इसके पहुंच मूल्य की तुलना आवेदक की उत्पदन लागत से की है जिसकी अनुमति नहीं है। कारखाना द्वारा निर्यात कीमत की गणना के लिए व्यय के संबंध में की गई मान्यताएं गलत और त्रुटिपूर्ण हैं। यदि किसी तरह से कोई पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो उसे एल्यूमीनियम की एल एम ई कीमतों से जोड़ा जाना चाहिए।
- द. मै. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स (ए आई एफ एम पी) ने अपने वकीलों मै. वैश एसोसिएट्स के जरिए यह बताया है कि पिछले ए डी को वापस लेने के बाद आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और यह कि आवेदक को कोई क्षति नहीं हुई है। कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए और यदि लगाया जाए तो धारणात्मक हो।
- ध. मै. पोथल एंड एसोसिएट्स से मै. ब्राइट इंटरप्राइजेज की ओर से आयातक प्रश्नावली प्रस्तुत की है और यह अनुरोध किया है कि ताइवान से आयात 3.3 प्रतिशत होने के दावे का सत्यापन किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने बताया है कि आवेदक को हुई क्षति स्व-प्रभावित है जो समान कीमतों पर उनके द्वारा आयातों के कारण है और यह कि कोई विश्लेषण पी सी एन वार किया जाना चाहिए।
- न. मै. शिवा काशी मास्टर प्रिंटर्स एसोसिएशन, मै. खंडेलवान ग्राफिक्स प्रा. लि., मै. सरस्वती प्रिंट फैक्ट्री और इंडियन लैंग्वेजेज न्यूजपेपर एसोसिएशन ने ध्यान दिलाया है कि आवेदक एक आयातक भी है और केवल एक साल पहले ए डी को हटा दिया गया था। इसके अलावा, ए डी से प्रयोक्ता उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. प्रकटन के उत्तर में प्रस्तुत अनुरोधों सहित विभिन्न विविध अनुरोधों जिन्हें संगत समझा गया, की निम्नानुसार जांच की गई :-

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) इस समय विद्यमान नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एम ओ यू जांच अवधि के दौरान भी

लागू नहीं था, इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति के लिए एम ओ यू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

- ख. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर यह सूचना दी है कि कोडक ग्रुप ने चीन में अपने विनिर्माण संयंत्र को चीन से एक भागीदार उत्पादक लकी को बेच दिया है। जांच की प्रक्रिया के दौरान कोडक ने संयंत्रों के अंतरण के दावों के विरोध में कोई विवरण नहीं दिया है। इसके अलावा, लकी ने अपने अनुरोधों के जरिए यह लगभग मान लिया है कि कोडक संयंत्र जांच के बाद की अवधि में लकी को बेचे गए हैं। प्राधिकारी ने इस तथ्य को नोट किया है कि लकी को कोडक संयंत्र की बिक्री पी ओ आई की बाद की अवधि के दौरान हुई है। इसके अलावा, मै. कोडक ने चीन के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एम ई टी) के अपने दावे को भी वापस ले लिया है।
- ग. आयातों के आवश्यक होने के मुद्दे और यह कि घरेलू उद्योग के पास मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है, के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतर का मुद्दा (यह मानते हुए भी कि इस मामले में यह सही है) पाटनरोधी जांच में संगत नहीं है। जांच पी यू सी के आयातों को निषिद्ध नहीं करती है और पाटनरोधी शुल्क लागू होने पर भी आयातक और प्रयोक्ता उद्योग पी यू सी का आयात करने को मुक्त होते हैं। ए डी का मूल्यांकन सहयोगी/भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उनके आंकड़ों के आधार पर विशिष्ट होने का प्रस्ताव किया गया है और असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में आवेदक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम उपब्ध सूचना के आधार पर किया जाता है। अतः कतिपय हितबद्ध पक्षों के दावे की आवेदक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों को अपनाया गया है, न्यायोचित नहीं है और इसके अलावा, सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यथा उल्लिखित एन वी तथा डी एम गणना की पत्रिका का खंडन भी नहीं किया है।
- घ. एन पी टी ऑफसैट्स से तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से मुद्रण उद्योग की लागत में वृद्धि होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो एन वी ऑफसैट्स और न ही अन्य किसी प्रयोक्ता ने प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। तदनुसार, उनके दावों के समर्थन में प्राधिकारी को कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लगाने से लागत में वृद्धि का मुद्दा प्रासंगिक नहीं है। वास्तव में किसी पाटनरोधी जांच में यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं तो ऐसे उत्पादों के प्रयोक्ता के लिए लागत में वृद्धि होना निश्चित है। इसका अलावा, प्रयोक्ता उद्योग द्वारा उनके दावे को सही ठहराने के लिए कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं कि प्रिंटिंग प्लेट उनकी लागत का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को कमतर शुल्क नियम के आधार पर अनुशंसित किया जाना प्रस्तावित होता है।
- ड. एक समान शुल्क और उत्पाद प्रकार वार पाटन और क्षति मार्जिन विश्लेषण (अर्थात् पीसीएन पद्धति) के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी यू सी के सभी प्रकारों अर्थात् पी सी एन पर एक समान शुल्क लगाने के लिए कानून के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही पी सी एन आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने पर कोई प्रतिबंध है।
- च. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने पी यू सी को समग्र रूप से माना है और प्रारंभिक जांच परिणाम में समग्र रूप से पी यू सी पर शुल्क की सिफारिश की है। तथापि, पाटन और क्षति मार्जिन के लिए डिजिटल प्लेटों के 3 प्रकारों की तुलना प्लेटवार की गई है। प्राधिकारी ने पाटन और क्षति मार्जिन का मूल्यांकन प्लेटवार किया है और पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश आगामी पैराग्राफों में संबद्ध वस्तु पर इस आधार पर की गई है।
- छ. हितबद्ध पक्षकारों की इस दलील के संबंध में कि क्षति अवधि में कोई अंतर नहीं हो सकता है और क्षति अवधि पूरा वित्तीय वर्ष होनी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आंकड़ों को पूर्ववर्ती वर्ष से तुलना योग्य बनाने के लिए प्राधिकारी ने 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2018 के रूप में क्षति अवधि को अपनाया है जो प्राधिकारी की संगत परिपाटी के अनुसार वार्षिकीकृत आधार पर है।

- ज. इस अनुरोध के संबंध में कि जांच अवधि 12 महीने से कम नहीं हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम या नियमावली अथवा पाटनरोधी करार में 9 महीने की जांच अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जांच शुरूआत के समय नियमावली में पी ओ आई का कोई उपबंध नहीं था। पी ओ आई संबंधी विशिष्ट प्रावधान फरवरी, 2020 में ही नियमावली में शामिल किया गया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि 5 मई, 2000 को अपनाई गई जांच अवधि के कार्यकाल के संबंध में पाटनरोधी परिपाटियों संबंधी समिति के दिशानिर्देश यह स्वीकारते हैं कि जांचकर्ता प्राधिकारी मामला विशिष्ट आधार पर उचित पी ओ आई मान सकते हैं जो 6 महीने से कम की नहीं हो सकती। वर्तमान जांच में जांच की अवधि 9 महीने की है जो डब्ल्यू टी ओ दिशानिर्देशों के अनुपालन में है। जांच शुरूआत के समय प्राधिकारी ने सबसे हाल की अवधि अर्थात् 1.7.2018 से 31.3.2019 को पी ओ आई के रूप में स्वीकार किया। यह अवधि 1.4.2018 से बाद की नहीं हो सकती थी क्योंकि पूर्ववर्ती पाटनरोधी शुल्क जून, 2018 तक जारी रहा। इसलिए प्राधिकारी ने 9 महीने की जांच अवधि अपनाई। प्राधिकारी द्वारा अनेक पाटनरोधी जांचों में 12 महीने से कम की पी ओ आई अपनाई गई है।
- झ. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने एक मुद्दा उठाया है कि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों और बिक्रियों के प्रभाव पर विचार नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा इस पहलू की जांच की गई है और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात और उनकी पुनः बिक्री के प्रभाव पर आगामी पैराग्राफों में समुचित ढंग से ध्यान दिया गया है।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

34. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

- क) एल्यूमिनियम विचाराधीन उत्पाद का एक महत्वपूर्ण लागत संघटक है। याचिकाकर्ता विश्व में विचाराधीन उत्पाद के अन्य उत्पादकों के साथ लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर उद्धृत कीमतों के आधार पर अपना एल्यूमिनियम लेता है। जबकि चीन जन. गण. से बाहर आधारित उत्पादक शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज (एसएचएफई) की कीमतों पर उद्धृत कीमतों के आधार पर एल्यूमिनियम लेते हैं।
- ख) एसएचएफई चीन सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, एसएचएफई पर उद्धृत कीमतें अत्यधिक नियंत्रित होती हैं और सरकार द्वारा उनकी मानीटरिंग की जाती है। अप्रैल, 2018 से मार्च 2019 तक एसएचएफई निर्धारण पर उद्धृत कीमतें एलएमई निर्धारण पर उद्धृत कीमतों से काफी कम बनी हुई हैं।
- ग) एसएचएफई निर्धारण पर उद्धृत कीमतें एलएमई निर्धारण पर उद्धृत कीमतों की तुलना में 10-20 प्रतिशत तक कम हैं।
- घ) टेक्नोवा एल्यूमिनियम का भी आयात करता है, यद्यपि भारतीय रूपए के मूल्य ह्रास के साथ एलएमई ने अमरीकी डालर के मामले में कुछ गिरावट देखी जा सकती है, याचिकाकर्ता के लिए प्रभावी लागत में वृद्धि हुई है। किसी प्रकार के संदेह को समाप्त करने के लिए याचिकाकर्ता इस बात को दोहराता है कि उसकी एल्यूमिनियम की लागत, चाहे घरेलू तौर पर खरीदी जाए अथवा अंतर्राष्ट्रीय रूप से, अमरीकी डालर के रूप में एलएमई की कीमतों से संबद्ध हैं।
- ङ) एसएचएफई पर उद्धृत एल्यूमिनियम इग्नट की कीमतों में चीन सरकार द्वारा लगाया गया वैट घटक शामिल हैं। उद्धृत कीमत में वैट घटक जून, 2018 तक 17 प्रतिशत था, जो जुलाई, 2018 में घटा कर 16 प्रतिशत किया गया था। इसके अतिरिक्त, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग सेक्टर की वृद्धि को बढ़ाने के लिए चीन सरकार ने वैट 16 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया। चीनी उत्पादकों को वैट

की वापसी अगस्त, 2018 तक 13 प्रतिशत तक थी जो बढ़ाकर सितंबर, 2018 से 16 प्रतिशत की गई थी। (अर्थात् पूरी वापसी) एलएमई और एसएचएफई के उद्धृत कीमतों की उचित तुलना करने के लिए निम्नलिखित समायोजन किए जाने चाहिए।

- वैट को एसएचएफई कीमतों से घटाया जाना चाहिए, और
- एलएमई की प्रिमियम को एलएमई की कीमत में जोड़ा चाहिए।

- च) यूरोपीय संघ (ई. यू.) आयोग ने व्यापार रक्षा जांच के प्रयोजन के लिए चीन जन. गण. की अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट के संबंध में हाल में अध्ययन किया। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने आर-पार के ह्रास संबंधी विश्लेषण और उत्पादन के कारकों में गिरावट के अलावा एल्यूमिनियम क्षेत्र विशिष्ट ह्रासों पर भी विस्तार से चर्चा की। इनमें से कुछ ह्रास नान फेरेस मेटल उद्योग, संरचनात्मक समायोजन और पुरानी क्षमता की समाप्ति तथा सरकारी उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए विशेष नीति हथियार के लिए 13वीं पंचवर्षीय योजना हैं।
- छ) यूएसडीयूसी ने भी एक विस्तृत अध्ययन किया है, कि चीन जन. गण. बाजार अर्थव्यवस्था में नहीं गया है और निरंतर एनएमई सिद्धांतों के तहत प्रचालन करता है।
- ज) संयुक्त राज्य संघीय सरकार में भी चीन जन. गण. को एक मुद्रा जुगाड़ घोषित किया है। इसका तत्काल प्रभाव यह है कि चीनी निर्यात सस्ते हो गए हैं।
- झ) कोडक ने अपनी चीन की सुविधाएं चीन में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम हुआगुआंग (लकी) को बेचने के लिए एक बाध्यकारी करार किया है। कोडक चीन में आफसेट प्रिंटिंग प्लेटों का विनिर्माण बंद कर देगा। इस घटना के तात्कालिक परिणाम यह हैं कि –
- कोडक को इस दृष्टि से अलग मार्जिन/शुल्क प्रदान नहीं किया जाना चाहिए कि वह अब क्षेत्र में विनिर्माण नहीं करेंगे, और,
 - कम से कम उन्हें चीन में एक सरकारी स्वामित्व के उद्यम को उनकी लंबित बिक्री को देखते हुए बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी आशा है कि बिक्री 2019, की तीसरी तिमाही तक पूरी हो जाएगी, जो कोडक के आंकड़ों के आधार पर भारतीय बाजार को लकी मुक्त पहुंच देगी, जो अब संगत नहीं है।
- ञ) कोडक समूह ने वर्तमान जांच में एक पूरक प्रश्नावली (एमईटी प्रश्नावली) दायर की है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि कोडक समूह को चीन जन. गण. में सरकार द्वारा नियंत्रित की जा रही एल्यूमिनियम की कीमतों के आधार पर एमईटी स्तर प्रदान नहीं किया गया था।
- ट) संबद्ध देशों से आयात पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते रहे हैं और इन सभी देशों से पाटन की गहनता जून, 2018 में चीन जन. गण. से पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद काफी बढ़ी हैं।
- ठ) कोडक ने आवेदक के संबंध में सबूत के भार को पूर्णतः गलत समझा है। यह अनुरोध है कि आवेदक के रूप में टेक्नोवा को सार्वजनिक पटल में उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य रखने थे। कोडक एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था से उत्पादक होने के नाते यह दर्शाने का भार वहन करता है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के तहत प्रचार करता है। रोचक बात यह है कि कोडक एसएचएफई कीमतों (एल्यूमिनियम विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण की लागत का 70 प्रतिशत) जोकि चीन में चीनी सरकार द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित हैं, के संबंध में पूरी तरह मौन है। पूर्व निर्णायक समीक्षा में और अंतिम मूल जांच में कोडक को इस आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर इंकार किया गया था कि एसएचएमई की कीमतों में बाजार कीमतें नहीं दर्शाया। इस तथ्य का खंडन के लिए रिकार्ड में कोई साक्ष्य नहीं है।

- ड) कोडक ने यह तर्क देने के लिए मांग की है कि यूरोपीय संघ सामान्य मूल्य के निर्माण के संबंध में सूचना देने के लिए प्रतिनिधि देश नहीं हो सकता। इस दावे के लिए प्राथमिक कारण यह है कि यूरोपीय संघ में घरेलू बिक्री से संबंधित पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है, बल्कि संबंधित विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री के नमूना बीजकों पर आधारित है। तदनुसार, कोडक की नजर में वियतनाम को एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश होना चाहिए। तथापि, तथ्य यह है कि वियतनाम में घरेलू बिक्री के संबंध में पूर्ण सूचना भी रिकार्ड में नहीं है। अतः कोडक उसके तर्कों का विरोध कर रहा है। सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए एक सिद्धांत माने जाने हेतु यूरोपीय संघ के सिद्धांत के संबंध में वह इस दृष्टि से केवल चीन जन. गण. तक सीमित है कि उनकी प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक मानदंडों की स्थितियां दोनों देशों के बीच समान हैं। विस्तृत कारण याचिका में दिए गए थे जिसका खंडन नहीं किया गया है कि उनकी तुलना अन्यथा क्यों की जाए। यह अनुरोध करना भी उपयुक्त है कि याचिकाकर्ता ने भी वैकल्पिक सिद्धांत पर विश्वास किया और चीन जन. गण. सहित संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। दोनों सिद्धांतों पर चीन जन. गण. तथा अन्य देशों के विरुद्ध जांचों में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है। यह सिद्धांत डी. जी. ए. डी. की पूर्व परिपाटी के अनुरूप है। कोडक अपने पाटन के स्तर का उत्तर देना स्वीकार करने के मुद्दे से स्पष्ट रूप से बच रहा है और साथ ही फ्यूजी अपने अनुरोध में कोडक और अन्य चीनी विनिर्माताओं सहित अन्य चीनी व्यापारियों से अपने को अलग कर रहा है जिससे आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत सिद्धांतों में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी हैरान हो रहे हैं।
- ढ) हितबद्ध पक्षकारों ने पूरी तरह से अधूरा उत्तर दिया है और इसीलिए दायर उत्तर को रद्द किया जाना चाहिए तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

छ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क) फ्यूजीफिल्म ने अनुरोध किया कि हाल ही में चीन जन. गण. सरकार ने अपने निर्यातकों को अनुचित लाभ देने के लिए अपनी ब्याज दर काफी घटा दी है। इस परिणामस्वरूप भी चीन जन. गण. से आक्रामक पाटन होगा।
- ख) चीनी मुद्रा का मूल्य अमरीकी डालर में 6.8 से 7.02 तक केवल 3 प्रतिशत तक कम हुआ है। जबकि भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन अमरीकी डालर में 68 से 71.25 रूपए तक 5 प्रतिशत तक हुआ है।
- ग) यूरोपीय संघ अधिकतर थर्मल प्लेटों का प्रयोक्ता है और थर्मल प्लेटों का प्रमुख उत्पादक है न कि सीटीसीपी वायलेट प्लेटों का (यद्यपि वायलेट प्लेटों का प्रयोग वहां केवल न्यूजपेपर इंडस्ट्री द्वारा ही किया जाता है) जबकि भारत अधिकतर सीटीसीपी प्लेटों का प्रयोक्ता है। यह अनुरोध है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे पक्षकार देश के रूप में यूरोपीय संघ पर जबरदस्ती निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रद्द की जानी चाहिए।
- घ) केआईपीएल और केसीजीसीसीएल के बीच कोई प्रतिपूरक व्यवस्था नहीं है। केआईपीएल की टेक्नोवा की कम घरेलू बिक्री कीमत के कारण घरेलू बिक्री में हानियां हुई हैं।
- ड) चीन एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, दूसरे चार देश यथा- वियतनाम, ताईवान, कोरिया और जापान गैर बाजार अर्थव्यवस्था नहीं हैं और इसीलिए आवेदक द्वारा अपनाए गए सिद्धांत गलत हैं तथा इसे रद्द किए जाने की आवश्यकता है।
- च) प्राधिकारी ने व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के अंतर्गत यू एस के जांच परिणामों पर भरोसा किया है और इसलिए कोडक को एम ई टी दर्जे को गलत ढंग से अस्वीकार किया है क्योंकि यू एस के जांच परिणामों को डब्ल्यू टी ओ में भारत द्वारा चुनौती दी गई थी।

- छ) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व एलएमई और एसएचएफई के लिए तथ्यों का सत्यापन करें और यह सत्यापित करें कि क्या एलएमई बुलेटिन लिथो ग्राफिक्स एल्यूमिनियम सीटों की कीमतें दर्शाता है।
- ज) लकी ने लागत एवं कीमत पर सामान्य मूल्य आधार का दावा नहीं किया है और याचिकाकर्ता का यह दावा कि एलएमई, एसएमई से उच्चतर था, झूठा है, क्योंकि हमारे पास यह दर्शाने की सूचना है कि एसएमई वस्तुतः एलएमई से उच्चतर था, जो दिया गया है।
- झ) यह तर्क कि लकी द्वारा मानी गई कीमतें वैट सहित हैं, बिना किसी आधार के हैं। यह विचार किए जाने की आवश्यकता है कि चीन ने ग्राहक विद्यमान सीमा शुल्कों का भुगतान करने के बाद एलएमई से उत्पाद का आयात कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति घरेलू बिक्री खरीद पर देय वैट का भी भुगतान नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू बिक्री के मामले में भी चूंकि वैट की गई बिक्री पर दिए गए वैट के विरुद्ध समायोजन योग्य है। अतः बिक्री पर वैट किसी भी तरह से उत्पादक के लिए खर्चा नहीं है।
- ञ) यह मानते हुए कि व्यापारी वैट का भुगतान करता है, वह निर्यात किए जाने पर उसके लिए वापसी प्राप्त करता है। इस प्रकार किसी भी दशा में वैट को लागत का भार नहीं बनना चाहिए।
- ट) यह मानते हुए कि चीन से एल्यूमिनियम पर निर्यात शुल्क है, किसी भी दशा में घरेलू कीमतें एलएमई की कीमत से अधिक होने के नाते यह मुद्दा असंगत है।
- ठ) यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा किए गए अध्ययन जातिगत हैं, न कि विचाराधीन उत्पाद विशिष्ट। यह सिद्ध करना याचिकाकर्ता का दायित्व है कि यह अध्ययन वर्तमान मामले पर लागू होते हैं।
- ड) पाटनरोधी नियमावली के अनुसार चीन जन. गण. के लिए यूरोपीय संघ एक तुलनीय बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है। यूरोपीय संघ की घरेलू बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से संबंधित पूर्ण सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है।
- ढ) तथाकथित बाजार ह्रास, जैसा कि आवेदक द्वारा विश्वास किया गया, से संबंधित रिपोर्टें प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं हैं। तथाकथित बाजार जुगाड़ की रिपोर्टें, जैसा कि आवेदक द्वारा विश्वास किया गया है, वर्तमान जांच की जांचावधि से संबंधित नहीं है।
- ण) पाटनरोधी नियमावली के अनुसार कोडक ने सामान्य मूल्य के संबंध में सूचना विधिवत रूप से प्रस्तुत की है जिसमें उत्पादन लागत, चीन में केसीजीसीसीएल द्वारा विनिर्मित सामानों की पुनः बिक्री कीमत आदि से संबंधी आंकड़े शामिल हैं। नकारात्मक पाटन मार्जिन का दावा सिद्ध करने के लिए केसीजीसीसीएल तथा केसीआईसीएल ने एक विस्तृत एमईटी प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है जो दर्शाता है कि उत्पादन लागत बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के संदर्भ में उचित एवं उपयुक्त है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे पाटन मार्जिन के निर्धारण के कोडक के सामान्य मूल्य को स्वीकार करें, क्योंकि आवेदक द्वारा दिया गया सामान्य मूल्य का परिकलन पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है।
- त) कोडक अनुरोध करता है कि आवेदक द्वारा दावा किया गया एसएमई का कीमत स्रोत आवेदन पत्र/लिखित अनुरोधों द्वारा दावा की गई कीमत नहीं दर्शाता। अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कोडक कंपनियों की बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर की जांच करने के लिए केसीजीसीसीएल की एल्यूमिनियम की खरीद कीमत की तुलना टेक्नोवा की खरीद कीमत के साथ करें।
- थ) चीनी एल्यूमिनियम क्षेत्र में तथाकथित ह्रास अथवा मुद्रा जुगाड़ के संबंध में विश्व बैंक/आईएमएफ/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई जांच परिणाम नहीं हैं। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका जारी चीनी मुद्रा से संबंधित रिपोर्ट चीन जन. गण. को “करेंसी मैनुपुलेटर” के रूप में

घोषित/नामित नहीं करती / संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा जांच परिणाम तीन अनिवार्य मानदंडों पर आधारित है यथा- (क) द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष; (ख) वास्तविक करेंट एकाउंट अधिशेष; (ग) विदेशी मुद्रा की खरीद। अतः यह सिद्ध है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा जांच परिणाम का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करना है न कि विदेशी मुद्रा को। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के जांच परिणाम का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई जांच परिणाम नहीं है। अतः पीआरसी द्वारा करेंसी मैनुपुलेशन/बाजार हस्तक्षेप का दावा रद्द किया जाना चाहिए।

- द) पूर्व जांच में प्राधिकारी ने व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 302 के अनुसार यूएसडीओसी द्वारा जारी रिपोर्ट के कारण कोडक को एमईटी स्तर प्रदान नहीं किया है। तथापि, भारत सरकार ने बाद में उपर्युक्त रिपोर्ट पर विवाद किया है और डब्ल्यू. टी.ओ. के समक्ष यह विवाद दायर किया है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे अन्य देशों द्वारा दी गई रिपोर्टों/किए गए अध्ययनों के प्रभाव में आये बिना नए सिरे से कोडक के लिए एमईटी स्तर की जांच करें।
- ध) आवेदक द्वारा विश्वास किए गए यूरोपीय संघ आयोग स्टॉफ वर्किंग के दस्तावेज केवल एक कार्यकारी दस्तावेज है जिसका जांच की अवधि से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ के कानून के तहत बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड भारतीय कानूनों में निर्धारित मानदंडों से भिन्न है। अतः यूरोपीय संघ आयोग स्टॉफ के कार्यकारी दस्तावेजों को कोडक को एमईटी स्तर निर्धारित करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।
- न) जांच की अवधि से पूर्व की अवधि से तुलना करने पर भारतीय रूपए का मूल्य बनाम अमरीकी डालर (जांच की अवधि के दौरान) में 10 प्रतिशत की गिरावट आयी है। उपर्युक्त अवधि के दौरान युआन का अवमूल्यन केवल 3-4 प्रतिशत था।
- त) वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य का निर्माण एक त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए किया गया है।
- प) विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाली शीर्ष संस्था ने यूरोपीय संघ आयोग स्टॉफ के कार्यकारी दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि नहीं की है। अतः बाजार ह्रास का दावा और स्टॉफ कार्यकारी दस्तावेज को रद्द किया जाना चाहिए और कोडक के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का निर्धारण/जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमवाली के अनुसार संगत मानदंडों की स्वतंत्र जांच के आधार पर होना चाहिए।
- फ) कोडक ने एल्यूमिनियम की अपनी खरीद कीमत प्रस्तुत की है और प्राधिकारी उसकी तुलना बाजार अर्थव्यवस्था स्तर के दावे का मूल्यांकन करने के लिए जांच की अवधि के दौरान भारत में एल्यूमिनियम कीमत से करें।
- ब) यदि प्राधिकारी वैकल्पिक पद्धतियों के आधार पर कोडक के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करते हैं तो वियतनाम में उत्पादन लागत अथवा संबद्ध सामानों की वियतनामी घरेलू बिक्री कीमत पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु विचार किया जाए। कोडक उल्लेख करता है कि भारत सरकार ने पाटनराधी नियमावली में निर्धारित विविध मानदंडों की विस्तृत जांच करने के बाद वियतनाम को बाजार अर्थव्यवस्था स्तर प्रदान किया है और सामान्य मूल्य निर्धारित करने की यह पद्धति आवेदक द्वारा सुझाई गई पद्धति (अर्थात् यूरोपीय संघ से नमूना निर्यात बिक्री) से अधिक उपयुक्त और सही होगी।
- भ) लकी ने अनुरोध किया है कि दो सहयोगी उत्पादकों को शून्य शुल्क दिया गया है। इस प्रकार इसका अर्थ है कि उनके निर्यात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे थे। शेष दो में से दोनों में याचिकाकर्ता को प्लेटों की आपूर्ति की है। इस प्रकार, जब याचिकाकर्ता ने स्वयं दो कंपनियों से भारी मात्रा में

पाटन रूप में उत्पाद को खरीदा है तो यह स्पष्ट मामला है, जिसमें याचिकाकर्ता ने पाटन में भाग लिया है और उसमें शामिल हुआ है।

- म) फ्यूजी फिल्म ने अनुरोध किया है कि चीन जन गण में विनिमय दर सरकार द्वारा नियंत्रित होती है और बाजार ताकतों पर आधारित नहीं होती है। इसलिए, चीन से निर्यातों के एम ई टी दावे को स्वीकार नहीं करने के लिए अनुरोध किया जाना अनेक मामलों में अपनाई गई संगत प्रक्रिया के अनुक्रम में है। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया जाता है कि हाल ही में चीन जन. गण. की सरकार ने निर्यातकों को अनावश्यक लाभ देने के लिए ब्याज दर में भारी कमी की है। इसके परिणामस्वरूप चीन जन गण से आक्रामक पाटन होगा।
- य) फ्यूजी फिल्म ने अनुरोध किया है कि लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी, चाइना को सरकार से अनेक प्रोत्साहन मिल रहे हैं क्योंकि वह राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है। इसके अलावा, वह ऐसी कच्ची सामग्री से भी लाभ प्राप्त कर रही है जिसे वह एस एच एफ ई से खरीदती है। यह ज्ञात तथ्य है एस एच एफ ई भी सरकार द्वारा नियंत्रित होती है।
- र) पीयूसी के लिए सामान्य मूल्य और घरेलू उद्योग को क्षति को पी सी एन आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए जैसा प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती जांच परिणामों में अपनाया गया है।

ख.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

36. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

37 प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा, प्राधिकारी ने चीन से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली भेजी थी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित प्रश्नावली का उत्तर देकर इस जांच में सहयोग दिया है।

- i. मैसर्स फुजीफिल्म कारपोरेशन, जापान
- ii. मैसर्स फुजीफिल्म ग्लोबल ग्राफिक्स सिस्टम, जापान

- iii. मैसर्स फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट .चाइना) कं. लि), चीन जनगण.
- iv. मैसर्स फुजीफिल्म .चाइना) इन्वेस्टमेंट कं. लि), चीन जनगण .
- v. मैसर्स कोडेक चाइना) ग्राफिक्स क)म्यूनिकेशन कम्पनी लिमिटेड
- vi. मैसर्स कोडेक .चाइना) इन्वेस्टमेंट कं. लि)
- vii. मैसर्स लक्की ह्यूगांग ग्राफिक्स कंलिमिटेड .
- viii. मैसर्स शंघाई स्ट्रोंग स्टेट प्रिंटिंग इक्विपमेंट लिमिटेड
- ix. मैसर्स अनहुई स्ट्रोंग स्टेट प्रिंटिंग मैटेरियल्स को., लि.
- x. मैसर्स जैल सी एण्ड पी कं., लिं.
- xi. मैसर्स माइलान प्रिंटिंग मीडिया कारपोरेशन

38. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -I के पैरा 7 और 8 के तहत प्रावधानों के साथसाथ पाटनरोधी - के तहत सामान्य मूल्य की गणना के संबंध में निम्नलिखित संगत प्रावधानों का उल्लेख किया नियमावली, जो इस प्रकार है:

“7.गैरबाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत सहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समयसीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी - जार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपरोक्त चयन के विषय में सूचित किया जाएगा और अनुचित विलंब के बिना बा अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी”।

8.(1) “गैरबाजार- अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि कोई देश जिस निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों का लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं। जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियां उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती हैं”।

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यूबा-टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर.जार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैरबाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि-, गैरबाजार - अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा-(3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैरबाजार- अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या:

(क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैरबाजार -

अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्तिद्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास, अन्य बट्टे खाते, वस्तु विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती हैं जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं। तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

(4) तथापि, उप पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मान सकते हैं जिसे संगत मानदंडों, जिनमें उप पैरा 3 में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी देश द्वारा, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है अथवा माने जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

39. जांच की शुरुआती अवस्था में याचिकाकर्ता ने चीन जन गण को एक गैरबाजार अर्थव्यवस्था मानकर उस - संकल्पना के आधार पर कार्रवाई की। जांच शुरू होने पर प्राधिकारी ने चीन जनगण. में उत्पादकों/निर्यातकों को परामर्श दिया कि वे जांच शुरुआत करने के नोटिस का उत्तर दें और यह निर्धारित करने के लिए संगत सूचना प्रदान करें कि क्या उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना द्वारा सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए स्वीकार किया जा सकता है। प्राधिकारी ने सभी उत्पादकों/निर्यातकों को इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/अनुपूरक प्रश्नावली / की प्रतियां भेजी।

40. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में चीन के एसेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 इस प्रकार है:-

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994) “ पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर करार तथा एससीएम करार निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन के मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति का उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- i. यदि जांचाधीन उत्पादक साफसाफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस - उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- ii. आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफसाफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद - के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम करार के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14 ग) और 14घ) में) निर्धारित राज्य सहायता को बताते समय एससीएम करार के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाइयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राज्यसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उपपैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य संबंधी समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैरा (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैरा के प्रावधान क) समाप्त कर दिए जाएंगे बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैरा) (क) III के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में क्या चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए -क) गैर) आगे लागू नहीं होंगे।”

41. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि 15 (क) (ii) के प्रावधान दिनांक 11 दिसम्बर, 2016 से समाप्त हो गए हैं, लेकिन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान के साथ गठित एसेसन प्रोटोकाल के 15(क) (i) के तहत दायित्व के लिए भारत के पाटनरोधी के अनुबंध -I के पैरा 8 में विनिर्दिष्ट मानदंड अपेक्षित है, जिन्हें बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) के दर्जे का दावा करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान किए जाने वाले डाटा/सूचना के द्वारा पूरा किया जाना है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोडेक ग्रुप को छोड़कर चीन जन.गण. से अन्य उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/अनुपूरक प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इन अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियम के अनुबंध-I के पैरा के प्रावधानों के तहत की जानी है। इसके अलावा प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती पैरा में दिए गए कारणों से कोडेक ग्रुप को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने का अंतिम निर्णय किया है।

- छ.4 चीन जन.गण में सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण
- कोडेक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशन कं. लि. (“केसीजीसीसीएल”), मैसर्स कोडेक चाइना इन्वेस्टमेंट कं. लि. (“केसीआईसीएल”) (इसके बाद से इसे “कोडेक ग्रुप” के रूप में कहा जाएगा) को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) का दर्जा प्रदान करने का मूल्यांकन और इसके सामान्य मूल्य की गणना

42. प्राधिकारी ने कोडेक ग्रुप द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने के दावे, घरेलू बिक्रियों, निर्यात बिक्रियों और उत्पादन की लागत सहित दाखिल की गई अनुपूरक प्रश्नावली जो कि बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने के दावे के संबंध में और बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने के दावे के संबंध में अनुपूरक अतिरिक्त अनुरोध के बारे में है, के साथ किए गए अनुरोध को नोट किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. में एल्यूमिनियम की प्रचलित कीमतें एसएचएफई द्वारा शासित होती हैं जो एक राज्य के स्वामित्व वाला स्टेट है। शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज (एसएचएफई) की कीमतों के साथ लंदन मेटल एक्सचेंज की कीमतों की विस्तृत तुलना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि एल्यूमिनियम की एस एच एफ ई कीमतें (वैट छोड़कर) एल एम ई कीमतों (संगत प्रीमियम सहित) से कम है और इसलिए चीन से संबद्ध वस्तु की लागत (जहां एल्यूमिनियम प्रमुख कच्ची सामग्री है) वास्तविक लागत की प्रतिनिधि नहीं है। कोडेक ने उपर्युक्त के खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
43. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) के अनुसार “निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेंगे कि:

- (क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं;

- (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैरबाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए - विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास, अन्य बढ़े खाते, वस्तु विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;
- (ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती हैं जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है:
- (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं। तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।
44. वर्तमान मामले में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोडेक ग्रुप ने मैसर्स लक्की हुयांगयुवांग ग्राफिक्स कं. लि. के साथ साझेदारी की है और उन्हें अपना संयंत्र बेच रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि कोडेक ग्रुप द्वारा किए गए सभी विदेशी मुद्रा लेन देन बाजार की शर्तों के अनुसार हैं और करेंसी अवमूल्यन से संबंधित राज्य हस्तक्षेप निर्यात सौदों में प्रतिस्पर्धा के लाभ के इरादे से किए गए हैं।
45. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कोडेक राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों से कच्ची सामग्री की खरीद करता है। इस प्रकार कच्ची सामग्री की ऐसी खरीद कीमत राज्य के हस्तक्षेप से शासित की जा रही है। साथ ही, कोडेक से संबंधित आयात भारत में संबद्ध वस्तुओं की हानि पर पुनः बिक्री करता है। अतः प्राधिकारी चीन जन गण. के सभी उत्पादकों/निर्यातकों को कोडेक सहित, जिसने यद्यपि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया है, बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए पात्र नहीं मानते। अतः प्राधिकारी ने नियम 6(8) के आधार पर सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए आंतरिक सामान्य मूल्य का आकलन किया है, जो कि पाटनरोधी नियमावली की सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है, “ यदि कोई हितबद्ध पक्षकार एक उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना सुलभ कराने से इंकार करता है अथवा जांच से पर्याप्त रूप से बाजार पहुंचता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी परिस्थितियों के तहत जितना उपयुक्त समझे ऐसी सिफारिशें कर सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एन वी के लिए किसी अन्य पद्धति को अपनाने संबंधी कोई आंकड़े किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित एन वी जिसे प्रारंभिक जांच परिणाम में अपनाया गया, को चीन के किसी भी भागीदार उत्पादक/निर्यातक द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और यह भी कि प्रकटन विवरण के उत्तर में भी कुछ नहीं कहा गया है और इसलिए प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में इस नीति के अनुसार चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य को अंतिम रूप दिया है।
46. तदनुसार संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण प्रमुख कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं के लिए ईष्टतम खपत मानकों, खरीदी गई कच्ची सामग्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों, उपयुक्त कनवर्सन लागत, ब्याज, एसजीए और उपयुक्त लाभ इत्यादि सहित कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्ची सामग्री की कीमतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। प्राधिकारी ने उनके द्वारा प्रदत्त आंकड़ों की वैधता और सत्यापन के लिए आवेदक का मौके पर सत्यापन किया है। सीएनवी के लिए संगत आवेदक के आंकड़ों के मौके पर सत्यापन के पश्चात तीन उत्पाद प्रकारों अर्थात् यूवी-सीटीपी, थर्मल, और वायलेट प्लेट के लिए सामान्य मूल्य क्रमशः ***रू./वर्ग मी., ***रू./वर्ग मी. और ***रू. प्रति वर्ग मी. माना गया है।

कोडेक ग्रुप

47. मैसर्स कोडेक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशन कं. लि. ("केसीजीसीसीएल") संबद्ध वस्तु का उत्पादक/निर्यातक है। इसकी संबद्ध कंपनी, मैसर्स कोडेक चाइना इन्वेस्टमेंट कं. लि. ("केसीआईसीएल") है, जो संबद्ध देश में घरेलू बिक्रियों में लगी हुई है। केसीजीसीसीएल द्वारा निर्यातित वस्तुएं कोडेक इंडिया प्रा. लि. ("केआईपीएल") द्वारा आयातित की जाती हैं, जो कि एक संबद्ध आयातक है, जो इसे आगे असंबद्ध अंतिम अपभोक्ताओं को बेचते हैं।
48. उत्पादक/निर्यातक ने चीन में उनकी घरेलू बिक्रियों के आधार पर 'सामान्य मूल्य' की गणना के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया है, परंतु प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद अपने दावे को वापस ले लिया है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, कारखाना बाह्य निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य पर प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार विचार किया है, जो इस प्रकार है:-

सामान्य मूल्य

49. जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान केसीजीसीसीएल ने केसीआईसीएल के माध्यम से घरेलू बाजार में समग्र बिक्री की जिसने आगे संबद्ध वस्तुओं की बिक्री घरेलू बाजार में अंतिम अपभोक्ताओं को की है। उत्पादक/निर्यातक ने कच्ची सामग्री की खरीद, सरकार द्वारा मुद्रा में हेरफेर में राज्य के हस्तक्षेप के बारे में स्पष्ट नहीं किया है, और मैसर्स लक्की (जो एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम है) द्वारा मैसर्स केसीजीसीसीएल के अधिग्रहण के तथ्य के आधार पर प्रारंभिक जांच परिणामों में मैसर्स कोडेक का बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा स्वीकार नहीं किया गया। मै. कोडेक द्वारा एम ई टी के दावे को वापस लेने के मद्देनजर प्राधिकारी उनके द्वारा अपनाए गए परिकलित एन वी नीति के अनुसार परिकलित सामान्य मूल्य की पुष्टि करते हैं जिसे मै. कोडेक द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। थर्मल और वायलेट प्लेट के लिए सामान्य मूल्य क्रमशः ***डॉलर/वर्ग मी. और ***डॉलर/वर्ग मी. माना गया है।

निर्यात कीमत

50. मैसर्स केसीजीसीसीएल ने संबद्ध आयातक मैसर्स केआईपीएल को *** वर्ग मी. थर्मल और *** वर्ग मी. वायलेट प्लेट का निर्यात किया है।
51. जांच की अवधि के दौरान मैसर्स केआईपीएल ने घरेलू बाजार में केवल स्वतंत्र ग्राहकों को ही संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। केआईपीएल ने संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बाजार में पहुंच मूल्य से अधिक पर बिक्री की है। तथापि, केआईपीएल को बिक्री और सामान्य प्रशासनिक शुल्कों को शामिल करने के बाद संबद्ध वस्तुओं पर घरेलू बिक्रियों पर हानि उठानी पड़ी है। केआईपीएल ने यह दावा किया है कि केआईपीएल द्वारा उठाई गई हानि टैक नोवा और अन्य आयातकों के बीच गहन प्रतिस्पर्धा के कारण से है और केसीजीसीसीएल और केआईपीएल के बीच कोई भी क्षतिपूर्ति व्यवस्था नहीं है। तदनुसार, कारखाने के बाद परिवहन पर व्यय, ऋण लागत और भारत में केआईपीएल की घरेलू बिक्रियों में इसके औसत घाटे को कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए घटाया गया है। प्राधिकारी ने आयातक के आंकड़ों का मौके पर सत्यापन भी किया है। केसीजीसीसीएल द्वारा अपनी संबद्ध संस्था केआईपीएल को आवश्यक समायोजनों के बाद कारखाना द्वार वस्तु की कीमत क्रमशः ***यूएस डालर/वर्ग मी. और ***यूएस डालर/वर्ग मी. है।
52. केसीजीसीसीएल द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं के पहुंच मूल्य की गणना के लिए, केसीजीसीसीएल द्वारा निर्यात की संबंधित आयातक द्वारा दाखिल उत्तर के साथ तुलना की गई है। जांच की अवधि के दौरान, केसीजीसीसीएल ने *** वर्ग मी. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात एफसीए इनकोटर्म पर किया है। केसीजीसीसीएल द्वारा केआईपीएल को निर्यात की गई वस्तुओं के पहुंच मूल्य की गणना समुद्री माल भाड़ा बीसीडी @7.5%

और शिक्षा उपकर 10 प्रतिशत की दर से शामिल करके की गई है। आकलन योग्य मूल्य को डी जी सिस्टम के आंकड़ों से वैधीकृत भी किया गया है। प्रारंभिक जांच परिणामों में पहले लिए गए संभलाई प्रभारों को भी राजस्व विभाग के परिपत्र सं. 39/2017 को ध्यान में रखते हुए एल वी की गणना में शामिल किया जाना प्रस्तावित नहीं है। प्राधिकारी पहुंच मूल्य की गणनात्मक सूक्ष्म सुधारों के संबंध में निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोध को नोट करते हैं जिनमें निर्यातक के आंकड़ों के अनुसार पुनर्विचार और सुधार किया गया है। केसीजीसीसीएल के लिए थर्मल और वायलेट प्लेट के लिए पहुंच मूल्य क्रमशः ***यूएस डालर/वर्ग मी. और ***यूएस डालर/वर्ग मी. माना गया है। इसके ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध हैं।

प्लेट प्रकार	मात्रा (वर्ग.मी.)	इनवॉयस मूल्य (अम.डॉ.)	कारखानागत निर्यात कीमत अम.डॉ./वर्ग मी.	पहुंच मूल्य अम.डॉ./वर्ग मी.
थर्मल	***	***	***	***
वायलेट	***	***	***	***
कुल /भारित औसत	***	***	***	***

मै. लक्की हुआगुआंग ग्राफिक्स कं. लि. ("लक्की")

सामान्य मूल्य

53. उत्पादकबाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है और तदनुसार प्राधिकारी ने पाटनरोधी निर्यातक ने/नियमावली के नियम6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के तहत निर्मित सामान्य मूल्य अपनाया है। चूंकि उत्पादकनिर्यातक ने केवल थर्मल डिजिटल प्लेटों का ही न/र्यात किए जाने का दावा किया है, इसलिए प्राधिकारी ने यूवी सीटीपी प्लेटों, थर्मल और वायलेट प्लेटों के लिए निर्मित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन का आकलन करने के लिए क्रमशः *** यूएस डॉलर/वर्ग मी./, *** यूएस डॉलर वर्ग मी. और *** यूएस डॉलरवर्ग मी. का उल्लेख किया है।

निर्यात कीमत

54. यूवी सीटीपी, थर्मल प्लेटों और वायलेट प्लेटों के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत क्रमशः *** यूएस डॉलर/वर्ग मी., *** यूएस डॉलर/वर्ग मी. और *** यूएस डॉलर/वर्ग मी मानी गई है, जिसमें समुद्री मालभाड़ा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय मालभाड़ा और बैंक प्रभार को समायोजित किया गया है। यूवी सीटीपी, थर्मल प्लेटों और वायलेट प्लेटों के लिए पहुंच मूल्य क्रमशः *** यूएस डॉलर/वर्ग मी., *** यूएस डॉलर/वर्ग मी. और *** यूएस डॉलर/वर्ग मी पर विचार किया गया है। पी ओ आई के ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध हैं :-

प्लेट प्रकार	मात्रा (वर्ग.मी.)	इनवॉयस मूल्य (अम.डॉ.)	कारखानागत निर्यात कीमत अम.डॉ./वर्ग मी.	पहुंच मूल्य अम.डॉ./वर्ग मी.
यूवी-सीटीपी	***	***	***	***
थर्मल	***	***	***	***
वायलेट	***	***	***	***
कुल /भारित औसत	***	***	***	***

मैसर्स शंघाई स्ट्रॉंग स्टेट प्रिंटिंग इक्यूपमेंट लिमिटेड और मैसर्स अनहुई स्ट्रॉंग स्टेट प्रिंटिंग मैटिरियल लि. ("शंघाई स्ट्रॉंग")

सामान्य मूल्य

55. उत्पादकनिर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है और तदनुसार/, प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के तहत निर्मित सामान्य मूल्य को

अपनाया है। इस पर निर्यातक ने कोई विवाद नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने यूवी सीटीपी प्लेटों के लिए परिकलित सामान्य मूल्य को पहले ही जांच की अवधि के लिए तथा अंतिम जांच परिणामों में भी पाटन मार्जिन के परिकलन के लिए ***यूएस डॉलर.वर्ग मी/ के रूप में अपनाया है।

निर्यात कीमत

56. निर्यातक के लिए यूवी सीटीपी प्लेटों के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, पत्तन व्यय, ऋण लागत और गैर वापसी योग्य वैट के लिए दावा किए गए समायोजनों को शामिल करने के बाद ***यूएस डॉलर वर्ग/के रूप में माना गया है और पहुंच मूल्य ***यूएस डॉलर.वर्ग मी/ आता है। इसके ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध हैं :-

प्लेट प्रकार	मात्रा (वर्ग.मी.)	इनवॉयस मूल्य (अम.डॉ.)	कारखानागत निर्यात कीमत अम.डॉ./वर्ग मी.	पहुंच मूल्य अम.डॉ./वर्ग मी.
यूवी-सीटीपी	***	***	***	***

मैसर्स फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट .चाइना) कं. लि)(एफएफपीएस), फुजीफिल्म .चाइना) इन्वेस्टमेंट कं. लि)(एफएफसीएन) ("फुजीफिल्म चाइना")

सामान्य मूल्य

57. चीन में उत्पादक मैसर्स फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट .चाइना) कं. लि)(एफएफपीएस) ने *** वर्ग मीवायलेट डिजिटल प्लेटें . एक संगत व्यापारी, फुजीफिल्म .चाइना) इन्वेस्टमेंट कं. लि)(एफएफसीएन) के माध्यम से *** यूएस डॉलर के निवल इनवायस मूल्य पर निर्यात की हैं, जिसने आगे एक संगत आयातक फुजीफिल्म इंडिया प्रालि. को निर्यात की हैं ., जिसने मूल्य को बढ़ाकर आंतरिक बाजार में असंगत ग्राहकों को बेचा है। प्राधिकारी ने संबंधित आयातक का स्थल पर सत्यापन किया है। एफएफपीएस ने बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का दावा नहीं किया है और इसीलिए प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपयुक्त समायोजनों के साथ दाखिल की गई उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है और उसे संगत पैराग्राफों में बताया है। उत्पादक ने प्रारंभिक जांच परिणाम अपनाई गई एन वी पद्धति का खंडन नहीं किया है। इस प्रकार अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य *** यूएस डॉलरवर्ग मी. आता है।

निर्यात कीमत

58. वायलेट डिजिटल प्लेटों के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत *** यूएस डॉलर .वर्ग मी/आती है, जिसमें समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय मालभाड़ा, बंदरगाह व्यय, ऋण लागत के संबंध में समायोजन को शामिल किया गया है। वायलेट प्लेटों के लिए पहुंच मूल्य *** यूएस डॉलरवर्ग मी. आता है।/ अन्य अवधि के अनुमानित आधार पर वास्तविक संभलाई प्रभारों को शामिल करके, पहुंच मूल्य में सुधार करने संबंधी उत्पादक के अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी मानते हैं कि उन्होंने सीमाशुल्क परिपत्र सं. दिनांक के मद्देनजर पहुंच मूल्य का मूल्यांकन किया है और प्रकटन विवरण के अनुसार पहुंच मूल्य को इसलिए अंतिम जांच परिणाम में पुष्ट किया गया है। ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध हैं :

प्लेट प्रकार	मात्रा (वर्ग.मी.)	इनवॉयस मूल्य (अम.डॉ.)	कारखानागत निर्यात कीमत अम.डॉ./वर्ग मी.	पहुंच मूल्य अम.डॉ./वर्ग मी.
वायलेट	***	***	***	***

छ.5 जापान में सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण**मैसर्स फुजीफिल्म कारपोरेशन, जापान और मैसर्स फुजीफिल्म ग्लोबल ग्राफिक्स सिस्टम, जापान ("फुजीफिल्म जापान")****सामान्य मूल्य**

59. फुजीफिल्म कारपोरेशन ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है। फुजीफिल्म कारपोरेशन ने अपनी संबंधित कंपनी मैसर्स फुजीफिल्म ग्लोबल ग्राफिक्स सिस्टम (एफएफजीएस) के माध्यम से घरेलू बाजार में बिक्री की है। निर्यातक ने सीधे भारत को मैसर्स फुजीफिल्म इंडिया प्रा.लि., जो इसकी संबद्ध आयातक कंपनी है को सीधे निर्यात किया है। एफ एफ जी एस ग्राफिक्स ने घरेलू बाजार में उसके द्वारा बेची गई थोड़ी सी मात्रा के लिए प्रश्नावली का अलग उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी समायोजन का दावा नहीं किया गया है और साथ ही यह भी कि थर्मल और वायलेट श्रेणियों के लिए अलग से उत्पादन की लागत प्रदान नहीं की गई है। एफएफजीएस द्वारा घरेलू बिक्रियों के सौदा वार-आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं। फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन द्वारा दावा की गई भारत उत्पादन लागत और थर्मल और वायलेट प्लेटों दोनों के लिए भारत औसत, घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर प्रारंभिक जांच परिणामों में *** डॉलर/वर्ग मी. भारत औसत सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है जिसे अंतिम जांच परिणाम में भी अपनाया गया है।

निर्यात कीमत

60. थर्मल और वायलेट प्लेटों के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत क्रमशः *** डॉलर/वर्ग मी. और *** डॉलर/वर्ग मी. अंतिम जांच परिणामों के लिए पहुंच मूल्य पर बीसीडी और शिक्षा उपकर जोड़कर तथा पहुंच मूल्य के परिकलन में संभलाई प्रभार को शामिल नहीं करके क्रमशः *** डॉलर/वर्ग मी. और *** डॉलर/वर्ग मी. पर विचार किया गया है। अन्य अवधि के अनुमानित आधार पर वास्तविक संभलाई प्रभारों को शामिल करके, पहुंच मूल्य में सुधार करने संबंधी उत्पादक के अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी मानते हैं कि उन्होंने सीमाशुल्क परिपत्र सं. दिनांक के मद्देनजर पहुंच मूल्य का मूल्यांकन किया है और प्रकटन विवरण के अनुसार पहुंच मूल्य को इसलिए अंतिम जांच परिणाम में पुष्ट किया गया है। चूंकि सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार निर्यात कीमत का खंडन निर्यातक ने नहीं किया है, इसलिए प्रारंभिक जांच परिणामों में दोनों श्रेणी की प्लेटों के लिए यथा विचारित *** डॉलर/वर्ग मी. के भारत औसत पाटन मार्जिन पर अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ भी विचार किया गया है। ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध हैं :

प्लेट प्रकार	सामान्य मूल्य (अम.डॉ./ वर्ग.मी.)	निर्यात की मात्रा (वर्ग.मी.)	निर्यात का इन्वायस मूल्य (अम.डॉ.)	कारखानागत निर्यात कीमत अम.डॉ./वर्ग मी.	पहुंच मूल्य अम.डॉ./वर्ग मी.
थर्मल	***	***	***	***	***
वायलेट	***	***	***	***	***
कुल /भारत औसत	***	***	***	***	***

छ.6. कोरिया गणराज्य में सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण**मैसर्स जेईल सी एंड पी कं. लि.****सामान्य मूल्य**

61. मैसर्स जेईल सी एंड पी कं. लि. (उत्पादक और निर्यातक) ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है। जहां तक सामान्य मूल्य का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि *** वर्ग मी. यूवी सीटीपी प्लेटें *** यूएस डॉलर/वर्ग मीटर की कीमत पर घरेलू बाजार में बेची गई हैं। भारत को निर्यातित वस्तुओं के लिए दावा किए गए सीओपी पर विचार करते हुए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण (ओसीटी) किया गया था जिससे प्रारंभिक जांच परिणामों में *** यूएस डॉलर/वर्ग मीटर एन वी आया था। अंतरदेशीय परिवहन, ऋण लागत और भंडारण के लिए समायोजन पर विचार किया गया था। प्राधिकारी ने निर्यातक के आंकड़ों का डेस्क अध्ययन किया और यू वी सी टी की प्लेटों के लिए *** केआरडब्ल्यू/वर्ग मीटर के रूप में सीओपी का मूल्यांकन किया। ओसीटी परीक्षण के आधार पर प्रारंभिक जांच परिणामों में यथा विचारित *** यूएस डॉलर/वर्ग मीटर सामान्य मूल्य की पुष्टि की गई है।

निर्यात कीमत

62. मै. जेईल सी एंड पी कंपनी लिमिटेड ने *** यूएस डॉलर/वर्ग मीटर की सी आई एफ कीमत पर पी ओ आई के दौरान भारत को *** वर्ग मीटर यूवी सीटीपी प्लेटों का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने शुल्क ड्रॉ बैक को छोड़कर सभी समायोजनों पर विचार करते हुए प्रारंभिक जांच परिणामों में *** यूएस डॉलर/वर्ग मीटर के रूप में यूवी सीटीपी प्लेटों की कारखाना द्वार निर्यात कीमत का मूल्यांकन किया है क्योंकि नमूना साक्ष्यों में शुल्क ड्रॉ बैक को छोड़कर विभिन्न समायोजनों की जानकारी थी। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के पश्चात किए गए डेस्क अध्ययन के आधार पर शुल्क ड्रॉ बैक संबंधी समायोजन पर विचार किया है और कारखाना द्वार निर्यात कीमत *** यूएस डॉलर/वर्ग मीटर बनती है और पहुंच मूल्य *** यूएस डॉलर/वर्ग मीटर बनता है।

प्लेट प्रकार	सामान्य मूल्य (अम.डॉ./ वर्ग.मी.)	मात्रा (वर्ग.मी.)	इन्वायस मूल्य (अम.डॉ.)	कारखानागत निर्यात कीमत अम.डॉ./वर्ग मी.	पहुंच मूल्य अम.डॉ./वर्ग मी.
यूवी-सीटीपी	***	***	***	***	***

छ.7. ताइवान में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण**सामान्य मूल्य**

63. चूंकि ताइवान से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने/निर्यातकभारत में उत्पादन की लागत को अपनाकर अन्तराष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतों, घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार विद्युत लागत, सामान्य कनवर्सन लागतों, एसजीए और उत्पादन की लागत पर 5% के एक तर्क संगत लाभ को समायोजित कर नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सभी उत्पादकों निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निकाला है।/तथापि, यह नोट किया जाता है कि आयातक ब्राइट इंटरप्राइजेज के उत्तर के अनुसार आवेदक का दावा और डी जी सी आई एंड आंकड़ों के अनुसार केवल यूवीसीटीपी प्लेटों का निर्यात हुआ है और इसलिए सभी तीन प्रकारों की भारित औसत सीएनवी के बजाए यूवीसीटीपी के सामान्य मूल्य पर *** यूएस डॉलर/वर्ग मीटर जिस पर प्रारंभिक जांच परिणाम में विचार किया गया है, के विरुद्ध पी ओ आई के लिए *** यूएस डॉलर/वर्ग मीटर पर विचार करने का प्रस्ताव है। मै. निप्पन ने अंतिम स्तर पर मै. टॉप हार्ड इमेज, जो ताइवान में उत्पादक/निर्यातक हैं, की ओर से अनुरोध किया है, जिसमें कुछ नमूना बीजक दिए गए हैं। प्रकटन की टिप्पणियों में समान तर्कों को भी दोहराया गया है। प्राधिकारी ने आयात मात्रा और कीमत के प्रयोजनार्थ इन बीजकों के आंकड़ों को सह-संबंधित किया है। तथापि, उक्त उत्पादक/निर्यातक असहयोगी है और उसने न तो भागीदारी की है न ही निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और इसलिए प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों में अपनाई गई केवल यूवीसीटीपी प्लेटों के सीएनवी को अपनाने के द्वारा एन वी के लिए पद्धति की पुष्टि करते हैं।

निर्यात कीमत

64. चूंकि किसी भी उत्पादक डीजीसीआईएस के आयात डाटा को निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने/आयात मात्रा और सीआईएफ कीमत के निर्धारण के लिए अपनाया है। प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए विचारित कारखाना बाह्य निर्यात कीमत ***डॉलर .वर्ग मी/और पहुंच मूल्य ***डॉलर .वर्ग मी/है। ताइवान से आयातों की मात्रा के संबंध में मै. निप्पन ने डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों और उन्हें सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए गए आवेदक के आंकड़ों के आधार प यह बताया है कि ताइवान से आयातों की मात्रा आवेदक के दावे से कम रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक आयातक मै. ब्राइट इंटरप्राइजेज ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है जिसमें जांच अवधि के दौरान ताइवान से इनके द्वारा आयात मै. निप्पन द्वारा उल्लिखित आयातों से काफी अधिक हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि ताइवान से किसी उत्पादक या निर्यातक ने भाग नहीं लिया है, इसलिए प्राधिकारी डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों के अनुसार सी आई एफ कीमत और आयातों की मात्रा का संदर्भ लेते हैं। तथापि, मात्रा को ब्राइट इंटरप्राइजेज और मै. निप्पन द्वारा भी प्रस्तुत उत्तर के साथ सह-संबंधित किया गया है। प्रकटन के लिए मै. निप्पन द्वारा दिए गए उत्तर पर आगामी पैराग्राफों में प्रकटन के बाद की जांच के अंतर्गत ध्यान दिया गया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य क्रमशः ***यूएस डॉलर.वर्ग मी/ और ***यूएस डॉलर.वर्ग मी/ संदर्भित करने का प्रस्ताव है। ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध हैं :

प्लेट प्रकार	मात्रा (वर्ग.मी.)	कारखानागत निर्यात कीमत अम.डॉ./वर्ग मी.	पहुंच मूल्य अम.डॉ./वर्ग मी.
यूवी-सीटीपी	*** —	*** —	*** —

छ.8 वियतनाम में सहयोगी और असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

मैसर्स माइलन प्रिंटिंग मीडिया कारपोरेशन

सामान्य मूल्य

65. मैसर्स माइलन प्रिंटिंग मीडिया कारपोरेशन ने ई क्यू आर का अधूरा और अव्यवस्थित उत्तर प्रस्तुत किया है। अधूरे और अभावपूर्ण उत्तर के संबंध में भेजे गए ई-मेल के उत्तर में घरेलू बिक्रियों, उत्पादन की लागतों, समायोजनों और यहां तक कि निर्यात के ब्यौरे प्रदान नहीं किए गए हैं। इस प्रकार प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन की लागत को अपनाकर नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर मै. माइलन सहित सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तैयार किया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतें, घरेलू उद्योग के डाटा के अनुसार विद्युत लागतें, सामान्य कन्वर्जन लागतों, एसजीए और उत्पादन की लागत के 5% तर्कसंगत लाभ को समायोजित किया गया है। प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए सामान्य मूल्य ***यूएस डॉलर/वर्ग मी. आता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम से केवल यूवीसीटीपी और थर्मल प्लेट प्रकारों के आयात हुए हैं और इसलिए आवेदक के आंकड़ों के आधार पर दोनों प्लेट प्रकारों के लिए भारित सीएनवी का परिकलन हुआ है। अंतिम जांच परिणामों में संगत प्लेट प्रकारों की निर्यात कीमत के साथ तुलना के प्रयोजनार्थ यूवीसीटीपी और थर्मल के लिए क्रमशः ***यूएस डॉलर/वर्ग मी. और ***यूएस डॉलर/वर्ग मी. की सीएनवी पर विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

66. चूंकि किसी भी उत्पादकनिर्यातक/ ने सहयोग नहीं किया है, अतए डी प्राधिकारी ने सीआईएफ कीमत के निर्धारण के लिए कार किया है। जी सी आई एंड एस के आयात संबंधी आंकड़े को स्वी संगत प्रक्रिया के अनुसार समायोजनों पर विचार करने के बाद जैसा प्रारंभिक जांच परिणामों में भी बताया गया है, भारित औसत कारखाना द्वारा निर्यात कीमत ***यूएस डॉलर/वर्ग मी/ और पहुंच मूल्य ***यूएस डॉलर/वर्ग मी/ पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों का पुनः मूल्यांकन किया है और अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ यूवीसीटीपी और थर्मल प्लेट के लिए भारित औसत कारखाना द्वारा निर्यात कीमत क्रमशः *** अम.डॉलर/वर्ग मी . और *** अम.वर्ग मी/डॉलर . तथा पहुंच मूल्य *** अम.डॉलर/वर्ग मी . और *** अम.डॉलर/वर्ग मी . अपनाया गया है। ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध हैं।

प्लेट प्रकार	निर्यात की मात्रा (वर्ग.मी.)	कारखानागत निर्यात कीमत अम.डॉ./वर्ग मी.	पहुंच मूल्य अम.डॉ./वर्ग मी.
यूवी-सीटीपी	*** —	*** —	*** —
थर्मल	*** —	*** —	*** —
कुल/भारित औसत	*** —	*** —	*** —

छ9. गैर-सहकारी अपशिष्ट श्रेणी

67. अपशिष्ट श्रेणी के लिए पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने उस देश के सहयोगी उत्पादकों को उच्चतम मार्जिन या डी जी सी आई एंड एस के आंकड़े प्रदान किए हैं।

छ10. पाटन मार्जिन

68. भारत के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की तुलना प्लेट वार पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संगत सामान्य मूल्य के साथ की गई है। नीचे दी गई सारणी में जांच की अवधि के दौरान सभी प्लेटों के लिए संबद्ध देशों के उत्पादकों के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन को दर्शाया गया है।

क्र.सं.	देश का नाम	उत्पादक का नाम	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
1	चीन जन.गण.	लक्की हुआगुआंग ग्राफिक्स कं. लि.	*** —	20-40
2	चीन जन.गण.	कोडक चाइना ग्राफिक कंप्युनिकेशन कं. लि.	*** —	0-20
3	चीन जन.गण.	शंघाई स्ट्रोंग स्टेट प्रिंटिंग एक्विममेंट लिमिटेड	*** —	40-60
4	चीन जन.गण.	फ्यूजी फिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चाइना) कं. लि.	न्यूनतम	
5	चीन जन.गण.	सभी अन्य	उच्चतम	
6	कोरिया आर.पी	जियल सी एंड पी कं. लि.	*** —	0-20
7	कोरिया आर.पी	सभी अन्य	उच्चतम	
8	जापान	फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन	*** —	60-80
9	जापान	सभी अन्य	*** —	60-80
10	ताइवान	अन्य	*** —	20-40
11	वियतनाम	अन्य	*** —	20-40

यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है और नियमावली में विहित निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

छ.11 अन्य मुद्दे

69. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न निर्यातकों/उत्पादकों के बीच पाटन मार्जिन में अंतर के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं। प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय किसी उत्पादक/निर्यातक के लिए विशिष्ट होते हैं और उसके आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकित होते हैं। इस प्रकार, पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन विभिन्न उत्पादकों के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। इसके अलावा, किसी असहयोगी उत्पादक का मार्जिन सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जैसाकि पूर्वोक्त पैराग्राफों में भी स्पष्ट किया गया है।

जहां तक लकी द्वारा कोडक चाइना के अधिग्रहण के आलोक में कोडक चाइना के लिए मार्जिन/उपाय प्रदान किए जाने का संबंध है, प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं और यह मानते हैं कि कोई उपाय यद्यपि, ऐतिहासिक आंकड़ों पर मूल्यांकित होता है। तथापि, उसे भावी आधार पर लागू किया जाता

है। संबंधित कंपनियों को उपाय की समान राशि प्रदान की जाती है। यद्यपि, उनका अलग-अलग मार्जिन भिन्न हो सकता है। प्राधिकारी ने इस मुद्दे पर प्रकटन के बाद की टिप्पणियों को नोट किया है और आगामी पैराग्राफों में इनका समाधान किया है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

70. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

- (क) यह बताया गया है कि आवेदक ने अपनी विनिर्माण सुविधाओं और अन्य परिसंपत्तियों में 400 करोड़ रूपए से अधिक का निवेश किया है और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार निवेश कर रहा है।
- (ख) आज की तारीख में भारतीय उद्योग ने करीब 50 मिलियन वर्ग मी. प्रति वर्ग की क्षमता संस्थापित की है जिसमें बॉक्स लाइन क्षमता शामिल है, जो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- (ग) पाटनरोधी शुल्कों को हटाए जाने के बाद आयातों में मात्रा की दृष्टि से पर्याप्त और अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और वह भी सस्ती और पाटित कीमत पर।
- (घ) आयातों की मात्रा संबद्ध देशों से 2015-16 में 100 के इंडेक्स प्वाइंट से बढ़कर जांच की अवधि (ए) में 217 इंडेक्स प्वाइंट हो गई है, जोकि 117 इंडेक्स प्वाइंट की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।
- (ङ.) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा वित्त वर्ष 2017-18 से जांच की अवधि में करीब 47 प्रतिशत तक बढ़ी है (जब चीन जन.गण. में शुल्क लगाए गए थे)।
- (च) अद्यतन आयात डाटा के अनुसार, ताइवान से आयात कुल आयातों का 3.11 प्रतिशत है और इसीलिए यह आयातों की न्यून से कुछ अधिक मात्रा है।
- (छ) जहां तक आयात संबंधी डाटा अलग करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली का संबंध है, कार्य प्रणाली वही रही, जिसे प्राधिकारी द्वारा संबद्ध वस्तुओं के संबंध में मूल जांच में और एस एस आर जांच में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया और सत्यापन किया गया था।
- (ज) याचिकाकर्ता का बाजार अंश वित्त वर्ष 2017-18 में 67.81% से गिरकर जांच की अवधि में 59.58 % हो गया अर्थात् चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्कों को हटाए जाने के बाद बाजार अंश में 8.2% की गिरावट आई है।
- (झ) सभी संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य से मिलकर आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में करीब 11 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। दूसरी ओर बनाने और बेचने की लागत में उसी अवधि के दौरान करीब 2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता अपनी कीमतों को सस्ते आयातों का मुकाबला करने के लिए कम रखने को मजबूर था।
- (ञ) प्रत्येक संबद्ध देश के लिए कीमत कटौती सकारात्मक है और पर्याप्त है। वास्तव में जापान से कीमत कटौती पूर्व अवधि में नकारात्मक थी जो जांच की अवधि में सकारात्मक हो गई।
- (ट) संबद्ध देशों से आयात कीमत सभी संबद्ध देशों के लिए गैर क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) से काफी कम है। कम कीमत के आयात याचिकाकर्ता के निष्पादन को हानि पहुंचा रहे हैं।
- (ठ) आवेदक की लाभप्रदता में चीन जन.गण. से पाटनरोधी शुल्कों को हटाए जाने के बाद से काफी प्रभाव पड़ा है। आवेदक ने जांच की अवधि में हानि उठाना शुरू कर दिया, जबकि पाटनरोधी शुल्कों का कोई संरक्षण नहीं था, जबकि आवेदक चीन जन.गण. से पाटनरोधी शुल्कों का जब संरक्षण था उस समय क्षति अवधि के दौरान मामूली आय प्राप्त कर रहा था।

- (ड) घरेलू बिक्रियों के लिए निवेशों पर प्रतिफल जांच की अवधि (क) में वित्त वर्ष 2017-18 के 16.17 % से गिरकर 2.9% हो गया है जो चीन जन.गण. से पाटनरोधी शुल्कों को हटाए जाने के बाद से करीब 14% की तीव्र गिरावट को दर्शाता है।
- (ढ) आवेदक का नकदी लाभ वित्त वर्ष 2017-18 में *** लाख रु. से गिरकर जांच की अवधि (पीओआई) (क) में *** लाख रु./वर्ग मी. आ गया है। उसी अवधि के दौरान प्रति यूनिट नकदी लाभ *** रु. प्रति वर्ग मी. से गिरकर *** रु. प्रति वर्ग मी. तक आ गया है।
- (ण) याचिकाकर्ता की मालसूची की जांच की अवधि में पर्याप्त रूप से बढ़कर 3.76 मिलियन वर्ग मी. हो गई है जो वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विशेषकर चीन जन.गण. से पाटनरोधी शुल्कों को हटाए जाने के बाद 2.26 मिलियन वर्ग मी. थी, जो मात्रा में 66 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- (त) कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क की मांग करने के बावजूद आवेदक की मालसूची में जांच की अवधि में आधार वर्ष की तुलना में 48 इंडेक्स प्वाइंट तक की वृद्धि हुई।
- (थ) घरेलू उद्योग अपनी क्षमता वर्धन की योजना को बंद करने के लिए बाध्य था। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि घरेलू उद्योग ने कथित उत्पादन लाइन को पहले ही खरीद लिया है, जोकि वर्तमान में बेकार पड़ी है। कथित बॉक्स अप क्षमता वर्तमान में कुल संस्थापित क्षमता की करीब 30 प्रतिशत है।
- (द) चीन जन.गण. में स्थापित क्षमताएं और अन्य देशों में स्थापित क्षमताएं अधिकांशतः निर्यात उन्मुखी हैं क्योंकि ये क्षमताएं घरेलू खपत से काफी अधिक हैं।
- (ध) आवेदक का क्षमता उपयोग और उत्पादन आवेदक द्वारा किए गए अवरोध निवारण के कार्यों में वृद्धि को दर्शाता है। इस कार्रवाई से आवेदक अपनी क्षमताओं का ईष्टतम स्तर पर उपयुक्त उपयोग कर पाया है।
- (न) संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आवेदक अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य हुआ है जिसके कारण से आवेदक को भारी हानि हुई है। पाटन के प्रभाव को न्यून करने के लिए और इसके प्रमुख ग्राहकों को बनाए रखने के लिए आवेदक को संबद्ध देशों में से किसी देश के आयातों का सहारा लेना पड़ा।
- (प) विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि की प्रवृत्ति याचिकाकर्ताओं के क्षति मापदंड विशेषकर कीमत मापदंड के अनुरूप है, जो कारणात्मक संबंध को दर्शाता है। ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं, जो यह दर्शाते हैं वास्तव में क्षति हुई है और एक वास्तविक और गहन चुनौती है।
- (फ) आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि से अधिक है। यह याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में गिरावट के कारण से है, तो जांच की अवधि (पीओआई) में आधार की तुलना में करीब 7 प्रतिशत है।
- (ब) यह तथ्य कि हो सकता है कि कुछ मात्रा में क्षति मापदंड नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं दर्शाएं। दूसरा यह अर्थ नहीं है कि क्षति की कमी है।
- (भ) संचित आधार पर क्षति विश्लेषण किया गया है और इसलिए यह तर्क कि कोडेक का निर्यात कीमत में कटौती नहीं करता अथवा कोडेक का निर्यात स्थिर रहा, यह क्षति विश्लेषण से संबद्ध नहीं है।
- (म) यह तर्क कि पूर्व जांच में, माननीय प्राधिकारी ने प्लेट-वार शुल्कों की सिफारिश की थी और इसीलिए मात्रा और कीमत का क्षति विश्लेषण पी सी एन के आधार पर किया जाए, यह गलत है। वास्तव में, पूर्व जांचों में, क्षति विश्लेषण समूचे विचाराधीन उत्पाद के लिए एक साथ किया गया था।

- (य) घरेलू उद्योग को वास्तविक अथवा प्रकट, दोनों क्षति पाटित आयातों के कारण से है, जिससे कारणात्मक संबंध स्थापित हुआ है।
- (ल) कोडेक द्वारा यह सुझाव दिए गए हैं कि क्षति मार्जिन का निर्धारण स्वतंत्र कीमत अर्थात् कोडेक इंडिया के स्तर पर प्रथम बिक्री के समय किया जाना चाहिए। एक संगत आयातक द्वारा प्रथम स्वतंत्र पुनः बिक्री कीमत पर गणना पाटन मार्जिन की गणना के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए है न कि क्षति मार्जिन की गणना के लिए है।
- (व) यह कहना है कि लागू कानून के अनुसार पाटनरोधी करार सहित एक कूलिंग ऑफ अवधि की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी मामले में याचिका में वास्तविक क्षति की मौजूदगी दर्शाई गई है और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की मौजूदगी का प्रभावी रूप से खंडन कर पाने में विफल रहे हैं।
- (श) व्यापार सूचना सं. 02/2004 जांच की अवधि और क्षति की अवधि के चयन से संदर्भित माननीय प्राधिकारी के विवेक को प्रभावित नहीं करती। याचिकाकर्ता ने पूरी तरह से उक्त व्यापार सूचना की अपेक्षित भाषा का अनुपालन किया है।
- (ष) अधिनियम अथवा पाटनरोधी नियमों अथवा गैट 1994 (एडी करार) के अनुच्छेद vi के कार्यान्वयन के संबंध में 9 माह की एक जांच की अवधि के लिए रोका नहीं गया है।
- (ड.ड.) आवेदक ने संबद्ध देशों से आयातों के कारण अपना बाजार हिस्सा गंवाया है। (आयातों का हिस्सा 27.54 प्रतिशत से बढ़कर 36.38 प्रतिशत हो गया है)। यद्यपि, आवेदक के पास अब भी अधिकांश बाजार हिस्सा है, तथापि, कीमत क्षति को देखने के बावजूद बाजार हिस्से में इतनी भारी कमी स्पष्ट रूप से आवेदकों और अन्य भारतीय उत्पादकों पर आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को दर्शाती है।
- (चच) लकी और कपूर ने तर्क दिया है कि आवेदक के बाजार हिस्से में आवेदक की क्षमता में कमी होने के कारण गिरावट आई है। यह एक हास्यास्पद तर्क है। इस तथ्य के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कि आवेदक ने अपनी क्षमता में वास्तविक वृद्धि की है, तथ्य यह है कि आवेदक को संबद्ध देशों से अत्यधिक पाटन के कारण अपनी क्षमता में कटौती/कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा था।
- (छछ) लकी और कपूर ने तर्क दिया है कि संबद्ध देशों से आयातों और आवेदक द्वारा दावा की गई कीमत कटौती के बीच कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देशों से पहुंच कीमत वित्त वर्ष 2016-17 में 244.65 भारतीय रूपए प्रति वर्ग मीटर से घटकर 224.85 भारतीय रूपए प्रति वर्ग मीटर रह गई है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत कटौती पाटित कीमतों पर आयातों में वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- (जज) आवेदक पी यू सी को पी ओ आई के अलावा अपनी बिक्री लागत से अधिक पर बेच रहा है। जब आवेदक को उत्पाद को उसकी लागत से कम पर बेचना पड़ा था।
- (झझ) लकी और कपूर ने आरोप लगाया है कि कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट आई है जिससे निर्माण और बिक्री की लागत में गिरावट आनी चाहिए थी। इस संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि अमरीकी डॉलर के रूप में एल्यूमीनियम की कीमतों में संभवतः गिरावट आई है परंतु भारतीय रूपए के अवमूल्यन के कारण निर्माण और बिक्री की लागत में गिरावट होने के बजाए वृद्धि हुई है।
- (टट) ब्राइट इंटरप्राइजेज ने बताया है कि आवेदक का एन एस आर एन आई पी से अधिक है क्योंकि उत्पादन की लागत में गिरावट आई है। इस संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि आवेदक का एन एस आर एनआईपी से कम है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
- (ठठ) आवेदक अनुरोध करता है कि प्रयोक्ता उद्योग के साथ कोई एम ओ यू नहीं है और वह अप्रैल, 2018 से समाप्त हो चुका है।

- (डड) यह अनुरोध किया गया है कि पाटनरोधी जांच में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर अप्रासंगिक होता है। मांग और आपूर्ति में अंतर से घरेलू उद्योग के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण की मांग करने के अधिकार पर कोई प्रभाव या पक्षपात नहीं होता है।
- (ढढ) आवेदक अनुरोध करता है कि पीयूसी के विभिन्न प्रकारों के लिए अलग-अलग शुल्क से केवल परिवंचना को प्रोत्साहन मिलेगा- जिस पर पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा सत्यापन और अभिलेख भी किया गया था। यद्यपि, प्राधिकारी पाटन और क्षति के लिए पीसीएन वार विश्लेषण कर सकते हैं। तथापि, यह अनुरोध किया जाता है कि परिवंचना और गलत घोषणा को हतोत्साहित करने के लिए अंतिम जांच परिणामों में पी यू सी के सभी प्रकारों पर एक समान शुल्क की सिफारिश की जाए।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

71. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जो प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए हैं, इस प्रकार हैं :-

- (क) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने इस आधार पर वर्तमान जांच की शुरुआत करने से रोकने का अनुरोध किया है (i) क्षति अवधि में अप्रैल, 2018 से जून, 2018 तक की अवधि का अंतर नहीं हो सकता। (ii) क्षति अवधि पूरी वित्तीय वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों ने 12 मई, 2004 की व्यापार सूचना सं. 02/2004 का भरोसा किया है जिसमें यह तर्क दिया गया है कि क्षति की अवधि और जांच की अवधि (पीओआई) में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए और क्षति की अवधि पूरे वित्तीय वर्ष की अवधि होनी चाहिए।
- (ख) व्यापार सूचना के पैरा 2 (iii) में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि कोई अंतर नहीं होना चाहिए लेकिन जांच की अवधि और पूर्व वित्तीय वर्षों के बीच ओवरलैप हो सकता है।
- (ग) शुद्धि पत्र अधिसूचना के तहत पुनः व्यापार सूचना सं. 2/2004 दिनांक 12 मई, 2004 का उल्लेख है जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि क्षति की अवधि केवल वित्तीय वर्ष होनी चाहिए।
- (घ) वर्तमान जांच व्यापार सूचना से स्पष्ट रूप से हटना है जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि क्षति की अवधि हमेशा ही वित्तीय वर्ष होनी चाहिए और इसके बावजूद इसे 15 माह लिया गया है जो वर्ष 2017-18 से यथाअनुपात आधार (जैसा आवेदन में किया गया है) पर वार्षिक रूप से ली गई है (जैसा कि प्राधिकारी द्वारा शुद्धि पत्र अधिसूचना के तहत किया गया है)।
- (ङ.) प्राधिकारी ने अपनी वर्तमान जांच में 9 माह की जांच की अवधि निर्धारित की है, जबकि प्राधिकारी सामान्य तौर पर 12 माह पर विचार कर रहे हैं। 9 माह की अवधि केवल अपवाद की स्थिति में ही ली जाती है। प्राधिकारी यह समझने में विफल रहे हैं कि वर्तमान जांच किस तथ्य के कारा से “अपवादात्मक” है।
- (च.) पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के बाद आवेदक उद्योग के निष्पादन की वास्तविक तस्वीर का विश्लेषण करने के लिए क्लिंग ऑफ अवधि पर विचार किया जाए।
- (छ) प्राधिकारी से वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि को संशोधित करके वित्तीय वर्ष 2018-19 करने का अनुरोध किया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राधिकारी से अंतराल की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयात डाटा जांच की मांग करने का अनुरोध किया गया है और हितबद्ध पक्षकारों से सूचना उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया है।
- (ज) कुछेक हितबद्ध पक्षकार निषिद्ध करते हैं और आरोप लगाते हैं कि यह अंतराल वे माह थे, जिनके दौरान याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद का बड़ी मात्रा में आयात कर सकें/किया जाएगा।

- (झ) वर्तमान मामले के लिए क्षति अवधि की दो तिहाई अवधि पूर्व में निपटाए गए मामले की तरह होती है। जब तक कि बाजार की स्थिति में कोई भारी बदलाव न आ जाए, वर्तमान जांच से निर्णायक समीक्षा जांच के परिणामों के अनुसार विचार करके न्यायोचित नहीं हो सकती।
- (ञ.) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह क्षति की अवधि और समूची जांच की अवधि के अनप्रयुक्त चयन के कारण जांच को तत्काल समाप्त करें क्योंकि जैसे घरेलू उद्योग का आधार, क्षति विश्लेषण उसी पर आधारित है।
- (ट) आवेदक द्वारा दाखिल किए गए डाटा को अधूरा माना जाए और प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 के तहत जांच को समाप्त करने चाहिए।
- (ठ) यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है अथवा यदि कोई क्षति हुई भी है तो वह स्वयं की वजह से है। अतः वास्तविक क्षति की संभावना और मंदी की स्थिति इसमें शामिल नहीं है और इसके साथ मौजूद नहीं हो सकती।
- (ड) आवेदक कंपनी विश्व में प्रिंट सोल्यूशन की सबसे बड़ी सप्लायर कंपनियों में से है और इसने अपना कारोबार 50 से अधिक वर्षों से अच्छी तरह से स्थापित कर रखा है, जैसा कि आवेदक द्वारा मौखिक सुनवाई के दौरान दावा किया गया था। अतः घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए मंदी की स्थिति का कोई मामला नहीं है।
- (ढ) कच्ची सामग्री की कीमतें गिर रही हैं (एस एम ई और एल एम ई के बावजूद, क्योंकि दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई है), याचिकाकर्ता ने लागतों में वृद्धि दर्शाई है। यह लागतों में वृद्धि ही है जिसके कारण लाभ, आर ओ आई और नकदी प्रवाह में गिरावट आई है, जिसे पाटित आयातों के कारण नहीं कहा जा सकता।
- (ण) आवेदक उद्योग को हानि उठानी पड़ी जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान आयातों में गिरावट आई थी और लागू पाटन से भी शुल्क कथित पाटित आयातों और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं दर्शाते।
- (त) याचिकाकर्ता द्वारा चीन जन.गण. में आधारित अन्य निर्यातकों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण क्षति, यदि कोई हो, हो रही है न कि फ्यूजी फिल्म ग्रुप से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण से है।
- (थ) चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का हिस्सा जांच की अवधि (क) के दौरान संबद्ध देशों से कुल आयातों में 78.90 प्रतिशत होता है जो कि अन्य देशों से आयातों के अंश की तुलना में काफी महत्वपूर्ण है।
- (द) चीन के निर्यातकों, विशेषकर लक्की हुआहुआंग ग्राफिक्स कं. चीन और कोडेक चाइना के पास महत्वपूर्ण सरप्लस क्षमता उपलब्ध है, जो चीन जन.गण. से कम कीमतों पर है। लक्की हुआहुआंग ग्राफिक्स कं. चाइना सरकार सरकार से कई प्रोत्साहन प्राप्त कर रही है क्योंकि यह राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है। इसके अतिरिक्त यह सस्ती कच्ची सामग्री का लाभ भी प्राप्त कर रही है, जो यह एस एच एफ ई से खरीदती है। यह ज्ञात तथ्य है कि एस एच एफ ई भी सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी है।
- (ध) आवेदक उद्योग की बिक्री कीमत विभिन्न कारकों से प्रभावित है, जैसे एल्युमिनियम की कीमत में स्थिरता, उपयोक्ता एसोसिएशनों और आवेदक उद्योग द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू), आंतरिक प्रतिस्पर्धा इत्यादि।

- (न) आयातों में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, केवल इस तथ्य से कि आयातों में वृद्धि हो रही है, यह स्पष्ट नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। आयातों में कोई भी वृद्धि होने का अर्थ यह नहीं होता कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। यदि आयातों में वृद्धि पर मांग में वृद्धि के साथ विचार किया जाए तो यह देखा जाएगा कि आयातों में वृद्धि वास्तव में मांग में वृद्धि से कम है।
- (प) सीटीसीपी प्लेटों का उपयोग अब पी एस प्लेटों की तुलना में ज्यादा फायदेमंद है और सीटीसीपी प्लेटों पर कोई भी पाटनरोधी शुल्क न होने से वास्तव में उपभोक्ताओं का पी एस प्लेट से सीटीसीपी प्लेट की तरह रुख हुआ है।
- (फ) यह देखा जाना चाहिए कि पूरी क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है जबकि याचिकाकर्ता की क्षमता में गिरावट आई है। इस तथ्य के कारण से कि याचिकाकर्ता का क्षमता उपयोग करीब 100 प्रतिशत है, आयातों के कारण क्षति के संबंध में याचिकाकर्ता का मानना आधारहीन है।
- (ब) याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तुओं का आयात करने में लगा है, जिससे मालसूची में वृद्धि हो रही है। अतः यदि कोई क्षति मौजूद है तो वह स्वयं के कारण से है न कि निर्यातों के कारण से।
- (भ) आवेदक आयातों में वृद्धि होने के बावजूद पूरी क्षति अवधि के दौरान बिक्री में वृद्धि करने में समर्थ रहा।
- (म) कोडेक ने पहले ही यह अनुरोध किया है कि केसीजीसीसीएल भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने में लगा है, जोकि इसकी संबद्ध संख्या, केआईपीएल द्वारा आयात की जाती हैं। आयात के बाद केआईपीएल भारतीय बाजार में आयातित उत्पादों की पुनः बिक्री करने से पूर्व अनेक कार्य करता है। अतः एक उद्देश्यपरक विश्लेषण करने से पूर्व केआईपीएल की पुनः बिक्री की कीमत (कारखाना बाह्य स्तर पर) प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी से तुलनीय होनी चाहिए ताकि क्षति मार्जिन निकला जा सके।
- (य) कोडेक का यह कहना है कि संबद्ध वस्तुओं के घरेलू खरीददार/उपभोक्ता अपनी वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता चुनने के लिए केआईपीएल और टेकनोवा द्वारा बेची गई वस्तुओं की कीमत से तुलना करते हैं। वस्तुओं की खरीद का निर्णय केआईपीएल और टेकनोवा की बिक्री कीमतों के बीच के अंतर पर निर्भर करता है। परिणामस्वरूप कोडेक द्वारा किए गए आयातों की पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग को किसी भी तरह से क्षति नहीं हो सकती। टेकनोवा की क्षति (यदि कोई हो) केवल तभी होती है जब के आई पी एल घरेलू बाजार में अपना उत्पाद उचित कीमत पर अर्थात् एनआईपी/टेकनोवा की बिक्री कीमत से कम पर बेचे। अतः कोडेक प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि क्षति मार्जिन का निर्धारण केआईपीएल की घरेलू बिक्री कीमत टेकनोवा की बिक्री कीमत के साथ तुलना करके करे।
- (र) क्षमता उपयोग पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- (ल) पूरी क्षति अवधि के दौरान उत्पादन में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता इस बात को देखते हुए कि क्षमता उपयोग पहले ही 100 प्रतिशत को पार कर गया है अधिक उत्पादन नहीं कर पाया होगा।
- (व) क्षति संबंधी डाटा प्रमुख मात्रा संबंधी पैरामीटर जैसे उत्पादन, बिक्रियां, क्षमता उपयोग इत्यादि में वृद्धि को दर्शाते हैं। यद्यपि मालसूची में वृद्धि हुई है, लेकिन इसे घरेलू बिक्रियों में कमी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि बिक्रियों में वृद्धि हुई है।
- (श) आवेदक एकल उत्पादक का दर्जा रहने के कारण हाल के वर्षों तक बाजार में एकाधिकार की स्थिति में था और साथ ही अभी तक पाटनरोधी शुल्क भी लागू था।
- (ष) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन आधार वर्ष 2015-16 में 100 इंडेक्स से बढ़कर जांच की अवधि (क) के दौरान 116 (इंडेक्स) हो गया। आवेदक का क्षमता उपयोग आधार वर्ष में 100 (इंडेक्स) से सकारात्मक रूप से बढ़कर जांच की अवधि (क) के दौरान 132 (इंडेक्स) हो गया है।

- (स) जांच की अवधि (क) में कुल मांग में घरेलू उत्पादों (मुख्यतः याचिकाकर्ता) का हिस्सा 61.15 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि आवेदक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सा प्राप्त करने में समर्थ है, जो यह दर्शाता है कि आवेदक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सा प्राप्त करने में समर्थ है, चाहे जून, 2018 में पाटनरोधी शुल्क बंद कर दिया जाए।
- (ह) वर्तमान जांच में आवेदक का एनएसआर उनके एनआईपी से भी ऊपर होगा जैसाकि उपरोक्त निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) के मामले में पाया गया है।
- (कक) कोडेक द्वारा निर्यातित वस्तुओं का पहुंच मूल्य टेकनोवा द्वारा दायर की गई एनआईपी से अधिक है और नकारात्मक रूप से कम कीमत पर बिक्री हुई है। कोडेक के निर्यातों से कोई भी कीमत ह्रास और गिरावट नहीं हुई है।
- (खख) आवेदक भारत में प्रचालित मांग को पूरा नहीं कर सकता इसलिए, भारत से बाहर से आयात हुए। वास्तव में याचिकाकर्ता सभी प्रकार की संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने अन्य देशों से विभिन्न प्रकार की संबद्ध वस्तुओं की खरीद की है और उन्हें भारत में बेचा है।
- (गग) यदि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप आवेदक आसानी से विचाराधीन उत्पाद की कीमत घरेलू बाजार में निर्मित करवा सकता है और साथ ही एकाधिकार का लाभ अर्जित करने के लिए कीमत को अतार्किक करने की काफी संभावना भी है। डाउनस्ट्रीम उद्योग का निष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
- ज ज) सरकार के द्वारा बीच का रास्ता अपनाना चाहिए अर्थात् न तो अनुचित प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और न ही किसी भी पक्षकार द्वारा एकाधिकार की स्थित पैदा करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए, अपितु एक सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- ट ट) विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों को चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत समान उत्पादों तथा यूरोपीय संघ से उद्भूत उत्पादों के लिए अलग-अलग कीमतें प्रस्तुत की गई। चीन से उद्भूत उत्पादों के लिए प्रस्तुत की गई कीमतें यूरोपीय संघ से उद्भूत उत्पादों की कीमतों से काफी कम थी।
- ठ ठ) उद्योग के लिए लिए पर्याप्त राहत अथवा सुरक्षा उपलब्ध करा करके दीर्घकाल में ऑफ-सेट प्लेटों के स्थानीय विनिर्माण उद्योग को सुरक्षा प्रदान करना हमारे हित में है।
- ड ड) कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री आदि जो आज हैं, वह विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ता के द्वारा पीओआई के लिए आयातों की पूर्ण एवं वास्तविक सूचना अभी प्रस्तुत की जानी है।
- ढ ढ) ताइवान से आयात का मूल्य 233 रुपए से 208 रुपए प्रति एसक्यूएम था। चीन गणराज्य के मामलों में, वर्ष 2015-16 और पीओआई को छोड़कर ताइवान से मूल्य 182 से 186 रु. प्रति एसक्यूएम था। अतः ताइवान से पीयूसी के आयातों की मात्रा और मूल्य के बारे में गंभीर तथ्य जांच करना अपेक्षित है और अब यथाप्रस्तुत आंकड़े विश्वसनीय और पूर्ण नहीं दिखते हैं।
- ण ण) कोरिया से संबद्ध माल का सीआईएफ निर्यात मूल्य में क्षति अवधिके दौरान बढ़ोतरी हुई। याचिका के प्रदर्श 5 में कोरिया के उत्पादों का सीआईएफ यूनिट मूल्य (आईएनआर / एसक्यूएम) वर्ष 2016-17 में 187.52 भारतीय रुपए, वर्ष 2017-18 में 200.64 रुपए और क्षति अवधि के दौरान 202.15 रुपए था।
- त त) आवेदक के द्वारा किए गए स्वयं के आयातों से घरेलू उद्योग के रूप में उनकी पात्रता के रूप में अत्यधिक शाखा विस्तार होता है और इससे ऊपर एवं सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे स्वयं के द्वारा किए गए आयात वर्तमान मामले में कारणात्मक संपर्क के स्पष्ट उल्लंघन को दर्शाते हैं।
- थ थ) आवेदक को इस तथ्य के बारे में भी जानकारी थी कि अल्युमीनियम के मूल्य में बढ़ोतरी होने से क्षति हुई है जैसा कि याचिका के पृष्ठ 35 में साफ-तौर पर दर्शाया गया है।

- द द) याचिका में यथा प्रस्तुत आयात पाटन एवं क्षति के प्रयोजनार्थ पीसीएन वार तुलना करने की जरूरत को दर्शाता है, क्योंकि परस्पर किस्म के पीएससी में काफी भिन्नता होती है।
- ध ध) सीटीसीपी प्लेटों और थर्मल प्लेटों के मूल्यों काफी अन्तर (लगभग 45 से 50 प्रतिशत) होता है। इसलिए, प्राधिकारी को प्रत्येक उप श्रेणी/पीसीएन के लिए आयात मूल्य, सामान्य मूल्य, कारखानागत मूल्य, पहुंच मूल्य, एवं समस्त क्षति पैरामीटरों (मात्रा एवं मूल्य दोनों) का मूल्यांकन करना चाहिए। अतः मात्रा एवं मूल्य क्षति के बारे में पीसीएन आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए।
- न न) टेकनोवा के द्वारा लिया गया कम घरेलू विक्रय मूल्य :- भारतीय बाजार में बने रहने के लिए अन्य निर्यातक / आयातक अपना मूल्य कम करने के लिए बाध्य हुए थे।
- प प) अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद आयातों की वजह से हुई क्षति को प्रमाणित करने के लिए शेष उत्पादकों ने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- फ फ) सामान-सूची स्तरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सामान सूची में बढ़ोतरी आयातों की वजह से और निर्यात विक्रियों में हुई गिरावट की वजह से हुई है।
- ब ब) कोडक के लिए कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक है।
- भ भ) कोडक से मात्रा संबंधी क्षति नकारात्मक है क्योंकि कोडक द्वारा निर्यातक लगभग स्थिर रहा है। कोडक के आयातों की वजह से मात्रा संबंधी क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।
- म म) केआईपीएल के घरेलू विक्रय मूल्य की टेकनावा के विक्रय मूल्य के साथ तुलना करके क्षति मार्जिन का निर्धारण करने का प्राधिकारी से अनुरोध है।
- क क क) जबकि आयातों में बढ़ोतरी हुई है, परंतु यह मांग में हुई बढ़ोतरी के अनुरूप है।
- ख ख ख) जब पूर्ववर्ती वर्ष में यह लाभप्रद था, तब हानियां होने के पीछे वास्तविक कारण को बताने में आवेदक असमर्थ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कच्चे माल की कीमतें कम हुई हैं और विक्रय-मूल्य समान रहा है, तब कम से कम यह अपेक्षा की जा सकती है कि लाभ कमाने के लिए याचिकाकर्ता ने उसका लाभ लिया होगा।
- ग ग ग) बन्द हुए संयंत्र का नियत व्यय - चूंकि याचिकाकर्ता ने अपनी एक उत्पादन सुविधा को सर्व-सम्मति से बन्द कर दिया था, तो यह प्रतीत होता है कि उस संयंत्र की नियत लागत विचाराधीन उत्पाद के अनुपात में ही होगी। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- घ घ घ) जब यह साबित करने के लिए कोई आंकड़ा नहीं है कि एलएमई कीमतें एसएमई कीमतों से वस्तुतः कम थी और इनमें समानरूप से गिरावट हो रही है, तब आवेदक ने संघाई मैटल एक्सचेंज कीमतों (इसके बाद इसे एसएमई कहा गया है) के मुकाबले में लन्दन मैटल एक्सचेंज (इसके बाद इसे "एसएमई" कहा गया है) कीमतों को अधिक दर्शाने के लिए गलत और भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।
- ड ड ड) जब कच्चे माल के मूल्यों में कमी हुई है तब आवेदक ने उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया लागत में बढ़ोतरी होने के कारणों का पता लगाएं।
- च च च) कीमत कटौती समान स्तरों पर रहते हुए पीओआई के दौरान आयात की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई। अतः कथित कीमत कटौती और आयात में बढ़ोतरी होने के बीच में कोई संबंध होना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कीमत में अधिक कटौती होने से आयात में उसी अनुपात में बढ़ोतरी होना प्रतीत नहीं होता है।
- छ छ छ) मांग में बढ़ोतरी होने तथा घरेलू उद्योग की मांग आपूर्ति में अन्तर होने की वजह से आयातों में बढ़ोतरी हो रही है।

- ज ज ज) आवेदक उद्योग की विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्रियों में आधार वर्ष में 100 (सूचकांक) के मुकाबले पीओआई (ए) के दौरान 114 (सूचकांक) तक काफी बढ़ोतरी हुई है।
- झ झ झ) आवेदक उद्योग की एक उत्पादन इकाई के बंद होने तथा उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में कमी होने के बावजूद संपूर्ण क्षति अवधि और पीओआई (ए) के दौरान कर्मचारियों की उत्पादकता में काफी बढ़ोतरी हुई है।
- ञ ञ ञ) अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों में आधार वर्ष में 100 (सूचकांक) के मुकाबले पीओआई (ए) के दौरान 110 (सूचकांक) तक बढ़ोतरी हुई है।
- ट ट ट) कर्मचारियों की संख्या में कमी आयी है, इसकी वजह आवेदक की एक उत्पादन इकाई का बन्द होना है, जिसके परिणामस्वरूप क्षमता में कमी हुई है।
- ठ ठ ठ) केवल क्षति होने से ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है कि इसकी वजह से पाटन एवं क्षति होने की संभावना होती है।
- ड ड ड) आवेदक ने सामान सूचियों को छोड़कर मात्रा संबंधी पैरामीटरों के संबंध में क्षति होने का भी कोई दावा नहीं किया है।
- ढ ढ ढ) आवेदक ने स्वीकृत रूप से क्षमताओं में कमी की है। उत्पाद की मांग इतनी तेज गति से बढ़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के द्वारा अपनी क्षमताओं में कमी लाना साधारण बात नहीं है।
- ण ण ण) पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान कच्चे माल की कीमत और आयात कीमत में गिरावट हुई, जबकि आवेदक का विक्रय मूल्य समान रहा।
- त त त) पी. एस. प्लेट के उत्पादन में कमी और डिजीटल प्लेटों के उत्पादन में बढ़ोतरी होने से डिजीटल प्लेटों पर व्यय का अनुपातिक रूप से व्यय का बंटवारा हुआ है।
- थ थ थ) यदि कीमत कटौती की गई थी, तो आयातों में काफी बढ़ोतरी हुई होगी।
- द द द) उसके लाभ/हानि में कमी होने का कारण कथित पाटित आयात नहीं है अपितु याचिकाकर्ता की एक उत्पादन इकाई का बन्द होना जैसे कुछ अन्य कारक हैं।
- ध ध ध) कीमतों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब कच्चे माल की कीमतें कम हो रही हो, जो कीमतों का बढ़ने का कोई कारण नहीं है।
- न न न) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आवेदक का एकाधिकार हो जाएगा।
- प प प) पाटन रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद विचाराधीन उत्पाद का विक्रय मूल्य पीयूसी की बिक्री लागत से समनुरूप से कम रहा है।
- फ फ फ) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह सूचित किया है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमत कई कारकों की वजह से प्रभावित हुई है जिनमें याचिकाकर्ता और प्रयोक्त उद्योग के बीच में समझौता ज्ञापन शामिल है।
- ब ब ब) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आयात करना जरूरी है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं होती है।
- भ भ भ) एक तर्क यह भी है कि चूंकि अगफा ग्राफिक्स और लकी ने ग्राफिक्स के कारोबार में (संबद्ध सौदे के लिए) रणनीति सांघी है और पूर्ववर्ती, प्रोद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा से उनकी सहायता करता है और याचिकाकर्ता को लकी से किसी तरह से जुड़ने का कारण बनता है।
- म म म) कोडक ने निवेदन किया कि “(i) विदेशी सरकारों को बाजार संबंधी तोड़-मरोड़ कर दी गई सूचनाओं के लिए माननीय प्राधिकारी बाध्यकार नहीं हैं; (ii) कथित बाजार व्यवहार कौशल पीओआई से

संबंधित नहीं होता है; (iii) करेंसी को जारी करने संबंधित व्यवहार कौशल के बारे में आईएमएफ, विश्व बैंक, अथवा आरबीआई जैसी संस्थाओं के द्वारा केवल अधिकारिक तौर पर ही जांच की जा सकती है; (iv) भारतीय मुद्रा का पीओआई के दौरान आरएमबी से अधिक अवमूल्यन हुआ है। इस आधार पर, कोडक बाजार अर्थव्यवस्था के लिए मांग करता है। ”

- य य य) लकी और कपूर ने यह तर्क दिया है कि कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आयी है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद निर्मित करने एवं बिक्री करने की लागत में कमी होनी चाहिए
- क क क क) पाटन रोधी शुल्क लगाने से प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाग पड़ेगा।
- ख ख ख ख) दो समाचार पत्रों से संपूर्ण उद्योग नहीं चलता है क्योंकि भारत में 500 से ज्यादा दैनिक समाचार पत्र हैं। इसलिए, उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में यह तथ्य शामिल है कि उन्होंने आवेदक के साथ आपूर्ति संबंधी समझौता किया है, और यह उनके निवेदनों को संदिग्ध और अयोग्य बनाता है।
- ग ग ग ग) आवेदक के बाजार हिस्से में वाई ओ वाई बढ़ रहा है इसमें पीओआई के दौरान हल्की से गिरावट आयी है, जिसमें सीएसओ अनुमानों के अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों ने गिरावट का सामना किया है और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आवेदक ने भी मांग में कमी होने की स्थिति का सामना किया है।
- घ घ घ घ) लाभ की प्रतिशतता 100-59-128-63-115 तक घट बढ़ रही है जो यह दर्शाती है कि लाभ का मार्जिन पाटनरोधी शुल्क लगाने अथवा अन्यथा से जुड़ा नहीं है अपितु अन्य कारणों की वजह से है।
- ङ ङ ङ ङ) 4 वर्ष की अवधि के दौरान कीमत स्थिर रही है लेकिन एल्युमीनियम की कीमतों में गिरावट होने के बावजूद जो लागत के 70 प्रतिशत है, वर्ष 2017-18 और 2018-9 के बीच कीमतों में कोई गिरावट नहीं हुई है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि चीन के उत्पादकों ने भी वास्तव में कीमतों में बढ़ोतरी की है। दूसरे देशों का भी कम प्रभाव है।
- च च च च) पाटनरोधी शुल्क की बाद में समाप्ति :- आवेदक ने अपना एक संयंत्र बंद कर दिया है। अन्य दो संयंत्र क्रमशः 100 प्रतिशत और 50 प्रतिशत क्षमता पर कार्य कर रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है, जिसमें संयंत्र अपनी संपूर्ण जीवन अवधि को पूरी कर रहा है, जिसकी वजह से गुणवत्ता के उत्पादों का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। अतः आवेदक बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा है, इसलिए आयातों की जरूरत है।
- चचचच.1 हमें दिए गए डीजी सी आई एस आंकड़े 14,000 – लाइन प्रविष्टि हैं परंतु डिजिटल और एनेलॉग प्लेटों का कुल आयात 3000 से कम है जो असंभव है। दूसरी ओर जब आंकड़ों में और सुधार होता है तो ताइवान, मलेशिया, श्रीलंका, यूएसए आदि से कोई आयात नहीं प्रदर्शित होते हैं। इससे पता चलता है कि आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़े हमें दिए गए आंकड़ों से अलग हैं।
- छ छ छ छ) आयातों की सस्ती कीमत होने का लाभ लेकर आवेदक आयातों से अपने आपको बचा रहा है।
- ज ज ज ज) वर्तमान मामला निर्यातकों से “असंबद्ध स्वयं आवेदक द्वारा आयात” की श्रेणी के अंतर्गत आता है। याचिकाकर्ता कथित पाटन के लिए पक्षकार है, इसलिए क्षति के लिए दावा नहीं कर सकता है। मुख्य व्यापार परीक्षण और पाटन में भागीदारी जैसे मानदण्डों के बारे में विचार करना चाहिए और ये इस मामले में लागू होने चाहिए।
- झ झ झ झ) अन्हुई ने यह निवेदन किया कि आवेदक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का अभी तक आयात कर रहा है और उनके द्वारा याचिका अथवा लिखित निवेदनों में कहीं पर भी इसके लिए दावा नहीं किया है। इसके बजाए, आवेदक ने लिखित निवेदनों के पैरा 4(ई) में यह सूचित किया है कि आयातों को बंद कर

दिया गया है लेकिन ये झूठे कथन हैं। आवेदक ने भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात करना बंद कर दिया हो, परंतु स्वयं अपने नाम में यूएई पत्तन पर इसका आयात करना शुरू कर दिया है। पीओआई के बाद यूएई पत्तन पर शंघाई स्ट्रांग स्टेट प्रिटिंग इक्विपमेंट लिमिटेड से टेकनावा इमेजिंग सिस्टम्स (प्रा.) लि. के द्वारा किए गए आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराए गए थे। यह इस बात को दर्शाता है कि आवेदक प्राधिकारी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है।

- ज ज ज ज) इस सारणी में चीन के आयातों की दर्शायी मात्रा उस अवधि के एस एस आर में आयात की मात्रा में मेल नहीं खाती है, जो यह निर्दिष्ट करती है कि आवेदक अपनी सारणियों में कल्पित आंकड़े दे रहा है और इसलिए आवेदक स्वयं ही प्राधिकारी के द्वारा निरस्त किए जाने के लिए जिम्मेदार है।
- ज ज ज ज-1) वर्तमान पीओआई के दौरान एनएसआर वही है जो निर्णायक समीक्षा के पीओआई के दौरान थी। जहां डी ए ने स्पष्ट रूप से माना था कि डी आई को कोई क्षति नहीं हुई है। चूंकि दोनों पीओआई में एनएसआर समान है, इसलिए यह अनुरोध है कि आवेदन को अस्वीकृत किया जाए।
- ज ज ज ज-2) आवेदन में बताया गया है कि पिछले चार वर्ष की अवधि के दौरान घरेलू मांग में वृद्धि हुई है। वह घरेलू बिक्री बढ़ाने में असमर्थ रहा है जबकि वहीं यह भी कहा गया है कि वह ईष्टम नाम प्लेट क्षमता से अधिक पर कार्य कर रहा है जो दर्शाता है कि आवेदक प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।
- च च च च) चाहे पाटनरोधी शुल्क लगाना हो, तब यह अनुरोध किया जाता है कि एलएमई में उद्धरित एल्युमीनियम इनोट की मूल्य लागत और कन्वर्जन प्रभाओं सहित यह शुल्क लगाया जा सकता है।
- छ छ छ छ) आवेदक ने एसएसआर में डी. ए. के निष्कर्ष के शीघ्र बाद एडीडी को पुनः आरंभ करने का अनुरोध किया है, यह तथ्य किसी भी तरीके से लाभ प्राप्त करने में आवेदक के व्यवहार को दर्शाता है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एसएसआर के विरुद्ध याचिका दायर की थी और अपने आयातों को पूरा करने के लिए बाद में इसे वापिस ले लिया था और तत्पश्चात डी. ए. पर दबाव डालने के लिए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया।
- ज ज ज ज) हिन्दुस्तान टाइम्स का प्रतिनिधि जो एडीडी को समर्थन करता है, वह संपूर्ण समाचार मीडिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जो एच टी ग्रुप की खपत की तुलना में बहुत बड़ा है।
- झ झ झ झ) सुनवायी के दौरान आवेदक ने सूचित किया है कि अमरीकी डॉलर की तुलना में चीन की करेंसी आरएमबी का 10 प्रतिशत मूल्यह्रास हुआ है, जो सही नहीं है। अवमूल्यन 3 प्रतिशत है जबकि भारतीय मुद्रा का (सुनवायी के समय पर 5 प्रतिशत तक अवमूल्यन) से अधिक मूल्यह्रास हुआ था। वर्तमान में, भारतीय मुद्रा का मूल्यह्रास अधिक है जो सस्ते आयातों से आवेदक को पहले से ही सहायता प्रदान करता है।
- ज ज ज ज) संबद्ध वस्तुओं पर 10 वर्ष की एक अच्छी अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है जिससे आवेदक को अच्छा लाभ मिला। सरकार सामान्य रूप से राष्ट्र की हानि के लिए एक अकेले उद्योगपति को लाभ नहीं दे सकती है।
- ट ट ट ट) स्वयं आवेदक के द्वारा एक अन्य (तृतीय) देश के रूप में ईयू का चयन करना अनुचित है क्योंकि तृतीय देश का चयन करने का अधिकार एडी नियमावली के नियम 7 के अनुसार केवल डी.ए. को ही दिया गया है। किसी मामले में ई.यू. अधिकांशतः थर्मल प्लेटों का उत्पादक और प्रयोक्ता है और न कि सीटीसीपी और वायलेट प्लेटों का, जिनकी मुख्य रूप से भारत एवं अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में खपत है।

- ठ ठ ठ ठ) गोपनीयता के रूप में सभी आंकड़ों को परिभाषित उन पर गोपनीयता का आवरण, चाहे वे सामान्य मूल्य, कारखानागत मूल्य, क्षति स्वयं उनके तुलन-पत्र के अनुसार तैयार किए हों, तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा जांच न किए जाने के अध्यक्षीन सभी आंकड़ों से प्राप्त हुए उत्पादन संबंधी आंकड़ों से तैयार किए हों। लाभ मार्जिन को सकारात्मक से नकारात्मक होने तक समाप्त कर दिया है, चाहे इन उत्पादों पर एडीडी हो अथवा न हो।
- ड ड ड ड) 200-220/- रुपए पर चीन के आयातों का मूल्य जिसकी समान रूप से स्थापित अन्य देशों के आयात मूल्यों से तुलना की जाती है और ये सीमा – शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अनुसार स्वीकार्य होते हैं। चीन की प्लेटों का मूल्य 3 वर्ष की अवधि और पीओआई के दौरान समनुरूप (-10 प्रतिशत) रहा है।
- ढ ढ ढ ढ) धारा 9 क(ii) (क) में यह अधिदेश है कि मूल्य की तुलना अन्य देशों को की गई बिक्रियों के आधार पर की जाएगी। सीबीआईसी का डीआरआई विश्व के सभी बड़े – बड़े देशों में स्थित कार्यालयों का रख रखाव करता है, जो तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए सूचना दे सकता है। इस सबकी ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि डीजीसीआईएस के द्वारा प्रस्तुत किए आंकड़े प्रविष्टि बिलों में मात्रा एवं विवरण के बारे में अनुचित विवरण होने की वजह से पूर्णतः त्रुटिपूर्ण होते हैं। आवेदक ने आंकड़े कैसे तैयार किए थे, इसकी जानकारी नहीं है।
- ण ण ण ण) पीओआई के बाद की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने शंघाई स्ट्रांग से पीयूसी की खरीद करना जारी रखा और अंतिम खेप का जून, 2009 को लदान की गई थी। प्राधिकारी के द्वारा इसकी गहन रूप से जांच करने की जरूरत है।
- त त त त) निर्यातक ने यह निवेदन किया कि मैनुअल ऑफ आरेस्टिंग प्रैक्टिसिज फॉर ट्रेड रेमेडी इन्वेस्टीगेशन्स के पैरा 4.9.20 (V) के अनुसार ऐसी कोई अपवादात्मक परिस्थितियां नहीं होती है, जिनके द्वारा आयात किए गए हों। आयात नियमित रूप से होते हैं जो भारत के लिए हमारे कुल निर्यातों का 53.41 प्रतिशत है। याचिकाकर्ता भी जांच के बाद भी अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रहा है।
- थ थ थ थ) ताइवेई इकॉनामिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया ने यह निवेदन किया कि ताइवान से आयातों के मामले में वर्ष 2017-18 और पीओआई के दौरान कोई वस्तुपरक परिवर्तन नहीं देखा गया है। यह प्रतीत होता है कि जो कार्य आवेदक प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सका था, उसको वह अब ताइवान से पीयूसी के आयातों पर वर्तमान जांच की शुरुआत करके अप्रत्यक्ष रूप से करने की कोशिश कर रहा है।
- द द द द) पीओआई के दौरान ताइवान के आयातों में बढ़ोतरी के प्रश्न के बारे में यह नोट करना चाहिए कि पीओआई के दौरान पीयूसी की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त देश से आयातों में बढ़ोतरी होने के कारण ही ताइवान से हुए आवक आयातों आवेदक को क्षति हुई है।
- ध ध ध ध) पाटन को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य पारित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच में कारक लिंक दर्शाने की है। मौजूदा मामले में, घरेलू उद्योग और पीयूसी की बिक्री को बनाए रखने की कोशिश की है। बढ़ती हुई मांग के अनुरूप आवेदक को अपनी बिक्रियां बनाए रखना उसकी ओर से गलत होगा और यह कहना भी गलत होगा कि उसको पूरा न करने से संबद्ध देशों में आयातों का पाटन होगा। पाटन को सुनिश्चित करने के लिए जांच करना से ही पाटित वस्तुओं से आवेदक को प्रत्यक्ष क्षति होगी।

- न न न न) कोडक यह सुनिश्चित करता है कि प्राधिकारी के द्वारा अन्य घरेलू उत्पादकों अर्थात् (i) मैट्रो स्टार; (ii) अक्षय इमेजिंग और; (iii) ओरियन को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करना चाहिए तथा उनसे सभी आर्थिक मानदण्डों के बारे में आंकड़े प्राप्त करने चाहिए।
- प प प प) कोरिया दूतावास ने यह निवेदन किया कि कोरियाजनवादी गणराज्य से उद्भूत संबद्ध सौदे से इस जांच में कथित क्षति नहीं हुई है। कोरिया से संबद्ध सौदे के सी आई एफ निर्यात मूल्य में क्षति अवधि के दौरान बढ़ोतरी हुई है।
- क क क क क) लगभग 40 मिलियन वर्गमीटर की सभी किस्म की डिजीटल प्लेटों की कुल खपत :- घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दो प्लेट निर्माताओं के लिए एक बड़ा व्यापार है। इस मामले पर निर्णय करते समय इसे नोट करने के लिए हम उत्सुकता से सरकार से उम्मीद रखते हैं।
- ख ख ख ख ख) अधिकांश भारतीय प्रिंटर्स को, जिनमें से अधिकांश लघु एवं मध्यम श्रेणी के अर्न्तगत आते हैं, इष्टतम मूल्य पर संबद्ध प्लेटों को प्राप्त करने की समर्थ्य होनी चाहिए तथा प्लेटों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। फेडरेशन यह उम्मीद करती है कि निर्माताओं को अपने संयंत्र में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण हो सके।
- ग ग ग ग ग) सभी किस्म की प्लेटों यूपीसीपी, थर्मल, वायलेट, केम्प फ्री आदि के लिए प्रिंटर्स के सामने आयी दिन प्रतिदिन की प्रचालन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार एवं भौतिक रूप से सुनिश्चित मंच (प्लेट फार्म) होना चाहिए।
- घ घ घ घ घ) इस मामले पर निर्णय करते समय सरकार के द्वारा इस याचिका के पक्षकारों के लिए इस बाध्यकारी बनाना तथा प्रिंटर्स के सामने आयी दिन प्रतिदिन की प्रचालन की समस्याओं का निवारण करने के लिए पर्याप्त उपायों की व्यवस्था करने के लिए इसे बाध्यकारी बनाना चाहिए।
- ङ ङ ङ ङ ङ) दि ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स ने यह निवेदन किया कि भारत सरकार के द्वारा पीयूसी के लिए एकाधिकार स्थिति पैदा करने के लिए एक हथियार के रूप में पाटनरोधी शुल्क का उपयोग करने की किसी विनिर्माता को अनुमति नहीं देनी चाहिए। और हम ऐसी कंपनी/निर्माता/उद्योग की कमी सहायता नहीं करेंगे जो अपनी विनिर्माण/वित्तीय/बने रहने अथवा अन्य समस्याओं के लिए एक कवच के रूप इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।
- च च च च च) टेक्नोवा के द्वारा पाटित आयातों तथा घरेलू बाजार में टेक्नोवा के द्वारा उक्त पाटित आयातों की अनुचित कीमत पर पुनः बिक्री करने के कारण के आईपीएल को घरेलू बाजार में क्षति हो रही है।
- छ छ छ छ छ) आवेदक ने बेल्जियम और अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं (प्रोसेस फ्री प्लेटों) का आयात करने का सहारा लिया है। इसलिए, प्राधिकारी से यह निर्णय कारकों की वजह से है और आयातों तथा कथित क्षति के बीच में कोई कारक लिंक नहीं है।
- (जजजजज) पीयूसी प्रिंटर के लिए एक प्रमुख निविष्टि लागत है। भारत में पीयूसी के बाजार पर टेक्नोवा का प्रभुत्व है जिसके पास कुल भारतीय उत्पादन का 97 प्रतिशत बाजार हिस्सा है। आयातों द्वारा प्रतिस्पर्धी बाधा के बिना टेक्नोवा एकाधिकारी कीमतों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा और उत्पादन या वितरण प्रक्रिया में कोई नवोन्मेषन किए बिना एकाधिकार के लाभ प्राप्त करेगा।
- (झझझझझ) आवेदक भारत में मौजूदा मांग को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए, भारत के बाहर से आयातों को आना होगा। आवेदक संबद्ध वस्तु के सभी प्रकारों का उत्पादन नहीं कर रहा है। वास्तव में उन्होंने अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के विभिन्न प्रकारों का आयात किया है और भारत में बेचा है। यदि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो उसके परिणामस्वरूप आवेदक घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में आसानी से हेरफेर कर सकता है और उसके पास एकाधिकार लाभ अर्जित करने के लिए अतार्किक कीमत लाने की भी अत्यधिक संभावना है।
- (टटटटट) कोरिया सरकार ने अनुरोध किया है कि उनका मत है कि कोरिया के मूल का डीओपीपी इस जांच में कथित क्षति का कारण नहीं है। सबसे अधिक कोरिया से डीओपीपी की सीआईएफ निर्यात कीमत में

क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। याचिका के प्रदर्श 5 में कोरियाई उत्पाद की सीआईएफ इकाई कीमत (भारतीय रूपए/वर्गमीटर) 2016-17 में 187.52 भारतीय रूपए, 2017-18 में 200.64 रूपए और क्षति अवधि के दौरान 202.15 रूपए रही थी। इसके अलावा, कोरिया से आयातों का बाजार हिस्सा पी ओ आई के दौरान 1.92 प्रतिशत रहा था जो बाजार कीमत को प्रभावित करने या घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने की दृष्टि से बहुत कम है। यह अनुरोध किया गया है कि आवेदक को भी इस तथ्य की जानकारी थी कि क्षति एल्यूमीनियम की कीमत में वृद्धि के कारण हुई है, जैसाकि याचिका के पृष्ठ 35 में स्पष्ट उल्लेख है।

- (ठठठठठ) टेक्नोवा का क्षमता उपयोग लगभग 100 प्रतिशत था। आवेदक द्वारा किसी विचलन से आयातों के कारण कोई क्षति होना निराधार है। यह केवल मांग के कारण है कि जिसे घरेलू आपूर्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है और जिसे आयातों के माध्यम से पूरा किया गया है और यह कि आयातों ने घरेलू आपूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है।
- (डडडडड) पीयूसी/शीर्ष के प्रत्येक उप श्रेणी में अनुपातिक हानि या क्षति के किसी प्रदर्शन के अभाव में प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 111 में प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क की राशि स्पष्ट रूप से मनमानी और काफी अधिक है, जिससे टेक्नोवा को आपत्ति जताने वाले मुद्रण उद्योग की कीमत पर अनुचित रूप से लाभ मिलेगा।
- (ढढढढढ) आवेदक कंपनी अन्य उत्पादों से संबंधित विभिन्न बिक्री पश्चात सेवाओं की भी पेशकश कर रही है जिसकी वजह से व्यापक विपणन अवसंरचना सृजित हो गई है। विपणन व्यय और बिक्री पश्चात सेवाओं से संबंधित खर्चों को भी डिजिटल प्लेट की लागत में शामिल किया गया है जबकि कंपनी द्वारा उसके उत्पादों के लिए कोई बिक्री पश्चात सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। इस कारण से भी क्षतिरहित कीमत के निर्धारण में विकृति आई है और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा असत्यापित और असाध्यांकित दावों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित शुल्कों के स्तर का निर्धारण भी प्रभावित हुआ है।
- (णणणणण) आयातों में मामूली वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुपात में थी और ऐसा बड़ी हुई मांग को पूरा करने में आवेदक की विफलता के कारण हुआ था। स्पष्ट रूप से घरेलू मांग में वृद्धि उसी अवधि के दौरान पी यू सी के आयातों में वृद्धि से अधिक रही है जिससे सिद्ध होता है कि आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए आवश्यक थी जो इस तथ्य के कारण है कि टेक्नोवा की क्षमता निरंतर कम हुई है और घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ है। यह वस्तुतः एक एकल मामला सिद्ध करता है कि आयातों में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जैसा प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है।
- (ततततत) आवेदक की एक उत्पादन लाइन के बंद होने और घरेलू उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में कमी के बावजूद पूरी क्षति अवधि और पी ओ आई (ए) के दौरान कर्मचारियों की उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है।
- (थथथथथ) वर्तमान मामला ऐसा मामला है जहां बाजार मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है जबकि टेक्नोवा की उत्पादन क्षमता सतत बनी रही है जिससे आपूर्ति पर मांग का आधिक्य हो गया है। वास्तव में टेक्नोवा ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह निर्बाधीकरण प्रक्रिया के कारण अपनी क्षमताओं का कारगर ढंग से ईष्टतम स्तर पर उपयोग कर पा रहा है। तदनुसार आयात केवल इसलिए हुए हैं, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक स्थानीय मांग को पूरा करने में तत्समय सक्षम नहीं है। आयातों का वास्तविक कारण भी अपनी क्षमता को अधिकतम बनाने में टेक्नोवा की असमर्थता प्रतीत होता है।
- (ददददद) इस बात पर ध्यान दिलाना महत्वपूर्ण है कि विचाराधीन प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए जांच अवधि 1.07.2018-31.03.2019 है जबकि इसी प्राधिकारी ने 23.8.2018 में (केवल 3 महीने पहले) पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया था।
- (धधधधध) शंघाई स्ट्रॉंग एतद्वारा अनुरोध करता है कि यदि भारत सरकार आंख मूद कर डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों के भारतीय उद्योग को संरक्षण प्रदान करती है तो इसके परिणामस्वरूप अंततः

याचिकाकर्ता और इंटरप्राइज ग्रुप के हितों का ही वास्तविक संरक्षण होगा। आवेदक कंपनी डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट उद्योग में अग्रणी बनने के लिए स्थापित की गई थी।

(ननननन) यह देखा जाएगा कि संबंधित कंपनियों के माध्यम से कंपनी द्वारा काफी राशि में व्यय किए गए हैं। इन परिस्थितियों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि इन व्ययों की तर्कसंगतता और वास्तविकता की विस्तार से जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो कि कंपनी द्वारा वहन लागत और खातों में प्रदर्शित लागत उचित हो और निकट संबंध पर आधारित हो। यह अनुरोध किया गया है कि उत्पादन लागत पर कंपनी के दावे इन खातों के आधार पर व्ययों के किसी सत्यापन और उनकी वास्तविकता की जांच किए बिना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए हैं। अतः प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जो असत्यापित दावों पर आधारित हैं, ने क्षति रहित कीमत, सामान्य मूल्य को ज्ञात करने की प्रक्रिया तथा परिणामस्वरूप अलग-अलग निर्यातकों के लिए शुल्कों के निर्धारण को विकृत कर दिया है।

झ. प्राधिकारी के द्वारा जांच :-

72. हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदनों को प्राधिकारी ने नोट किया है और हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदनों पर विधिवत रूप से विचार करने के बाद पाटनरोधी नियमावली अनुसार विभिन्न मानदण्डों की जांच की है।
73. हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के बारे में कि क्षति अवधि में अन्तराल नहीं हो सकता है और क्षति अवधि पूरे एक वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूर्ववर्ती वर्षों के साथ आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए प्राधिकारी ने वार्षिकीकृत शुद्धि आधार पर अप्रैल 2017 से जून 2018 को क्षति अवधि के रूप में अपनाया है। यह प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार है।
74. जांच की अवधि 12 महीने से कम नहीं हो सकती है इस निवेदन के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अधिनियम अथवा पाटनरोधी नियमावली अथवा पाटनरोधी करार में 9 महीने की जांच अवधि वर्जित नहीं होती है। जांच शुरुआत के समय नियमावली में पी ओ आई का कोई उपबंध नहीं था। पी ओ आई संबंधी विशिष्ट प्रावधान केवल फरवरी, 2020 में नियमावली में शामिल किया गया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच की अवधि के बारे में पाटनरोधी कार्यों पर समिति के द्वारा दिनांक 5 मई 2000 को स्वीकार किए गए दिशा- निर्देशों में यह मान्य है कि जांच प्राधिकारी एक मामला विशिष्ट आधार पर उचित पीओआई के बारे में विचार कर सकते हैं जो छः महीने से कम नहीं हो सकती है। वर्तमान जांच में जांच की अवधि 9 महीने की है जो डब्ल्यू टी ओ दिशा – निर्देशों के अनुरूप है। जांच शुरुआत के समय प्राधिकारी ने सबसे हाल की अवधि अर्थात् 1.7.2018 से 31.3.2019 को जांच अवधि के रूप में लिया। इस अवधि को 1.4.2018 से नहीं लिया जा सकता था क्योंकि पूर्ववर्ती पाटनरोधी शुल्क 3 जून, 2018 तक जारी रहा। अतः प्राधिकारी ने 9 महीने की जांच अवधि अपनाई। प्राधिकारी ने अनेक पाटनरोधी जांचों में 12 महीने से कम की जांच अवधि को स्वीकार किया है।
75. कुछ हितबद्ध पक्षों ने एक मुद्दा उठाया है कि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण में आवेदक द्वारा किए गए आयात और बिक्रियों के प्रभाव पर विचार नहीं किया है। इस पहलू पर प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से जांच करना प्रस्तावित है और घरेलू उद्योग द्वारा आयात और उसकी पुनः बिक्री के प्रभाव को आगामी पैराग्राफों में बताया गया है।
76. पाटनरोधी शुल्क हटाने के बाद आवेदक उद्योग के निष्पादन की सही तस्वीर का विश्लेषण करने के लिए कूलिंग ऑफ अवधि के बारे में विचार करना चाहिए, इस निवेदन के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लागू कानूनों के तहत कूलिंग ऑफ अवधि की कोई आवश्यकता नहीं है।

संचयी निर्धारण

77. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के

रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की प्रतिशत 3 (या उससे अधिक) है या यहां अलग-अलग देश से आयात 3 प्रतिशत से कम है, वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात का 7 प्रतिशत से अधिक बनता है; तथा

क. आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :-

क) संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देशों से भारत में पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा आयातों की कुल मात्रा अलग – अलग 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों के निर्यातों से न केवल परस्पर सीधे प्रतिस्पर्धा होती है, अपितु भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग के द्वारा प्रस्तुत की गई समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा होती है।

79. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से घरेलू उद्योग की क्षति का संचयी तौर पर मूल्यांकन करना उचित है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करते समय याचिकाकर्ता के द्वारा पीयूसी के लिए किए गए आयातों को शामिल नहीं किया है। तदनुसार घरेलू उद्योग को क्षति स्वयं आरोपित है, इस बारे में कुछ हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा दावों के बारे में लिखा गया है क्योंकि याचिकाकर्ता के द्वारा पीयूसी के लिए किए गए आयातों को समाप्त कर देने के बाद ही क्षति विश्लेषण किया गया है।

80. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।

81. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में प्रकटन विवरण में की गई टिप्पणियों सहित जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदनों की प्राधिकारी के द्वारा प्रासंगिक समझी गई सीमा तक जांच और निम्नानुसार समाधान किया गया है :

छ. 2. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

मांग आकलन / स्पष्ट उपभोग

82. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारतीय उत्पादकों की सकल घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में भारत में उत्पाद की वर्तमान जांच, मांग या स्पष्ट खपत के उद्देश्य से प्राधिकारी ने विचार किया है। क्षति की जांच की अवधि और जांच की अवधि के दौरान मांग के आकलन में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

विवरण	इकाई	2015-	2016-	2017-	अप्रैल-	अप्रैल 17-	जुलाई 2018-	जुलाई 2018-
-------	------	-------	-------	-------	---------	------------	-------------	-------------

		16	17	18	जून 2018	जून 18 (ए)	मार्च 2019 – पीओआई	मार्च 2019 - पीओआई (ए)
आवेदकों की घरेलू बिक्री	मिलियन एस क्यू म	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	117	30	117	85	114
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री *	मिलियन एस क्यू म	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	110	27	110	82	110
आवेदकों के आयातों को छोड़कर संबद्ध देशों से आयात	मिलियन एस क्यू म	8.003	9.119	11.804	4.152	12.765	12.239	16.318
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	147	52	159	153	204
अन्य देशों से आयात	मिलियन एस क्यू म	4.796	2.240	1.392	0.826	1.774	0.994	1.325
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	47	29	17	37	21	28
संबद्ध देशों से आवेदकों का आयात	मिलियन एस क्यू म	-	-	-	-	-	0.761	1.015
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	-	100	133
कुल मांग	मिलियन एस क्यू म	38.255	38.523	42.863	12.591	44.363	35.734	47.645
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	112	33	116	93	125

* आवेदक द्वारा प्रदान की गई अनुमानित मात्रा के आधार पर अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री मात्रा पर विचार किया गया है।

83. जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, जांच की अवधि (क) के दौरान संबद्ध देशों से पाटित किया गया आयात काफी बढ़ गया है। याचिकाकर्ता संबद्ध देशों से पाटित आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा के कारण मांग में वृद्धि के अनुरूप संबंधित उत्पाद की बिक्री में वृद्धि नहीं कर पाया है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 2015-16 से जांच की अवधि (क) तक संबंधित उत्पाद की मांग 25 सूचीबद्ध बिंदुओं तक बढ़ गई, जबकि याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री में केवल 14 सूचीबद्ध बिंदुओं तक की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा में 8.32 मिलियन एसक्यूएम या 104 अनुक्रमित सूचीबद्ध बिंदुओं की वृद्धि हुई। मांग में लगभग सम्पूर्ण वृद्धि पर संबद्ध देशों से हुए आयातों ने कब्जा कर लिया है।

संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

84. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में या तो पूर्ण रूप से या उत्पादन के अनुसार संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-जून 2018	अप्रैल 17- जून 18 (क)	जुलाई 2018- मार्च 2019 - जांच की अवधि	जुलाई 2018- मार्च 2019 - जांच की अवधि (क)
संबद्ध देशों से आयात								
चीन जन. गण.	मिलियन एस क्यू म	7.731	7.302	7.609	2.120	7.783	9.611	12.815
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	98	27	101	124	166
जापान	मिलियन एस क्यू म	0.041	1.100	1.224	0.253	1.182	0.824	1.098
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	2687	2990	618	2887	2012	2682
कोरिया आर पी	मिलियन एस क्यू म	0.000	0.385	0.902	0.660	1.250	0.708	0.945
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध		100	235	172	325	184	245
ताइवान	मिलियन एस क्यू म	0.138	0.264	1.067	0.464	1.225	0.435	0.580
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	191	771	335	884	314	419
वियतनाम	मिलियन एस क्यू म	0.093	0.068	1.001	0.655	1.325	0.661	0.881
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	1080	706	1429	713	950
संबद्ध देशों से कुल आयात	मिलियन एस क्यू म	8.003	9.119	11.804	4.152	12.765	12.239	16.318
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	147	52	159	153	204
अन्य देशों से आयात	मिलियन एस क्यू म	4.796	2.240	1.392	0.826	1.774	0.994	1.325
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	47	29	17	37	21	28
अन्य देशों से याचिकाकर्ता का आयात	मिलियन एस क्यू म	-	-	-	-	-	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	-	100	133
कुल आयात	मिलियन एस क्यू म	12.800	11.359	13.196	4.978	14.539	13.993	18.658
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	103	39	114	109	146

85. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात 2015-16 में 8.003 मिलियन एसक्यूएम से निरपेक्ष रूप से बढ़कर जांच अवधि (क) के दौरान 16.318 मिलियन एसक्यूएम हो गया है।

सापेक्ष रूप में संबद्ध देशों से आयात

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-जून 2018	अप्रैल 17- जून 18 (क)	जुलाई 2018- मार्च 2019 - जांच की अवधि	जुलाई 2018- मार्च 2019 - जांच की अवधि (क)
आवेदकों के कुल उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से	%	***	***	***	***	***	***	***

पाटित आयात								
रेंज	%	25-35	25-35	35-45	45-55	35-45	45-55	45-55
भारत में मांग की तुलना में संबद्ध देशों से पाटित आयात	%	21%	24%	28%	33%	29%	34%	34%
रेंज	%	15-25	15-25	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35

86. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष और पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष में जांच अवधि (क) में उत्पादन और मांग के संबंध में सम्बंधित पाटित आयातों में बढ़ोतरी हुई है। संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में 2015-16 में आवेदक के उत्पादन के संबंध में 25-35% से बढ़कर जांच अवधि (क) में 45-55% की वृद्धि हुई है और भारत में खपत के संबंध में 2015-16 में 15-25% से बढ़कर जांच अवधि (क) में 25-35% हो गया है।

मांग में बाजार हिस्सा

87. प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच अवधि (क) में संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ गया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के बावजूद आवेदक को जांच अवधि (क) में बाजार में हिस्सेदारी गंवानी पड़ी।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-जून 2018	अप्रैल 17- जून 18 (क)	जुलाई 2018-मार्च 2019 - जांच की अवधि	जुलाई 2018-मार्च 2019 - जांच की अवधि (क)
आवेदकों की घरेलू बिक्री	मिलियन एसक्यूएम	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	117	30	117	85	114
उत्पादकों की घरेलू बिक्री	मिलियन एसक्यूएम	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	110	27	110	82	110
संबद्ध देशों से आयात	मिलियन एसक्यूएम	8.003	9.119	11.804	4.152	12.765	12.239	16.318
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	147	52	159	153	204
अन्य देशों से आयात	मिलियन एसक्यूएम	4.796	2.240	1.392	0.826	1.774	0.994	1.325
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	47	29	17	37	21	28
यचिकाकर्ताओं द्वारा आयात	मिलियन एसक्यूएम	-	-	-	-	-	0.761	1.015
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	-	100	133
आवेदकों द्वारा संबद्ध देशों से आयातित घरेलू बिक्री	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	117	30	117	89	118

कुल मांग	मिलियन एसक्यूएम	38.255	38.523	42.863	12.591	44.363	35.734	47.645
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	112	33	116	93	125
याचिकाकर्ता का हिस्सा	%	***	***	***	***	***	***	***
रेंज	%	60-70	60-70	60-70	50-60	60-70	50-60	50-60
संबद्ध देशों से याचिकाकर्ता के आयात का हिस्सा	%	-	-	-	-	-	***	***
रेंज	%						0-10	0-10
आवेदकों के आयात सहित आवेदकों का कुल हिस्सा	%	***	***	***	***	***	***	***
रेंज	%	60-70	60-70	60-70	50-60	60-70	60-70	60-70
अन्य उत्पादकों का हिस्सा	***	***	***	***	***	***	***	***
रेंज	%	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
संबद्ध देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***	***	***	***
रेंज	%	20-30	20-30	20-30	30-40	20-30	30-40	30-40
अन्य देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***	***	***	***
रेंज	%	10-20	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10

जैसा उपयुक्त तालिका से नोट किया जा सकता है, आवेदक के बाजार हिस्से में 2016-17 से जांच अवधि (क) के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों पर विचार करने के बाद भी गिरावट आई है।

छ.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

88. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में इसी तरह के उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित किए गए आयात कीमतों में काफी कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य के लिए, उत्पादन की लागत, शुद्ध बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और घरेलू उद्योग के क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गयी है।

कीमत कटौती

89. कीमत कटौती विश्लेषण के उद्देश्य के लिए, घरेलू उद्योग के निवल विक्रय कीमत की तुलना संबद्ध देशों से

पाटित आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है। घरेलू उद्योग के निवल विक्रय मूल्य की गणना करते समय, सभी करों, छूट, रियायत और कमीशन में कटौती की गई है और कारखाना के बाहर स्तर पर बिक्री की प्राप्ति को पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना के लिए निर्धारित किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती का प्रभाव निम्नानुसार पड़ा है:

कीमत कटौती	इकाई	चीन पी आर	जापान	कोरिया आर पी	ताइवान	वियतनाम
निवल बिक्री वसूली	आई एन आर /एस क्यू एम्	***	***	***	***	***
पहुंच मूल्य (एल वी)	आई एन आर /एस क्यू एम्	224.67	249.58	201.14	204.80	210.68
कीमत कटौती	आई एन आर /एस क्यू एम्	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	एलवी का %	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज %	10-20%	0-10%	30-40%	30-40%	20-30%

90. पूर्वोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से आयात आवेदक की घरेलू बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर हो रहा है। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान कीमतों में कटौती होना संबद्ध देशों के लिए सकारात्मक है।

कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

91. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में कमी आ रही है और क्या इस तरह के आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करने या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती, क्षति अवधि में लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना निम्नानुसार की गई थी:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-जून 2018	अप्रैल 17- जून 18 (क)	जुलाई 2018- मार्च 2019 - जांच की अवधि	जुलाई 2018- मार्च 2019 - जांच की अवधि (क)
बिक्री की लागत	आर/एस क्यू एम्	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	98	99	98	102	102
बिक्री की कीमत	रू./मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	98	98	98	98	98
पहुंच कीमत	रू./एसक्यूएम	253.68	244.65	231.31	222.58	229.06	225.32	225.32
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	91	88	90	88	88

92. उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत की तुलना में संबद्ध देशों से आयात कम कीमतों पर हो रहा था। इसने घरेलू उद्योग को जांच अवधि (क) के दौरान अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर कर दिया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को बिक्री की लागत से नीचे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है।

कम कीमत पर बिक्री

93. घरेलू उद्योग का क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित किया गया है और संबद्ध माल की पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है ताकि कम कीमत पर बिक्री का स्तर निर्धारण किया जा सके। विचाराधीन उत्पाद का एनआईपी नियमों के अनुबंध III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी / डेटा को अपनाकर निर्धारित किया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की गैर-हानिकारक कीमत से कम था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है, जो सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री के प्रभाव को रेखांकित करता है:

विवरण	इकाई	चीन जन.गण.	जापान	कोरिया गण.	ताइवान	वियतनाम
क्षतिरहितकीमत	आईएनआर /एसक्यूएम	***	***	***	***	***
पहुंच मूल्य	आईएनआर /एसक्यूएम	224.67	249.58	201.14	204.80	210.68
क्षति मार्जिन	आईएनआर /एसक्यूएम	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन %	%	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	% रेंज	0-20%	0-20%	20-40%	20-40%	20-40%

94. उपर्युक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि भारत में आयात क्षतिरहित कीमत की तुलना में बहुत कम कीमत पर हो रहा है। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कम कीमत पर बिक्री मूल्य सकारात्मक और काफी महत्वपूर्ण है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

95. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादकों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।
96. प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति के मापदंडों की निष्पक्ष रूप से जांच की है, जो इच्छुक पार्टियों द्वारा अपने अनुरोध में किया गया है।

उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

97. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं: -

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-जून 2018	अप्रैल 17-जून 18 (क)	जुलाई 2018-मार्च 2019 - जांच की अवधि	जुलाई 2018-मार्च 2019 - जांच की अवधि (क)
क्षमता	मिलियन एसक्यूएम	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	92	21	90	63	83
कुल उत्पादन	मिलियन एसक्यूएम	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	101	27	102	83	110
क्षमता उपयोग	%	89%	89%	98%	113%	100%	117%	117%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	110	127	113	132	132
पीयूसी का उत्पादन	मिलियन एसक्यूएम	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	109	29	110	87	116
घरेलू बिक्री - पीयूसी	मिलियन एसक्यूएम	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	117	30	117	85	114
निर्यात बिक्री- पीयूसी	मिलियन एसक्यूएम	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	92	28	96	64	86
कुल बिक्री - पीयूसी	मिलियन एसक्यूएम	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	115	30	116	84	112

98. आवेदक की क्षमता, उत्पादन और क्षमता का उपयोग एक सकारात्मक प्रवृत्ति में है, लेकिन अभी भी आवेदक संबंधित उत्पाद की मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप बिक्री को बढ़ाने में सक्षम नहीं हुआ है, क्योंकि मांग में वृद्धि के कारण संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयात की मात्रा काफी अधिक है।

लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

99. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ, नीचे दी गई तालिका में दिया गया है: -

उत्पादन	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-जून 2018	अप्रैल 17-जून 18 (ए)	जुलाई 2018-मार्च 2019 - पीओआई	जुलाई 2018-मार्च 2019 - पीओआई (ए)
घरेलू बिक्री में लाभ %	%	***	***	***	***	***	***	***
लाभ में परिवर्तन %	%	-	-1.29%	2.17%	-2.04%	1.62%	-3.71%	-3.71%
संबद्ध देशों से आयातित वस्तु की व्यापार बिक्री को छोड़कर व्याज और कर पूर्व लाभ	लाख में आईएनआर	***	***	***	***	***	***	***

उत्पादन	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-जून 2018	अप्रैल 17- जून 18 (ए)	जुलाई 2018-मार्च 2019 - पीओआई	जुलाई 2018-मार्च 2019 - पीओआई (ए)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	112	13	100	14	18
संबद्ध देशों से आयातित वस्तु की व्यापार बिक्री को छोड़कर व्याज और कर पूर्व लाभ	आईएनआर /एसक्यूएम	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	96	44	85	16	16
संबद्ध देशों से आयातित वस्तु की व्यापार बिक्री को छोड़कर व्याज और कर पूर्व लाभ	लाख में आईएनआर	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	112	13	100	18	21
संबद्ध देशों से आयातित वस्तु की व्यापार बिक्री को छोड़कर व्याज और कर पूर्व लाभ	आईएनआर /एसक्यूएम	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	96	44	85	18	18
नकद लाभ (हानि)	आईएनआर /एसक्यूएम	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	115	67	105	22	22
नकद लाभ (हानि)	लाख में आईएनआर	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	134	20	123	19	25
नियोजित पूंजी	लाख में आईएनआर	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	93	91	91	103	103
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	123	62	115	15	15

100. उपरोक्त तालिका से, यह नोट किया जाता है कि:

- क) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा गहन पाटन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। जांच अवधि (क) के दौरान घरेलू उद्योग के व्याज और कर (पीवीआईटी) से पहले लाभ में काफी गिरावट आई है। 2015-16 में 100 सूचीबद्ध अंकों के पीवीआईटी से जांच अवधि (क) के दौरान पीवीआईटी 15 अनुक्रमित बिंदुओं में काफी कम हो गया है।

- ख) संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के व्यापार से लाभ को समायोजित करने के बाद भी लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है, जैसा कि बिन्दु-क से देखा जा सकता है, 2015-16 में 100 सूचीबद्ध अंकों के पीबीआईटी से जांच अवधि (क) के दौरान पीबीआईटी 18 अनुक्रमित बिंदुओं में काफी कम हो गया है।
- ग) इसी प्रकार, घरेलू उद्योग के नकद लाभ में भारी गिरावट आई है। 2015-16 में 100 सूचीबद्ध अंकों के नकद लाभ से पीओआई-क के दौरान यह घटकर 22 सूचीबद्ध बिन्दु रह गया है।
- घ) जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय 2015-16 में 100 सूचीबद्ध अंकों से जांच_अवधि (क) में 15 सूचीबद्ध बिंदुओं तक काफी कम हो गयी है।

रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

101. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे सरणी में दी गयी है-

उत्पादन	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-जून 2018	अप्रैल 17- जून 18 (ए)	जुलाई 2018-मार्च 2019 - पीओआई	जुलाई 2018-मार्च 2019 - पीओआई (ए)
रोजगार	व्यक्ति	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	81	76	81	76	76
मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	106	29	108	78	104
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मिलियन वर्ग मीटर	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	125	140	125	144	144

102. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का रोजगार सम्पूर्ण क्षति अवधि और जांच की अवधि (क) के दौरान कम हो गया है।

(घ) मालसूची

103. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के पास माल सूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-जून, 2018	अप्रैल 17- जून 18 (क)	पीओआई
मालसूची	मिलियन वर्ग मी. में	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	89	87	87	148

104. यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग के साथ मालसूची जाँच अवधि के दौरान 148 सूचीबद्ध बिंदुओं तक बढ़ गई है, जबकि 2015-16 में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं तक थी। बढ़ते आयात के कारण, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में कमी आई है और बढ़ी हुई मांग को पाटित किए गए आयातों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग में माल सूची काफी बढ़ गई है।

वृद्धि

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बिक्री, लाभ, निवेश पर आय के साथ घरेलू उद्योग की वृद्धि पीओआई जांच की अवधि (क) के दौरान कम और नकारात्मक रही है जैसा नीचे तालिका से देखा जा सकता है :

विवरण (वर्ष दर वर्ष)	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल 17- जून 18 (क)	पीओआई (क)
याचिकाकर्ता उत्पादन		4%	4%	1%	5%
क्षमता उपयोग		-	10%	3%	16%
घरेलू बिक्री		7%	9%	1%	-3%
पीबीआईटी (लाख रूपए में)		-12%	12%	0%	-82%
निवेश पर आय		-8%	23%	15%	-84%

पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि देश में उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने संयंत्र और मशीनरी में महत्वपूर्ण निवेश किया है। हालांकि, इन निवेशों के बावजूद, घरेलू उद्योग का प्रदर्शन काफी खराब हो गया है, और आगे के निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

107. संबद्ध देशों से आयात की कीमतों की जांच, लागत संरचना में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयात के अलावा अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं, आदि से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से कम है, जिससे भारतीय बाजार में कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री काफी हो जाती है। यह भी नोट किया जाता है कि जाँच अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता था। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का किया गया पाटित आयात है।

क्षति और क्षति के मार्जिन का परिमाण

108. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुलग्नक III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमतें निर्धारित की हैं। विचाराधीन उत्पाद का एनआईपी जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी / डेटा को अपनाकर निर्धारित किया गया है। घरेलू उद्योग की गैर-हानिकारक कीमत निकाली गयी है और इसकी तुलना क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों के प्रत्येक उत्पादकों / निर्यातकों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर “सभी अन्य” दर निर्धारित की गई है।

क्र.सं.	देश	उत्पादक	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
			(%)	(Range)
1	चीन जन.गण.	लक्की हुआगुआंग ग्राफिक्स कं. लि.	***	20-40
2	चीन जन.गण.	कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशन कं. लि.	negative	
3	चीन जन.गण.	शंघाई स्ट्रोंग स्टेट प्रिंटिंग एक्विपमेंट लिमिटेड	***	20-40

4	चीन जन.गण.	फ्यूजी फिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कं. लि.	Negative	
5	चीन जन.गण.	अन्य सभी	Highest	
6	कोरिया गण.	जेडल सी एंड पी कं. लि.	***	0-20
7	कोरिया गण.	अन्य सभी	Highest	
8	जापान	फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन	***	0-20
9	जापान	अन्य सभी	Highest	
10	ताइवान	अन्य	***	0-20
11	वियतनाम	अन्य	***	20-40

ज. गैर आरोपण विश्लेषण

109. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं ज्ञात कारकों की जांच करनी होती है, जिनसे उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में जो कारक संगत हो सकते हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गये आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सकते हैं।

तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

110. संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयात मात्रा की दृष्टि से काफी नहीं है, जोकि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाए अथवा क्षति का खतरा पैदा करे। अन्य देशों से आयात कुल आयातों में 8 प्रतिशत से कम है और भारत में कुल मांग और खपत के तीन प्रतिशत से कम है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति हो रही है। साथ ही गैर संबद्ध देशों से कीमतें संबद्ध देशों की कीमतों से अधिक हैं।

निर्यात निष्पादन

111. प्राधिकारी ने अपनी क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के लिए आंकड़ों पर विचार किया है।

प्रौद्योगिकी का विकास

112. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी डिजिटल प्लेटों के कतिपय प्रकारों संबंधी अनुरोध किए हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं होती हैं। जिन पर विचाराधीन उत्पाद में समुचित रूप से ध्यान दिया गया है।

कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण प्रतीत नहीं होता।

व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

114. संबद्ध सामानों का आयात किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं है और वह देश में स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। यह बताने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ है।

मांग में संकुचन और खपत पैटर्न में परिवर्तन

115. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों की मांग पूरी क्षति अवधि में निरंतर बढ़ी है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग संकुचन के कारण नहीं हुई थी।

ट. क्षति संबंधी निष्कर्ष एवं कारणात्मक संबंध

116. पूर्वोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए अधिकारी का निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

- क) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों में जांच की पूरी अवधि में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।
- ख) संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत में क्षति की अवधि में और जांच की अवधि (क) में काफी गिरावट आई है।
- ग) संबद्ध सामानों के आयात भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में बढ़े हैं।
- घ) भारत में आने वाले कम कीमत के पाटित आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास हुआ है।
- ङ) घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2015-16 से जांच की अवधि तक कम हुआ है, यहां तक कि यद्यपि संबद्ध सामानों के लिए मांग उसी अवधि के दौरान बढ़ी है। यह इस कारण है कि आयातों ने मांग में वृद्धि पर आक्रमक रूप से कब्जा कर लिया है।
- च) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय अत्यधिक प्रभावित हुई है।
- छ) जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है और काफी अधिक है।

ठ. प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियाँ

ठ.1 घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

- क) प्रसंस्करण रहित प्लेट और प्रसंस्करण मुक्त प्लेट, जैसा कि कोडेक ने तर्क दिया है, उसके विपरीत बिल्कुल नहीं हैं। दोनों ही प्लेटों में विकास की अवस्था में किसी रासायनिक प्रसंस्करण की जरूरत नहीं होती जो कि विभिन्न प्रकार की प्लेटों में अन्यथा आवश्यक होती है। यहाँ तक कि यदि रासायनिक निर्माण और उत्पादन प्रक्रिया में कोई अन्तर होता है तो भी दोनों प्लेटों के लिए गुणों और अन्तिम उपयोग में कोई बदलाव नहीं होता। यद्यपि याचिकाकर्ता इसे प्रसंस्करण रहित प्लेटों के नाम से बाजार में बेचते हैं जबकि कुछ अन्य निर्माता इसे प्रसंस्करण मुक्त प्लेटों के नाम से बेचते हैं।
- ख) किसी भी घरेलू ग्राहक ने जांच की अवधि के दौरान डबल लेयर सीटीसीपी प्लेटों के लिए याचिकाकर्ता को कोई अनुरोध और कोई आदेश नहीं भेजा है। प्रयोक्ताओं के लिए डबल लेयर सीटीसीपी प्लेटें वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य होगी क्योंकि सीटीसीपी प्लेटों का अधिकांश उपयोग छोटे प्रिंट जॉब के लिए होता है, जिसकी सिंगल लेयर सीटीसीपी प्लेटों (अर्थात् परम्परागत सीटीसीपी प्लेटों) से पूर्ति की जा सकती है।
- ग) जल रहित सीटीपी प्लेटों का निष्कासन प्रारंभिक जांच परिणामों की तरह टोरे इंडस्ट्रीज तक सीमित होना चाहिए। यदि टोरे इंडस्ट्रीज तक निष्पादन को सीमित नहीं रखा गया तो जैसा कि विगत में अनुभव रहा है, बड़े पैमाने पर पाटनरोधी शुल्क उपाय की संभावना है।

- घ) हितबद्ध पक्षकारों ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए गोपनीयता अथवा कमियों के मुद्दे का समाधान नहीं किया है और तदनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल किए गए उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- ङ) प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण में याचिकाकर्ता की कतिपय गोपनीय सूचना प्रकट की है और इसे अन्तिम जांच परिणामों में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। यद्यपि याचिकाकर्ता का यह मानना है कि उपरोक्त सूचना का प्रकटीकरण होने से पहले ही अपूरणीय क्षति हो चुकी है, प्राधिकारी को ऐसे प्रकटीकरण होने के कारण हुई क्षति को कम करने के लिए कम से कम आवश्यक कदम तो उठाने चाहिए।
- च) प्रत्येक प्रकार के उत्पाद के लिए अलग-अलग शुल्क प्रदान करने के लिए कानून में कोई अपेक्षा नहीं है। अपील बॉडी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह सुझाव दिया गया है कि पूरे विचाराधीन उत्पाद के लिए ही पाटन मार्जिन का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है और इसके परिणामस्वरूप पूरे विचाराधीन उत्पाद के लिए शुल्क का भी निर्धारण किए जाने की जरूरत है। प्राधिकारी को पूरे विचाराधीन उत्पादन के लिए एक ही निर्धारित शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए ताकि पाटनरोधी शुल्क की गलत बयानी और धोखाधड़ी को हतोत्साहित किया जा सके जैसाकि अनंतिम जांच परिणामों में पुष्टि की गई थी।
- छ) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह स्पष्ट करें कि क्या याचिकाकर्ता की सूचना पर निर्मित सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से विचार किया गया है। यदि ऐसा है तो याचिकाकर्ता से सामान्य मूल्य की गणना का गोपनीय अंश रोककर रखने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रयोग किए जा रहे आंकड़े या तो सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय कीमत संबंधी आंकड़े हैं या याचिकाकर्ता की सूचना है।
- ज) प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया निर्मित सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से विचार किए गए तर्कसंगत लाभ मार्जिन को स्पष्ट करें। यदि प्राधिकारी ने प्राधिकारी की प्रथा के अनुसार 5% तर्कसंगत लाभ मार्जिन पर विचार किया है तो अनुरोध है कि संबंधित उत्पादक/निर्यातक के वास्तविक लाभ मार्जिन पर विचार किया जाए, यदि ऐसा उत्पादक/निर्यातक 5% से अधिक का लाभ अर्जित कर रहा हो क्योंकि यह रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना है।
- झ) निर्मित सामान्य मूल्य को, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, एल्यूमिनियम कीमतों संबंधी डाटा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- ञ) फ्यूजी फिल्म जापान ने पूरी मूल्य श्रृंखला के लिए आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं और विशेषरूप से घरेलू बिक्रियों के संबंध में कतिपय सूचना नहीं दी गई है और इसीलिए इसे गैर-सहयोगी के रूप में माना जाना चाहिए।
- ट) असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों को डीजीसीआईएस डाटा से न्यूनतम कीमत के सौदों के आधार पर सर्वाधिक संभव मार्जिन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि जांच में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके और असहयोगी उत्पादकों को कोई भी अनुचित लाभ होने से बचा जा सके।
- ठ) “लक्की और कोडेक” “संबद्ध संस्थाएं” नहीं हैं और इसीलिए उन्हें पाटनरोधी शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन से एक साथ मिलाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लक्की ने एक परिसम्पत्ति की बिक्री के माध्यम से कोडेक के संयंत्र की खरीद की है।
- ड) कोडेक द्वारा लक्की को अपने संयंत्र की बिक्री जांच की अवधि के बाद की कार्रवाई है और प्राधिकारी को तथ्यों के आधार पर पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करना अपेक्षित है क्योंकि वे जांच की अवधि के दौरान मौजूद थे।
- ढ) याचिकाकर्ता प्राधिकारी की टिप्पणियों और क्षति का कारणात्मक संबंध के निर्धारण के संबंध में निष्कर्षों से सहमत है और प्राधिकारी से अनुरोध है कि अन्तिम जांच परिणामों में इसी पुष्टि की जाए।
- ण) एनआईपी की गणना में कुछ गलतियाँ प्रतीत होती हैं। प्राधिकारी ने एनआईपी की गणना करते समय “अन्य प्रचालन आय” का समायोजन किया है। अन्य प्रचालन आय में वार्षिक रख-रखाव संविदा क्लिक चार्ज क्रियाकलाप शामिल हैं, जो कि विशेष रूप से व्यापार प्रभाग से संबंधित हैं न कि पूर्णतया संबंधित

उत्पाद से संबंधित हैं। तदनुसार, ये आय संबंधित उत्पाद के लिए नियत न की जाए। प्राधिकारी से अनुरोध है कि अंतिम जांच परिणामों में इस गलती को सुधारा जाए।

8.2 निर्यातकों की टिप्पणियाँ

117. मै० फ्यूजीफिल्म कारपोरेशन की टिप्पणियाँ

क. कोडेक और लक्की को अलग-अलग शुल्क प्रदान न किए जाएं: हम प्राधिकारी के आभारी हैं कि उन्होंने लक्की और कोडेक के बीच सहयोग के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए मामले पर विचार किया और प्रकटीकरण विवरण के पैरा 33(ख) में अधिग्रहण के संबंध में लक्की की स्वीकार्यता पर विचार किया। यह उल्लेखनीय है कि कोडेक का डीओपीपी प्लेटों के लिए चीन में कोई निर्माण आधार नहीं है। वर्तमान प्रकटीकरण विवरण में लक्की के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जित कोडेक से अधिक है। हमारी आशंका यह है कि कोडेक और लक्की के लिए अधिग्रहण के बावजूद (और इस तथ्य को देखते हुए कि कोडेक का चीन में कोई निर्माण आधार नहीं है) अलग-अलग शुल्क मार्जिन प्रदान किए जाने से लक्की को अनुचित फायदा होगा क्योंकि वो बिना कोई शुल्क दिए अथवा कम शुल्क देकर भारत में कोडेक के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के लिए अपने निर्यातों को आसानी से कर सकेंगे। इस प्रकार इस संभव तरीके पर नज़र रखने की दृष्टि से प्रतिवादियों का प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि दोनों ही कंपनियों को प्रदान किए गए व्यक्तिगत मार्जिन पर पुनर्विचार किया जाए क्योंकि कोडेक अब चीन में आगे निर्माण नहीं करेगा।

ख. टैक्रोवा द्वारा एजीएफए को किए गए रॉयल्टी भुगतान पर एनआईपी के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाए: प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण के पैरा 118 (छ) में यह नोट किया है कि टैक्रोवा द्वारा एजीएफए को किए गए रॉयल्टी के भुगतान की पूर्ण राशि एनआईपी के भुगतान की पूर्ण राशि एनआईपी का निर्धारण करते समय अनुमत्य की गई है। नियमावली के अनुलग्नक III पैरा 4(VII) (ड.) के तहत एनआईपी के निर्धारण के लिए रॉयल्टी को एक नियम के रूप में शामिल करने की अनुमति नहीं है लेकिन एक अपवाद के रूप में शामिल है अर्थात् जब उत्पाद की तकनीकी जानकारी के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान किया गया हो। चूंकि पाटनरोधी नियमावली के संगत प्रावधानों में “रॉयल्टी” और “तकनीकी जानकारी” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तो सामान्य उच्चारण और अन्य संगत कानूनों (इनका विस्तृत अनुरोध में उल्लेख किया गया है) का हवाला दिया गया है। इसके अलावा, सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 10(1) (ग) के संदर्भ में वर्तमान रॉयल्टी दोनों शर्तें ‘आयातित वस्तुओं से संबंधित’ और ‘आयातित वस्तुओं की बिक्री की शर्त’ पूरी नहीं है।

विस्तृत विधिशास्त्र (विस्तृत अनुरोध के अनुसार) को देखते हुए यह कहना है कि इन रॉयल्टी भुगतानों पर निम्नलिखित कारणों से पाटनरोधी नियमावली के प्रयोजन से रॉयल्टी के रूप में विचार नहीं किया जा सकता और तदनुसार, यह अनुरोध है कि प्राधिकारी को अन्तिम सिफारिश जारी करने से पूर्व सभी तथ्यों की विस्तार से जांच करने के बाद एनआईपी के निर्धारण के लिए रॉयल्टी भुगतान की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

- रॉयल्टी भुगतान निर्माण के बाद की विपणन सहायता के लिए किया गया है। क्षेत्र में अतिरिक्त बिक्री माध्यमों की तलाश करने में सहायता प्रदान कर देने मात्र से ही आपूर्तिकर्ता को तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक ज्ञान, कौशल का अनुभव प्रदान करने के रूप में नहीं माना जा सकता।
- क्षेत्र (सार्क देश) में अतिरिक्त बिक्री माध्यमों की तलाश करने में सहायता प्रदान करने के लिए भुगतान की गई रॉयल्टी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत और उचित कीमत प्राप्त करने के लिए योगदान नहीं माना जा सकता।

ग. पहुंच मूल्य के निर्धारण के लिए वास्तविक हैंडलिंग चार्ज को शामिल करना: प्राधिकारी ने प्रकटीकरण के विपरीत, हैंडलिंग चार्ज पर विचार किए बिना पहुंच मूल्य का निर्धारण करने का प्रस्ताव किया है। ऐसा सभी

आयातकों के लिए विधिसम्मत है, जिन्होंने एनआईपी और क्षतिमार्जित की गणना की तुलना के प्रयोजन से हैंडलिंग चार्ज की लागत वहन की है। मैसर्स विप्रो लि. बनाम सीमाशुल्क सहायक कलेक्टर मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कि यह पाया गया था कि वस्तुओं के मूल्य में जोड़े जाने वाले पहुंच प्रभार, किए गए वास्तविक प्रभारों पर आधारित होने चाहिए न कि 1% के नोशनल आधार पर, जैसा कि नियमों में प्रदान किया गया है। अपीलकर्ता का मुख्य मत यह था कि वस्तुओं के मूल्य के बोर्ड मूल्य पर एक प्रतिशत जोड़कर हैंडलिंग चार्ज का नोशनल आधार पर निर्धारण करना, चाहे वस्तुओं की प्रकृति, कार्गो का साइज कुछ भी हो, कुल हैंडलिंग चार्ज के लिए पूर्णतया असंगत था, यहां तक कि जब ऐसे वास्तविक हैंडलिंग चार्ज का पता लगाया जा सके, तब भी। हमारा यह अनुरोध है कि कानून का अभिप्राय यह था कि जहाँ कहीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं की वास्तविक लागत उपलब्ध है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। केवल वास्तविक लागत के अभाव में ही मानी गई लागत अपनाई जानी चाहिए थी।

यहाँ तक कि एनआईपी में ऐसे विभिन्न व्ययों को शामिल किया जाता है, जो कि उत्पादन की सुविधा से आपूर्ति के लिए तैयार उत्पाद बनाने में किए जाते हैं। वर्तमान मामले में, एफएफआईएन वस्तुओं को भारत में घरेलू खपत के लिए भेजने से पूर्व विभिन्न व्यय करता है। इन व्ययों में शिपिंग लाइन चार्ज, और कंटेनर मालभाड़ा स्टेशन (अर्थात् बंदरगाह पर नियंत्रित तापमान में डिजिटल प्लेटों के भंडारण के लिए किया गया व्यय) शामिल है। यह व्यय डिस्चार्ज पोर्ट पर किए जा रहे हैं और केवल ऐसे चार्ज हैं, जो आयात स्थल “तक” वस्तुओं को पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। ये व्यय यहां तक कि सितम्बर, 2017 में कानून में संशोधन होने के बाद भी समान रूप से किए जा रहे हैं। इस प्रकार, हमारा प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया पहुंच मूल्य में विचार करने के लिए एफएफआईएन द्वारा वहन किए गए आयात स्थल पर वस्तुओं को पहुंचाने से संबद्ध वास्तविक हैंडलिंग चार्ज पर विचार करें।

कोविड लॉकडाउन के चलते हम जॉच की अवधि के लिए वास्तविक प्रभारों का पता लगाने में असमर्थ हैं, तथापि, हमने दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक की अवधि के वास्तविक प्रभारों के लिए शिपिंग लाइन चार्ज और कंटेनर मालभाड़ा चार्ज का पता लगाया है। आकलन योग्य मूल्य की प्रतिशतता के रूप में यह प्रभार जापान से आयातों के मामले में *** प्रतिशत और चीन से आयातों के मामले में *** प्रतिशत के समान हैं। हमारे विचार में, इन प्रभारों का पता लगाने के लिए उपरोक्त विचार की गई अवधि उचित प्रतिनिधित्व है और इसे वर्तमान जांच में पहुंच मूल्य निकालने के प्रयोजन के लिए तर्कसंगत माना जाना चाहिए। अतः हमारा अनुरोध है कि कृपया पहुंच मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए इन वास्तविक प्रभारों पर विचार किया जाए।

घ. एफएफआईएन विचाराधीन उत्पाद को ऐसी कीमत पर भारतीय बाजार में बेच रहा है जो घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत से अधिक है: एफएफआईएन संबद्ध वस्तुओं को ऐसी कीमत पर भारतीय बाजार में बेच रहा है, जो कि घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत से अधिक है। इसके ब्यौरे प्राधिकारी को पहले ही भेजे जा चुके हैं। एफएफआईएन द्वारा विचाराधीन उत्पाद का आयात चीन जन.गण. और जापान से किया जा रहा है और उसे भारतीय ग्राहकों को पुनः बेचा जा रहा है, यहाँ आयातक पुनः बिक्री करने वाले के रूप में कार्य कर रहा है। यद्यपि टेक्रोवा ये बिक्री सेवाएं सीधे ग्राहकों को प्रदान कर रहा है। अतः प्रतिवादियों का यह अनुरोध है कि ग्राहकों से ली गई अन्तिम कीमत पर तुलना की जाएगी ताकि दिनांक 9 फरवरी, 2005 के डब्ल्यूटीओ टीएन/आरएल/डब्ल्यू/170 के भारतीय प्रस्ताव के अनुसार उसी स्तर पर व्यापार की जांच की जा सके। हम यह भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इस पर विचार न करने के कारण गलत तस्वीर सामने आएगी विशेषकर जब, फ्यूजी जापान और चीन द्वारा व्यक्तिगत आयातों का पहुंच मूल्य तुलनात्मक रूप से अन्य से अधिक है।

ड. जापान से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में कोई क्षति नहीं: जापान से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में कोई क्षति नहीं हुई है जैसा कि नीचे दिए गए तथ्यों से दिखाई दे रहा है:-

- i. जापान से जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का हिस्सा केवल 6 % है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान जापान से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का हिस्सा मांग केवल *** % है।
- ii. अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य की तुलना में जापान से और फ्यूजी फिल्म जापान से (*** रु. प्रति वर्ग मी.) और फ्यूजी फिल्म चीन से (*** रु. प्रति वर्ग मी.) विचाराधीन उत्पाद का पहुंच मूल्य से (*** रु. प्रति वर्ग मी.) काफी अधिक है।

उपरोक्त को देखते हुए यह कहा जाता है कि एफएफआईएन द्वारा चीन और जापान में अपनी ग्रुप कंपनियों से किया गया आयात याचिकाकर्ता के लिए मात्रा और कीमत की क्षति का कारण नहीं है क्योंकि ये उचित कीमत पर किए जा रहे हैं।

च. चीन जन.गण. से (फ्यूजी फिल्म ग्रुप के अलावा) आयातों के के कारण क्षति, यदि कोई हो:

फ्यूजी फिल्म इंडिया प्राइवेट लि. (एफएफआईएन) द्वारा जापान और चीन में स्थित अपनी संगत ग्रुप कंपनियों से किए गए आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है। याचिकाकर्ता को यदि कोई हानि हुई है तो वह चीन जन.गण. (फ्यूजी फिल्म ग्रुप के अलावा) से हुए आयातों के कारण है।

चीन के निर्यातकों के पास विशेषकर लक्की हुआगुआंग ग्राफिक्स कं. चीन और कोडेक चीन के पास काफी सरप्लस क्षमता उपलब्ध है जिसके कारण चीन जन.गण. से कम कीमतें हैं और कोविड के बाद की स्थिति में सरप्लस क्षमता के बढ़ने की संभावना है। एफएफआईएन ने भी जांच की अवधि के दौरान चीन में अपनी संगत कंपनी से कुछ मात्रा में आयात किया है। लेकिन बाजार में मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि चीन से और विशेष रूप से कोडेक चीन और लक्की हुआगुआंग ग्राफिक्स कं. चीन से अन्य निर्यातकों से महत्वाकांक्षी कीमतों पर आयात हो रहे थे। एफएफआईएन ने जांच की अवधि के दौरान इसकी संगत कंपनी से ऐसी निष्पक्ष कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, जो कि यूरोपीय संघ (गैर-संबद्ध देश) से कीमतों से काफी अधिक है।

तदनुसार अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क केवल ऐसे देशों के निर्यातकों पर लगाया जाए, जो पाटन में लगे हुए हैं, जिसके कारण वास्तविक क्षति हो रही है, न कि फ्यूजी फिल्म ग्रुप पर लगाया जाए।

छ. याचिकाकर्ता नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत पात्र घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता नहीं रखता:

याचिकाकर्ता, जो एक नियमित आयातक है (जांच की अवधि के दौरान काफी मात्रा में आयात किया है) और मैसर्स टोरे इंडस्ट्रीज से संबद्ध है, नियमावली के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता नहीं रखता। तदनुसार यह अनुरोध है कि प्राधिकारी को अन्तिम सिफारिश जारी करने से पूर्व उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मामले की पुनः जांच करनी चाहिए।

ज. याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत कथित पाटित आयातों के अलावा अन्य कारणों से प्रभावित हैं और याचिकाकर्ता को हुई क्षति का पता लगाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता: प्राधिकारी का ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया जाता है:

- i. वर्तमान जांच के संबंध में समझौता जापान का प्रभाव: वर्तमान जांच की क्षति अवधि (अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल 2016-मार्च, 2017, अप्रैल 2017 – मार्च 2018, अप्रैल 2018 – जून 2018) के दौरान समझौता जापान मौजूद था। इन अवधियों के दौरान समझौता जापान के प्रभाव पर विचार किए बिना क्षति का निर्धारण एक खराब स्थिति को दर्शाएगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन पर समझौता जापान (जैसा कि ऊपर कहा गया है) के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए कूलिंग ऑफ अवधि प्रदान की जाए।
- ii. अन्य कारक: याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत विभिन्न कारकों जैसे एल्यूमिनियम की कीमत में अस्थिरता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा इत्यादि से प्रभावित है जैसा कि प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2018 की अन्तिम समीक्षा जांच परिणाम में नोट किया गया था। कीमत क्षति की जांच इस तथ्य के कारण प्रभावित होती है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की प्रचलित कीमतों के निर्धारण में अन्य कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

झ. याचिकाकर्ता को कथित पाटित आयातों के कारण क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है: प्रकटीकरण विवरण के पैरा 78 के संदर्भ में प्रतिवादियों का यह कहना है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों के अलावा, कई अन्य कारक हैं, जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, हुई है। फ्यूजी फिल्म ग्रुप (चीन और जापान) से किए गए आयात उचित कीमत पर हैं और याचिकाकर्ता को क्षति का कारण नहीं हैं, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:-

- i. घरेलू उद्योग का बाजार अंश महत्वपूर्ण है, जबकि पाटनरोधी शुल्क को बंद कर दिया गया था।
- ii. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और क्षमता उपयोग में सकारात्मक वृद्धि हुई है।
- iii. याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियों में सकारात्मक वृद्धि हुई है।

य. प्रति कर्मचारी उत्पादकता, इन्वेन्ट्री और विकास अविश्वसनीय हैं क्योंकि संख्या में प्रकटीकरण विवरण के प्रारंभिक जांच परिणामों से काफी भिन्नता है: प्रारंभिक जांच परिणाम अर्थात् वर्तमान प्रकटीकरण विवरण जारी होने के समय निर्धारित उत्पादकता, इन्वेन्ट्री और विकास मापदंड में क्षति अवधि में और साथ ही जांच की अवधि में बिना किसी औचित्य के आँकड़ों की अविश्वसनीयता को दर्शाता है। इसके अलावा इन्वेन्ट्री में गिरावट 148 से 147 (सूचीबद्ध) होना स्वयं ही यह सुझाव देता है कि याचिकाकर्ता भारतीय बाजार में अपनी इन्वेन्ट्री का निपटान करने के लिए बाजार पर कब्जा करने की स्थिति में हो गए। इस प्रकार प्रतिवादियों का प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे अपरोक्त अनुरोध पर विधिवत विचार करने के उपरांत अन्तिम सिफारिश पर पुनर्विचार करें।

ट. प्रारंभिक जांच परिणाम तथा प्रकटीकरण विवरण में रेंज में कोई एकरूपता प्रदान नहीं की गई है: प्रारंभिक जांच में, प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमत मार्जिन अर्थात् कीमतों में कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री को प्रदर्शित करने के लिए 10 की रेंज ली है तथापि, प्रकटीकरण विवरण में, कोई एकरूपता नहीं है और इसीलिए प्रारंभिक जांच परिणाम और प्रकटीकरण विवरण के बीच कोई उचित तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्रतिवादियों का प्राधिकारी से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुरोध पर विधिवत विचार करने के बाद अन्तिम सिफारिश पर पुनः विचार करें।

ठ. पीसीएन कार्यप्रणाली अपनाई जानी चाहिए: प्रकटीकरण विवरण के पैरा 33 (ड) के संदर्भ में प्रतिवादियों का पुनः यह कहना है कि यद्यपि पीसीएन-तार शुल्क के संबंध में कानून में कोई प्रावधान नहीं है लेकिन जांच के वर्तमान तथ्य के अनुसार (जहां सभी तीन श्रेणियों में भारी अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप कम कीमत के उत्पाद की अधिक कीमत के उत्पाद से तुलना की गई है), पीसीएन-वार शुल्क प्रदान किया जाना चाहिए।

ठ.3 मै० कोडेक (चीन) ग्राफिक कंम्यूनिकेशन कं. लि. की टिप्पणियाँ

118. कोडेक द्वारा कोई भी क्षति करने योग्य वस्तुएं निर्यात नहीं की गईं: दिनांक 20 अप्रैल, 2019 को जारी किए गए प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकारी ने कोडेक के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारित किया है और केसीजीसीसीएल के लिए एक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित किया है, जोकि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और निर्यातक है। तदनुसार, कम शुल्क नियम के रूप में प्राधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कोडेक से हुए आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और इसीलिए केसीजीसीसीएल के लिए किसी प्रकार के शुल्क की सिफारिश न की जाए।

क. पहुंच मूल्य: कोडेक के लिए पहुंच मूल्य में मामूली त्रुटि है, जैसाकि गोपनीय प्रकटीकरण विवरण में गणना की गई है और इसे सुधारने का अनुरोध किया जाता है। गोपनीय प्रकटीकरण विवरण के अनुसार, थर्मल प्लेटों के लिए पहुंच मूल्य और वॉयलेट प्लेटों के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण *** अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मी. के रूप में किया गया और वॉयलेट प्लेटों के लिए *** अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मी. के तौर पर निर्धारण किया गया है। तथापि, कोडेक के अनुमान के अनुसार, थर्मल प्लेटों के लिए पहुंच मूल्य और वॉयलेट प्लेटों के लिए

- पहुंच मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मी. और *** अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मी. होना चाहिए। संदर्भ की आसानी के लिए पहुंच मूल्य की गणना को संक्षिप्त किया गया है।
- ख. प्रतिवादी कंपनियों द्वारा दाखिल किए गए आंकड़ों की प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है जिनमें आयातों की सीआईएफ मूल्य शामिल हैं, जिसकी डीजी सिस्टक डाटा के साथ पुष्टि की गई है। अतः यह प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने गलत इनवॉयस मूल्य अथवा विनिमय दर के आधार पर पहुंच मूल्य की गणना की है। इसलिए इस विसंगति को देखते हुए, प्राधिकारी सह यह अनुरोध है कि पहुंच मूल्य की गणना को संशोधित करें।
- ग. **कोडेक के लिए व्यक्तिगत मार्जिन:** प्राधिकारी को कोडेक और लक्की के लिए शुल्क की व्यक्तिगत दर निर्धारित करनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कोडेक का यह कहना है कि प्राधिकारी ने जांच की अवधि के आधार पर समग्र मूल्यांकन को सीमित रखा है और जांच की अवधि के बाद के मूल्यांकन जांच के लिए संगत नहीं थे। तदनुसार चूंकि केसीजीसीसीएल की जानकारी जांच की अवधि के बाद सामने आई थी, इसलिए केसीजीसीसीएल के लिए शुल्क का निर्धारण करने के लिए इसे शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।
- घ. **जांच की अवधि के बाद के कार्य जांच के दायरे से बाहर हैं:** टेक्नोवा ने संबद्ध देशों और असंबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। तथापि, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के रूप में टेक्नोवा की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए जांच की अवधि के बाद के आयातों को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा, व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह नोट किया है कि जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए प्रथमदृष्ट्या का निर्धारण पूरी तरह से जांच की अवधि और क्षति अवधि पर आधारित है (मैनुअल का पृष्ठ 70)। तदनुसार केसीजीसीसीएल की जानकारी का जांच की अवधि के बाद पता चला था, जिसे कोडेक के लिए शुल्क मार्जिन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैट बेस स्टील व्हील्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी अन्तिम जांच परिणामों में यह स्वीकार किया है कि अधिग्रहण जैसे कार्य जो जांच की अवधि के बाद हुए हैं, जांच के लिए संगत नहीं हैं।
- ङ. चूंकि जांच की अवधि के बाद जानकारी मिली थी अतः इसे जांच की अवधि के लिए शामिल नहीं किया जा सकता। तथापि दूसरी ओर टेक्नोवा के पास अभी भी निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास, यदि आवश्यक हो, तो एक सहाय्यक समीक्षा जांच (पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार) दाखिल करने का कानूनी उपाय है। केसीजीसीसीएल की जानकारी और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव (यदि कोई हो) की विस्तृत जांच अपेक्षित है। जो केवल एमटीआर के माध्यम से की जा सकती है न कि वर्तमान जांच में की जा सकती है।
- च. **शुल्क का निर्धारण थर्मल, वायलेट औरसीटीपीसी प्लेटों के लिए अलग अलग किया जाना चाहिए:** मूल जांच में, प्राधिकारी ने उपयुक्त प्रकार के शुल्क पर विचार किया है और एक संदर्भ कीमत के शुल्क की सिफारिश की है। इसके अलावा, वास्तविक मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं है, जिससे कि शुल्क के प्रकार में कोई बदलाव अपेक्षित हो जैसा कि मूल जांच में निर्धारित किया गया है।
- छ. घरेलू उद्योग/टेक्नोवा नू मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के खिलाफ एक अपील दायर की थी। उस अपील में टेक्नोवा ने निर्यातकों के लिए शुल्क के प्रकार और निर्धारण के संबंध में अन्तिम जांच परिणाम का विरोध किया था। तथापि, सेस्टेट ने उस अपील को रद्द कर दिया था और अन्तिम जांच परिणामों तथा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने के लिए कार्यप्रणाली की पुष्टि की। विशेष रूप से, सेस्टेट ने अन्तिम जांच परिणामों का समर्थन करते हुए यह नोट किया कि प्राधिकारी के निर्धारण के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है और अपील को शून्य करते हुए निरस्त किया था। इस निर्णय को देखते हुए, प्राधिकारी को प्रत्येक पीसीएन के लिए व्यक्ति शुल्क दर अपनाने की मूल जांच की पद्धति को अपनाकर मूल जांच में शुल्क का निर्धारण/सिफारिश करनी चाहिए।
- ज. **प्रसंस्करण मुक्त प्लेटों को शामिल करना:** घरेलू उद्योग के पास 'प्रसंस्करण मुक्त' प्लेटों का उत्पादन करने के लिए क्षमता/तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। इसके अलावा, टेक्नोवा केवल 'प्रसंस्करण रहित' प्लेटों के उत्पादन

का ही दावा करता है न कि 'प्रसंस्करण मुक्त' प्लेटों के उत्पादन का। प्राधिकारी यह भी नोट करें कि टेक्नोवा स्वयं ही भारत में मांग पूरी करने के लिए अग्रा और/अन्यथा अन्य स्रोतों से 'प्रसंस्करण मुक्त' प्लेटों के आयातों पर निर्भर है, जो कोडेक द्वारा किए गए पूर्व अनुरोध की पुष्टि करता है। तदनुसार, प्राधिकारी सह यह अनुरोध है कि वर्तमान जांच से 'प्रसंस्करण मुक्त' प्लेटों को अलग करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर पुनर्विचार करें।

- झ. **एनआईपी:** टेक्नोवा द्वारा नए उत्पाद के विकास के लिए और क्षेत्र (सार्क देशों, यथा भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान) में अतिरिक्त बिक्री चैनलों को बढ़ावा देने के लिए भुगतान की गई रॉयल्टी को एनआईपी की गणना के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- ञ. **क्षति स्व प्रवृत्त है:** यह अविवादित है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का शंघाई स्ट्रांग स्टेट प्रिंटिंग इन्क्विपमेंट लिमिटेड से आयात किया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने इस निर्यातक के लिए 40-60 प्रतिशत का पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। अतः यह स्पष्ट है कि टेक्नोवा ने अनुचित कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। इसलिए प्राधिकारी सह यह अनुरोध है कि टेक्नोवा द्वारा किए गए अनुचित कीमत के आयातों के प्रभाव का सभी संगत मापदंडों पर आकलन करे न कि इसे कथित आयातों के लिए उत्तरदायी ठहराएं।
- ट. वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के अनुसार, प्राधिकारी ने कोडेक के लिए शुल्क की शून्य दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार, प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि यदि प्राधिकारी वर्तमान प्रकटीकरण विवरण में प्रकट आवश्यक तथ्यों के प्रतिकूल अन्तिम जांच परिणामों की अपेक्षा रखते हैं तो कोडेक को एक अवसर प्रदान किया जाए।

ठ.4 मै० लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लि० तथा मै० कपूर इमेजिंग प्राइवेट लि०

119. पीसीएन पर प्राधिकारी की सिफारिशों के संबंध में प्रतिवादी का इस पर कोई विवाद नहीं है लेकिन ऐसे संरक्षण के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का अतिसंरक्षण नहीं होना चाहिए। यद्यपि, प्रतिवादी का यह विवाद है कि वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए कोई औचित्य है।
 - क. घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि ऐसी कई किस्में हैं जिनका वे आयात कर रहे हैं क्योंकि वे याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित नहीं की जा रही हैं। ऐसे ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ऐसे उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की मांग नहीं कर सकता जिसका उत्पादन याचिकाकर्ता द्वारा नहीं किया जा रहा हो, चाहे तथा कोई भी हो कि उसका आयात किया जा रहा है अथवा नहीं।
 - ख. आयातों में पीएस प्लेटों के स्थान पर सीटीसीपी प्लेटों को अपनाने के कारण ही महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाई गई है। जितनी मात्रा में सीटीसीपी के आयातों में वृद्धि हुई है, पीएस प्लेटों की खपत में गिरावट आई है। तथापि, आवेदक ने किसी पुष्ट साक्ष्य के साथ इसका खंडन नहीं किया है।
 - ग. प्राधिकारी के विचार के संबंध में कि याचिकाकर्ता मुख्य कारोबारी जांच करके पात्र घरेलू उद्योग है, प्रतिवादी का सशक्त विवाद है क्योंकि यह निर्णय कानून, प्रक्रिया और निर्दिष्ट प्राधिकारी के कई पूर्व निर्णयों के खिलाफ है। आयातों की काफी मात्रा के साथ, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को अपात्र माना है। वर्तमान मामले में अलग व्यवहार किए जाने के लिए कोई औचित्य है। आवेदक ने भारी मात्रा में उत्पाद का आयात किया है, कथित पाटन प्रक्रियाओं में भाग लिया है और अन्य आयातकों का सहयोग लिया है। कुछ आयातों को सही मानना और कुछ को अनुचित आयात मानना विरोधाभासी है।
 - घ. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को पात्र घरेलू उद्योग माना है यद्यपि यह अपने स्वयं के उत्पादन के 3.2% राशि की संबद्ध वस्तुएं और कुल आयातों का 3% से काफी अधिक आयात कर रहा है और जांच के तहत यहां तक कि एक देश के आयात से अधिक मात्रा में आयात करता है। घरेलू उद्योग की क्षमता पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा किया गया आयात इसके उत्पादन का करीब 6% होता है, यदि यह माना जाए कि घरेलू 100% उपयोग पर चल रहा है।

- ड. प्रतिवादियों ने पहले यह कहा था कि एक देश से आयातों में 3% हिस्सा क्षति के कारण के लिए पर्याप्त माना गया है। याचिकाकर्ता कथित पाटन के लिए पक्षकार है और इसीलिए कथित पाटित आयातों के संबंध में क्षति का दावा नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता ने क्षमता की समस्याओं के कारण संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और आयातों की अपेक्षा अन्य कारकों के कारण क्षति का सामना कर रहा है। आवेदक द्वारा दिया गया कारण बिना साक्ष्य के है, भ्रामक है और तथ्यात्मक रूप से गलत है।
- च. प्राधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि लकड़ी और कोडेक मिलकर एक संस्था बन गए हैं और लकड़ी तथा कोडेक (चीन) के विलय का प्रभाव पड़ा है और कोडेक के लिए लकड़ी की तरह से ही सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है भविष्य में, लकड़ी अथवा कोडेक चीन द्वारा किए गए निर्यात एक संस्था द्वारा किए गए निर्यात माने जाएंगे और व्यावहारिक तौर पर ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्राधिकारी क्यों इन संख्याओं के लिए दो पाटन मार्जिन निर्धारित करें। प्राधिकारी ने पूर्व में विभिन्न संगत उत्पादकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन को विभाजित किया है।
- छ. प्राधिकारी की इस टिप्पणी के संबंध में कि क्षति मार्जिन सभी देशों से सकारात्मक है, लकड़ी/ कपूर इसमें विवाद दर्शा रहे हैं। निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन अनुचित है, क्योंकि निर्धारित किया गया एनआईपी आयात कीमत से भिन्न स्तर पर है। जबकि आयात कीमत आयातक के स्तर पर है, आवेदक द्वारा की गई बिक्री खुदरा स्तर पर है। आवेदक द्वारा की गई महत्वपूर्ण बिक्री और वितरण लागत एनआईपी का हिस्सा होती है, जबकि प्रतिवादी लकड़ी द्वारा किए गए इसी प्रकार के व्यय को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा, जबकि फ्यूजी फिल्म और कोडेक के मामले में क्षति मार्जिन पुनः बिक्री की गई कीमतों से निर्धारित किया जाता है। लकड़ी/कपूर के लिए क्षति मार्जिन सीआईएफ आयात कीमत के आधार पर है। क्षति मार्जिन की पद्धति न केवल अनुचित है बल्कि प्रतिवादियों को दंडित किया जा रहा है। और जब कोई भी तथ्य मौजूद न हो तो सकारात्मक क्षति मार्जिन दर्शाता है। कपूर ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है और सभी संगत सूचना प्रदान की है। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।
- ज. आवेदक के बाजार अंश में गिरावट आने का कारण घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आना नहीं है और उत्पादन व क्षमता के उपयोग में उसके परिणामस्वरूप गिरावट आना नहीं है। बाजार अंश में गिरावट आने का कारण घरेलू उद्योग के पास क्षमताओं की कमी होना है। जब आवेदक पहले से ही 117% पर प्रचालन कर रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि कंपनी अधिक उत्पादन नहीं कर सकती। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि हुई है और उसकी पूर्ति आयातों से की गई है। बाजार अंश में गिरावट आने को घरेलू उद्योग की क्षति के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।

झ. उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि नहीं हो सकी जब वह अनुकूलतम स्तर पर पहले ही था। इन मापदंडों के कारणों में सुधार न होना पाटन नहीं है। पूर्व प्राप्त स्तर से आगे के स्तर पर उत्पादन को बढ़ाने में आवेदक की असमर्थता है।

ञ. आवेदक को कोई क्षति नहीं हुई है और यहां तक कि यदि आवेदक के निष्पादन में कोई कमी है तो वह अन्य कारकों के कारण से है। आवेदक क्षति और कथित पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध दर्शाने में विफल रहे हैं।

ट. लाभ, नकदी लाभ और आरओआई में गिरावट वास्तविक नहीं है और ये कई अन्य मामलों से संचालित हैं।

ठ.5 उपयोक्ताओं/आयातकों की टिप्पणियाँ

120. मै० ब्राइट इंटरप्राइजेस की टिप्पणियाँ

- क. हमने पहले ही अपने विस्तृत अनुरोध दाखिल कर दिए हैं और उन्हें इन टिप्पणियों का ही भाग माना जाए, यद्यपि संक्षिप्तता की दृष्टि से इन्हें पुनः दोहराया नहीं गया है।
- ख. हम संबद्ध प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित विशिष्ट टिप्पणियां प्राधिकारी के विचारार्थ दाखिल करना चाहते हैं:-

- ग. पाटन और क्षति मार्जिन का प्लेटवार मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी का प्रस्ताव सराहनीय है और हम इसे सही अवधारणा मानते हैं। ऐसीजांच को अधिक लाभकारी बनाने के लिए हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि प्लेट-वार पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करें ताकि उपयोक्ताओं को अनियमित रूप से कोई पाटनरोधी शुल्क भुगतान न करना पड़े। प्राधिकारी के पास ऐसे मामले में कोई भी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने की सभी शक्तियाँ हैं ताकि उत्पाद के व्यापार में ऐसे तरीके से रुकावट न आए कि शुल्क लगाए जाने के बाद उपयोक्ताओं को अपना प्रचालन बंद करने के लिए बाध्य होना पड़े।
- घ. हमारा यह मत रहा है कि क्षति में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात और बिक्री के प्रभाव का विश्लेषण किया जाए और उन्हें पृथक् किया जाए। यद्यपि प्रकटीकरण विवरण में यह कहा गया है कि प्राधिकारी द्वारा इस पहलू की जांच की गई है और आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा की गई पुनः बिक्री के प्रभाव को समुचित रूप से देखा गया है, यह स्पष्ट है कि जांच केवल बाजार अंश के मापदंडों तक ही सीमित है, जोकि काफी हद तक अपर्याप्त है। ऐसे आयातों के अभाव में, आवेदक ने अपने संयंत्रों में काफी मात्रा में उत्पादन किया होगा, जिसके एक परिणामी प्रभाव के रूप में आवेदक के मात्रा और कीमत मापदंडों को सहायता मिली होगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति का आरोप लगाया है। लेकिन यह प्राधिकारी के लिए बहुत ही अनुचित और अनुपयुक्त होगा कि सभी निर्धारित क्षति मापदंडों को शामिल करके ऐसे स्वयं के आयातों के प्रभावों की एक सार्थक जांच किए बिना उनके द्वारा किए गए पाटित और क्षतिकारी आयातों के लिए आवेदक को प्रतिपूर्ति पदान की जाए। आदरपूर्वक अनुरोध किया जाता है कि प्रकटीकरण में दिए गए इस पहलू की जांच अपर्याप्त है और आवेदक द्वारा स्वयं किए गए ऐसे महत्वपूर्ण आयातों के वास्तविक प्रभावों को सहमति प्रदान न की जाए। याचिकाकर्ता ने कथित पाटन और क्षति को बढ़ावा दिया है और इसे अन्तिम पाटनरोधी उपाय करके पुरस्कृत नहीं किया जा सकता।
- ङ अब प्रकटीकरण विवरण में यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से 0.761 मिलियन वर्ग मी. संबद्ध वस्तुएं आयात की हैं, जोकि कुल आयातों में 5.75% है और संबद्ध देशों से आयातों में 6.22% है, जोकि सभी तरह से एक महत्वपूर्ण अंश है और यह कि आवेदक ने अपने प्रमुख व्यवसाय को बदला नहीं है अथवा विचाराधीन उत्पाद का एक निर्माता बनने के आवश्यक गुण नहीं हैं। यह तर्क नियम 2(ख) के प्रावधानों को नकारता है और आवेदक द्वारा स्वयं ऐसे आयातों से स्वयं को दर्शाई गई क्षति की मात्रा को नकारता है। जाँच में ऐसे एक उत्पादक से व्यवहार का औचित्य स्पष्ट नहीं होता, जिसने स्वयं ही ऐसी अत्यधिक मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, जोकि वर्तमान जांच का विचारार्थ मुद्दा है और ऐसे आयातों की मात्रा की महत्ता से आवेदक को घरेलू उद्योग के रूप में अपात्र किया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जांच में ऐसी कोई चर्चा शामिल नहीं है कि क्यों आवेदक को घरेलू उद्योग का दर्जा प्रदान करना उचित है जबकि भारत में कुल आयातों में उसका हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे आयात की एक तुलना अर्थात् आवेदक द्वारा प्रस्तावित कुल उत्पादन का कोई अर्थ नहीं है और यह केवल आवेदक द्वारा प्रस्तावित कुल उत्पादन का कोई अर्थ नहीं है और यह केवल आवेदक द्वारा उसके आयातों के मामले को छुपाने का केवल एक प्रयास है। आवेदक को उसके पाटित आयातों के लिए पाटनरोधी शुल्कों के माध्यम से संरक्षण पाटनरोधी शुल्कों के प्रयोजन को विफल करता है और आवेदक को उसके पाटित आयातों के लिए पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। अतः इसे देखते हुए यह अनुरोध है कि:-
- च. आवेदक ने किसी अन्य आयातक की तरह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की काफी मात्रा आयात की है और इसे एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता;
- छ. संबद्ध देशों से आयातों के कारण आवेदक को कोई पाटन और परिणामस्वरूप क्षति नहीं हुई है;
- ज. आवेदक के समक्ष आई कोई कथित क्षति काफी हद तक उसके द्वारा प्रोत्साहित कारणों से है, जिससे कारणात्मक संबंध टूटा है और ऐसे कारकों के कारण ऐसी कोई क्षति संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं हो सकती;
- झ. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी को न्याय के हित में और पारदर्शिता को देखते हुए वर्तमान जाँच को समाप्त करें और लगाए गए अन्तिम शुल्कों को वापस लें।
121. मैसर्स जैल सी एण्ड पी कंपनी लिमिटेड कोरिया गणराज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे मैसर्स डीजीएस एसोसिएट्स और मैसर्स अनहुई स्ट्रांग स्टेट प्रिंटिंग मैटेरियल्स क.लि., शंघाई स्ट्रांग स्टेट प्रिंटिंग इक्विपमेंट लिमिटेड चीन जन.

गण. का प्रतिनिधित्व कर रहे मैसर्स डब्ल्यूटीसी ने यह कहा है कि उनके पास प्रकटीकरण के लिए कोई अन्य टिप्पणियां नहीं हैं।

122. मैसर्स सीआई प्रिंट पैक प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सरस्वती प्रिंट फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने यह बताया है कि मैसर्स टेक्रोवा इमेजिंग सिस्टम (प्रा) लिमिटेड को इसके एकाधिकार की स्थिति की शासकीय स्वीकृति प्रदान की जाए। मैसर्स टेक्रोवा इमेजिंग सिस्टम (प्रा) लिमिटेड ने समग्र निर्माणों को खरीद लिया है और इस जांच के माध्यम से उनकी एकाधिकार की स्थिति मजबूत हुई है। उनके द्वारा अनुपलब्धता, डिलीवरी और उच्च कीमत चार्ज करने संबंधी समस्याएं हैं। पाटनरोधी कार्रवाई से भारतीय प्रिंटिंग उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होगा।
123. मैसर्स खंडेलवाल ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने यह कहा है कि मैसर्स टेक्रोवा के डीलर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री ऐसी कीमत पर कर रहे हैं जो पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद नहीं बढ़ाई गई हैं और इसलिए सीटीसीपी प्लेटों पर पाटन रोधी शुल्क अपेक्षित नहीं है और इसे समाप्त किया जाए।
124. सभी इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स की ओर से मैसर्स वैश एसोसिएट्स ने यह कहा है कि वे आगे कुछ भी जोड़ना नहीं चाहते और अनुरोध किया है कि दिनांक 11 नवंबर, 2019 के अनुरोध के तहत किए गए वैकल्पिक अनुरोध के संदर्भ में निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध वस्तुओं पर सामान्य दर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का निर्णय ले सकते हैं ताकि दोनों घरेलू उद्योगों के हितों और उपयोक्ता उद्योग (मुख्यतः प्रिंटिंग उद्योग) के हितों को समुचित रूप से संरक्षण प्रदान किया जा सके और प्रिंटिंग समुदाय की वहनीयता को ध्यान में रखते हुए बाजार में बने रहने के लिए उचित प्रतिस्पर्धा और एक समान अवसर की अनुमति प्रदान की जा सके।
125. मैसर्स एनपीटी ऑफसेट प्रेस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स आरकेएल प्रिंटर्स ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:
 - i. प्राधिकारी ने इस तथ्य को नहीं देखा है कि टेक्रोवा इमेजिंग सिस्टम (प्रा) लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों की स्वीकार की गई मात्रा बहुत कम नहीं है। जैसा कि स्वीकार किया गया है, टेक्रोवा द्वारा विचाराधीन उत्पाद की आयत की मात्रा नियमावली के नियम 14(घ) में उल्लिखित मूल्य से अधिक है। हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि इस अनुरोध को स्वीकार करें कि नियमावली के नियम 2(ख) के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार टेक्रोवा घरेलू उद्योग नहीं है।
 - ii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके दिनांक 12.12. 2019 के लिखित अनुरोध में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर विचार नहीं किया है। यह आंकड़े स्पष्ट तौर पर यह दर्शाते हैं कि अप्रैल 2018 - जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए टेक्रोवा ने 2.4 मिलीयन वर्ग मी. विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। इसके अलावा, टेक्रोवा ने जानबूझकर अप्रैल, 2018 से जून, 2018 तक की अवधि को जांच की अवधि से निकलवाया है क्योंकि उसने इस अवधि के दौरान सर्वाधिक आयात किया है, अर्थात् 821,309.21 वर्ग मी. और ऐसे आयातों को देखते हुए नियमावली के नियम 2(ख) के तहत एक "घरेलू उद्योग" के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।
 - iii. यह स्वीकार किए बिना मान लेना कि जांच की अवधि 12 माह से कम अवधि की हो सकती है, प्राधिकारी इस अनुरोध पर कार्रवाई करने में विफल रहे हैं कि टेक्रोवा ने धोखाधड़ी से अप्रैल, 2018 से जून, 2018 तक की अवधि को निकलवाया है जो कि ऐसी अवधि है जिसमें इस उसका सबसे अधिक आयात दर्ज किया गया है।
 - iv. प्राधिकारी केवल इतना दर्ज करते हैं कि वह टेक्रोवा के गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट है लेकिन ऐसा कोई भी कारण बताने में विफल रहे हैं जो इस अवधि को निकालने के समर्थन में ठोस और पर्याप्त कारण हो। इसके अलावा प्राधिकारी ने पर्याप्त रूप से इसे स्वीकार नहीं किया है कि समग्र क्षति जांच गोपनीय रही है और यह की हितबद्ध पक्षकारों को अपना मामला सार्थक ढंग से प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित किया गया। इसके अलावा, प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि टेक्रोवा

ने विभिन्न सूचना के संबंध में संबंध में गोपनीयता का दावा किया है जिसे उसे 2018 की निर्णायक समीक्षा के दौरान बिना किसी आधार के पहले प्रकट कर दिया गया था।

- v. जहां तक दिनांक 7 सितंबर, 2018 के व्यापार नोटिस संख्या 10/ 2018 का संबंध है, यह कहना है कि गोपनीयता के दावों के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए मानदंडों का इससे संबंध नहीं है। इसमें ऐसी परिस्थितियों के संबंध में कोई दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट नहीं है जबकि सूचना गोपनीय हो। दूसरी ओर इसमें केवल ऐसे तरीके अथवा फॉर्मेट का उल्लेख है जिसमें की गोपनीय और अगोपनीय सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदनुसार, इस नोटिस के तहत गोपनीयता के दावे के किसी "अधिकार" का प्रश्न ही नहीं उठता। मात्र व्यापार नोटिस संख्या 10/ 2018 का उल्लेख कर देने से किसी सूचना को गोपनीय मानना न्यायोचित नहीं हो जाता जैसा कि प्रकटीकरण विवरण में अपेक्षा की गई है।
- vi. प्राधिकारी ने यह विचार नहीं किया है कि पाटन रोधी शुल्क लगाने से छोटी जॉब वाले 2.5 लाख वाणिज्यिक प्रिंटरों के कारोबार को पूरी तरह नष्ट करने सहित इसके भारी आर्थिक परिणाम होंगे। हितबद्ध पक्षकारों का प्राधिकारी से अनुरोध है कि इस अनुरोध के समर्थन में दिनांक 12.12. 2019 के लिखित अनुरोध में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर विधिवत विचार करें।
- vii. प्राधिकारी ने इस अनुरोध पर विचार नहीं किया है कि ऐसे परिस्थितियों में महत्वपूर्ण मूलभूत परिवर्तन के अभाव में विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता, विशेषकर जब वर्ष 2018 के अंतिम जांच परिणामों में विशेष रूप से यह दर्ज था कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने का कोई कारण नहीं है।
- viii. प्रकटीकरण विवरण में दी गई टिप्पणियों से यह प्रतीत होता है कि बाजार की मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है जबकि टेक्नोवा की उत्पादन करने की क्षमता में स्थिरता बनी रही, जिसके चलते आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक रही। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि टेक्नोवा ने अपनी उत्पादन की अधिकतम क्षमता प्राप्त कर ली है। तदनुसार, यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन उत्पाद का टेक्नोवा की उत्पादन बढ़ाने में असमर्थता और स्थानीय मांग की पूर्ति कर पाने में अक्षमता के कारण आयात किया गया।
- ix. प्राधिकारी को सीटीसीपी, थर्मल और वॉयलेट प्लेटों (उनकी निर्माण की पद्धति, लागतों और अंतिम कीमत सहित) के बीच महत्वपूर्ण अंतर को ध्यान में रखना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि सभी तीनों प्रकार की प्लेटों के लिए एक समान पाटन रोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता। प्राधिकारी को तत्काल इस जांच को समाप्त करना चाहिए और/अथवा टेक्नोवा द्वारा दायर शिकायत को खारिज करना चाहिए।

126. मै० निप्पन कलर की टिप्पणियाँ

- i. मैसर्स निप्पों ने यह अनुरोध किया है कि यद्यपि उनके सभी अनुरोधों का इस प्रकटीकरण विवरण की विभिन्न पैरा में उल्लेख किया गया है लेकिन इस प्रकटीकरण विवरण में अलग-अलग समाधान नहीं किया गया है। अंतिम सिफारिश करने से पूर्व निम्नलिखित मामलों पर विचार किया जाए:
- ii. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए अधिकांश उत्पाद डाटा आदि पर अभी भी संशय बना हुआ है चिन्ह रूप(*) ताकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे आंकड़ों में संशोधन न किया जाए जिसकी किसी भी ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा पुष्टि की जा सके, जो आवेदक द्वारा दी जा रही गलत जानकारी को पकड़ सकेंगे। यह पारदर्शिता की दृष्टि से हितकर है कि डीजीटीआर व्यापार की गुप्तता और ग्राहक के आधार अर्थात् वास्तविक उत्पादन, संस्थापित क्षमता और अन्य आंकड़ों के अलावा अन्य आंकड़े की जानकारी देने के लिए सभी आवेदकों को प्रोत्साहित करें।

- iii विनिमय दर अमेरिकी डॉलर = 71.06 रु. ली गई है, जो कि बाजार की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती और आज की तारीख की सही विनिमय दर जो डी ओ आर द्वारा प्रकाशित की गई है, उसे लिया जाए और मापदंडों पर पुनः विचार किया जाए।
- iv इन्हीं देशों की कुछ कंपनियों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रस्ताव किया गया है लेकिन अन्य पर नहीं किया गया है। विलय के कारण और अधिग्रहण के चलते ऐसी, कंपनियां अपने अन्य भागीदार की वस्तुओं की बिक्री करने की स्थिति हो सकती हैं और इसलिए ऐसे उत्पादकों पर कोई भी पाटनरोधी शुल्क न लगाना गलत है। पाटन रोधी नियमावली के नियम 19 के प्रावधानों के तहत इस पर पुनर्विचार किया जाए।
- v अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री की मात्रा आवेदक द्वारा प्रदान की गई अनुमानित मात्रा के आधार पर ली गई है, जिनके लिए प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि करने के लिए कोई दौरा नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि एनआईपी, क्षति मार्जिन, उत्पादन, उत्पादकता के आंकड़ों की समूची गणना ही गलत है।
- vi पैरा 88 में, कीमत में कटौती की गणना करते समय सारणी में यह नहीं दर्शाया गया कि क्या वायलेट, थर्मल अथवा सीटीसीपी के लिए तुलना की गई है, जबकि डीजीटीआर को अच्छी तरह से पता है कि सभी तीनों प्रकार की प्लेटों की कीमतें अलग-अलग हैं। यहां तक कि पूर्व पाटनरोधी शुल्क कार्रवाई में डीजीटीआर ने प्रत्येक प्रकार की प्लेट के लिए अलग-अलग पाटन की गणना की है।
- vii यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे आयातों का पहुंच मूल्य निकाला गया जबकि डीजीटीआर ने पहुंच मूल्य निकालने का तरीका नहीं बताया है बल्कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा दी गई सारणी को ही अपनाया गया है, इसलिए यह पता नहीं कि क्या सीमा शुल्क घटक (7.5%) जोड़ा गया है जिससे कि पहुंच मूल्य का पता चल सके, इसलिए इसकी पुष्टि की जाए।
- viii एनएसआर को प्रकट नहीं किया गया जब तक कि वह प्रकट ना हो गया, इसकी सत्यता की पुष्टि करना संभव नहीं होगा। लेखांकन बहियां भी गोपनीय गोपनीय मानी गई हैं और इसलिए यह सत्यापित करना संभव नहीं है कि क्या इनका निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सही सत्यापन किया गया है।
- ix कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की जांच करते समय डीजीटीआर ने प्रत्येक वर्ष के लिए सभी प्रकार की प्लेटों के लिए एक समग्र पहुंच मूल्य लिया है। यह कहना कि वे ऐसे कीमत संबंधी ह्रास और न्यूनीकरण की गणना प्रत्येक टाइप की प्लेट के लिए की जानी चाहिए क्योंकि उनके कीमत पैटर्न भिन्न हैं और प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग हैं।
- x प्रकटीकरण विवरण में गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों (चीन जन. गण.) को अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों (ताइवान, वियतनाम, कोरिया गणराज्य, जापान) के साथ शामिल किया गया है जो कि अनुचित, अनुपयुक्त और गलत है। प्रारंभिक जांच परिणामों में ताइवान के आयातों पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अत्यधिक है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
- xi उत्पादन क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में पैरा 96 में जब से यह सामान्य आंकड़े सार्वजनिक जांच से छिपाए गए हैं, जिनसे प्रौद्योगिकी अथवा ग्राहक आधार का कोई उल्लंघन नहीं होता, यह देखा जा सकता है कि संस्थापित उत्पादन क्षमता वर्ष 2017 - 18 और 2018 - 19 में नीचे आई है, जबकि इन वर्षों की बैलेंस शीट के तहत संस्थापित क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह आशा की जाती है कि डीजीटीआर ने संयंत्र का दौरा किया है और यह पता लगाया है कि क्या कोई उत्पादन क्षमता पिछले 2 वर्षों के दौरान कम हुई है। यदि नहीं, तो कैसे संस्थापित उत्पादन क्षमता विगत 2 वर्षों में कम हुई, यह समझ से परे है जबकि वास्तविक उत्पादन में पाटन अथवा अन्य कारण से कमी आ सकती है, लेकिन उत्पादन क्षमता में कमी आना समझ से परे है। आशा है कि डीजीटीआर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए

- आंकड़ों की आयकर विभाग और आर ओ सी के पास आवेदक द्वारा दाखिल की गई विवरण के साथ क्रॉस जांच की गई है।
- xii जब विगत पाटन रोधी शुल्क अवधि के दौरान पाटन रोधी शुल्क लागू था, तो भी इस अवधि के दौरान बिक्री की प्रतिशतता के क्रम में न्यून तक की लाभप्रदता थी। अतः डीजीटीआर का 22% की दर से तर्कसंगत लाभ निकालने का प्रस्ताव काफी अधिक है और लाभ को समायोजित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।
- xiii पैरा 102 में, डीजीटीआर ने यह पाया है कि इन्वेंट्री में वर्ष 2015 - 16 की तुलना में जांच की अवधि में सूचीबद्ध आधार पर 47% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 - 18 के दौरान जब पूर्व पाटनरोधी शुल्क लागू था, इन्वेंट्री 89 आधार प्वाइंट तक थी। अतः अगले एक वर्ष में 58 आधार प्वाइंट की वृद्धि हुई है, जो काफी संदिग्ध प्रतीत होती है। यह जानकारी नहीं है कि क्या इन्वेंट्री बहियों की वास्तविक जांच डीजीटीआर द्वारा फैक्ट्री के दौरे के दौरान की गई थी और क्या इन्वेंट्री के आंकड़े आयकर विभाग और आर ओ सी के समक्ष वर्ष के लिए दाखिल की गई विवरणी से मेल खाते हैं। अनुरोध है कि इस की पुनः जांच की जाए।
- xiv जहां तक ताइवान आयात के आंकड़ों का संबंध संबंध है, जैसा कि डीजीटीआर द्वारा पैरा 64 में पहले ही नोट किया गया है, हमने केवल ताइवान मैन्यूफैक्चर्स मैसर्स टॉप हाई इमेज कॉरपोरेशन ताइवान के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं। डीजीटीआर ने यह कहा है कि मैं मैसर्स ब्राइट इंटरप्राइजेज द्वारा भी कतिपय आयात संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। इस संबंध में मैसर्स टॉप हाई इमेज कॉरपोरेशन, ताइवान द्वारा जांच की जांच की अवधि के दौरान और विगत 3 वर्षों के दौरान निर्यात के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।
- xv प्रकटीकरण विवरण में यह कहा गया है कि ब्राइट इंटरप्राइजेज और निष्पों कलर द्वारा दिए गए आंकड़ों की तुलना डीजीसीआईएस के ताइवान के आंकड़ों से की गई है। इस संबंध में हमने स्वयं ही डीजीसीआईएस के आंकड़ों की जांच पड़ताल की और यह पाया कि ताइवान से सीटीसीबी/वायलेट/ थर्मल के आयात की कोई आंकड़े मौजूद नहीं है। पुनः यह कहा जाता है कि ताइवान से आयात 3% से भी कम है जबकि डीजीटीआर ने इसे 3.02% पाया है।
- xvi डीजीसीआईएस ने नवंबर डाटा 1 और डाटा 2 वाली दो एक्सल शीटों की आपूर्ति की है। डाटा 1 शीट से यह देखा जा सकता है कि ताइवान से आयातों के संबंध में कुल 10001 रिकॉर्ड में से केवल 204 आयात दर्शाए गए हैं। यहां तक कि यह 204 रिकॉर्ड एल्यूमिनियम पार्ट, एल्यूमिनियम कॉपर क्लेड लैमिनेट, एल्यूमिनियम पी एस प्लेट (क्रम संख्या 3608, 3615, 3620, 3659, 8961) एल्यूमिनियम स्ट्रीप्स, एलमुनियम प्लेटों, पी सी बी के लिए फोटो रेसिस्ट, फिल्म पीसीबी के लिए फोटो पॉलीमर फिल्म से संबंधित है, लेकिन वायलेट, सीटीसीबी अथवा थर्मल प्लेट के एक भी आयात के लिए नहीं है। अनुरोध है कि डीजीटीआर ताइवान की आयातों के लिए फिल्टर का उपयोग करके एक्सल वर्कशीट देख सकते हैं और उसके बाद विवरण की जांच करें।
- xvii डाटा 2 के संबंध में, 4817 रिकॉर्ड में से कुल 25 हैं, जो कि ताइवान से हुए आयातों के संबंध में हैं। इन रिकॉर्ड के विवरणों से पता चलता है कि वेनेशियन ब्लाइंड के लिए एल्यूमिनियम शीट, कॉपर क्लैड लैमिनेट, लिथोग्राफिक प्लेट (किलोग्राम अथवा पीस में), पीएस प्लेट (क्रम संख्या 4142, 4143, 4158) और सीटीसीपी प्लेटों (क्रम संख्या 4170 और 4277) के दो मामले हैं, जहां मात्रा किलोग्राम में दी गई है ना कि वर्ग मी. में। इस प्रकार, यह जानकारी नहीं है कि डीजीसीआईएस के किस डाटा का उल्लेख

- डीजीटीआर द्वारा किया गया है और क्या यूनिट मात्र वर्ग मीटर में है और विवरण स्पष्ट रूप से वायलेट अथवा सीटीसीबी अथवा थर्मल का है।
- xviii अतः डीजीसीआईएस द्वारा डाटा सही नहीं है और यह ताइवान से वस्तुओं की आयातों को नहीं दर्शाता और इसलिए इसे अस्वीकार किए जाने की जरूरत है। डीजीसीआईएस डाटा सारणी संलग्न है जिसे ताइवान देश के लिए निकाला जा सकता है और विवरण को पुनः जांचा जा सकता है, जो यह दर्शाएगा कि डीजीसीआईएस डाटा ताइवान के मामले में विश्वसनीय नहीं है और शायद अन्य देशों के लिए भी विश्वसनीय नहीं है।
- xix जैसा कि पहले भी अनुरोध किया गया है लेकिन उस पर डीजीटीआर द्वारा विचार नहीं किया गया, ताइवान, जो कि एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, से हुए आयातों के संबंध में डाटा घरेलू बाजार में बिक्री कीमत के लिए जाने जाते हैं, जो आसानी से सीमा शुल्क विभाग या राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) अथवा मूल्यांकन निदेशालय (डीओवी) से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। धारा 9 क (1) (ग) में यह प्रावधान है कि यदि घरेलू कीमतें उपलब्ध न हो तो जिस कीमत पर ताइवान अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपयुक्त तीसरे देश को बेचता है, प्राप्त किए जाने चाहिए और तुलना की जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे आंकड़े प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं जिन्हें सीमा शुल्क स्रोतों से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। पुनः यह अनुरोध किया जाता है कि ताइवान के संबंध में डाटा ऐसे स्रोतों से प्राप्त किए जाएं और यह जांचने के लिए ताइवान से वस्तुओं के आयात मूल्य की तुलना की जाए कि क्या ताइवान द्वारा इस उत्पाद का कोई पाटन किया गया है। प्रकटीकरण विवरण में यह पाया गया है कि ताइवान से क्षति मार्जिन 0 -20 के बीच है और तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि मामले की पुन जांच की जाए और न्यूनतम पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, लगाया जाए।
- xx यह अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 30 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 02/2020- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत सभी प्रकार की डिजिटल प्रिंटिंग प्लेटों पर अंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद आवेदक अभी भी पूर्व की तरह उसी कीमत पर वस्तुओं की बिक्री कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि आयातों में गिरावट के बावजूद और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर भी आवेदक, उसी कीमत पर बिक्री कर रहा है। यह सामान्य तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए जोड़-तोड़ है कि आवेदक ने सभी प्रकार के आयातों को नष्ट किया है और बाजार में पूर्ण एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। हम आवेदक के कुछ इनवॉयस संलग्न कर रहे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि चाहे पाटनरोधी शुल्क लगाया या नहीं लगाया, कीमत स्थिर रही है।
- xxi आवेदक ने वर्ष 2018 - 19 के दौरान 163.54 करोड़ राशि की निर्यात बिक्री की है। अनुरोध है कि आयात मूल्य की तुलना आवेदक द्वारा किए गए निर्यात मूल्य से की जाए ताकि कथित पाटित आयातों और आवेदक द्वारा किए गए निर्यात की कीमत में अंतर, यदि कोई हो, प्राप्त किया जा सके।
- xxii यह अनुरोध किया जाता है कि आंकड़ों की जांच कराई जाए और यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो पुनः यह अनुरोध है कि क्योंकि मैसर्स टॉप हाई इमेज कॉरपोरेशन, ताइवान हाई क्वालिटी डिजिटल प्रिंटिंग प्लेटों का निर्माण करता है, इसलिए घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है। अनुरोध है कि ताइवान के आयातों पर लगाया जा रहा पाटनरोधी शुल्क सबसे अधिक दर पर लगाया जा रहा है। अतः इस पर पुनर्विचार किया जाए और टॉप हाई इमेज कॉरपोरेशन ताइवान के लिए एक तर्कसंगत राशि निर्धारित की जाए।
- xxiii आवेदक के द्वारा भारत में डिजिटल प्रिंटिंग प्लेटों की बिक्री के संबंध में संलग्न किए गए इनवॉयस यह दर्शाते हैं कि आवेदक जरूरी 2020 से सभी प्रकार की प्रिंटिंग प्लेटों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के

बावजूद अभी भी **** कंपनी प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लेटों की बिक्री कर रहा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डॉलर की दर में उतार-चढ़ाव अथवा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उसकी बिक्री कीमत पर कोई प्रभाव नहीं है। हम एक वर्क शीट और आवेदक के इनवॉयस की एक प्रति यह दिखाने के लिए संलग्न कर रहे हैं कि अभी भी **** रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से बिक्री कर रहा है। उसके अपने आवेदन से पता लगाया जा सकता है जिसमें कि उसने यह दावा किया है कि उसे वर्ष 2018 - 19 में भारी इन्वेंट्री प्राप्त हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आवेदक को भारी नुकसान हुआ था। फिर भी पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, आवेदक अभी भी चीन (एनएमई) और अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से ऐसी प्लेटों की आयात लागत से कम कीमत पर बिक्री कर रहा है। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि आवेदक पाटनरोधी शुल्क का संरक्षण ले रहा है न कि भारत में प्लेटों के पाटन के कारण, ताकि सभी प्रकार के आयातों को समाप्त करके भारतीय बाजार में अपना एकाधिकार बनाए रख सके।

- xxiv उपरोक्त को देखते हुए, पुनः अनुरोध किया जाता है कि इस बिक्री कीमत की तुलना उक्त आवेदक द्वारा उत्पाद के निर्यात बिक्री कीमत के साथ की ही जाए और निष्कर्ष निकालने की क्या पाटन रोधी शुल्क के स्तर में संशोधन किए जाने की जरूरत है, ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके और भारत में गुणवत्ता की प्लेटों का आयात हो सके।
- xxv संलग्न कीमत एलएमई और एसएचएमई के प्राथमिक एल्यूमिनियम की जनवरी से मार्च, 2020 तक की अवधि की है। यह देखा जा सकता है कि एलएमई पर एल्यूमिनियम की कीमतें दिनांक 2.01.2020 को 1772 यूएस डॉलर / मेट्रिक टन से गिरकर 489 यूएस डॉलर / मेट्रिक टन पर आ गई है, जो यह दर्शाती है कि एल्यूमिनियम इनगोट की कीमत में 16% की गिरावट आई है। साथ ही यह भी नोट किया जाए कि 3 माह से अधिक की अवधि में एलएमई से एसएचएमई अधिक है जबकि आवेदक का दावा है कि एसएचएमई प्रायः एलएमई से कम रहता है, इस प्रकार यह अर्थ निकलता है, कि चीन के निर्माता अपनी जरूरतों को कम कीमत पर प्राप्त कर रहे हैं, अतः पाटनरोधी शुल्क उचित है। यह इस तथ्य की ओर भी इशारा करता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से एल्यूमिनियम की कीमत में 16% गिरावट आने के बावजूद आवेदक ने इस अवधि के दौरान डिजिटल प्लेटों की अपनी बिक्री कीमत में बदलाव नहीं किया, जिससे आवेदक का डीजीटीआर के तत्वाधान में प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का खेल स्पष्ट होता है।
- xxvi डीजीसीआईएस डाटा मूलतः के देश ताइवान के लिए तैयार किया जाए और उसके बाद पुनः डिजिटल प्रिंटिंग प्लेटों – सीटीसीपी, वायलेट और थर्मल प्लेटों के लिए तैयार किए जाएं, जिससे यह पता चलेगा कि आयात न्यूनतम से भी कम है और इसलिए मैसर्स टॉप हाई इमेज कॉरपोरेशन, ताइवान पर इतनी ऊंची दर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने पर एक तर्कसंगत स्तर दर पुनः विचार किया जाए। हमने पहले ही टॉप हाई इमेज कॉरपोरेशन के निर्यात इनवॉयस और स्थानीय बिक्री इनवॉयस प्रस्तुत कर दिए हैं जिन्हें हांगकांग में डीआरआई स्रोतों के माध्यम से जांचा जा सकता है।
- xxvii यह अनुरोध किया जाता है कि पूरे मामले की पुनः जांच कराई जाए और यह विचार किया जाए कि क्या आवेदक का यह मानना कि शंघाई की कीमतें एलएमई की कीमतों से कम है, सही है, जिसमें इस तथ्य पर विचार किया जाए कि आवेदक की कीमत यूएस डॉलर/ रुपए की कीमत में उतार-चढ़ाव और एल्यूमिनियम की कीमत में अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनवरी-मार्च की अवधि के दौरान गिरावट आने के बावजूद कोई बदलाव नहीं हुआ।

127. प्राधिकरण ने पोस्ट-डिस्कलोजर टिप्पणियों की जांच की है / इच्छुक दलों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण में पुनर्मूल्यांकन शामिल हैं जो पहले से ही इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैरा में उपयुक्त और पर्याप्त रूप से संबोधित किए गए हैं। इच्छुक दलों द्वारा किए गए पोस्ट डिस्कलेमर कमेंट्स / सबमिशन में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माने गए हैं।
128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक द्वारा किए गए आयातों के मद्देनजर घरेलू उद्योग होने की उसकी पात्रता संबंधी मुद्दे को यह कहते हुए दोहराया है कि यह काफी अधिक मात्रा है अर्थात् 14(घ) में उल्लिखित सीमा से भी अधिक है और यह कि ये आयात घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध तथा असंबद्ध दोनों देशों से नियमित रूप से किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर संबद्ध देश अर्थात् मै. अगफा से घरेलू उद्योग द्वारा आयात पिछले अनेक वर्षों से जारी हैं जो अनिवार्य रूप से प्रौद्योगिकी अंतरण को सुगम बनाने के लिए किए गए हैं और न कि व्यापार के लिए। प्रारंभिक जांच परिणामों में यथाउल्लिखित पी ओ आई के दौरान आवेदक द्वारा संबद्ध देश से आयात अपने नियमित उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए किए गए थे। 14(घ) के अंतर्गत आयातों की सीमा घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों से किए गए आयातों की स्थिति में उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए संगत नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक वास्तव में संबद्ध वस्तु का प्रमुख उत्पादक है और उनके द्वारा किए गए आयात इस विशिष्ट प्रयोजन अर्थात् विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने और उसका विविधीकरण करने या मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अस्थायी आधार पर किए गए हैं। अतः प्राधिकारी दोहराते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग होने की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक हितबद्ध पक्षकार ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा नहीं बनायी गई डिजिटल प्लेटों की किस्मों को बाहर रखना चाहिए। प्राधिकारी दोहराते हैं कि बाहर रखने के लिए प्रस्तावित प्लेट की किस्मों का वास्तव में उन्हीं अनुप्रयोगों में इस्तेमाल होता है जिनका पीयूसी में शामिल प्लेट किस्म में होता है। घरेलू उद्योग के पास क्षमता है और विभिन्न किस्मों का वास्तविक उत्पादन भी है तथा यह कि विभिन्न किस्मों को बाहर रखने में कोई तथ्य नहीं है।
130. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. टोरे इंडस्ट्रीज इंक, जापान से भारत को निर्यात के प्रयोजनार्थ सुरक्षा प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त जलहीन प्लेटों के संबंध में एक हितबद्ध पक्षकार ने बताया है कि घरेलू उद्योग मै. टोरे इंडस्ट्रीज इंक से संबंधित है और यह कि इस उत्पाद को एडीडी की लेवी से बाहर रखा जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि अपवर्जन को केवल मै. टोरे इंडस्ट्रीज इंक तक सीमित रखा जाए और जलहीन प्लेट श्रेणी तक नहीं किया जाए क्योंकि उससे परिवर्चना हो सकती है। प्राधिकारी मानते हैं कि उन्होंने पहले ही पीयूसी के दायरे से सुरक्षा प्रिंटिंग में प्रयुक्त जलहीन प्लेटों को बाहर कर दिया है। अतः यह बाहर रखना केवल मै. टोरे इंडस्ट्रीज इंक तक सीमित नहीं हो सकता है। परिवर्चना के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि जलहीन प्लेटों का पीयूसी की डिजिटल प्लेटों के तीन प्रकारों से अलग प्रयोग होता है और उसकी कीमत पीयूसी से काफी अधिक है। इन दो विशेषताओं से पत्तनों पर इन प्लेटों की पहचान करने में वित्त मंत्रालय की क्षेत्र निर्मितियां सक्षम हो जाएंगी।
131. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने मै. टेक्नावा द्वारा गोपनीयता के दावों के संबंध में कोई कारण नहीं दिया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी सूचना को किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय होने की सूचना के प्रावधान डब्ल्यू टी ओ उपबंधों के पूर्णतः अनुपालन में है। ये उपबंध सभी हितबद्ध पक्षकारों अर्थात् घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक/प्रयोक्ताओं पर समान रूप से लागू होते हैं। संगत नियमों के अनुसार गोपनीयता का दावा की गई सूचना के अगोपनीय अंश को प्रस्तुत करना सुचारू बनाने के लिए प्राधिकारी ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 दिनांक 7/9/2019 जारी की है। इस जांच में अगोपनीय अंश संगत नियमों और उक्त व्यापार सूचना के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि एसएसआर में गोपनीय सूचना के दावों सहित गोपनीयता के लिए घरेलू उद्योग के सभी दावों को व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7/9/2018 के अनुसार दावों के अनुसार गोपनीयता प्रदान की गई है। तथापि, लाभप्रदता प्रतिशत को अनजाने में हितबद्ध पक्षकारों को प्रचालित प्रकटन में चिन्ह रूप में नहीं दिया

गया था जिस पर घरेलू उद्योग ने ध्यान दिलाया है। घरेलू उद्योग के अनुरोध के अनुसार अब उस सूचना को अंतिम जांच परिणाम में चिन्ह रूप में दर्शाया गया है।

132. संबद्ध वस्तु के पिछले एसएसआर की तुलना में वर्तमान जांच में परिस्थिति में परिवर्तन के संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में परिस्थितियां एसएसआर की तुलना में अलग हैं। चार अतिरिक्त संबद्ध देशों के साथ जांच के दायरे को बढ़ाया गया है और इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास कीमत निर्धारण के लिए प्रयोक्ता उद्योग के साथ कोई एम ओ यू नहीं है। वर्तमान जांच में पी ओ आई अलग है और पाटन तथा क्षति का मूल्यांकन वर्तमान पीओआई के लिए किया गया है। एक हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया है कि अप्रैल, 18 से जून, 18 को पीओआई से घरेलू उद्योग ने मनमाने ढंग से बाहर कर दिया है क्योंकि उसने इस अवधि में भारी आयात किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि पी ओ आई 1/7/2018 से 31/3/2019 तक रखी गई है क्योंकि पूर्ववर्ती पाटनरोधी शुल्क जून, 18 तक मौजूद था। 1/7/2018 से 31/3/2019 तक की पी ओ आई है जिसमें कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं था और यह उचित और न्यायसंगत है।
133. एक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया है कि प्रारंभिक जांच परिणामों की तुलना में प्रकटन में मापदंडों का गैर- एक समान और विविध प्रकार का सूचीकरण करने से प्रकटन विवरण के साथ प्रारंभिक जांच परिणामों की तुलनीयता प्रभावित हुई है। प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि सभी सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग ने अपने आंकड़ों पर गोपनीय प्रकटन किया है और उन पर टिप्पणी की है, जिन पर समुचित ढंग से ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, सभी हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक फाइल और जांच के विभिन्न स्तरों पर अन्य हितबद्ध पक्षों के अगोपनीय अनुरोध उपलब्ध कराए गए थे और इसलिए पूर्वोक्त के मद्देनजर प्रकटन में सूचीबद्ध करने की रेंज को टिप्पणी प्रस्तुत करने की सीमा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां कोई प्रारंभिक जांच परिणाम न हो, टिप्पणियां केवल प्रकटन विवरण के आधार पर की जाती हैं।
134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि आवेदक को क्षति उनके द्वारा आयातों के कारण स्व-आरोपित है। इस मुद्दे के समाधान के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का विश्लेषण करके और संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में घरेलू उद्योगों के आयातों सहित कीमत कटौती पर विचार करके इन आयातों के मात्रा और कीमत दोनों प्रभावों का मूल्यांकन किया है। यह नोट किया जाता है कि बाजार हिस्सा और कीमत कटौती मापदंडों ने घरेलू उद्योग के आयातों को शामिल करने पर भी पाटित आयातों का समान प्रभाव प्रदर्शित किया है। इस संबंध में प्राधिकारी यह भी स्पष्ट करते हैं कि आवेदक को नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग माना गया है और एन आई पी निर्धारण सहित क्षति आकलन केवल आवेदक के लिए किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, आवेदक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का स्थल पर सत्यापन किया गया था। यह मुद्दा उठा कि आवेदक का समर्थन करने के बावजूद सत्यापन अन्य मौजूदा घरेलू उत्पादकों के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन यह प्रासंगिक नहीं है क्योंकि अन्य उत्पादकों ने प्रासंगिक डेटा दर्ज नहीं किया है।
135. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक के कतिपय आर्थिक और वित्तीय मापदंडों में प्रारंभिक जांच परिणामों की तुलना में प्रकटन में बदलाव हुआ है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का स्थल पर सत्यापन किया गया है और प्रकटन विवरण तथा अंतिम जांच परिणामों में सत्यापित आंकड़ों को अपनाया गया है। हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि एसएसआर के दौरान और वर्तमान जांच में आवेदक ने अपनी सुविधानुसार अपनी क्षमता का दावा किया है, प्राधिकारी मानते हैं कि उन्होंने क्षमता उपयोग सहित क्षति के आकलन के लिए मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों का मूल्यांकन किया है। मांग आपूर्ति अंतर का अर्थ यह नहीं है कि पाटनरोधी उपाय लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
136. यह अनुरोध किया गया है कि कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री प्लेट के किस्मवार परिकलित नहीं की गई है। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी सभी मापदंडों पर समग्र रूप से पीयूसी के लिए

विश्लेषण किया गया है। क्षति की मात्रा अर्थात् क्षति मार्जिन के परिकलन के प्रयोजनार्थ एनआईपी प्लेट के किस्मवार निर्धारित की गई है और केवल संगत पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है ताकि प्लेटवार क्षति मार्जिन निर्धारित किया जा सके। चूंकि, कम कीमत पर बिक्री और कीमत कटौती के माध्यम से क्षति अंततः क्षति मार्जिन में प्रकट होती है, इसलिए मूल्य की क्षति को केवल प्लेट वार परिकलित कर लिया गया है।

137. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि मै. टेक्नोवा द्वारा मै. आगफा को किए गए रायल्टी भुगतान को क्षति रहित कीमत (एनआईपी) में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा मै. आगफा बेल्जियम से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के बाद विनिर्मित संबद्ध वस्तु के लिए रायल्टी भुगतान किया गया है। तथापि मै. आगफा से आयातित संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री पर कोई रायल्टी नहीं दी गई है। अतः एन आई पी में शामिल रायल्टी भुगतान प्रौद्योगिकी अंतरण से संबंधित है और मै. टेक्नोवा को दी गई बिक्री के किसी प्रादेशिक अधिकार से संबंधित नहीं है।
138. एन आई पी निर्धारण में विविध आय पर विचार नहीं करने के घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एन आई पी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार किया गया है और जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा संगत सूचना प्रस्तुत की गई है।
139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन जापान ने अनुरोध किया है कि उन्होंने उचित कीमत पर निर्यात किया है और उनकी निर्यात कीमत से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, क्षति आकलन की तुलना के प्रयोजनार्थ भारत के घरेलू बाजार में मै. फ्यूजी फिल्म इंडिया प्रा. लि. की पुनः बिक्री कीमत पर विचार किया गया है। प्राधिकारी मानते हैं कि मै. फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन जापान के निर्यात कीमत के संबंध में इसे वास्तव में अनुचित (पाटित) माना गया है जिस पर मै. फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन जापान ने कोई विवाद नहीं किया है। क्षति की राशि की गणना के प्रयोजनार्थ संगत प्रक्रिया के अनुसार क्षति रहित कीमत के साथ पहुंच मूल्य की तुलना द्वारा क्षति मार्जिन परिकलित किया गया है। पहुंच मूल्य की गणना सीआईएफ में मूल सीमाशुल्क और उपकर को जोड़कर की गई है। चूंकि मै. फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन जापान द्वारा वास्तविक संभलाई प्रभार नहीं दिए गए थे, इसलिए प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में निर्यातक के लिए गोपनीय आधार पर यथामूल्यांकित और प्रदत्त पहुंच मूल्य की पुष्टि की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि चूंकि मै. फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन जापान ने संगत ब्यौरे के साथ घरेलू बिक्री के पूरे आंकड़े नहीं दिए हैं, और इसलिए उन्हें असहयोगी माना जाना चाहिए। प्राधिकारी मानते हैं कि उन्होंने मै. फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन जापान द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर उसके लिए भारी पाटन मार्जिन का मूल्यांकन किया है जिस पर निर्यातक ने विवाद नहीं किया है। यदि निर्यातक द्वारा प्रदत्त सामान्य मूल्य के आंकड़े विश्वसनीय या पूरे नहीं भी हैं और तदनुसार, उनकी अनदेखी की जाती है तब भी प्राधिकारी ऐसे प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के निर्यात कीमत आंकड़ों पर विचार करते हैं। वर्तमान जांच में चीन के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं करने से उनके निर्यात आंकड़े अस्वीकृत नहीं किए गए हैं। अतः मै. फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन के निर्यात कीमत पर विचार किया गया है और क्षति मार्जिन पर उपाय की सिफारिश की गई है। इस प्रकार, पाटन मार्जिन की राशि केवल संख्या रह गई है। तथापि, मै. फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन जापान ने सीमाशुल्क परिपत्र 39/2017-सीमाशुल्क दिनांक 26 सितंबर, 2017 के अनुसार, साक्ष्य सहित वास्तविक संभलाई प्रभार प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की है, प्राधिकारी ने उनके द्वारा अनुरोध के अनुसार मै. फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन जापान के पहुंच मूल्य के निर्धारण में मानक संभलाई प्रभारों पर विचार नहीं किया है।
140. प्राधिकारी ने पहुंच मूल्य में सुधार के संबंध में मै. कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशन कंपनी लि. के अनुरोध को नोट करते हुए मै. कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशन कंपनी लि. द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर पुनर्विचार किया है और उनमें सुधार किया है। यह ध्यान दिया जाता है कि हैंडलिंग चार्ज को लैंडेड वैल्यू में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, सीएफआर मूल्य को सीआईएफ के लिए सही कर दिया गया है। तथापि, मै. कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशन कंपनी लि. का क्षति मार्जिन ऋणात्मक ही बना हुआ है।

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशन कंपनी लि. ने अपने पीओआई आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर अलग पाटन मार्जिन प्रदान करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने दिनांक 14/8/2019 से अपने पूर्ववर्ती अनुरोध में बताया था कि मै. कोडक को यह देखते हुए अलग मार्जिन/शुल्क प्रदान नहीं किया जाना चाहिए कि वे क्षेत्र में विनिर्माण नहीं करते हैं। तथापि, प्रकटन विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग ने बताया है कि ऐसा लगता है कि कोडक और लकी दोनों स्वतंत्र रूप से प्रचालन करते हैं। जहां कोडक को अपने ब्रांड नेम का लाभ मिलने की संभावना है और वह चीन के बाजार में प्लेटों के लिए विपणन/बिक्री कंपनी के रूप में कार्य करता और इस बात की अत्यधिक संभावना है कि इनके पुराने संयंत्रों जो अब लकी द्वारा चलाए जाते हैं में प्लेटों का विनिर्माण होगा। अतः लकी और कोडक “संबंधित कंपनियां नहीं हैं” और माननीय प्राधिकारी की यह समुक्ति कि कोडक और लकी द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री के संदर्भ में संबंधित कंपनियों को उनके अलग मार्जिनों के होते हुए भी उपायों के समान राशि प्रदान की जाए, वास्तव में निराधार प्रतीत होती है।
142. प्राधिकारी नोट करता है कि यह इच्छुक पार्टियों में से एक द्वारा कहा गया है कि मैसर्स कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के पास है। मै. लकी हुआगुआंग ग्राफिक कंपनी लिमिटेड, मैसर्स द्वारा कर्तव्यों के परिधि की संभावना है। मै. लकी हुआगुआंग ग्राफिक कंपनी लिमिटेड इसके प्रस्तुत करने में घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि मैसर्स कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड और मै. लकी हुआगुआंग ग्राफिक कंपनी लिमिटेड संबंधित इकाइयाँ नहीं हैं और इन्हें एक संयुक्त नहीं दिया जा सकता है। मार्जिन। मैसर्स कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड ने कहा है कि प्राधिकारी ने अपने पूर्ववर्ती जांच परिणाम में पी ओ आई के बाद के घटनाक्रम पर विचार नहीं किया है, और इस तरह के मुद्दों को बाद में एक समीक्षा के तहत संबोधित किया जा सकता है। प्राधिकरण, घरेलू उद्योग सहित विभिन्न इच्छुक पार्टियों की पूर्वोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड और मैसर्स को एक संयुक्त मार्जिन प्रदान करता है। वर्तमान में लकी हुआगुआंग ग्राफिक कंपनी लिमिटेड की जरूरत नहीं है। एक संयुक्त विश्लेषण करने के लिए, संबंधित नियम / प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा दाखिल किए जाने पर मर्ज किए गए निकाय के निर्यात मूल्य व्यवहार का मूल्यांकन समीक्षा के तहत किया जा सकता है।
143. एक आयातक मै. निप्पोन कलर ने विशेष रूप से ताइवान के लिए डी जी सी आई एंड एस की आयात मात्रा पर प्रश्न उठाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक को संगत व्यापार नोटिस के अनुसार आवेदक द्वारा यथा स्वीकृत डीजीसीआईएस आंकड़ों को दिया गया था। मै. निप्पोन कलर ने सीधे डी जी सी आई एस से भी डी जी सी आई एस के आंकड़े प्राप्त किए थे। आयातक ने डी जी टी आर के विश्लेषण के परिणाम उपलब्ध कराए हैं। मै. निप्पोन कलर को ताइवान से उत्पादक/निर्यातक मै. टॉप हाई इमेज कारपोरेट द्वारा फरवरी, 2020 में काफी देरी से प्राधिकृत किया गया है। मैसर्स निप्पॉन कलर ने कहा है कि *** वर्गमीटर का आयात। 1/6/2018 से 31/3/2019 के दौरान ताइवान से किया गया है जिसका विवरण उनके द्वारा डीजीटीआर को प्रदान किया गया है। तथापि, मै. निप्पोन कलर द्वारा उनके अनुरोधों में यथाप्रदत्त मै. टॉप हाई इमेज कारपोरेट, ताइवान के निर्यातों के आंकड़ों के साक्ष्य नहीं दिए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. निप्पोन कलर ने उनके द्वारा डी जी टी आर को प्रदत्त डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों में संबद्ध वस्तु के अंतर्गत आयात के सभी आई टी सी एच एस शीर्ष शामिल नहीं किए हैं। ताइवान से निर्यातक के प्रतिनिधि होने के नाते मै. निप्पोन कलर ने उन संगत आईटीसी एच एस शीर्षों के विश्लेषण को शामिल किया है, जिनके अंतर्गत मै. टॉप हाई इमेज कारपोरेट, ताइवान के निर्यातों को भारत में स्वीकृत किया गया है। तदनुसार, मै. निप्पोन कलर का विश्लेषण अधूरा और त्रुटिपूर्ण है। प्राधिकारी ने पी ओ आई में ताइवान से आयातों की जानकारी को डी जी सी आई एस के आंकड़ों के आधार पर ताइवान से एक आयातक मै. ब्राइट इंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत उत्तर से सह-संबंधित करने के बाद दर्ज किया था। मै. निप्पोन कलर द्वारा किया गया यह अनुरोध कि

मूल्यांकन निदेशालय/राजस्व आसूचना निदेशालय से आयात आंकड़ों के संगत नहीं होने संबंधी अनुरोध किया जाए क्योंकि डी जी सी आई एस / डीजी- सिस्टम्स के आंकड़े वास्तव में सीमाशुल्क द्वारा सभी पत्तनों में प्राप्त आयातों पर आधारित हैं और प्राधिकारी द्वारा उनकी समस्त जांचों में संदर्भित हैं। मै. निप्पोन कलर ने भी मै. टॉप हाई ईमेल कारपोरेट, ताइवान के लिए सामान्य मूल्य के रूप में ताइवान में घरेलू बिक्री कीमत या अन्य शीर्षों को ताइवान की निर्यात कीमत पर विचार करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. टॉप हाई ईमेल कारपोरेट, ताइवान एक असहयोगी उत्पादक/निर्यातक है जिसने न तो जांच का उत्तर दिया है और न ही निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। मै. निप्पोन कलर ने फरवरी, 2020 में काफी देरी से असहयोगी उत्पादक/निर्यातक की ओर से कुछ अनुरोध किया हैं और उनके द्वारा आश्चर्यजनक रूप से ऐसे उत्पादक/निर्यातक के लिए अलग सामान्य मूल्य प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया है जिसमें निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर भी नहीं दिया है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में अपनी संगत परिपाटी तथा पूर्ववर्ती पैराग्राफों में भी बताए गए अनुसार ताइवान के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सीएनवी संदर्भित की है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में उल्लिखित पत्रति के अनुसार सीएनवी को अपनाया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मै. निप्पोन कलर ने यह अनुरोध भी किया है कि ताइवान से आयातों पर नाममात्र का पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

144. जहां तक डिजिटल प्लेटों के तीन प्रकारों के लिए अलग-अलग उपायों का संबंध है, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने 3 प्लेट प्रकारों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का मूल्यांकन अलग-अलग किया है। तीनों प्लेटों की सीमाशुल्क पत्तनों पर देखकर निरीक्षण/भौतिक जांच के आधार पर पहचान नहीं की जा सकती है, किन्तु मुद्रक के परिसर में एक प्रोसेसर में उन्हें मूल्यांकित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इन प्लेटों की अनेक नई किस्में विकसित की गई हैं जिनमें प्रक्रियाहीन, प्रक्रियामुक्त, दोहरी परत, पॉजेटिव/निगेटिव, कैम फ्री प्लेट आदि शामिल हैं। चूंकि पीयूसी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है “डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट” जिन्हें आम तौर पर “डिजिटल प्लेट” कहा जाता है। डिजिटल प्लेटों का प्रयोग प्रिंटिंग उद्योग में कागज पर या टिन की शीटों या पॉली फिल्म आदि जैसे गैर अवशोषी पदार्थों पर एक छवि (डॉट पैटर्न या टैक्सट) के रूप में आंकड़ों के हस्तांतरण में किया जाता है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी उपाय की एकल राशि से न केवल परिवर्चना पर रोक लगेगी बल्कि इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिनिधि और उपयुक्त होगा कि भारत औसत उपाय पीयूसी की सभी श्रेणियों/प्रकारों की प्लेट-वार तुलना पर आधारित है।
145. प्राधिकारी ने ध्यान दिया कि किसी एक इच्छुक पक्षकार ने कहा है कि सहयोग के बावजूद, उन पर अनुशंसित उपाय अवशिष्ट / गैर-सहकारी उत्पादक / निर्यातक श्रेणी के समान है। प्राधिकरण ने सहकारी उत्पादकों / निर्यातकों के डेटा को संदर्भित करते हुए सबसे अधिक माप लिया है। हालांकि, चीन और कोरिया और जापान में निर्माता / निर्यातक के गैर-सहकारी / अवशिष्ट श्रेणी के मामले में भी इस पहलू को इंगित किया गया है, उच्चतम स्पष्ट मार्जिन अपनाकर सहकारी निर्माता / विषय देश के निर्यातक की डेटा के आधार पर झूठी दी गई है।
146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुरोध किए गए हैं कि अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी घरेलू उद्योग ने अपने डीलरों/ग्राहकों के लिए अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं की है और यह कि एडीडी आवेदक का एडीडी अनुरोध करने के पीछे केवल अपनी एकाधिकारी स्थिति को और सुदृढ़ बनाने का इरादा था। प्राधिकारी मानते हैं कि उन्होंने कीमत क्षति की जांच की है और वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को कम करने के लिए अपेक्षित सीमा तक भी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश कर रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु एक एनआईपी की गणना की गई है। इस नीति से यह भी सुनिश्चित होता है कि आवेदक घरेलू उद्योग को प्रदत्त पाटनरोधी संरक्षण उनकी क्षति कम करते समय प्रयोक्ता उद्योग पर अनावश्यक प्रतिकूल प्रभाव न डाले। प्रारंभिक जांच परिणामों के लगने के बाद संबद्ध वस्तु की कीमत नहीं बढ़ाने का घरेलू उद्योग के व्यवहार का यह अर्थ नहीं है कि एडीडी की जरूरत नहीं है क्योंकि एडीडी सुनिश्चित करता है कि घरेलू उद्योग को पाटित संबद्ध वस्तु द्वारा होने वाली कीमत कटौती के विरुद्ध लागू पाटनरोधी उपाय से सुरक्षा दी जा सके। एडीडी

लगाने के पश्चात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अन्य प्रचलित कारकों पर भी निर्भर होगी जो किसी भी प्रकार से पाटनरोधी उपायों को वापस लेने/अनुशंसा न करने को उचित नहीं ठहराता है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील भी दी है कि चूंकि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता *** से *** प्रतिशत के बीच रही है, इसलिए एनआईपी में 22 प्रतिशत आय की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि एनआईपी को अनुबंध-III तथा उसकी संगत प्रक्रिया में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार परिकलित किया जाता है।

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स ने भी अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क समान होना चाहिए। इसी प्रकार से मै. एनपीटी ऑफसेट प्रेस प्रा. लि. तथा मै. आर के एल प्रिंटर्स के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा भी किए गए हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से प्रयोक्ता उद्योग पर घरेलू प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क देश में समान अवसर की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसित किया जा रहा है ताकि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की क्षति को कम किया जा सके। पाटनरोधी शुल्क केवल क्षति मार्जिन तक सीमित है और क्षति की राशि से अधिक पाटन मात्रा के होने पर संपूर्ण पाटन मार्जिन के बराबर नहीं है। अतः इस प्रावधान में प्रयोक्ता उद्योगों के हितों का भी ध्यान रखा गया है।

ढ. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

148. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जोकि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
149. यह मान्यता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से विषय वस्तु का उपयोग करके निर्मित उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, पाटनरोधी उपाय से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, खासकर अगर पाटनरोधी शुल्क का लेवी घरेलू उद्योग को चोट के निवारण के लिए आवश्यक राशि तक सीमित है। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू करने से पाटनरोधी प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को दूर किया जाएगा, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट को रोका जा सकेगा और विषय वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक पसंद की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ण. निष्कर्ष

150. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष यह है कि:
- (क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पी ओ आई (क) के दौरान समग्र रूप से और भारत में पाटन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।
 - (ख) संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है।
 - (ग) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
 - (घ) यह वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

ज. सिफारिशें

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया तथा घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं से संबंधित सूचना देने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। जांच की शुरुआत की गई और पाटनरोधी

नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच करने के बाद प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्म पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

152. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त किया जा सके। प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में यथाउल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण***	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लि०	0.55	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
2.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोडक चाइना ग्राफिक कंम्यूनिकेशन कंपनी लि०	शून्य	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
3.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शंघाई स्ट्रांग स्टेट प्रिंटिंग इक्विपमेंट लि० और मैसर्स अनहुई स्ट्रांग स्टेट प्रिंटिंग मैटेरियल लि.	0.60	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
4.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	फ्यूजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लि०	शून्य	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
5.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000,	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कालम सं. (6) में उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 4 के सिवाय कोई	0.77	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर

	7606.1190,7606.9190, 7606.9290				अन्य उत्पादक			
6.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जन. गण. को छोड़कर कोई अन्य देश	कोई	0.77	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
7.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	जेइल सी. एंड पी. कंपनी, लि०	0.15	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
8.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	जेइल सी. एंड पी. कंपनी, लि० के सिवाय कोई अन्य उत्पादक	0.37	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
9.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य को छोड़कर कोई अन्य देश	कोई	0.37	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
10.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	जापान	जापान	फ्यूजीफिल्म कारपोरेशन	0.13	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
11.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	जापान	जापान	फ्यूजीफिल्म कारपोरेशन के सिवाय कोई अन्य उत्पादक	0.27	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
12.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट	जापान	जापान को	कोई	0.27	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर

	3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	प्रिंटिंग प्लेट्स		छोड़कर कोई अन्य देश				
13.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	वियतनाम	वियतनाम	कोई	0.60	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
14.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	वियतनाम	वियतनाम को छोड़कर कोई अन्य देश	कोई	0.60	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
15.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	ताईवान	ताईवान	कोई	0.41	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर
16.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190,7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	ताईवान	ताईवान छोड़कर कोई अन्य देश	कोई	0.41	एस.क्यू.एम.	यू.एस. डॉलर

*** जलहीन सीटीपी प्लेट्स का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड आदि जैसे विशेष सामग्रियों पर छपाई के लिए किया जाता है, न कि कागज के लिए।

153. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों का लागू स्तर शामिल होगा।
154. उपर्युक्त के अनुसार प्राधिकरण प्रारंभिक अधिसूचना की पुष्टि करता है कि अधिसूचना संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 की है और उपरोक्त शुल्क तालिका में अनुशंसित शुल्क लगाने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी। अनंतिम पाटनरोधी शुल्क ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 02/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 30 जनवरी 2020 को लागू किया।

155. इस अनुशंसा के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi the 15th May, 2020

FINAL FINDING

(OI CASE No: 06/2019)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Digital Offset Printing Plates” originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Taiwan and Vietnam.

BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/7/2019-DGTR: Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

1. M/s. Technova Imaging Systems (P) Ltd. (hereinafter also referred to as “the Applicant” or “the Domestic Industry”) has filed an Application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”) in accordance with the Act and the Rules for imposition of Anti-dumping duty on imports of “Digital Offset Printing Plates” (hereinafter also referred to as “subject goods”) originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Taiwan and Vietnam (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/7/2019 - DGTR dated 16th May, 2019, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with the Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.
3. The Authority, in terms of Rule 12 of the Rules, issued a public notice vide Notification No. 6/7/2019 -DGTR dated 3rd October 2019 notifying Preliminary Findings in the investigation. Pursuant to the recommendation by the Authority, the Central Government imposed provisional duties vide Notification No. 02/2020 – Customs (ADD) dated January 30, 2020.

A. PROCEDURE

4. Procedure described herein below has been followed with regard to this investigation by the Authority:
- a. The Authority notified the Embassy/Representatives of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping Application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 *supra*.
 - b. The Authority issued a public notice dated 16th May 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject anti-dumping investigation.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification. The Authority extended the time limit for filing the questionnaire response to 22nd July 2019.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the Application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject countries and known importers/users in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules *supra*.
 - e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassies along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the subject countries.
 - f. The Authority sent Exporter's Questionnaire and Market Economy Treatment Questionnaire (only for China) to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

China PR

- (i) M/s.. Kodak (China) Graphic Communication Company Limited
- (ii) M/s.. Henan Huida Printall Digital Material Technology Co.
- (iii) M/s.. Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd.

Vietnam

- (iv) M/s.. Mylan Printing Media Corporation

Korea RP

- (v) M/s.. Jeil C&P Co., Ltd.

Taiwan

- (vi) M/s.. Top High Image Corporate

Japan

- (vii) M/s.. Fujifilm Corporation

- g. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response:

- (i) M/s.. Fujifilm Corporation, Japan
- (ii) M/s.. Fujifilm Global Graphics System, Japan
- (iii) M/s.. Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd., China PR
- (iv) M/s.. Fujifilm (China) Investment Co. Ltd., China PR
- (v) M/s.. Kodak (China) Graphic Communications Company Limited
- (vi) M/s.. Kodak (China) Investment Co Ltd.
- (vii) M/s.. Lucky Huaguang Graphics Co. Limited

- (viii) M/s.. Shanghai Strong State Printing Equipment Limited
 - (ix) M/s.. Anhui Strong State Printing Materials Co., Ltd.
 - (x) M/s.. Jeil C&P Co., Ltd.
 - (xi) M/s.. Mylan Printing Media Corporation
- h. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- (i) M/s.. Kodak India Private Ltd., Mumbai
 - (ii) M/s.. Fujifilm India Private Ltd., Harayan
 - (iii) M/s.. Kapoor Imaging Private Ltd., Chennai
 - (iv) M/s.. Nippon Color, Mumbai
 - (v) M/s.. J.N. Arora Trading Company, New Delhi
 - (vi) M/s.. Sunil Enterprises, New Delhi
 - (vii) M/s.. Bright Enterprises, Andhra Pradesh
 - (viii) M/s.. Vishal Print Traders Pvt. Ltd., Mumbai
 - (ix) M/s.. Vairam Enterprises, Tamil Nadu
 - (x) M/s.. Bennet, Coleman & Co. Ltd., Mumbai
 - (xi) M/s.. Jagran Prakashan Ltd., Uttar Pradesh
- i. The following importers of the subject goods has responded by filing an Importer's questionnaire response.
- (i) M/s.. Kapoor Imaging Private Limited
 - (ii) M/s.. Fujifilm India Private Limited
 - (iii) M/s.. Kodak India Private Limited
 - (iv) M/s.. Bright Enterprises
 - (v) M/s.. Nippon Color
- j. Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, some legal submissions have been received on behalf of the following parties during the course of this investigation.
- (i) All India Federation of Master Printers
 - (ii) HT Media Ltd.
 - (iii) Metrostar Print Solutions Pvt. Ltd.
 - (iv) Government of Korea
 - (v) Government of Taiwan
 - (vi) Toray Industries, Inc.
 - (vii) NPT Offset Press Pvt. Ltd.
 - (viii) RKL Printers
- k. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account for the purpose of present disclosure statement.
- l. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics

(DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

- m. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- n. Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the Applicant domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of Disclosure statement.
- o. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 16th August, 2019. Subsequently, another public hearing was held on 5th December, 2019 in view of the change of the Designated Authority, which was attended by various parties. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- p. At the time of initiation, the Authority adopted most recent period i.e 1.7.2018 to 31.3.2019 as POI. The Period could not be considered from 1.4.2018 onwards as the earlier AD duty continued till June 2018. Hence, the Authority adopted the period of investigation of 9 months. POI of less than 12 months has been adopted by the Authority in a number of anti-dumping investigations.
- q. The Authority notified the Preliminary Findings to all interested parties. As recorded in the Preliminary Findings, the Authority invited comments on the same and the views of the interested parties on the preliminary determination has been considered and addressed to the extent possible for the purpose of present Disclosure Statement.
- r. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this disclosure statement.
- s. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- t. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- u. Desk verification of the information provided by the responding producers and exporters from subject countries to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of Disclosure Statement.
- v. The Authority issued disclosure statement on 20/4/2020. Extension to file response to disclosure was also granted.
- w. ‘***’ in the present Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- x. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.71.06 = 1 US\$.

Note: \$ = US \$

B. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

“The product under consideration in the present Application is “Digital Offset Printing Plates”, also commonly referred to as “Digital Plates”. Digital Plates are used in the printing industry for transferring data as an image (dot patterns or text) onto paper or on non-absorbent substrates like tin sheets or poly films, etc. In the printing process using Digital Offset Printing Plates, the digital workflow enables direct transfer of the image from a ‘computer to the plate’ (CtP) using lasers, unlike the analog workflow that requires an intermediary film to transfer the image. Digital Plates are made from high-purity litho-grade aluminium coils coated with a chemical coating. Digital Plates may be either positive (non-exposed area forms image) or negative (exposed area forms image) working plates. The performance of Digital Plates may also be improved with lesser use of chemicals in the plate development process making it environment-friendly, also known as Digital Offset “chem-free”/ “green plates”. Similarly, the performance of Digital Plates may also be improved to make it process-less plates. The coating components, also known as ‘sensitizers’, vary for different types of plates. Based on the coating components and laser type of platesetters, the Digital Plates may be broadly classified into three categories namely Thermal, Violet and CtCP/UV CtP (‘Computer to-Conventional Plate’).

- i. *Digital Offset Printing Plates that are exposed using infra-red energy is called Thermal plates;*
- ii. *Digital Offset Printing Plates that are exposed using visible and near-visible light energy (violet lasers) are called Violet plates; and*
- iii. *Digital Offset Printing Plates that are exposed using ultra-violet rays are known as CtCP/UV CtP plates.*

All types of Digital Plates in all dimensions are covered within the scope of the product under consideration. The subject goods fall under Tariff Sub-heading ‘8442.50’ of the Act. However, there have been imports of the subject goods under other headings such as 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190 and 7606.9290 as well. Customs classifications are therefore indicative only and the product description would prevail for identifying the product.”

B.1 Submissions made by the Domestic Industry

6. The submissions made by the Domestic Industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
- a. The product under consideration in the present Application is “Digital Offset Printing Plates”, also commonly referred to as “Digital Plates”. Digital Plates are used in the printing industry for transferring data as an image (dot patterns or text) onto paper or on non-absorbent substrates like tin sheets or poly films, etc. In the printing process using Digital Offset Printing Plates, the digital workflow enables direct transfer of the image from a ‘computer to the plate’ (CtP) using lasers, unlike the analog workflow that requires an intermediary film to transfer the image. Digital Plates are made from high-purity litho-grade aluminium coils coated with a chemical coating. The coating formulations vary for different types of plates.
 - b. Digital Offset Printing Plates are made from High purity litho grade aluminium coils. These aluminium coils undergo manufacturing process of electro graining, anodizing and coating on fully integrated process line to get converted to Digital Offset Plates. There are three types of digital offset printing plates, namely:
 - i. Thermal plates;
 - ii. Violet plates; and
 - iii. CtCP/UV CtP plates.
 - c. All these varieties of plates are manufactured in the same plant and can be used interchangeably for offset printing.
 - d. Digital Offset plates that are imaged using infra-red energy (Thermal laser) on

Thermal platesetters are called Thermal plates. Digital Offset plates that are exposed using visible and near visible light energy (violet lasers) on Violet platesetters are called Violet plates. Digital Offset plates that are exposed using ultraviolet rays on UV platesetters are called UV-CtP/CtCP plates.

- e. The imaged plate is then developed in a processor wherein the non-image area is dissolved using an alkaline developer. The plate is then gummed and ready for mounting on the printing-press for printing.
- f. As the technology develops, there are some improvements made in the plates. In addition to the standard /conventional plates there are other variants of plates available such as Chem-free and Process less versions of the Digital Offset Plates.
- g. In the Chem-free plates, there is no need for the alkaline developer to be used. Instead the non-image area is removed by Chemistry-free gum. Hence, for use of Chem-free plate, the processor is replaced by a clean out unit. This results in an environment friendly process and saving of water for the users. This is the main benefit in case of Chem-free plates. The Chem-free plates are available in both Thermal as well as Violet technologies.
- h. In case of Process-less plates, there is no need for a clean out unit. The non-image area is directly removed on the press. This results in productivity improvement in the plate making process. These are photopolymer negative working thermal plates. There is a continuous technological innovation in these plates.
- i. Coating used in the standard /conventional plates are photo sensitive diazo sensitizers. Chem-free and Process-less plates use higher complex monomers, polymers and photo initiators. These plates are priced at minimum 5% to 10% higher than the standard /conventional plates in India.
- j. Double layer plates are nothing but double coating on the plates which imparts robustness to the plate and enable the users to obtain a higher run length for their specific needs. TechNova currently manufactures Double layer Thermal and Violet plates on its existing plant.
- k. Digital Offset Printing Plates may be either positive (non-exposed area forms image) or negative (exposed area forms image) working plates. The range includes plates that require chemicals for processing the plates; and also, environmentally friendly that require no chemicals or water for processing.
- l. TechNova manufactures plates of all thickness. Besides the standard thickness of 0.28 mm, TechNova is currently manufacturing plates of thickness 0.15mm, 0.20 mm, 0.25 mm and 0.40 mm. Existing manufacturing plants are capable of producing plates of all thickness.
- m. As regards manufacturing of Double layer UV CtP plates, it is not commercially viable for the users to use Double layer UV CtP plates as the UV CtP plates are used for print jobs of shorter run length and relatively lower print quality. The user requirement for such short length print job can be catered by single layer UV CtP plates (which are also known as conventional/standard plates). “Shorter run length” job market is very price conscious segment which uses the single layer plates to be cost effective. TechNova has the full capability of manufacturing Double layer UV CtP plates if there is a commercial demand for the product. It may be noted that the price of Double layer UV CtP plates is higher than the conventional/single layer UV CtP plates. Further, Applicant routinely manufactures Double Layer - Thermal (Elite) and Violet. Therefore, the Applicant can easily produce double layer UV CtP Plates.
- n. TechNova manufactures Thermal process-less plates, under Agfa Technology transfer agreement. TechNova is only one of four (others being Kodak, Fuji and Agfa themselves) who manufacture process-less plates in the world. Further, it is submitted that end-use, physical appearances, characteristics, etc. are the same for process-less plates and other types of digital plates. It is merely another category of the same product used by the same customers in the same printing press, and excluding this for any reason whatsoever will lead to widespread circumvention

- o. TechNova submits that no one in the world markets Violet and UV-CtP Process-less plates. Consequently, there are no imports of these during Period of Investigation or based on information available with the Applicant, even till date or any time in the past.
- p. TechNova can produce Chem-free UV CtP plates on its existing plant and machinery and supply the same. However, the costs for the same are significantly higher than conventional UV CtP plates; therefore, there is no demand for such plates. Further, based on the market intelligence no demand or imports, made during the Period of Investigation or even till date.
- q. TechNova has in the past produced and manufactures currently negative working UV CtP, PS and Thermal Plates. Therefore, claims of not doing so are baseless and without any evidence.
- r. TechNova is capable of producing all variants of PUC including the variants like Double Layer UV CtP Plates, Plates of Thickness of 0.25mm, Process-less Plates, Violet and UV-CtP Process-less Plates, Chem-free UV CtP, and Negative working UV CtP, PS and Thermal plates which are sought to be excluded from the scope of the investigation by few of the interested parties. No end-users have sought exclusions of these types of plates but only the Exporters or Importers have sought exclusion.
- s. TechNova manufactures widest range of products and has the capability to produce entire range of the plates, including most of the above versions. After seeding and testing the technologies in the Indian market, technology for all the latest and tested versions the digital plates have been transferred from Agfa Graphics.
- t. As regards Waterless CtP plates, Letterpress Plates and Flexo Plates, TechNova has imported some of the above varieties and full disclosure has been made to the Authority. All these plates are priced 2-3 times of Digital Offset Printing Plates. Regrettably, given the history and propensity of the importers and exporters to circumvent duties based on any exemptions, TechNova is not supporting the exclusion of these varieties.
- u. The claim for exclusion of certain variants of Plates from the scope of the investigation is an attempt to create a loophole for potential circumvention of anti-dumping duties in the future. Given the history of circumvention by some importers, this apprehension of the Applicant is not entirely unwarranted.
- v. TechNova has made imports in insignificant quantities from China PR during the POI. The imports made by TechNova from China PR were mainly to retain and continue to service few limited customers which were offered abysmally low prices from exporters from subject countries and in particular China. In some cases, the price from the Chinese exporters were below the cost of production of PUC for TechNova.
- w. TechNova has entered into a long-term technology transfer agreement with M/s. Agfa Gaevert, Brussels, Belgium. Under this agreement, M/s. Agfa will be transferring Technology of its entire current and future evolving range of Digital Offset Printing Plates. This technology will be absorbed and customized by TechNova for local manufacturing and marketing of these in India of these Digital Offset Plates.
- x. The Digital Offset Printing plates technology is continuously evolving technology with improvements and enhancement in features viz: environment friendly features, productivity improvement, cost saving etc. As a part of these technology transfer process, Agfa transfers the technology of a new product to TechNova after it has launched it in Europe. Before such technology transfer, TechNova imports these digital printing plates from Agfa, Belgium, and test markets the same to its select customers. The plates at these beta sites are tested to ensure consistency and compatibility to the local conditions.
- y. Once the customers approve the plates, and the technology is transferred by them to TechNova. TechNova manufactures the plates in its plants in small batches and supplies it to the customers for trials. During this period supplies of both locally manufactured and imported plates from Agfa are made parallelly to the customer. Once the customer finds the quality comparable with the imported plates, the imports are stopped and TechNova supplies the same from its plants.

- z. During the entire period, the imported plates are sold under commercial invoices to the customers. As an example, TechNova was importing N-91 plates from Agfa which were for seeding the market and Beta testing purposes. Currently TechNova manufactures these plates and supplies to the customers and no more imports of these plates are made now.
- aa. In earlier investigations (Original and SSR), various interested parties have requested for certain exclusions from the scope of the product under consideration, however, it was established and verified that the Domestic Industry was able to produce and supply all the variants of the imported products and the imported products were established to be the like article in all the aspects.
- bb. All types of Digital Offset Printing Plates in all dimensions are covered within the scope of the product under consideration. The subject goods fall under Tariff Sub-heading '8442.50' of the Act. However, there have been imports of the subject goods under other headings such as 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190 and 7606.9290 as well.

B.2 Views of the other interested parties

- 7. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:
 - a. The Domestic Industry has imported Process-free plates and double layer plates from Agfa Graphics in substantial quantity and the Domestic Industry has not manufactured Process-free plates and double layer plates in India during the POI. Therefore, Process free plates should be excluded from the scope of the investigation.
 - b. The Domestic Industry claims of the product range in its Petition and during the oral hearing, is misleading as established by imports from non-subject countries such as Belgium. The claim made by the Applicant of manufacturing the full range of product is highly misleading and factually incorrect.
 - c. Technova does not manufacture 0.25mm, the Applicant stated that 0.25mm plates has no market and hence they do not manufacture these plates but if there are any requirements they will produce. So, they themselves confirm that they do not manufacture these plates so all types of plates of 0.25mm should not be subjected to anti-dumping duty.
 - d. The Applicant has given incorrect information about manufacturing following plates:
 - a) Double layer CtCP/PS/Thermal plates
 - b) Negative working CtCP plates
 - c) Chem-Free/Low-chem CtCP plates
 - d) Process-less Plate CtCP/Thermal/Violet PlatesSo above plates should not be under anti-dumping duty review
 - e. The Domestic Industry does not manufacture Waterless CtP Plates. Waterless CtP Plates cannot simply be interchangeably used by the printers which use Digital Offset Printing Plates. Waterless CtP Plates are imported under tariff heading 3701.3000. Use of Waterless CtP Plates in India is limited to Security Card printing and Label printing, like food or industrial labels, using specially designed printing presses for waterless printing. Therefore, Waterless CtP Plates are different from Digital Offset Printing Plates and therefore should be excluded from product under consideration in the current investigation.
 - f. Applicant's product range as claimed in their petition and during oral hearing is incomplete and claim made by the Applicant of manufacturing the full range of product is highly misleading.
 - g. Kodak submits that KCGCCL manufactures 'Sonora' process free plates and has already requested the Authority to exclude the same from the scope of PUC. Kodak has submitted the claim for exclusion of 'process free' plates at the stage of filing the questionnaire response and the domestic industry has neither rebutted the said claim

nor submitted any documentary evidence to the contrary. Despite the above, the Authority in the Preliminary Findings has noted that the Domestic Industry manufactures all the variants of digital offset printing plates of all widths including Chem-free plates, Process-less plates and Double layer plates. Moreover, the Authority in the Preliminary Findings has not specifically concluded that TechNova has manufactured process free plates during the POI and erroneously included 'process free' plates within the scope of PUC.

- h. During the oral hearing submissions Kodak highlighted that domestic industry manufactures 'process less' plates under brand name 'Avatar' and not the 'process-free' plates. Further, process less and process free plates are not 'like' articles in terms of antidumping law since 'process free plates' are produced by different manufacturing process and possess distinct technical characteristics and Application for end use. Moreover, the customers also perceive 'process less' and 'process free' as two different products. In fact, TechNova is also importing 'process free' plates from Agfa and not manufacturing the same in India. In case the two product categories had been treated by the final user as a 'like product', TechNova would not be required to import 'process free' plates.
- i. Process less and process free plates are not 'like' articles in terms of antidumping law since 'process free plates' are produced by different manufacturing process and possess distinct technical characteristics and Application for end use. TechNova is also importing 'process free' plates from Agfa and not manufacturing the same in India. In case the two product categories had been treated by the final user as a 'like product', TechNova would not be required to import 'process free' plates.

B.3 Examination by the Authority

8. The submissions made by the interested parties and the Domestic Industry with regard to the PUC related issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed hereunder.
9. The product under consideration is the imported product which is allegedly causing injury to the Domestic Industry. The Authority notes that there are three types of digital offset printing plates viz. Thermal plates, Violet plates and CtCP/UV CtP plates. The Authority further notes that with the evolution of technology, there are other variants of plates available such as Chem-free, double layer and Process less versions of the Digital Offset Plates.
10. The Authority notes on the basis of evidence and the information on record that in case of chem-free plates, there is no need for the alkaline developer to be used and the processor is replaced by a clean out unit which results in an environment friendly process and saving of water for the users. In case of Process-less plates, there is no need for a clean out unit as well. In case of Process-less plates, the non-image area is directly removed on the press. This results in productivity improvement in the plate making process. In case of Double layer plates there is double coating on the plates which imparts robustness to the plates and enables the users to obtain a higher run length for their specific needs.
11. With regard to the contention of the interested parties for exclusion of certain products from the scope of PUC, the Authority notes as under:
 - a. As regards exclusion of Process-free Plates or Process-less Plates from the scope of PUC, the Authority notes that the end-use, physical appearances, characteristics, etc. are the same for Process free Plates and other types of digital plates. It is merely another category of the same product used by the same customers. The Authority further notes that an examination of records and the evidence provided by the Domestic Industry clearly demonstrates that Process-less thermal plates are being manufactured and sold by the Domestic Industry. The Domestic industry imported them first from Agfa Europe as part of technology transfer understanding and in May 2019 manufactured the same. No evidence has been submitted by interested parties to demonstrate if there is any demand for other variants of Process-less Plates (i.e. Violet and UV CtP) at a commercial scale. Further, there is no evidence on record to show that these other variants were imported by any importer during the POI. No claim on any adjustment on export price due to change in some technical process or equipment has also been made by any interested party. Thus, the Authority has not excluded the process free/process-less plates in any variant from the scope of the PUC.

- b. As regards exclusion of Double Layer CtCP plates, it is noted that the Domestic Industry manufactures Double Layer plates in Thermal and Violet segments of the PUC. The Domestic Industry also has capability to manufacture double-layer CtCP plates on the same plant and machinery if there is a demand. However, typically single layer UV CtP plates serve the purpose of the customer. Further, the prices of Double Layer UV CtP plates would be significantly higher and because of this reason there is hardly any demand for the same. Therefore, there is no reason for exclusion of Double Layer CtCP plates. Further no claim on adjustments due to an extra coating has been made by any interested party. Thus, the Authority has not excluded Double Layer plates in any variant of Digital offset printing plates from the scope of the investigation.
 - c. As regards exclusion of Chem-free CtCP Plates, the Authority notes that the Domestic Industry can manufacture these plates on its existing plant and machinery. The prices of these plates would be significantly higher than conventional UV CtP plates. Further, no evidence has been provided to demonstrate demand for Chem-free UV CtP plates on a commercial scale. Also, the Authority has not observed any imports of Chem-free CtCP plates and in any case, the Chem free is an ecofriendly variant of the PUC and has the same end use as the conventional UV Ctp Plates. Therefore, the Authority has not excluded Chem-free plates in any variant of Digital offset printing plates from the scope of the investigation.
 - d. As regards the exclusion of Negative working UV CtP plates, it is noted that the Domestic Industry in the past has manufactured Negative working UV CtP plates and can supply the same if there is a demand for the same. Therefore, the Authority has not excluded Negative working plates in any variant of Digital offset printing plates from the scope of the investigation.
 - e. On the issue of Domestic Industry not producing and selling PUC having a thickness of 0.25mm, it is noted that Domestic Industry supplies PUC having a thickness of 0.40mm, 0.28 mm, 0.20 mm, and 0.15mm. The interested parties have provided no evidence to demonstrate that despite the Domestic Industry manufacturing plates of various thickness including 0.40 mm, 0.28 mm, 0.20 mm and 0.15 mm, the Domestic Industry cannot manufacture 0.25 mm thickness. On the contrary, the evidence on record shows that the Domestic Industry has manufactured plates of 0.25 mm thickness. Therefore, the Authority holds that Digital offset printing plates of all thickness are included in the scope of the investigation.
 - f. As regards the exclusion of Toray waterless CtP Plates, it is noted that the waterless CtP Plates are typically not used for paper printing rather it is used for printing on specialized materials such as credit cards, security card printing etc. The Authority further notes that the Domestic Industry does not manufacture waterless CtP Plates. Further, no other producer except Toray has sought exclusion of waterless CtP plates from the scope of the PUC. Also, the Authority notes that other than Toray, no producer/exporter from the subject countries has exported waterless CtP plates to India during the POI. The Authority has excluded waterless CtP Plates from the scope of product under consideration.
12. With regard to like article, Rule 2(d) of the Rules provides as under:
- "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*
13. After considering the information on record and the post disclosure comments, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject countries and the subject product produced by the Domestic Industry. The subject goods produced by the Domestic Industry are comparable to the subject goods exported from subject countries in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

14. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the Applicant are like article to the product under consideration exported from the subject countries, in accordance with the Rules.
15. On the basis of submissions made by various interested parties, the information on record and post disclosure comments, the Authority holds that the product under consideration is “*Digital Offset Printing Plates*”. Digital offset printing plates are used in the printing industry for transferring data as an image onto paper or on non-absorbent substrates like tin sheets or poly films, etc. In the printing process using Digital Offset Printing Plates, the digital workflow enables direct transfer of the image from a ‘computer to the plate’ (CtP) using lasers, unlike the analog workflow that requires an intermediary film to transfer the image. Digital Plates are made from high-purity litho-grade aluminium coils coated with a chemical coating. Digital Offset Printing Plates may be either positive (non-exposed area forms image) or negative (exposed area forms image) working plates. The range includes plates that require chemicals for processing the plates; and also, environmentally friendly that require no chemicals or water for processing. The coating formulations vary for different types of plates. There are three types of digital offset printing plates namely,
 - i. Thermal plates;
 - ii. Violet plates; and
 - iii. CtCP/UV CtP plates.
16. The Authority has taken note of post disclosure comments and hold that all types of Digital Offset Printing Plates in all dimensions and thickness are covered within the scope of the product under consideration. However, waterless CtP plates is excluded from the scope of the PUC for reasons elaborated above.
17. PUC falls under tariff item ‘8442.50’ of the Act. The PUC is also being imported under other Customs Tariff Items 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190 and 7606.9290 etc. Imports of PUC made under all the various HS codes have been taken into consideration for the purpose of injury assessment. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C.1 Views of the domestic industry

18. The submissions made by the Domestic Industry during the course of the investigation with regard to scope of Domestic Industry & standing are as follows:
 - a. The Applicant, M/s.. TechNova Imaging Systems (P) Ltd., is a producer of the subject goods in India. There are three more known domestic producers of the product under consideration, namely, M/s. Metrostar Print Solutions Pvt. Ltd., M/s.. Akshaya Imaging Systems Pvt. Ltd. and M/s.. Orion Photosensitive Systems Pvt. Ltd.
 - b. The Applicant has imported the product under consideration from China PR to an extent of 3.2% of its production during the POI. The imports were made primarily to offset the massive dumping from China as it was a matter of survival for the Applicant. The imports have now stopped, and the Applicant does not intend to import any additional quantities into India in the foreseeable future. The Applicant is not related to any importer in India or any exporter from subject countries.
 - c. The Applicant has relied upon the decision of the Hon’ble High Court of Madras in *Nirma Limited v. Saint Gobain Glass*, where the Hon’ble Court held that the Authority has discretion to consider the imports and ascertain if the Applicant has lost its “essential characteristics” of being a manufacturer by the imports from subject countries.
 - d. TechNova has invested over Rs. 400 crores in its manufacturing facilities and other assets and continues to invest to enhance its capacities. In addition to this, 3500 families depend for their livelihood on TechNova who has intention to remain in the business of manufacturing.
 - e. The Applicant holds a major proportion of total Indian production of the PUC. The Applicant’s share in total Indian production of PUC is more than 90% during the POI.

Accordingly, the Applicant satisfies the requirement of standing and thus constitutes 'Domestic Industry' in India for the product concerned in terms of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules.

C.2 Views of the other interested parties

19. The submissions made by various other interested parties with regard to the scope of Domestic Industry & standing are as under:

- a. The Applicant has Imported the PUC from subject countries in significant quantities during the POI. Therefore, the Applicant is not eligible to be a Domestic Industry pursuant to Rule 2(b) of Anti-dumping Rules.
- b. During the oral hearing, the Applicant accepted to have imported the subject goods from the subject countries. The imports made by the Applicant are approximately 3% of production and 7% of total imports during POI. The import from the subject countries amount to almost 1.2 million sq. mt., which is more than the export of some of the countries.
- c. Jeil C&P Co. Ltd., Korea RP has submitted that the Applicant's standing is questionable since the Applicant, by importing the PUC does not qualify as the Domestic Industry in this Investigation. The Applicant's imports must be evaluated not only against the Applicant's production, but also the total imports from subject countries and the domestic demand in India during the period of investigation.
- d. Filing of the importer's questionnaire is mandatory for the Applicant and in absence of an importer's questionnaire response, the Authority should consider TechNova as non-cooperative for not providing the Authority as well as other interested parties, the information relevant for the present investigation.
- e. There are four producers of domestic like article in India namely (i) TechNova; (ii) Metrostar; (iii) Akshaya Imaging and; (iv) Orion. Amongst the said four producers, only one producer i.e. TechNova has filed the Application and data before the Authority and none of other producers have supported the Applicant. Metrostar has requested the Authority to include it within the scope of 'Domestic Industry'. To support the claim of injury, Metrostar has supposedly filed data with DGTR. However, a non-confidential version of said submission/ data has not been made available to interested parties in the public file.
- f. Metrostar has requested the Authority to consider them as 'domestic industry'. Kodak supports the inclusion of 'Metrostar' as a constituent of 'domestic industry'. The Authority should also note that Metrostar is unable to produce subject goods due to numerous intrinsic factors. As a result, despite having enough purchase orders (from Fujifilm), Metrostar has failed to manufacture and supply goods.
- g. It is pertinent to highlight that the volume of imports by the Applicant from subject countries (i.e. 1.65 million sqm) is approximately 50-70 percent of exports by Kodak during the POI.
- h. Volume imported by the Applicant constitutes 50-60% of total exports. Shanghai Strong further confirms that the shipping date of the last batch of product under consideration imported by the Applicant was April 4, 2019. The Applicant hasn't purchased the product under consideration from Shanghai Strong since then.
- i. Substantial imports in the range of 1-1.5 million sqm cannot possibly be for testing purpose. TechNova's import volume even surpasses the overall export volume to India by some of the subject countries.
- j. The Applicant has admitted in the hearing that the imports were defensive imports meaning there by the imports were done like any other importer in the country and the Applicant has not provided any reasons for the imports.
- k. It shall be open for producer cum importers to seek protection by way of ADD. The submission is that the Applicant should not be allowed to run with the hare and hunt with the hound.

- l. The Applicant compromised its position to determine the price for the subject goods in the Indian market by engaging in imports and trading of subject goods. The Applicant should be treated as not eligible to seek protection against self-inflicted injury in the facts of present case.
- m. The Application has to be dismissed in limine, in view of the fact that the Applicant himself has imported the subject goods. The law does not distinguish whether the Applicant has imported less quantity or more quantity as is being portrayed by the Applicant.
- n. The Applicant has imported subject goods due to increase in demand and declining capacity, reduced capacity by shutting down one of its plant, inability to meet the demand of the country and to take advantage of the cheaper imports.
- o. The Applicant is party to the alleged dumping, hence cannot claim injury on account of alleged dumped imports. Applicant has imported the subject goods because of capacity constraints and suffering injury on account of other factors than imports.
- p. The element of self-inflicted injury, if the Applicant claims any injury, is very apparent in the present case and no remedy is due to the Applicant under the AD scheme if the injury is self-inflicted.
- q. The Applicant should also be considered as an ineligible producer as per para 4.9.20 of the Manual of Operating Practices for Trade remedy Investigations.
- r. The Applicant is related to M/s. Toray Industries Inc. (Toray) as it is the distributor of Waterless CtP Plates in India and therefore, the Applicant is ineligible to qualify as the Domestic Industry.
- s. The Applicant is related to Agfa Graphics on account of the existence of a technology transfer agreement. Agfa Graphics has a related producer in China PR namely Agfa Wuxi Imaging Co Ltd. which is engaged in exports to Asian Markets.
- t. Agfa Graphics and Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd. have entered into a strategic alliance wherein Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd. will provide manufacturing capacity for printing plates in Nanyang, China, with Agfa Graphics' support, technology, and intellectual property to manufacture products for Agfa. Both these have resulted in the Applicant becoming related to Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd., an exporter of PUC from China PR and hence disqualified to be eligible as Domestic Industry under the law.
- u. The Applicant made Imports at the United Arab Emirates Port during the POI as well as post-POI.
- v. The 3.55% of imports from Taiwan is considered significant by the domestic industry, whereas, 7% imports made by them from China at comparable price is insignificant and has not caused them injury and are at fair prices. The domestic industry has therefore clearly resorted to dual standards in dubbing imports from Japan, Korea RP, Taiwan and Vietnam as dumped, injurious and significant in volume, while contending that imports made by them does not constitute significant, are not at dumped price and are not injurious.
- w. It is submitted that the volume of imports in fact made by TechNova is not de minimis, as alleged by TechNova. In fact, Rule 14(d) of the Rules provides an indication of the volume that may be considered de minimis. Rule 14(d) provides for termination of investigation if the volume of the alleged dumped imports from a country is less than 3% of the imports of like products. Accordingly, it is clear that any quantum that is more than 3% of total imports would be considered and would warrant a thorough investigation.
- x. The Applicant has imported very significant volume which should lead to their disqualification, in any case, imports by them should be adjusted while making injury analysis and causal link examination.
- y. In the cases relied upon by the Applicant, the domestic industry had imported the product under advance license, the authority has held that the same should not bar the

domestic producers from being treated as eligible domestic industry. Import by domestic producers under advance license were considered as a bonafide import.

- z. MetroStar, Akshaya & Orion are already out of business during the time when anti-dumping duty was in force. It has nothing to do with removal of anti-dumping duty by the DA.

C.3 Examination by the Authority:

20. Rule 2(b) of the Rules provides as follows:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

21. The Authority notes that the Application has been filed by M/s.. TechNova Imaging Systems (P) Ltd. The Applicant has informed that there are 3 other producers of the product under consideration in India, namely, M/s.. Metrostar Print Solutions Pvt. Ltd., M/s.. Akshaya Imaging Systems Pvt. Ltd. and M/s.. Orion Photosensitive Systems Pvt. Ltd. Out of these 3 other producers, two of them namely, M/s.. Akshaya Imaging Systems Pvt. Ltd. and M/s.. Orion Photosensitive Systems Pvt. Ltd. have not produced the PUC during the POI. The production of the Applicant in the POI is about 97% of the total Indian production and constitutes a major proportion. The Applicant has stated that it has imported small quantities of PUC from China PR which is approximately 3.2% of the Applicant’s production during the period of investigation. The imports made by the Applicant were temporary in nature so as to retain their core customers. Considering the volume of imports for a temporary period during POI and with last imports in May 2019, the Authority notes that the Applicant has not changed its core business or essential characteristics of being a manufacturer of the PUC.
22. As regards the arguments on relationship between the Applicant and Toray, the Authority notes that the interested parties have provided no evidence to substantiate such claim. The Authority notes that both the entities are independent with no interference in the day-to-day operations (production, pricing, sale, etc.). Both the entities are not directly or indirectly controlled by each other or a third entity. Further, together they do not directly or indirectly control any third entity. The Applicant is not under legal or operational control of Toray with respect to its business of manufacturing PUC. Therefore, there is nothing on record to suggest that the Applicant and Toray are related within the meaning of Rule 2(b) of the Rules.
23. As regards the claim of relationship between the Applicant and Lucky due to Lucky’s alliance with Agfa Graphics, it is noted that a technology transfer relationship does not result into two parties being related to each other within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The Applicant has sourced technology from Agfa Graphics, Europe under an agreement for which royalty payments are made. The agreement between the Applicant and Agfa is independent of Agfa’s alliance with Lucky HuaGuang Graphics Co., Ltd. There is no relationship between Lucky and/or Agfa with the Applicant which would disqualify the Applicant to be eligible as Domestic Industry under the Rules.
24. As regards imports by the Applicant at UAE Port, it is noted that such imports never entered in the Indian market and, therefore, do not qualify as imports of PUC into India.
25. The Authority has also taken note of post disclosure comments by various interested parties on this issue and holds that the Applicant company satisfies the standing requirement and constitutes the Domestic Industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

D. CONFIDENTIALITY

D.1 Views of the Domestic Industry

26. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to confidentiality issues:
 - a) Applicant has disclosed all the essential information in the non-confidential version

of the Application in accordance with Rule 7 of the Rules and as per Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018.

- b) Interested parties have filed a grossly deficient response in non-confidential version even after being given 3 extensions dated - June 20, 2019, July 7, 2019, and July 15, 2019 to file sufficient and complete information. The same is purely with the intent to impede the investigation and not provide the data necessary for an expedited determination. By virtue of Rule 6(8) of the Rules, response filed by interested parties must be rejected and declared as non-cooperative.

D.2 Submissions by other interested parties

27. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:

- a) The Applicant has claimed practically entire injury information as confidential. The Non-confidential data is grossly inadequate to ascertain the Applicant's claims. It is difficult to provide comment on such non-meaningful data presented by the Applicant in the petition.
- b) The Applicant has claimed even such information confidential which has been disclosed by them in the previous SSR petition and original petition. Further, the data has been claimed confidential despite the fact that there is overlap in the period between the SSR case in the present case and therefore it is a matter of simple calculation to derive the numbers mentioned on confidential basis in the Application.
- c) Applicant's non-confidential data is inadequate. Information that was disclosed in original and SSR petition, has also been kept confidential. It is a case of suppression of facts and the reason for the Applicant resorting to confidentiality.
- d) The Authority may reject the claim for confidentiality in the interests of fair play and justice and ask the Applicant to share all this data with other interested parties.
- e) The Applicant may be asked to share his import data and the manner in which he has worked out his tables without taking shelter of the confidentiality clause. The Authority has the power to give such directions under Rule 7 of the Rules.
- f) Part VI of the Application deals with costing information of the Applicant. The whole of the data relating to his production, working etc has been marked as Confidential by the Applicant making it impossible for any independent person to verify the veracity of the claims.
- g) Exhibit 17 indicates the Normal Price worked out by the Applicant. Since the whole of the data is declared Confidential, it is not known as to what the pricing pattern he has picked up.
- h) The Applicant has relied on some quotation from his Local CHA for Ocean Freight and internal freight without knowing as to what the actuals might be. The same has not been shared, again on confidentiality grounds, so that the same may be exposed by others in the trade.
- i) Information which was required to be provided by Technova under Rule 6 of the Rules, including the entire injury information, has been treated as confidential information under Rule 7 of the Rules, without any justification whatsoever.
- j) The information that has been treated confidential in the Impugned Preliminary Findings, was in fact disclosed by TechNova during the 2018 Sunset Review.

D.3 Examination by the Authority

28. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of Rule 6, sub-rule(2) of Rule 12, sub-rule(4) of Rule 15 and sub-rule (4) of Rule 17, the copies of Applications received under sub-rule (1) of Rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its

confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

29. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection.
30. Submissions made by the Domestic Industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality both before and those filed after the disclosure to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. Further, the Authority notes that the Trade Notice 10/2018 dated 7 September 2018 requires a domestic producer (where a single producer is filing the petition) to provide certain data (such as production, capacity etc.) as a trend as opposed to actual data. Therefore, the argument that the Applicant had provided actual numbers in previous sunset review investigation does not take away the Applicant's right to present data in the manner prescribed in Trade Notice 10/2018.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1 Views of the Domestic Industry

31. The following miscellaneous submissions have been made by the Domestic industry:
- a) The domestic industry has claimed that Kodak has entered into a binding agreement to sell its China facilities to Huaguang (Lucky) a state-owned enterprise in China. Based on certain news reports, the domestic industry also submits that the sale of Kodak plant to Lucky has been completed sometime in August 2019. Accordingly, the domestic industry argues that Kodak should not be granted individual dumping margin and must not be granted MET status.
 - b) The domestic industry submits that duties must be imposed uniformly across all plates to deter misdeclaration.

E.2 Views of other interested parties

32. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:
- a) Some interested parties have argued that the injury suffered by the Applicant is on account of the Memorandum of Understanding between the Applicant and the user industry.
 - b) The ADD should not be fixed as in the previous regime, but dynamically linked with the spot price of Aluminium Metal on LME or on the basis of identical goods sold by a market economy country to India as provided for in the Rules. The same should be dynamically adjusted by the Customs on Trimester basis.
 - c) The imports are necessary since the domestic industry does not have capacity to meet

the demand. the Applicant resorted to imports as it was unable to meet the demand.

- d) Certain user of the PUC have argued that imposition of anti-dumping duty would result in increased costs as the printing plates constitute more than 40% of their total cost.
- e) Lucky has argued that sale of Kodak plant has been effected after the POI and hence, the two entities must be accorded different duties.
- f) Certain interested parties have opposed imposition of single anti-dumping duty across all types of plates. They have also argued that the Authority must undertake a PCN-wise analysis for dumping and injury.
- g) Some parties have submitted that exports from Taiwan and Korea are miniscule and injuring domestic industry.
- h) Some interested parties have sought to assail the initiation of the present investigation on the grounds that: (i) there cannot be a gap period of April 2018 to June 2018 in the injury period; (ii) injury period must be a complete financial year. Interested parties have relied on the Trade Notice No. 02/2004 dated May 12, 2004 to argue there must not be any gap in the injury period and the POI and that the injury period must be complete financial years.
- i) The domestic industry has contended before the authority that the dumped imports made by them may be segregated in order to undertake injury analysis. The Designated Authority has not analysed whether the imports made by the domestic industry are dumped and injurious or not. On the contrary, the Designated Authority has found that the imports made by the domestic industry were dumped and injurious, as the domestic industry imported significant volumes from two exporters under investigations and the Designated Authority found significant dumping margin and injury margin in these imports.
- j) Lucky submits that without determining that imports made by the domestic industry were not dumped, it is illegal to segregate and exclude imports made by the domestic industry while undertaking injury analysis. Thus, the conclusion that eliminating imports made by the domestic industry amounts to segregating injury for the purpose of examining injury analysis is clearly beyond legal requirements and obligations.
- k) Hindustan Times is a non-cooperative interested party since it has failed to file user questionnaire. Claims of Hindustan Times are not supported and holds no creditability.
- l) Kodak request that the Authority should follow the original investigation conducted in the year 2012 and recommend reference price form of duty, if any, in the final findings.
- m) The domestic industry and the Designated Authority appear to have considered that once import made by domestic industry have been excluded from injury analysis, the authority has examined the effect of dumped imports on the domestic industry and has segregated the effect of imports made by the domestic industry on the injury analysis. However, when import made by domestic industry are at a price comparable to the import price offered to other importers, and the Designated Authority has found such imports at dumped and injurious, exclusion of these imports from injury analysis has vitiated the entire Preliminary Findings.
- n) Lucky wishes to inform the Authority that Lucky has taken over business operations of Kodak. The manufacturing plant will however continue to operate as an independent plant. Since Lucky has taken over Kodak plant, Lucky requests the authority to kindly specify name of Lucky in addition to the name of Kodak for the quantum of ADD recommended for Kodak (in the event of Designated Authority recommending duties). Since these are two different plants, and further since these were having two different ownership during POI, Lucky submits that it would be in order to grant separate duties to the two plants.
- o) M/s. Nippon Colour has provided the country wise import data of PUC for injury period and POI and has stated that imports from Taiwan are less than 3% of total

imports warranting its exclusion from the levy of ADD. Also imports from four countries other than China are too small and be excluded. Further it has been submitted that analysis of import data be stated in finding and shared with them.

- p) M/s. Nippon Colour has stated that AD duty be applied on each type of digital plate separately Stating that customs can check attempt of circumvention. M/s. Nippon through letter dated 27 Feb 2020 enclosing authorization letter from M/s. Top high image, Taiwan has enclosed sample invoice of export to india and a domestic sale invoice. A separate Margin for M/s. Top High image has been sought on the basis of this sample invoice. It has been submitted that Authority has not adopted the prescribed methodologies to compute Dumping and have rather compared landed value with the Cost of production of the Applicant which is not permissible. The assumptions made on expenses for computing ex-factory export price are incorrect and mischievous. If at all any Anti-Dumping Duty has to be imposed it should be linked to the LME prices of Aluminum.
- q) M/s. All India Federation of Master Printers (AIFMP) through their Advocates M/s. Vaish associates have submitted that neither there has been surge in imports post the withdrawal of last AD and that there has been no injury to the Applicant. There should be no AD imposed and if any that too notional.
- r) M/s. Pothal and Associates have filed importer questionnaire on behalf of M/s. Bright enterprises and have submitted that imports from Taiwan claimed as 3.3% be verified. Further they have submitted that injury to Applicant is self-inflicted due to imports by them at same prices as others and that any analysis be done PCN wise.
- s) M/s. Sivakashi Master Printers Association, M/s. Khandelwal Graphics Private Limited, M/s. Saraswati Print Factory and Indian Languages Newspaper Association have highlighted that Applicant is also an importer and just a year back AD was discontinued. Further AD will have an adverse impact on user industry

E.3 Examination by the Authority

33. The various miscellaneous submissions including those filed in response to the disclosure as considered relevant have been examined as under:
 - a) The Authority notes that Memorandum of Understanding (MoU) with the user industry association ceases to exist at present. The Authority further notes that the MoU was not in force during the period of investigation as well. Therefore, the Authority notes that the injury to the domestic industry cannot be attributed to the MoU.
 - b) The Authority notes that the Applicant has provided information based on media reports that Kodak Group has sold its manufacturing plant in China to Lucky, one of the participating producers from China. During the course of the investigation Kodak has not made any statement opposing claims of transfer of the plants. Further, Lucky through its submissions seems to have admitted that Kodak plants have been sold to Lucky in the post-POI period. The Authority has taken note of the fact that the sale of the Kodak plant to Lucky has been affected during the post-POI period. Also, M/s. Kodak has also withdrawn its claim of Market Economy Treatment (MET) for China.
 - c) On the issue of imports being necessary and that the domestic industry does not have the capacity to meet the demand, the Authority notes that the issue of demand-supply gap (even assuming that to be true in this case) is not relevant in an anti-dumping investigation. The investigation does not prohibit imports of the PUC and importer and user industry are free to import the PUC even if an anti-dumping duty is imposed. The AD evaluation is specific to the Cooperating/ participating Producers/exporters based on their data and in case of non-cooperative producers/exporters as per best available information provided by Applicant /other interested parties. Therefore, claims of certain interested parties that data provided by Applicant has been adopted is not justified and further the cooperating Producers/Exporters have not refuted the methodology of Normal Value and Dumping Margin computation as stated in the Preliminary Findings.

- d) NPT Offsets has argued that imposition of anti-dumping duty would increase cost for the printing industry. The Authority notes that neither NPT Offsets nor any other user has filed user questionnaire response. Accordingly, no data has been submitted to the Authority in support of their claims. Further, the issue of increase in cost due to levy of anti-dumping duty is not relevant. In fact, in any anti-dumping investigation, if the Authority recommends imposition of anti-dumping duty, it is bound to increase cost for user of such products. Further, no data has been furnished by user industry to substantiate their claim that printing plates constitute almost 40% of their costs. It is further clarified that AD duty is recommended on the basis of Lesser Duty Rule.
- e) With regard to the issue of uniform duty and product type wise dumping and injury margin analysis (i.e. PCN method), the Authority notes that there is no bar under law to impose one uniform duty across all types of PUC i.e PCN's nor there is a bar to accord Anti-Dumping Duty on PCN basis.
- f) In view of the above, the Authority notes that it has considered the PUC as a whole and recommended duty on the PUC as a whole in the Preliminary Findings. However, the comparison of the three types of Digital Plates for Dumping and Injury Margin have been done Plate Wise. The Authority has evaluated dumping and injury margin plate wise and Anti-Dumping Duty has been recommended based on this approach on the subject goods in later paragraphs.
- g) With regard to the contention of the interested parties that there cannot be a gap in the injury period and the injury period must be a complete financial year, the Authority notes that in order to make the data comparable with the previous years, the Authority has adopted the injury period as 1st April 2017 to 30th June 2018, on an annualized basis, in accordance with the consistent practice of the Authority.
- h) As regards the submission that the period of investigation cannot be less than 12 months, the Authority notes that the Act or the Rules or the Anti-dumping Agreement does not prohibit a period of investigation comprising of 9 months. At the time of initiation, there was no provision of POI in the Rules. A specific provision on POI has been included in the Rules only in February 2020. The Authority noted that the guidelines of the Committee on Anti-Dumping practices regarding duration of period of investigation adopted on 5th May, 2000 recognizes that the Investigating Authorities may consider appropriate POI's on a case specific basis which cannot be less than six months. In the instant investigation, the period of investigation is of nine months which is compatible with the WTO guidelines. At the time of initiation, the Authority adopted most recent period i.e 1.7.2018 to 31.3.2019 as POI. The Period could not be considered from 1.4.2018 onwards as the earlier AD duty continued till June 2018. Hence, the Authority adopted the period of investigation of 9 months. POI of less than 12 months has been adopted by the Authority in a number of anti-dumping investigations.
- i) Some of the interested parties have raised an issue that the Authority has not considered the impact of the imports and sales made by the Applicant in the injury analysis. This aspect has been examined by the Authority and impact of the imports and their resale made by the domestic industry has been appropriately addressed in the subsequent paragraphs.

F. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F.1 Submissions by the Domestic Industry

34. The following submissions have been made by the Domestic Industry:

- a) Aluminium is one of the significant cost constituents of the PUC. The Applicant, along with other producers of the PUC in the world, sources its aluminium based on the prices quoted on London Metal Exchange ("LME") whereas the producers based out of China PR source aluminium based on the prices quoted on Shanghai Future Exchange ("ShFE") prices.
- b) The ShFE is controlled by the Chinese Government, the prices quoted on the ShFE are

highly controlled and monitored by the Govt. The prices quoted on the ShFE benchmark from April 2018 till March 2019 continue to be significantly lower than the prices quoted on the LME benchmark.

- c) The prices quoted on the ShFE benchmark are lower by 10-20% when compared to prices quoted on the LME benchmark.
- d) Given TechNova also imports aluminium, while the LME may have seen some decline in absolute USD terms, with the depreciation of INR, the effective cost for the Applicant has increased. For the purposes of dispelling any doubts, the Applicant reiterates that its aluminium costs – whether procured domestically or internationally – are linked to LME prices in USD terms.
- e) The prices of Aluminium Ingot quoted on ShFE are inclusive of a VAT component charged by the Chinese Government. The VAT Component in the quoted price was 17% until June 2018 which was reduced to 16% in July 2018. Further, in order to stimulate the growth of the aluminium smelting sector, Chinese Govt reduced the VAT, with effect from, from 16% to 13%. The VAT refund to the Chinese producers was to the extent of 13% till Aug 2018, which was increased to 16% (means full refund) from Sept 2018. In order to make a fair comparison of the prices of LME and ShFE quoted prices, following adjustments must be made:
 - VAT must be subtracted from the ShFE prices; and
 - The premium on LME must be added to the LME price
- f) European Union (“EU”) Commission conducted a recent study on the significant distortions in the economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defense Investigation. As per the study report, the Commission, apart from its analysis on Cross-cutting distortions and Distortions in the factors of production, has also discussed aluminium sector-specific distortions in detail. Some of such distortions are the 13th Five Year Plan for Non-Ferrous Metals Industry, Structural adjustments and eliminations of outdated capacity, and Specific Policy Tools for implementing the Government Objectives.
- g) USDoC has also concluded in a detailed study that China PR has not transitioned into a market economy and continues to operate under NME principles.
- h) The United States Federal Govt. has also declared China PR as a currency manipulator. The immediate impact of this is that Chinese exports have become cheaper.
- i) Kodak has entered into a binding agreement to sell its China facilities to Huaguang (Lucky) a state-owned enterprise in China. Kodak will cease all manufacturing of offset printing plates in China. The immediate consequences of the development are that:
 - Kodak should not be granted an individual margin/duty given that they will be no longer manufacturing in the region, and;
 - At a minimum, they should not be granted Market Economy status, given their pending sale to a state-owned enterprise in China. It is expected that the sale will be completed by Q3 2019, which will give Lucky free access to the India market, based on Kodak’s data, which is no longer relevant.
- j) Kodak Group has filed a supplementary questionnaire (MET questionnaire) in the current investigation. It is important to note that, Kodak Group was not granted MET status on the ground of aluminium prices being controlled by the Government in China PR.
- k) The imports from subject countries continued to increase over the past few years, and intenseness of the dumping from all these countries have increased substantially post removal of Anti-dumping duties from China PR in June 2018.
- l) Kodak has wholly misunderstood the burden of proof on a Applicant. It is submitted that as a Applicant, Technova was required to place best evidence as available in public domain. Kodak being a producer from a non-market economy bears the burden

to demonstrate that it operates under market economy principles. Interestingly, Kodak is entirely silent on the ShFE aluminium prices (aluminium constitutes 70% of the cost of manufacturing PUC) which are fully controlled by Chinese government in China. In the previous sunset review and the last original investigation, Kodak was denied market economy status on the ground that ShFE prices did not reflect market prices. There is no evidence on record to rebut this fact.

- m) Kodak has sought to argue that the European Union cannot be the surrogate country for sourcing information with respect to the construction of normal value. The primary reasons for such a claim is that complete information concerning domestic sale in the European Union is not available but were based on sample invoices of domestic sales of the Product under Consideration concerned. Accordingly, in Kodak's view, Vietnam should be an appropriate surrogate country. However, the fact is that complete information with respect to domestic sales in Vietnam is also not on record. Therefore, Kodak is contradicting its arguments. With regard to the methodology of the European Union to be considered as one of the methodologies for constructing the Normal Value is limited to China PR only given that there the conditions of competition and other economic parameters are similar between both the countries. Detailed reasons were provided in the petition which has not been rebutted as to why they should not be compared otherwise. It is also worth submitting that the Applicant have also relied upon an alternative methodology and constructed the Normal Value for subject countries including China PR. Both the methodologies have been considered by the Designated Authority in the investigations against China PR and other countries. The methodology is in line with previous practice of the DGAD. Kodak is clearly circumventing from the issue of admitting to respond to its dumping status and at the same time Fuji in its submission is also distancing itself from the other Chinese players including Kodak and other Chinese manufacturers, thereby perplexing the Designated Authority with the accepted methodologies presented by the Applicant.
- n) The interested parties have furnished grossly deficient response and therefore, the response filed must be rejected and normal value must be determined on the basis of best facts available.

F.2 Submissions by the other interested parties

35. The following submissions have been made by other interested parties:

- a) Fujifilm submitted that, recently the government of China PR decreased its interest rate significantly to provide undue benefit to its exporters. This will also result in aggressive dumping from China PR.
- b) Chinese currency is devalued by only 3% from 6.8 to 7.02 to the US Dollar whereas Indian currency is devalued by 5% from Rs 68 to Rs 71.25 to the US Dollar.
- c) EU is mostly a user of Thermal Plates and is a major producer of Thermal Plates and not CTCP or Violet plates (although Violet Plates are used only by the Newspaper Industry there), whereas India is mostly a user of CtCP Plates. It is requested that the forced imposition of EU as a third party country for determining normal value may be rejected by the DA.
- d) There is no compensatory arrangement between KIPL and KCGCCL. KIPL has suffered losses in domestic sales on account of low domestic selling price of TechNova.
- e) China is a Non-Market Economy, the other four countries viz., Vietnam, Taiwan, Korea and Japan are not NME and hence the method adopted by the Applicant is incorrect and needs to be rejected.
- f) Authority relied upon findings of US under section 232 of the Trade Expansion Act and therefore incorrectly rejected MET status to Kodak since the findings of the US was challenged by the India at WTO.

- g) Authority is requested to verify the facts for on LME and ShFE prices prior to issuance of final findings and verify whether LME Bulletin indicates price of Lithographic Aluminium Sheets.
- h) Lucky has not claimed normal value based on cost and price and the Applicant's claim that LME was higher than SME, is false as we have Information showing that SME was in fact higher than LME has been provided.
- i) The argument that the prices considered by Lucky, are inclusive of VAT, is without any basis. It needs to be considered that a consumer in China can import the product from LME after paying prevailing customs duties. In such a case, the person will not even pay the VAT payable on domestic sales procurement. Further, even in case of domestic sales, since VAT is adjustable against VAT paid on output sales, VAT on input in any case is not an expense for the producers.
- j) Assuming a trader pays VAT, it gets refund for the same when it is exported. Thus, in any case, VAT should not form part of the cost.
- k) Assuming that there is export duty on aluminium from China, in any case the domestic price being higher than LME price the issue stands irrelevant.
- l) Studies conducted by EU and USA are generic and not specific to PUC. Onus on Applicant to establish that these studies apply to the present case.
- m) EU is not a comparable market economy country for China PR in terms of Anti-Dumping Rules. Complete information concerning EU domestic sale price and cost of production is not available with the Authority.
- n) The reports concerning alleged market distortions as relied on by the Applicant are not binding on the Authority. The reports of alleged market manipulation, as relied upon by the Applicant do not pertain to the POI of the present investigation
- o) In terms of Anti-dumping Rules, Kodak has duly submitted information concerning normal value which includes data on the cost of production, resale price of goods manufactured by KCGCCL in China, etc. To substantiate the claim of negative dumping margin, KCGCCL, as well as KCICL, has filed a detailed MET questionnaire response which reflects that the cost of production is fair and reasonable in terms of market economy conditions. The Authority is requested to accept Kodak's Normal Value for determination of dumping margin since the computation of normal value provided by the Applicant is completely erroneous.
- p) Kodak submits that the SME price source claimed by the Applicant does not display price as claimed by the Application/written submissions. Therefore, the Authority is requested to reject the price comparison as submitted by TechNova. Kodak requests the Authority to compare KCGCCL's aluminium purchase price with the purchase price of TechNova to examine market economy status of Kodak entities
- q) There are no findings by World Bank/ IMF/Reserve bank of India concerning alleged distortion in Chinese aluminium sector or currency manipulation. Even the report concerning Chinese currency issued by the US Treasury does not declare/designate China PR as 'currency manipulator'. The findings by US Department of the Treasury is based on three essential parameters such as (a) bilateral trade surplus; (b) material current account surplus; and (c) purchases of foreign currency. Therefore, it is evident that findings by the US Department of the Treasury is aimed to balance bilateral trade and not the foreign exchange. Moreover, there is no findings by the World Bank, Asian Development Bank, International Monetary Fund or Reserve Bank of India to support the findings of US Department of the Treasury. Therefore, claim of currency manipulation/market intervention by PRC should be rejected.
- r) In the previous investigation, the Authority has not granted MET status to Kodak on account of report issued by USDOC in terms of Section 302 of the Trade Expansion Act. However, the Government of India has subsequently disputed the said report and filed a dispute before the WTO. Therefore, the Authority is requested to examine the MET status for Kodak afresh without being influenced by the reports/studies by other countries.

- s) EU Commission Staff working documents relied upon by the Applicant is merely a working document which does not pertain to the POI. Further, the criteria for evaluating the market economy condition under EU law is different from the criteria stipulated in Indian laws. Therefore, EU Commission Staff working documents should not be taken into account for determining MET status to Kodak.
- t) Compared to the period prior to POI, the value of INR vs USD (during the POI) has declined by 10 percent. During the said period, the devaluation of Yuan was merely 3-4 percent
- u) The construction of normal value in the present investigation has been made whilst following an erroneous approach.
- v) Apex institution regulating international trade such as World Trade Organisation has not confirmed the validity of EU Commission Staff working documents. Therefore, the claim of market distortion and staff working document should be rejected and the determination/examination of market economy status for Kodak should be based on independent examination of relevant parameters by the Designated Authority in terms of Anti-dumping Rules.
- w) Kodak has submitted its purchase price of aluminium and the Authority may compare the same with aluminium price in India during the POI to evaluate the claim of market economy status.
- x) In case the Authority determines Normal Value for Kodak based on alternative methodologies, the cost of production in Vietnam or Vietnamese domestic sales price of subject goods may be considered for determining Normal Value for China PR. Kodak highlights that the GOI has accorded market economy status to Vietnam after a detailed examination of multiple parameters as stipulated in the Anti-Dumping Rules and this method of determining normal value would be more appropriate and accurate than the one suggested by the Applicant (i.e. based on sample export sales from EU).
- y) Lucky submits that two of the co-operating producers have been awarded NIL duty, thus implying that their exports did not cause injury to the domestic industry. Out of remaining two, both supplied plates to the Applicant. Thus, when the Applicant itself has bought significant volumes from the two companies dubbed dumping the product, it is a clear case where the Applicant has joined or participated in dumping.
- z) Fujifilm submitted that the exchange rates in China PR is controlled by the Government and not based on market forces. So, requests the Authority to not accept the MET claim of the exporters from China in line with the consistent practice followed in plethora of cases. In addition, it is also submitted that even recently the government of China PR decreased its interest rate significantly to provide undue benefit to its exporters. This will also result in aggressive dumping from China PR.
- aa) Fujifilm submitted that Lucky Huaguang Graphics Co China is getting several incentives from the government as it is a state-owned company. Further, it is also benefited from the cheap raw material that it purchases from SHFE. It is a known fact that SHFE is also controlled by the government.
- bb) Normal value and injury to the Domestic Industry for PUC needs to be determined on a PCN basis similar to basis adopted by the Authority in the previous findings.

F.3 Examination by the Authority

36. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6), or*
- ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

- a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6); or*
 - b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6);*
37. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. In addition, the Authority sent supplemental questionnaire to known producers/exporters from China. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:
 - (i) M/s.. Fujifilm Corporation, Japan
 - (ii) M/s.. Fujifilm Global Graphics System, Japan
 - (iii) M/s.. Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd., China PR
 - (iv) M/s.. Fujifilm (China) Investment Co. Ltd., China PR
 - (v) M/s.. Kodak (China) Graphic Communications Company Limited
 - (vi) M/s.. Kodak (China) Investment Co Ltd.
 - (vii) M/s.. Lucky Huaguang Graphics Co. Limited
 - (viii) M/s.. Shanghai Strong State Printing Equipment Limited
 - (ix) M/s.. Anhui Strong State Printing Materials Co., Ltd.
 - (x) M/s.. Jeil C&P Co., Ltd.
 - (xi) M/s. Mylan Printing Media Corporation
38. The Authority notes the following relevant provisions related to Normal value computation under the Rules as well. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Rules are as under:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country

is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization."

39. At the stage of initiation, the Applicant proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of whether their data/information could be adopted for the purpose of normal value determination. The Authority sent copies of market economy treatment/supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard.

40. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following Rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that Application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying

and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

41. The Authority notes that while the provisions of 15 (a) (ii) have expired with effect from 11 December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the AD Agreement read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure 1 of India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the MET status. The Authority notes that except Kodak Group, no other producer/exporter from China PR has submitted market economy treatment/supplementary questionnaire response, the normal value computation for these other producers/exporters are required to be dealt as per provisions of para 7 of Annexure-1 of the Rules. Further, the Authority has determined not to accord market economy treatment to Kodak Group for reasons as enunciated in subsequent paragraphs.

F.4 Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters in China PR

Evaluation of MET status of Kodak China Graphic Communication Co. Ltd. ("KCGCCI"), M/s. Kodak China Investment Co. Ltd. ("KCICI") (hereinafter referred as "Kodak group") and Computation of its Normal Value.

42. The Authority notes submissions made by Kodak group regarding claim of market economy status, questionnaire filed with domestic sales, export sales and cost of production along with supplementary questionnaire regarding claim of market economy status and supplemented with additional submissions with regard to the claim of market economy status. The Authority notes that prevailing prices of aluminum in China PR are governed by the SHFE which is a state-controlled state. On comparing the Shanghai Future Exchange ("SHFE") prices with London Metal Exchange prices on an apple to apple basis, the Authority notes that SHFE prices of Aluminum (excluding VAT) are lower than the LME prices (including relevant premium) and therefore the costs of subject goods (where Aluminum is a major raw material) from China are not representative of actual costs. Kodak has not provided any evidence to refute the above.
43. The Authority notes that the para 8(3) of Annexure 1 of the Rules states "*the designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:*
 - a) *the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;*
 - b) *the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;*

- c) *such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and*
- d) *the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in Anti-Dumping Rules, 1995 in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.”*
44. In the instant case, the Authority notes that Kodak group has entered into a partnership with M/s.. Lucky Huaguang Graphics Company Ltd. and is selling its plant to them. It is also noted that all Foreign Exchange transactions entered into by Kodak group are as per the market conditions and the state interventions related to currency devaluation are intended for competitive advantages in export transactions.
45. The Authority further notes that Kodak purchases the raw material from state owned enterprise. Thus, such purchase price of the raw materials is being governed by state interference. Also, Kodak's related importer resells the subject goods in India at a loss. The Authority has, therefore, decided to consider all producers/exporters of China PR as not qualifying for market economy treatment including Kodak who initially claimed market economy treatment but has withdrawn its claim of MET later. None of the other participating Producers/Exporters from China have claimed MET. The Authority has therefore evaluated the normal value for all producers/exporters on the basis of Rule 6 (8) i.e. best available information of the Rules which reads as *“In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances.”* The Authority notes that no data for adopting any other methodology for NV has been provided by any other interested party. Further the Constructed NV on the basis of Indian Cost of Production adopted in the Preliminary Findings has not been contested by any of the participating producers/exporters of China and also in response to the disclosure statement. Therefore, the Authority has finalized the Normal Value for Producers/exporters of China as per this approach in the final findings.
46. Accordingly, the normal value for the subject goods has been constructed considering optimum consumption norms for the major raw materials and utilities, international prices of purchased raw materials, prices of captively produced raw material, including reasonable conversion cost, interest, SGA, and reasonable profit etc. The Authority has undertaken the onsite verification of the Applicant to validate and verify the data filed by them. The normal value for the 3 product types i.e. UV CtP, Thermal and violet plates is considered as *** US\$/sqm, *** US\$/sqm and *** US\$/sqm respectively post onsite verification of Applicant's data relevant for constructing CNV.

Kodak Group:

47. M/s. Kodak China Graphic Communication Co. Ltd. (“KCGCCL”) is the producer/ exporter of subject goods. Its related company is M/s. Kodak China Investment Co. Ltd. (“KCICL”) is engaged in domestic sales in the subject country. The goods exported by KCGCCL are imported by Kodak India Pvt. Ltd. (“KIPL”) a related importer which are subsequently sold to unrelated end customers.
48. The Producer/Exporter had though claimed market economy treatment for computing ‘normal value’ on the basis of their domestic sales in China but has post the Preliminary Findings withdrawn their claim. The Authority had considered the normal value, ex-factory export price and landed value as under in the Preliminary Findings:

Normal Value

49. During POI, KCGCCL has made entire sales in domestic market through KCICL who has further sold subject goods to end customers in domestic market. The producer/exporter had not clarified regarding state interference in the purchase of raw material, currency manipulation by the Govt. and on the fact of takeover of M/s.. KCGCCL by M/s.. Lucky

(which is state owned enterprise) the claim of M/s. Kodak for market economy treatment was not admitted in the Preliminary Findings. In view of withdrawal of claim of MET by M/s. Kodak, the Authority confirms the Normal Value computed as per the constructed NV approach adopted by the Authority which is not contested by M/s. Kodak. The normal value for thermal and violet plates is adopted as ***US\$/sqm and ***US\$/sqm respectively.

Export Price

50. M/s. KCGCCL has exported *** sqm of Thermal and *** sqm of Violet Plates to the related importer M/s. KIPL.
51. During the POI, M/s. KIPL has sold subject goods in domestic market only to independent customers. KIPL has sold subject goods in domestic market at a price above landed value, however, KIPL has suffered losses on domestic sales on subject goods after considering selling and general administrative charges. KIPL has claimed that the losses suffered by KIPL is on account of intense competition between Tech Nova and other importers and there is no compensatory arrangement between KCGCCL and KIPL. Accordingly, post factory expenses of transportation, credit cost and the average losses on KIPL in its domestic sales in India has been deducted to arrive at ex-factory export price. The Authority also carried out on site verification of the importer's data. The Ex-factory price of goods exported by KCGCCL to its related entity KIPL after necessary adjustments is computed as ***US\$/Sqm and ***US\$/Sqm respectively.
52. For computing the landed value of goods exported by KCGCCL, the exports by KCGCCL have been compared with response filed by the related importer. During the POI, KCGCCL has exported *** sqm of subject goods at FCA incoterm. Landed Value of goods exported by KCGCCL to KIPL has been computed based on invoice value after including ocean freight, BCD @ 7.5 percent and Education Cess @ 10 percent of BCD. The Assessable value has also been validated with DG Systems data. The handling charges considered earlier in the Preliminary Findings are not proposed to be included in the computation of the LV keeping in view the circular number 39/2017 of the Department of Revenue. The Authority notes the submissions made by the exporter on minor computational correction of the landed value which have been revisited and rectified as per the data of the exporter. The landed value for thermal and violet plates for KCGCCL is considered as ***\$/Sqm and ***\$/sqm respectively. The details are as tabulated below;

Plate Type	Qty. (Sqm.)	Invoice Value (\$)	Ex-factory Export price \$/Sqm.	Landed Value \$/Sqm.
Thermal	***	***	***	***
Violet	***	***	***	***
Total/Wt. Average	***	***	***	***

M/s. Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd. ('Lucky')

Normal Value

53. The producer/exporter has not claimed market economy treatment and accordingly the Authority has adopted the constructed normal value as per best available information in accordance with Rule 6 (8) of the Rules. The producer/exporter has claimed having exported all three categories of plates. The Authority has adopted the constructed normal value for, UV CtP plates, thermal and violet plates as ***US\$/sqm, ***US\$/sqm and ***US\$/sqm respectively, for evaluating dumping margin.

Export Price

54. The ex-factory export price for UV CtP, thermal plates and violet plates is considered as ***US\$/sqm, ***US\$/sqm and ***US\$/sqm respectively, allowing adjustments on ocean freight, port expenses, inland freight and bank charges. The landed value for UV CTP, thermal plates and violet plates is considered as ***US\$/sqm, ***US\$/sqm and ***US\$/sqm respectively. The details of POI are as tabulated below;

Plate Type	Qty. (Sqm.)	Invoice Value (\$)	Ex-factory Export price \$/Sqm.	Landed Value \$/Sqm.
UV-CtP	***	***	***	***
Thermal	***	***	***	***
Violet	***	***	***	***
Total/Wt. Average	***	***	***	***

M/s.. Shanghai Strong State Printing Equipment Limited and M/s.. Anhui Strong State Printing Materials Ltd. ("Shanghai Strong")

Normal Value

55. The producer/exporter has not claimed market economy treatment and accordingly the Authority has adopted the constructed normal value as per best available information in accordance with Rule 6 (8) of the Rules in the Preliminary Findings. The same has not been disputed by the exporter. Hence the Authority has referenced the already adopted constructed normal value for the UV CtP plates as ***US\$/sqm for the POI, for evaluating dumping margin for the final findings as well.

Export Price

56. The ex-factory export price for UV CtP plates for the exporter is considered as ***US\$/sqm, after allowing the claimed adjustments of Ocean freight, ocean insurance, inland freight, port expenses, credit cost and non-refundable VAT and the landed value as *** US\$/sqm .The details are tabulated below:

Plate Type	Qty. (Sqm.)	Invoice Value (\$)	Ex-factory Export price \$/Sqm.	Landed Value \$/Sqm.
UV-CtP	***	***	***	***

M/s. FUJIFILM Printing Plate (China) Co. Ltd. (FFPS), FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd. (FFCN) ("Fujifilm China")

Normal Value

57. M/s.. FUJIFILM Printing Plate (China) Co. Ltd. (FFPS), producer in China has exported *** sqm of violet digital plates at a net invoice value of ***USD, through FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd. (FFCN) a related trader who further have exported to Fujifilm India Pvt. Ltd., a related importer, who have sold in Indian market with a mark up to unrelated customers. The Authority undertook onsite verification of the related importer. FFPS has not claimed market economy status and therefore the Authority has referenced the normal value on the basis of cost of production filed by domestic industry with appropriate adjustments as was considered in the Preliminary Findings and as stated above in other relevant paragraphs. The producer has not refuted the methodology for NV adopted in the Preliminary Findings. Thus, the normal value for subject goods for in the final findings is considered as ***US\$/sqm.

Export Price

58. The ex-factory export price for the violet digital plates is considered as ***US\$/sqm, allowing adjustments on ocean freight, insurance, inland freight, port expenses, credit cost. The landed value for violet plates is considered as ***US\$/sqm. As regards producer's submissions on corrections of the landed value by including the actual handling charges on an estimated basis of another period, the Authority holds that it has evaluated the landed value keeping in view the customs circular no 39/2017-Customs dated 26th September 2017 and the landed value as per the disclosure statement is therefore confirmed in the final finding. The details are as tabulated below;

Plate Type	Qty. (Sqm.)	Invoice Value (\$)	Ex-factory Export price \$/Sqm.	Landed Value \$/Sqm.
Violet	***	***	***	***

F.5 Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters in Japan

M/s.. Fujifilm Corporation, Japan and M/s.. Fujifilm Global Graphics System, Japan (“Fujifilm Japan”)

Normal Value

59. Fujifilm Corporation has filed the Exporter Questionnaire Response (EQR) of details of sales in their domestic market through its related company, i.e. M/s.. Fujifilm Global Graphics System (FFGS). The exporter has exported directly to India to M/s.. Fujifilm India Pvt. Ltd., its related importer. FFGS graphics, for a small quantity sold by it in Domestic market, has not filed separate questionnaire response. The Authority notes that no adjustments have been claimed and also that separate cost of production has not been provided for thermal and violet categories. Neither the transaction wise data of domestic sales by FFGS has been provided. Based on the weighted cost of production claimed by the Fujifilm Corporation and the weighted average domestic selling price of both thermal and violet plates the weighted average normal value was considered as ***/sqm in the Preliminary Findings As no comments have been made by the producer/exporter the same has been confirmed in the final findings.

Export Price

60. Ex-factory export price for thermal and violet plates was considered as ***/sqm and ***/sqm respectively. The landed value for the final findings is considered as ***/sqm and ***/sqm respectively by adding BCD and education cess and not including the handling charge in the computation of landed value. As regards producers submissions on corrections the landed value by including the actual handling charges on an estimated basis of another period, the Authority holds that it had evaluated the landed value keeping in view the customs circular no 39/2017-Customs dated 26th September 2017 and the landed value as per the disclosure statement, is therefore, confirmed in the final finding. As the Normal value and Ex-factory export price have not been refuted by the exporter therefore, weighted average dumping margin of ***/sqm as considered for both the categories of plates in the Preliminary Findings is considered for the final findings as well. The details are as tabulated below;

Plate Type	Normal value (\$/sqm)	Qty. of Export (Sqm.)	Invoice Value of Export (\$)	Ex-factory Export price \$/Sqm.	Landed Value \$/Sqm.
Thermal	***	***	***	***	***
Violet	***	***	***	***	***
Total/Wt. Average	***	***	***	***	***

F.6 Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters in Korea RP

M/s.. Jeil C&P Co. Ltd.

Normal Value

61. M/s.. Jeil C&P Co. Ltd. (producer and exporter) has filed EQR. As regards normal value, the Authority notes that *** sqm of UV CtP plates has been sold in the domestic market at a price of ***US\$/ sqm. The Ordinary Course of Trade Test (OCT) was carried out

considering the claimed COP for goods exported to India, which led to NV of ***\$/sqm in the Preliminary Findings. The adjustments considered are inland transportation, credit cost, and warehouse storage. The Authority undertook desk study of the exporter's data and evaluated the COP as *** KRW/sqm for UV CtP plates. Based on the OCT test, the Normal Value is confirmed as ***\$/sqm as was considered in the Preliminary Findings.

Export Price

62. . M/s.. Jeil C&P Co. Ltd. has exported ***sqm of UV CtP plates to India during POI at a CIF price of *** US\$/sqm. The Authority had evaluated the ex-factory export price for UV CtP plates as *** US\$/sqm in the Preliminary Findings by considering all adjustments except duty draw back since sample evidences were provided for various adjustments except duty drawback. The Authority on the basis of desk study undertaken after the Preliminary Findings has considered the adjustment on Duty Drawback and therefore Ex- factory export price is considered as ***\$/sqm and the landed value as ***US\$/sqm.

Plate Type	Normal Value (\$/Sqm)	Qty. (Sqm.)	Invoice Value (\$)	Ex-factory Export price \$/Sqm.	Landed Value \$/Sqm.
UV-CtP	***	***	***	***	***

F.7 Determination of Normal Value and Export Price for producers and exporters in Taiwan

Normal Value

63. As none of the producers/exporters from Taiwan have responded, the Authority has constructed the normal value for all producers/exporters on the basis of best available information in accordance with Rule 6 (8) by adopting cost of production in India with adjustments on account of international raw material prices, power costs as per Domestic Industry's data, normated conversion costs, SGA and a reasonable profit of 5% on the cost of production. However it is noted from the response filed by Bright enterprises, an importer, Applicants claim and DGCIS data that only UVCTP plates have been exported and, therefore, instead of weighted average CNV of all three types, the normal value of UVCTP is proposed to be considered as ***\$/sqm for the POI as against ***\$/sqm which was considered in the Preliminary Findings. M/s. Nippon at a belated stage made submission on behalf of M/s. Top High Image, a producer/exporter of Taiwan with some sample invoices. The same arguments have also been reiterated in comments to the disclosure. The Authority has correlated the data of these invoices for the purpose of import quantity and price. However, the said producer/exporter was non cooperative and did not participate nor filed the requested Exporters Questionnaire response and the Authority therefore confirms the methodology for NV as adopted in the Preliminary Findings. In final finding CNV of UVCTP plates has been adopted.

Export Price

64. As none of the producers/exporters have cooperated, the Authority has adopted the DGCIS's import data for determining the import Quantity and CIF price. The ex-factory export price considered in the Preliminary Findings was ***\$/sqm and the landed value as ***US\$/sqm. As regards the volume of imports from Taiwan, M/s. Nippon on the basis of DGCIS data and data sorted by the Applicant made available through Public file to them has submitted that quantum of imports from Taiwan is less than what has been claimed by the Applicant. The Authority notes that one of the importers M/s. Bright enterprises has filed the importer questionnaire response wherein the imports by them from Taiwan during POI are much above the imports mentioned by M/s. Nippon. The Authority notes that since none of the producers or exporters have participated from Taiwan, the Authority has referenced the CIF price and volume of imports as per DGCIS data. However, the quantity has been correlated with the response filed by Bright enterprises and also M/s. Nippon. The response filed by M/s. Nippon to the disclosure has been addressed under the post disclosure examination in later paragraphs. The Ex-factory export price and landed value are proposed to be referenced

as ***\$/sqm and ***\$/sqm respectively. The details are tabulated as under;

Plate Type	Qty. (Sqm.)	Ex-factory Export price \$/Sqm.	Landed Value \$/Sqm.
UV-CtP	***	***	***

F.8 Determination of Normal Value and Export Price for cooperating and non cooperating producers and exporters in Vietnam

M/s.. Mylan Printing Media Corporation

Normal Value

65. M/s.. Mylan Printing Media Corporation filed an incomplete and unstructured EQR. No data on domestic sales, cost of production, adjustments or even the export details have been provided in response to the Email sent regarding deficient and incomplete response. Therefore, the Authority had constructed the normal value for all producers/exporters including M/s. Mylan on the basis of best available information in accordance with Rule 6 (8) by adopting cost of production in India with adjustments on account of international raw material prices, power costs as per Domestic Industry's data, normated conversion costs, SGA and a reasonable profit of 5 % on the cost of production. The normal value was considered as ***\$/sqm for the Preliminary Findings. The Authority notes that the imports from Vietnam are of UVCTP and Thermal plate types only and has therefore computed weighted CNV of both the plate types on the basis of Applicant's data. The CNV has been considered as ***\$/sqm and ***\$/sqm for UVCTP and Thermal respectively for the purpose of comparison with export price of the corresponding plate type in this final findings.

Export Price

66. As none of the producers/exporters have cooperated, the Authority has adopted the DGCIS's import data for determining the CIF price. The weighted average ex-factory export price was considered as ***\$/sqm, after considering the adjustments as per the consistent practice as also stated in the Preliminary Findings and the landed value as ***US\$/sqm. The Authority has reevaluated the DGCIS data and has adopted weighted average ex-factory export price as ***\$/sqm and ***\$/sqm and Landed value as ***\$/sqm and ***\$/sqm for UV Ctp and thermal plates respectively in the final findings. The details are tabulated below;

Plate Type	Qty. of Export (Sqm.)	Ex-factory Export price \$/Sqm.	Landed Value \$/Sqm.
UV CtP	***	***	***
Thermal	***	***	***
Total/Wt. Average	***	***	***

F.9 Non – Cooperative/Residual Category

67. For the purpose of determining the dumping and injury margin for residual category, the Authority has accorded the highest margins either on the basis of data of cooperative producers of that country or the DGCIS data.

F.10 Dumping Margin

68. The plate type wise ex-factory export price to India has been compared with the corresponding normal value to determine the plate wise dumping margin. The table below shows the weighted average dumping margin of the producers for all plates during the POI of the subject countries.

Sr. No.	Name of the Country	Name of the Producer	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
1	China PR	Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd.	***	20-40
2	China PR	Kodak China Graphic Communication Co. Ltd.	***	0-20
3	China PR	Shanghai Strong State Printing Equipment Limited	***	40-60
4	China PR	Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd.	Deminimis	
5	China PR	All Others	Highest	
6	Korea RP	Jeil C&P Co. Ltd	***	0-20
7	Korea RP	All Others	Highest	
8	Japan	Fujifilm Corporation	***	60-80
9	Japan	All Others	***	60-80
10	Taiwan	All	***	20-40
11	Vietnam	All	***	20-40

It is seen that the dumping margins are positive and more than the de-minimis limits prescribed under the Rules.

F.11 Other issues

69. Some interested parties have expressed concerns regarding difference in Dumping Margin amongst various Exporters/Producers. The Authority clarifies that AD measure is specific to a Producer/Exporter and is evaluated on the basis of their individual data. The Dumping Margin or Injury Margin is thus different for different producers. Further any non-cooperative producers Margins are determined as per best available information as has also been clarified in the foregoing paragraphs.

As regards grant of Margin/Measure to KCGCCL, China in light of takeover of KCGCCL, China by M/s.. Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd., the Authority notes the submissions made by various interested parties and appreciates that any measure even though evaluated on historical data is applied prospectively. The related entities are accorded same quantum of measure even though their individual margins may be different. The Authority has addressed this issue on the basis of post disclosure comments in the later paragraphs.

G. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSALLINK

G.1 Submissions made by the Domestic Industry

70. The submissions made by Domestic Industry are as follows:

- It is submitted that the Applicant has over Rs. 400 crores invested in its manufacturing facilities and other assets, and it continues to invest to enhance its capacities.
- As on date, the Indian industry has installed capacity of approximately 50 million square metres per annum, including the capacity of boxed line, which is sufficient to meet the domestic demand.
- Post removal of AD Duties, the imports have witnessed a substantial and unprecedented rise in terms of volume and that too at the cheap and dumped price.

- d) The volume of imports increased from subject countries from 100 indexed points in 2015-16 to 217 indexed points in POI (A) witnessing a sharp increase of 117 indexed points.
- e) The volume of imports from subject countries has increased by about 47% in POI from FY 2017-18 (when duties were in place on China PR).
- f) As per the updated import data, the imports from Taiwan are 3.11% of total imports and therefore above the *de-minimis* quantity of imports.
- g) As regards the methodology adopted by the Applicant for segregating the import data is concerned, the methodology remains the same which was considered and verified by the Designated Authority in Original and SSR Investigation on subject goods conducted by the Authority.
- h) The market share of the Applicant has fallen from 67.81% in FY 2017-18 to 59.58% in POI, i.e. 8.2% decrease in market share post removal of AD Duties on the PUC from China PR.
- i) The landed price from all the subject countries put together have decreased by about 11% in the POI compared with base year. On the other hand, the cost to make and sell has increased by about 2% during the same period. The Applicant was forced to keep its prices below its cost to compete with the cheap imports.
- j) The price undercutting for each of the subject country is positive and substantial. In fact, the price undercutting from Japan has turned positive in the POI from negative in the earlier period.
- k) The import price from subject countries is much below the non-injurious price (NIP) for all the subject countries. The low-priced imports are undermining the performance of the Applicant.
- l) Profitability of the Applicant has been affected substantially post-removal of AD Duties from China PR. The Applicant started incurring losses in the POI when there was no protection of AD duties whereas the Applicant was earning a marginal return during the injury period when the Applicant was protected with AD Duties from China PR.
- m) The return on Investments for domestic sales has decreased to 2.39% in POI (A) from 16.17% in FY 2017-18 witnessing a sharp decline of about 14% post removal of AD Duties from China PR. This sharp decline is clearly on account of the dumped imports from subject countries.
- n) The cash profits of the Applicant have declined from INR *** Lakhs in FY 2017-18 to INR *** Lakhs in POI(A). Similarly, the cash profit per unit declined from INR ***/SQM to INR ***/SQM during the same period.
- o) The inventories of the Applicant have increased substantially in the POI to 3.76 Million SQM compared to 2.26 Million SQM in FY 2017-18 particularly after the discontinuation of AD Duties from China PR, witnessing an increase of 66% in the volume.
- p) Contrary to what certain interested parties have sought to argue, the inventories of the Applicant have increased by 48 indexed points in the POI when compared to the base year.
- q) The Domestic Industry was forced to stop its capacity expansion plans. It is pertinent to note that the Domestic Industry has already purchased the said production line which is currently kept idle. The stated boxed up capacity is nearly 30% of the total current installed capacity.
- r) The capacities installed in China PR and the other subject countries are mostly export-driven capacities as the capacities are much more than the domestic consumption.
- s) Capacity utilization and production of the Applicant has witnessed an increase on account of debottlenecking exercise undertaken by the Applicant. The exercise has enabled the Applicant to efficiently use the capacities to the optimum level.

- t) The dumped imports from subject countries have forced the Applicant to reduce its prices, which have resulted in massive losses to the Applicant. In order to minimise the impact of onslaught of dumping and to retain its core customers the Applicant had to resort to imports from one of the subject countries.
- u) The increasing trends in imports of the PUC coincides with the negative trend in injury parameters of the Applicant, particularly price parameters which demonstrates the causal link. There exists sufficient evidence to show that there is actual injury and a real and imminent threat of more acute material injury.
- v) The increase in imports is more than the increase in demand. This is evident from the Applicant's fall in market share by almost 7% in the POI when compared to the base year.
- w) The fact that some volume injury parameters may not show a negative trend does not ipso facto mean an absence of injury.
- x) The injury analysis is undertaken on cumulative basis, and therefore arguments such as Kodak's exports not undercutting the price or Kodak's exports remaining constant are irrelevant for injury analysis.
- y) The argument that in the previous investigations, the Authority recommended plate-wise duties and therefore, the volume and price injury analysis must be done on PCN basis is wrong. In fact, in previous investigations, the injury analysis was undertaken cumulatively for the PUC as a whole.
- z) Injury, both material and threat, to the Domestic Industry has been caused only by the dumped imports, thus establishing the causal link.
- aa) There have been suggestions made by Kodak that the injury margin should be determined at the first sale of independent price i.e. at the level of Kodak India. The calculation of the first independent re-sale price by a related importer is prescribed to determine the ex-factory export price for dumping margin calculation and not for injury margin calculations.
- bb) It is submitted that there is no requirement for a cooling-off period under the applicable laws, including the AD Agreement. In any event, the Applicant has demonstrated existence of material injury in its petition and the opposing interested parties have failed to effectively rebut the existence of material injury to the Domestic Industry.
- cc) Trade Notice No. 02/2004 does not take away the discretion of the Authority concerning selection of the period of investigation and injury period. The Applicant has fully complied with the desired language of the said Trade Notice.
- dd) Nothing in the Act or the Anti-dumping Rules or the WTO Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 (AD Agreement) prohibits a period of investigation comprising of 9 months.
- ee) The Applicant has lost its market share to Import from subject countries (share of imports has gone up from 27.54% to 36.38%). Even though the Applicant continues to have a majority of the market share, such substantial decrease in the market share despite taking the price injury clearly indicate the injurious effect of imports on the Applicant and other Indian producers.
- ff) Lucky and Kapoor have argued that market share of the Applicant has declined due to a decrease in the capacity of the Applicant. This is a tautologous argument. Without prejudice to the fact that the Applicant has actually increased its capacity; the fact is that the Applicant was compelled to curtail/box its capacity on account of the huge dumping from the subject countries.
- gg) Lucky and Kapoor have argued that there is no link of imports from subject countries with price undercutting claimed by the Applicant. In this behalf, it is submitted that Landed Price from subject countries has gone down from INR 244.65 per SQM in FY 2016-17 to INR 224.85 per SQM in POI resulting into substantial price undercutting as a direct result of increased imports at dumped prices.

- hh) The Applicant has been selling the PUC above its cost of sales except in the POI where the Applicant was forced to sell the product below its cost.
- ii) Lucky and Kapoor have alleged that raw material prices have declined which should have resulted in a decline in the cost to make and sell. In this behalf, it is submitted that Aluminium prices in USD terms may have declined but due to the depreciation of the Indian Rupee, the costs to make and sell have increased instead of declining.
- jj) Bright Enterprises submits that the NSR of the Applicant is higher than NIP as the cost of production has gone down. In this behalf, it is submitted that NSR of the Applicant is lower than that of NIP which can be verified by the Designated Authority.
- kk) The Applicant submits that there is no MoU with the user industry and it has been discontinued since April 2018.
- ll) It is submitted that gap in the demand and supply is irrelevant in an anti-dumping investigation. Gap in demand and supply does not affect or prejudice the right of a domestic industry to seek protection of anti-dumping duties against dumped imports.
- mm) The Applicant submits that different duties for different types of PUC would only encourage circumvention – which was also verified and recorded by the Authority in the final findings of the previous sunset review investigation. While the Authority may undertake PCN-wise analysis for dumping and injury, it is submitted that a single duty may be recommended across all types of PUC in the Final Findings to discourage circumvention and misdeclaration.

G.2 Submission by other interested parties

71. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to injury and causal link, considered relevant by the Authority, are as follows:
 - a) Some interested parties have sought to assail the initiation of the present investigation on the grounds that: (i) there cannot be a gap period of April 2018 to June 2018 in the injury period; (ii) injury period must be a complete financial year. Interested parties have relied on the Trade Notice No. 02/2004 dated May 12, 2004 to argue there must not be any gap in the injury period and the POI and that the injury period must be complete financial years.
 - b) It is categorically mentioned in Para 2(iii) of the trade notice that there should be no gap but there can be overlap between the POI and the previous financial years.
 - c) The Corrigendum Notification again departed from the Trade Notice No. 2/2004 dated 12th May 2004 which specifically says that the injury period can only be financial years.
 - d) The present investigation is a clear deviation from the Trade Notice which clearly says that injury period should always be financial years and on contrary it has been taken as 15 months annualized for year 2017-18 on a pro-rata basis (as done in the Application) or 3 months (as done by the Authority vide the Corrigendum Notification).
 - e) The Authority, in the present investigation has determined POI for 9 months, whereas the general practice of the Authority is to consider it for 12 months. The period of nine months is taken only in exceptional circumstances. The respondents fail to understand what facts make the present investigation as "exceptional".
 - f) A cooling off period must be considered in order to analyze the true picture of the performance of the Applicant industry after the removal of ADD.
 - g) The Authority is requested to revise the POI of the present investigation as the financial year 2018-19. More importantly, the Authority is requested to seek the import data of the Domestic Industry during the gap period and make the information available to interested parties.
 - h) Some of the interested parties apprehend and allege that this gap was the months during which the Applicant could/would have imported large quantities of the PUC.

- i) The two thirds of the injury period for the on-going case overlaps with the previous case terminated. Unless there has been a dramatic change in market situation, the current investigation cannot be justified in consideration of the result of the sunset review.
- j) The Authority is requested to immediately terminate the investigation on account of the inappropriate selection of the injury period and the POI as the whole investigation such as Domestic Industry standing, injury analysis is based on the same.
- k) Data filed by Applicant should be considered incomplete and the Authority should terminate the investigation in terms of Rule 14 of Anti-dumping Rules.
- l) It was submitted that there is no material injury to the Domestic Industry or if there is any injury that is self-inflicted and the material injury, the threat of material injury and material retardation are exclusive and cannot co-exist.
- m) The Applicant company is one of the world's largest suppliers of print solutions and having well established business for more than 50 years as claimed by the Applicants during the oral hearing. Thus, there is no case of material retardation to the establishment of the domestic industry.
- n) The raw material prices are declining (irrespective of SME and LME, as both shows decline), the Applicant has shown increase in costs. It is this increase in costs that has caused decline in profits, ROI and cash flow which cannot be attributed to the dumped imports.
- o) The Applicant industry had incurred losses despite decline in imports during 2016-17 and AD duty in force indicating no causal link between the alleged dumped imports and the injury suffered.
- p) The injury, if any, is being suffered by the Applicant on account of the imports of the subject goods from other exporters based in China PR and not on accounts of imports of PUC from Fujifilm Group.
- q) The share of imports of subject goods from China PR accounts for 78.90% in total imports from the subject countries during POI(A) which is very significant as compared to the share of imports from other subject countries.
- r) Significant surplus capacity is available with the Chinese exporters particularly with Lucky Huaguang Graphics Co China and Kodak China resulting in low prices from China PR. Lucky Huaguang Graphics Co China is getting several incentives from the government as it is a state-owned company. Further, it is also benefited from the cheap raw material that it purchases from SHFE. It is a known fact that SHFE is also controlled by the government.
- s) The selling price of the Applicant industry is affected by various factors such as the volatility in the price of Aluminium, Memorandum of Understanding (MoU) signed between the user associations and the Applicant industry, internal competition etc.
- t) The imports have increased significantly. However, the mere fact that imports have increased does not per-se imply that the Domestic Industry is injured. Any increase in import does not mean injury to the Domestic Industry. If increase in imports is considered along with increase in demand, it would be seen that the increase in imports is in fact less than increase in demand.
- u) Use of CtCP digital plates is increasing not only in recent period but also over the past quite some time. The consumers in fact found with cessation of ADD that use of CtCP plates is now more advantageous as compared to use of PS Plates and no ADD on CtCP plate in fact must have led to significant consumers shifting to CtCP plates from PS plate.
- v) It must be seen that there is increase in demand throughout the injury period whereas capacity of the Applicant has declined. Given the fact that the capacity

utilization of the of the Applicant is approx. 100% any averment of the Applicant with regard to injury due to imports, is baseless.

- w) Applicant engages in importing the subject goods, causing the inventories to increase. Hence, any injury if it exists, is self-inflicted and not attributable to the Exporters.
- x) The Applicant has been able to increase sales increased throughout the injury period despite there is increase in imports.
- y) Kodak has already submitted that KCGCCL is engaged in exporting subject goods to India which are imported by its related entity, KIPL. After import, KIPL incurs multiple expenses before reselling the imported products in the Indian market. Therefore, in order to undertake an objective analysis, the reselling price of KIPL (at ex-factory level) should be compared with the NIP determined by the Authority to arrive at injury margin.
- z) Kodak submits that the domestic buyers/users of subject goods compare the price of goods sold by KIPL and TechNova to select their supplier of goods. The decision to purchase the goods depends on the price difference between KIPL's and TechNova's selling price. As a result, the landed price of imports by Kodak can in no way cause injury to domestic industry. Injury to TechNova would only exist (if any) when KIPL sells goods in the domestic market at a price below fair price i.e. NIP/TechNova selling price. Therefore, Kodak request the Authority to undertake injury margin determination by comparing KIPL's domestic selling price with TechNova selling price.
- aa) Capacity utilization shows increasing trend throughout the injury period.
- bb) Production has increased throughout the injury period. The Applicant could not have produced more, given that the capacity utilisation had already crossed 100%.
- cc) The injury data shows increases in key volume parameters such as production, sales, capacity utilization etc. Though the inventory increased it cannot be linked to any down fall in domestic sales as the sales have increased.
- dd) Applicant was having a monopolistic position in the market till recent times by the virtue of single producer status and also the ADD which was in force till recent times.
- ee) Production of PUC has increased from 100 (indexed) in base year 2015-16 to 116 (indexed) during the POI (A). The capacity utilization of the Applicant has increased positively from 100 (indexed) in the base year to 132 (indexed) during the POI (A).
- ff) The share of the domestic producers (mainly Applicant) in total demand during the POI (A) is 61.15% which demonstrates that the Applicant is able to capture significant market share despite the discontinuation of ADD in June 2018.
- gg) The NSR of the Applicant in the present investigation shall also be above their NIP as found in the SSR case as above.
- hh) The landed value of goods exported by Kodak is above the NIP claimed by TechNova and there is negative price underselling. There is no prices suppression and depression caused by exports from Kodak.
- ii) The Applicant cannot cater the prevailing demand in India hence, the imports has to take place from outside India. Applicant is not producing all types of subject goods, in fact, they have imported different types of subject goods from other countries and sold in India.
- jj) If anti-dumping duty is levied on the product under consideration, then as a result, the Applicant could easily manipulate the price of the product under investigation in the domestic market and also have high potential to bring up the price unreasonably in order to earn monopoly profits. The performance of the downstream industry will be adversely affected.

- kk) A middle path be adopted by the Government i.e. there should neither be unfair competition nor there should be any attempt to create monopoly position by any of the party, rather balanced approach be adopted.
- ll) The exporters of the product under consideration offered different sets of prices of the similar products originating from China PR and products originating from Europe Union. The prices offered for the Chinese origin products are much lower than that of European Union origin product.
- mm) It is in our interest to protect the local manufacturing industry of offset plates in the long run by providing adequate relief or protection to the industry.
- nn) Price undercutting and underselling etc as it stands today is not reliable as the Applicant is yet to submit the complete and actual information of imports for the POI.
- oo) Price of import from Taiwan was Rs. 233 to 208 per SQM in case of China PR, the price from Taiwan was Rs. 182 to 186 per SQM except for 2015-16 and POI. Thus, volume and price of imports of PUC from Taiwan requires serious fact checks and the data as presented now do not look reliable and complete.
- pp) The CIF export price of subject merchandise from Korea increased during the injury period. In the Exhibit 5 of the petition, the CIF unit price (INR/SQM) of the Korean products was 187.52 Indian Rupee in 2016-2017, 200.64 Rupee in 2017-2018, and 202.15 Rupee during the injury period.
- qq) The self-imports made by the Applicant have a serious ramification viz. their eligibility as Domestic Industry and on top of it and most importantly such self-imports shows clear breach of causal link in the present matter.
- rr) The Applicant was also aware of the fact that the injury is caused by the increase in the price of Aluminium as clearly mentioned at the page 35 of the petition.
- ss) Import as present in the petition shows the need for a PCN wise comparison for purpose of dumping and injury as there are significant variation in inter se types of PUC.
- tt) There exists a substantial price difference between CtCP plates and Thermal plates (around 45-50 percent). Therefore, the Authority should undertake the evaluation of import volume, normal value, ex-factory price, landed value and all injury parameters (both volume and price) for each sub-category /PCN. Therefore, volume and price injury must be assessed on a PCN basis.
- uu) Lower domestic selling price charged by TechNova; other exporters/importers were forced to lower their price to sustain in the Indian market.
- vv) The production of other domestic producers has increased by 50 percent. Despite the same, the remaining producers have not filed data to substantiate injury on account of imports.
- ww) There is no increase in inventory levels. Inventory has increased on account of imports and decline in export sales.
- xx) There is negative price undercutting and price underselling for Kodak.
- yy) There is negative volume injury from Kodak as exports by Kodak has remained almost constant. There is no likelihood of volume injury on account of imports by Kodak.
- zz) The Authority is requested to undertake injury margin determination by comparing KIPL's domestic selling price with TechNova selling price.
- aaa) While there is increase in imports, the same is commensurate with increase in demand.
- bbb) The Applicant is unable to explain the real reason behind losses when it was profitable in the previous year. Importantly, when the raw material prices have come down, and selling price remained flat, the minimum that can be inferred is that the Applicant would have taken advantage of that to make profits.

- ccc) Fixed expense of the plant shut down – Since Applicant had admittedly shut down one of its production facilities, it appears that the fixed cost of that plant has been apportioned to the PUC. This same should not be allowed.
- ddd) The Applicant has filed false and misleading data to reflect higher London Metal Exchange (hereinafter referred to as ‘LME’) prices than Shanghai Metal Exchange (hereinafter referred to as ‘SME’), when there is data to prove that the LME prices were in fact lower than SME and have been consistently declining.
- eee) The Applicant’s increase in cost of production, when the raw material prices have decreased. The Authority is requested to kindly ascertain the reasons for increase in cost.
- fff) Price undercutting remaining at similar levels, the import volumes increased significantly in the POI. Thus, there seems to be no link between the alleged price undercutting and the increase in import, as with the increase in price undercutting the import does not seem to be increasing proportionally.
- ggg) Imports are increasing due to increase in demand and the gap in the demand-supply of the Domestic Industry.
- hhh) The domestic sales of the PUC by the Applicant industry has increased significantly from 100 (indexed) in the base year to 114 (indexed) during the POI(A).
- iii) Despite the shutting down of one of the production line of the Applicant industry and reduction in number of employees working in the industry, there is significant increase in the productivity of the employees during the entire injury period and the POI (A).
- jjj) The domestic sales of the other domestic producers have increased from 100(indexed) in the base year to 110 (indexed) during the POI (A).
- kkk) There is reduction in the number of employees which is due to shutting down of one production line of the Applicant which has resulted in reduction in the capacity.
- lll) Mere existence of injury does not lead to the conclusion that there exists likelihood of dumping and injury
- mmm) The Applicant has also not claimed injury in respect of volume parameters, barring inventories.
- nnn) The Applicant has admittedly reduced capacities. In a situation where demand for the product is increasing so rapidly, it is not usual that the company reduces its capacities.
- ooo) Raw material price and import price declined in the POI as compared to previous years, selling price of the Applicant remained flat.
- ppp) Reduction of production in PS plate and increase in production of digital plates has led to apportionment of expense disproportionately onto digital plate.
- qqq) If there had been price undercutting, the imports would have increased substantially.
- rrr) The reason for injury in its profit/loss is not the alleged dumped imports but some other factors such as shutting down of one of the production line of the Applicant.
- sss) There cannot be price suppression, as there is no reason to increase prices when raw material prices are falling down.
- ttt) Certain interested parties have argued that the imposition of anti-dumping duties will lead to the monopoly of the Applicant.
- uuu) The selling price of the PUC has been consistently below the cost of sales of the PUC despite the AD duty in force.

- vvv) Certain interested parties have stated that price of the PUC is impacted by several factors including the Memorandum of Understanding between the Applicant and the user industry.
- www) Some interested parties have argued that the imports are necessary since the Domestic Industry does not have capacity to meet the demand.
- xxx) There is also an allegation that since Agfa Graphics and Lucky have entered into a strategic alliance in the graphics business (for the subject merchandise) and the former supports them with technology as well as with intellectual property, that somehow causes the Applicant to become related to Lucky.
- yyy) Kodak submitted that: (i) the market distortion reports of foreign governments are not binding on the Authority; (ii) the alleged market manipulation does not pertain to the POI; (iii) the issues of currency manipulation can only be authoritatively looked by institutions like the IMF, World Bank or the RBI; (iv) Indian currency has devaluated more than RMB in the POI. On this basis, Kodak seeks market economy treatment.
- zzz) Lucky and Kapoor have alleged that raw material prices have declined which should have resulted in a decline in the cost to make and sell.
- aaaa) Levying of anti-dumping duty would impact on the user industry.
- bbbb) Two newspapers do not make up the whole industry, since India is home to more than 500 daily Newspapers. Therefore, views expressed by them, colored by the fact that they have entered into supply agreements with the Applicant, makes their submissions suspect and unworthy.
- cccc) Market Share of the Applicant has been increasing YOY. It has had a slight decline during the POI wherein as per the CSO estimates all the sectors of the economy have faced a decline and hence it is no surprise that the Applicant has also faced downfall in demand.
- dddd) The profit percentage has been wavering from 100 -59 -128 -63 -115 which shows that the profit margin is not in relation to the imposition or otherwise of the Anti-dumping duty but due to other reasons.
- eeee) The price has remained stable over the four-year period but also that there is no decline in the prices between 17-18 & 18-19 inspite of the fall in Prices of Aluminium, which accounts for 70% of the cost showing that even the Chinese producers have actually increased the prices. The other countries are too meagre to make an impact.
- ffff) Post cessation of anti-dumping duty, Applicant has shut down one of its plant. The other two plants are operating at 100% plus and 50% capacity respectively. This is a case where plant is probably reaching its life due to which quality products are not being produced. Thus, Applicant has been unable to meet the increasing demand, hence, the need for imports.
- gggg) The DGCIS data supplied to us is 14000-line entries but the total imports of Digital and Analog Plates is less than 3000 which is impossible. Secondly, when the data is further filtered, there is no imports shown from the Taiwan, Malaysia, Sri Lanka, USA etc which indicates that the data which has been supplied to the Applicant is at variance with the data supplied to us.
- hhhh) Applicant is shielding itself from imports by taking advantage of the cheaper price of imports.
- iiii) The instant case falls under the category of *Imports by Applicant itself-from unrelated exporter*. The Applicant is party to the alleged dumping, hence cannot claim injury. Parameters such as core business test and participation in dumping must be judged and applied in this case.
- jjjj) Anhui submitted that the Applicant is still importing the subject goods from the subject country and has not claimed the same anywhere in the petition or written submissions filed by them. Instead, Applicant has stated in Para 4 e) of the written

submissions that imports have stopped, however, these are false statements. The Applicant might have stopped importing the subject goods in India but has started importing the same at UAE port in its own name. The details of imports made by TechNova Imaging Systems (P) Ltd. from Shanghai Strong State Printing Equipment Ltd. at UAE port during the post-POI was provided. It shows that Applicant is trying to mislead the authority.

- kkkk) The import volumes of China shown in this Table do not match with the import volumes in the SSR for the same period indicating that the Applicant is giving manipulated data in his tables and hence the Application itself is liable to be rejected by the Authority.
- llll) The NSR is same during the current POI as it was during the POI of the sunset review, where the DA has categorically held that there is no Injury to the DI. Since the NSR is the same during both the POI, it is requested that the Application may be rejected.
- mmmm) The Application states that while the domestic demand has risen during the 4 year period, he has not been able to increase domestic sales, while in the same breath stating that he has been working over and above the optimum name plate capacity which indicates that the Applicant is trying to mislead the Authority.
- nnnn) Even if the Anti-dumping Duty is to be imposed, it is requested that the same may be imposed on the basis of Basic Cost of Aluminium Ingot as quoted on the LME Plus Conversion Charges.
- oooo) The fact that the Applicant has again sought resumption of ADD soon after finding of the DA in the SSR shows the attitude of the Applicant in obtaining profits by any means. He had filed Petition against the SSR in Delhi High Court and then withdrawn it for carrying out his imports and subsequently, filed the present Application to pressurize the Authority.
- pppp) The representative of Hindustan Times, who supports ADD does not represent the whole of the newspaper Media, which is huge compared to the consumption by HT Group.
- qqqq) The Applicant during hearing has stated that the Chinese Currency, RMB has depreciated by 10% against the US Dollar, which is incorrect. The devaluation is 3% whereas the Indian Currency (at time of Hearing had depreciated by over 5%). Presently, the depreciation of Indian Currency is higher, which already cushions the Applicant from cheaper imports.
- rrrr) ADD has been imposed for a good ten-year period on the subject goods, which contributed handsomely to the profits of the Applicant. The government cannot cater to the profits of a sole industrialist to the detriment of the Nation at large.
- ssss) The selection of EU, as a third country by the Applicant himself is improper, since that power to select a third country has been given only to the DA in terms of Rule 7 of the AD Rules. In any case, EU & India are not similarly placed countries since EU is a mostly a producer and User of Thermal Plates and not CTCP and Violet plates which is mainly consumed in India and other South East Asian Countries.
- tttt) Cloak of secrecy on all data by terming them as confidential, whether in working out Normal Price, Ex-factory Price, Injury, their own Balance Sheet and production data resulting in all data not being subjected to scrutiny by other interested parties. Profit Margin has wavered between positive to negative for the Applicant whether or not ADD was existent on these products.
- uuuu) Price of China Imports at Rs 200-220/- which compares with that of other similarly placed countries & acceptable in terms of Section 14 of Customs Act, 1.962. The price of Chinese plates has remained consistent (-10%) during the 3-year period and the POI.
- vvvv) Section 9A(ii)(a) mandates that the price shall be compared based on sales made to third countries. The DRI of CBIC maintains offices at all major cities of the world, who can supply the information for comparative analysis. This is all the more

required since the data submitted by DGCIS is completely flawed due to improper description of quantities and description in the Bills of Entry, which has corrupted the data. It is not known as to how the Applicant had worked out the data.

- www) During the post-POI, the Applicant continued to purchase the PUC from Shanghai Strong and the last batch was shipped on June, 2019. This needs to be critically examined by the Authority.
- xxxx) The exporter submitted that as para 4.9.20 (v) of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations, there are no exceptional circumstances whereby the imports have taken place. The imports are regular, constituting 53.41% of our total exports to India. The Applicant is also importing the subject goods during the post-period of investigation.
- yyyy) Taipei Economic and Cultural Center in India submitted that no material change has been observed in the year of 2017-2018 and the POI in respect of the imports from Taiwan. It seems that what the Applicant was not able to do directly is now seeking to do indirectly by initiating the present investigation on the imports of PUC from Taiwan.
- zzzz) As to the question of increase in the imports of Taiwan during the POI, it should be noted that the demand of the PUC has considerably increased during the POI and therefore it cannot be said that the incoming imports from Taiwan have caused injury to the Applicant only on account of increase in imports from the said Country.
- aaaa) The vital requirement to establish dumping is to show a causal link between the dumped articles and the injury caused to the domestic industry. In the case at hand, the domestic industry seems to have maintained a healthy production, capacity utilization and sale of the PUC. It would be wrong on the part of the Applicant to pace its sales at the pace of the increasing demand, and to further say that non-fulfilment of the same would constitute dumping of imports from the subject countries. The test to establish dumping would only be direct injury to the Applicant from the dumped goods.
- bbbb) Kodak submits that the Authority should include the other domestic producers viz. (i) Metrostar; (ii) Akshaya Imaging and; (iii) Orion within the scope of 'Domestic Industry' and seek data of all economic parameters from them.
- cccc) Embassy of Korea submitted that subject merchandise originating from Korea RP is not the cause of the alleged injury in this investigation. The CIF export price of the subject merchandise from Korea increased during the injury period.
- dddd) Total consumption of digital plates of all types of around 40 million sq.mtr. so it is big business for plate manufacturers both domestic and international. We earnestly expect the Govt. to take note of this while deciding the matter.
- eeee) The Indian printers' majority of whom belong to small and medium category should be able to get the subject plates at optimal price and the quality of the plates should be good. The Federation expects that the manufacturers should take utmost care of their plant so as to manufacture quality products in sufficient quantity.
- ffff) There should be established platform for the redressal of day to day operating problems faced by the printers on call and physical also for all category of plates UVCTP, thermal, violet, chem free etc.
- gggg) Government while deciding this matter must make it obligatory on the part the parties to this petition, to provide adequate measures for redressing the day to day operating problems faced by the printers.
- hhhh) The All India Federation of Master Printers submitted that the Indian Govt. should not allow an manufacturer to use Anti-Dumping Duty as a weapon to create a monopoly position for the PUC. And we will never support any company / manufacturers/ Industry who is trying to use this as a shield to protect their manufacturing/financial/survival or other problems.

- iiii) KIPL is suffering injury in the domestic market on account of dumped imports by TechNova and resale of said dumped imports by TechNova in the domestic market at unfair price.
- jjjj) Applicant has resorted to importing of subject goods (process free plates) from Belgium and other countries. Therefore, the Authority is requested to conclude that injury to TechNova is on account of intrinsic factors and there is no causal link between imports and alleged injury.
- kkkk) The PUC constitutes one of the key input costs for the printers. The PUC market in India is dominated by Technova who enjoys a 97% market share of the total Indian production. Without the competitive restraint placed by imports, Technova is free to set monopolistic prices and garner monopoly profits, without undertaking any innovation in the production or distribution process.
- llll) Applicant cannot cater the prevailing demand in India hence, the imports has to take place from outside India. Applicant is not producing all types of subject goods, in fact, they have imported different types of subject goods from other countries and sold in India. If anti-dumping duty is levied on the product under consideration, then as a result, the Applicant could easily manipulate the price of the product under investigation in the domestic market and also have high potential to bring up the price unreasonably in order to earn monopoly profits.
- mmmm) The Korean Government submits that it is of the view that DOPP originating from Korea is not the cause of the alleged injury in this investigation. Above all, the CIF export price of DOPP from Korea increased during the injury period. In the Exhibit 5 of the petition, the CIF unit price (INR/SQM) of the Korean products was 187.52 Indian Rupee in 2016-2017, 200.64 Rupee in 2017-2018, and 202.15 Rupee during the injury period. Furthermore, the market share of imports from Korea was 1.92% during the POI which is too small to affect the market price or cause injury to the domestic market. It is submitted that the Applicant was also aware of the fact that the injury is caused by the increase in the price of Aluminum as clearly mentioned at the page 35 of the petition.
- nnnn) TechNova's capacity utilization was approx. 100%, any averment by the Applicant with regard to any injury caused due to imports, is baseless. It is only the demand that could not be met through domestic supply that has been met through imports and that imports have not usurped any domestic supply.
- oooo) In the absence of any demonstration of proportionate loss or injury in each sub category of the PUC/headings the amount of anti-dumping duty proposed in Para 111 of the Preliminary Findings is apparently arbitrary and highly excessive, with a view of enrich Tech nova unduly at the cost of the Objecting printing industry.
- pppp) The Applicant company is also offering various post sales services related to other products for which it has created wide marketing infrastructure. The expenses relating to marketing expenses and post sales services have also been included in the cost of digital plate whereas no post sales services are provided by the company for this product. This has also resulted in distorted determination of Non-Injurious price and consequently determination of level of duties recommended by the authority, based on unverified and unsubstantiated claims by Applicant company.
- qqqq) The slight increase in imports was proportionate to the increase in demand and the failure of the Applicant to fulfil the increased demand. Clearly, the increase in domestic demand is more than the increase in imports of the PUC during the same period which proves that the increase in import was necessitated to meet the increase in demand, owing to the fact that TechNova's capacity had steadily declined and the domestic industry was unable to meet domestic demand. This, the single instance, ipso facto, proves that there was no "surge" in imports as concluded by the Authority.
- rrrr) Despite the shutting down of the one of the production lines of the Applicant and reduction in number of employees working in the Domestic Industry, there is

significant increase in the productivity of the employees during the entire injury period and POI(A).

- sssss) The present is a case where the market demand has increased substantially whereas the production capacity of TechNova has remained constant leading to excess demand over supply. In fact, TechNova has itself admitted that it has been able to efficiently use the capacities to the optimum level due to debottlenecking exercise. Accordingly, imports have been made only because the largest producer of the Product Under Consideration, is no longer able to cater to the local demand. The real reason for the imports also appears to be TechNova's inability to maximize production.
- ttttt) It is important to point out that the Period of Investigation for the impugned Preliminary Findings is 01.07.2018 - 31.03.2019 while the very same authority decided not to levy ADD in 23.08.2018 (just 3 months earlier).
- uuuuu) Shanghai Strong hereby submits that if the Government of India blindly provides protection for Indian industry of Digital Offset Printing Plates, this will ultimately result in real protection for the interests of only the Applicant and Enterprise Group. The Applicant company was established to become a leader in digital offset printing plates industry.
- vvvvv) It would be seen that there are large amount of expenses incurred by the company through related parties. Under these circumstances, it is utmost important that reasonability and genuineness of these expenses are examined in detail, so as to ensure that cost incurred by the company and reflected in accounts are fair and based on arms-length relationship. It is submitted that claims of company, on Cost of Production, based on these accounts have been accepted by Designated Authority without any verification of expenses and the genuineness thereof. Therefore, the Preliminary Findings by the authority based on unverified claims has distorted the workings of a Non-injurious Price, Normal Value and consequently determination of duties for individual exporters.

H. Examination by the Authority

- 72. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by the interested parties.
- 73. With regard to the contention of the interested parties that there cannot be a gap in the injury period and the injury period must be a complete financial year, the Authority notes that in order to make the data comparable with the previous years, the Authority has adopted the injury period as April 2017 to June 2018 on an annualised basis. This is in accordance with the consistent practice of the Authority.
- 74. As regards the submission that the period of investigation cannot be less than 12 months, the Authority notes that the Act or the Anti-dumping Rules or the Anti-dumping Agreement does not prohibit a period of investigation comprising of 9 months. At the time of initiation there was no provision of POI in the Rules. Specific provision on POI has been included in the Rules only in February 2020. The Authority noted that the guidelines of the Committee on Anti-Dumping practices regarding duration of period of investigation adopted on 5th May, 2000 recognizes that the Investigating Authorities may consider appropriate POI's on a case specific basis which cannot be less than six months. In the instant investigation, the period of investigation is of nine months which is compatible with the WTO guidelines. At the time of initiation, the Authority adopted most recent period i.e 1.7.2018 to 31.3.2019 as POI. The Period could not be considered from 1.4.2018 onwards as the earlier AD duty continued till 3rd June 2018. Hence, the Authority adopted the period of investigation of 9 months. POI of less than 12 months has been adopted by the Authority in a number of anti-dumping investigations.
- 75. Some of the interested parties have raised an issue that the Authority has not considered the impact of the imports and sales made by the Applicant in the injury analysis. This aspect is proposed to be appropriately examined by the Authority and impact of the imports and their resale made by the domestic industry as stated in the subsequent paragraphs.

76. As regards the submissions that cooling off period must be considered in order to analyze the true picture of the performance of the Applicant industry after the removal of anti-dumping duty, the Authority notes that there is no requirement for a cooling-off period under the applicable laws.

Cumulative Assessment

77. Para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- a) Margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the import of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and
- b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

78. The Authority notes that:

- a) The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
- b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
- c) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the Domestic Industry in the Indian market.

79. In view of the above, the Authority has assessed injury to the Domestic Industry cumulatively from imports of the subject goods from the subject countries. Further, the Authority has not included imports of the PUC made by the Applicant while assessing injury to the Domestic Industry. Accordingly, claims by certain interested parties that injury to the Domestic Industry is self-inflicted has been addressed as the injury analysis has been undertaken after removing the imports of the PUC made by the Applicant.

80. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

81. The submissions made by the Domestic Industry and other interested parties during the course of the investigation including the comments made to the disclosure statement with regard to injury and causal link, which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under:

Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

Assessment of Demand/Apparent Consumption

82. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed has increased

consistently during the injury investigation period and the POI.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	April-June 2018	April 17-18 June (A)	July 2018-March 2019 - POI	July 2018-March 2019 - POI (A)
Domestic sales of Applicant	Million SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	117	30	117	85	114
Domestic Sales of other producers*	Million SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	110	27	110	82	110
Import from Subject Countries excluding Applicant's imports	Million SQM	8.003	9.119	11.804	4.152	12.765	12.239	16.318
Trend	Indexed	100	114	147	52	159	153	204
Import from Other Countries	Million SQM	4.796	2.240	1.392	0.826	1.774	0.994	1.325
Trend	Indexed	100	47	29	17	37	21	28
Imports by Applicant from Subject Countries	Million SQM	-	-	-	-	-	0.761	1.015
Trend	Indexed	-	-	-	-	-	100	133
Total Demand	Million SQM	38.255	38.523	42.863	12.591	44.363	35.734	47.645
Trend	Indexed	100	101	112	33	116	93	125

*Sales volume of other domestic producers have been considered based on the estimated volume provided by the Applicant.

83. As can be noted from the above table, the dumped imports from subject countries have significantly increased during the POI (A). The Applicant has not been able to increase the sales of product concerned commensurate with the increase in demand because of the significant volume of dumped imports coming from subject countries. It is evident from the above that while the demand of the product concerned increased by 25 indexed points from 2015-16 to POI (A), the domestic sales of the Applicant increased merely by 14 indexed points. On the other hand, import quantity of the PUC from the subject countries increased significantly by 8.32 Million SQM or 104 indexed points during the same period. Almost the entire increase in demand has been captured by the imports from subject countries

Import Volumes from subject countries

84. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	April- June 2018	April 17- June 18 (A)	July 2018- March 2019 - POI	July 2018- March 2019 - POI (A)
Import from subject countries								
China PR	Million SQM	7.731	7.302	7.609	2.120	7.783	9.611	12.815
Trend	Indexed	100	94	98	27	101	124	166
Japan	Million SQM	0.041	1.100	1.224	0.253	1.182	0.824	1.098
Trend	Indexed	100	2687	2990	618	2887	2012	2682
Korea RP	Million SQM	0.000	0.385	0.902	0.660	1.250	0.708	0.945
Trend	Indexed		100	235	172	325	184	245
Taiwan	Million SQM	0.138	0.264	1.067	0.464	1.225	0.435	0.580
Trend	Indexed	100	191	771	335	884	314	419
Vietnam	Million SQM	0.093	0.068	1.001	0.655	1.325	0.661	0.881
Trend	Indexed	100	74	1080	706	1429	713	950
Total imports from subject countries	Million SQM	8.003	9.119	11.804	4.152	12.765	12.239	16.318
Trend	Indexed	100	114	147	52	159	153	204
Imports from other countries	Million SQM	4.796	2.240	1.392	0.826	1.774	0.994	1.325
Trend	Indexed	100	47	29	17	37	21	28
Imports by Applicant from Subject Countries	Million SQM	-	-	-	-	-	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	-	100	133
Total Imports	Million SQM	12.800	11.359	13.196	4.978	14.539	13.993	18.658
Trend	Indexed	100	89	103	39	114	109	146

85. It is noted that dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms from 8.003 Million SQM in 2015-16 to 16.318 Million SQM in POI (A).

Subject Country Imports in relative terms

Particular	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	April- June 2018	April 17- June 18 (A)	July 2018- March 2019 - POI	July 2018- March 2019 - POI (A)
Dumped imports from subject Countries in relation to Applicant's total production	%	***	***	***	***	***	***	***

Range	%	25-35	25-35	35-45	45-55	35-45	45-55	45-55
Dumped imports from subject Countries in relation to Demand in India	%	21%	24%	28%	33%	29%	34%	34%
Range	%	15-25	15-25	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35

86. It is noted that the subject dumped imports in relation to production and demand increased in the POI (A) as compared to the base year and previous years. Imports of PUC from subject countries have increased in relation to the Applicant's production from 25-35 % in 2015-16 to 45-55 % in POI (A) and have increased in relation to consumption in India from 15-25 % in 2015-16 to 25-35 % in POI (A).

Market Share in Demand

87. The Authority notes that the market share of the subject imports has increased in the POI (A). The Applicant has lost market share despite an increase in the demand of the product under consideration in the POI (A).

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	April-June 2018	April 17- June 18 (A)	July 2018-March 2019 - POI	July 2018-March 2019 - POI (A)
Domestic sales of Applicant	Million SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	117	30	117	85	114
Domestic Sales of other producers	Million SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	110	27	110	82	110
Import from Subject Countries	Million SQM	8.003	9.119	11.804	4.152	12.765	12.239	16.318
Trend	Indexed	100	114	147	52	159	153	204
Import from Other Countries	Million SQM	4.796	2.240	1.392	0.826	1.774	0.994	1.325
Trend	Indexed	100	47	29	17	37	21	28
Imports by Applicant	Million SQM	-	-	-	-	-	0.761	1.015
Trend	Indexed	-	-	-	-	-	100	133
Domestic Sales including Applicant imports from subject countries	Million SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	117	30	117	89	118
Total Demand	Million SQM	38.255	38.523	42.863	12.591	44.363	35.734	47.645
Trend	Indexed	100	101	112	33	116	93	125
Share of Applicant	%	***	***	***	***	***	***	***
Range	%	60-70	60-70	60-70	50-60	60-70	50-60	50-60
Share of Applicant's Imports	%	-	-	-	-	-	***	***

from Subject Countries								
Range	%	-	-	-	-	-	0-10	0-10
Total share of Applicant including Applicant's imports	%	***	***	***	***	***	***	***
Range	%	60-70	60-70	60-70	50-60	60-70	60-70	60-70
Share of other Producers	%	***	***	***	***	***	***	***
Range	%	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
Share of Subject countries	%	***	***	***	***	***	***	***
Range	%	20-30	20-30	20-30	30-40	20-30	30-40	30-40
Share of Other countries	%	***	***	***	***	***	***	***
Range	%	10-20	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10

As can be noted from the above table, the market share of the Applicant has declined from 2016-17 onwards and during the POI (A), even after taking into consideration imports made by Applicant.

Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

88. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

Price Undercutting

89. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. While computing the net selling price of the Domestic Industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

Price Undercutting	Unit	China PR	Japan	Korea RP	Taiwan	Vietnam
Net Sales Realization	INR/SQM	***	***	***	***	***
Landed Value (LV)	INR/SQM	224.67	249.58	201.14	204.80	210.68
Price Undercutting	INR/SQM	***	***	***	***	***
Price Undercutting	% of LV	***	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	10-20%	0-10%	30-40%	30-40%	20-30%

90. From the aforesaid table, it can be noted that the imports from subject countries are coming at prices substantially below the domestic selling price of the Applicant. Thus, price undercutting during the period of investigation is positive for the subject countries.

Price Suppression and Depression

91. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	April-June 2018	April 17-June 18 (A)	July 2018-March 2019 - POI	July 2018-March 2019 - POI (A)
Cost of Sales	Rs/SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	98	99	98	102	102
Selling price	Rs/ SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	98	98	98	98	98
Landed Value	Rs./ SQM	253.68	244.65	231.31	222.58	229.06	223.60	225.60
Trend	Indexed	100	96	91	88	90	88	88

92. From the above table, it can be noted that the imports from subject countries have been coming at prices lower than the cost of sales of the Domestic Industry. This has forced Domestic Industry to reduce its prices during POI (A) and has led to a situation wherein the Domestic Industry has been forced to sell below its cost of sales during POI, ultimately resulting into losses for the Domestic Industry.

Price Underselling

93. The non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the Domestic Industry, as can be noted from the table below, demonstrating positive price underselling effect:

Particulars	Unit	China PR	Japan	Korea RP	Taiwan	Vietnam
Non-Injurious Price	INR/SQM	***	***	***	***	***
Landed Value	INR/SQM	224.67	249.58	201.14	204.80	210.68
Injury Margin	INR/SQM	***	***	***	***	***
Injury Margin %	%	***	***	***	***	***
Injury Margin	% Range	0-20%	0-20%	20-40%	20-40%	20-40%

94. From the aforesaid table, it can be noted that the imports are coming into India at a price much lower than the non-injurious price. Thus, the price underselling from the subject countries during the POI is positive and quite significant. The specific injury margin for the purpose of AD recommendation have been determined by undertaking plate wise analysis.

Economic Parameters of the Domestic Industry

95. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including

actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

96. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

97. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	April-June 2018	April 17-June 18 (A)	July 2018-March 2019 - POI	July 2018-March 2019 - POI (A)
Capacity	Million SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	92	21	90	63	83
Total Production	Million SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	101	27	102	83	110
Capacity Utilization	%	89%	89%	98%	113%	100%	117%	117%
Trend	Indexed	100	100	110	127	113	132	132
Production of PUC	Million SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	109	29	110	87	116
Domestic Sales - PUC	Million SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	117	30	117	85	114
Export Sales - PUC	Million SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	92	28	96	64	86
Total Sales - PUC	Million SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	115	30	116	84	112

98. The capacity, production and capacity utilization of the Applicant is in a positive trend but still the Applicant has not been able to increase the sales of product concerned commensurate with the increase in demand because of the significant volume of dumped imports coming from subject countries.

Profitability, return on investment and cash profits

99. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	April-June 2018	April 17-June 18 (A)	July 2018-March 2019 - POI	July 2018-March 2019 - POI (A)
Profit % in Domestic sales	%	***	***	***	***	***	***	***

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	April- June 2018	April 17- June 18 (A)	July 2018- March 2019 - POI	July 2018- March 2019 - POI (A)
Change in Profit %	%	-	-1.29%	2.17%	-2.04%	1.62%	-3.71%	-3.71%
Profit before Interest and Tax excluding trading sales of goods imported from subject countries	INR in Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	112	13	100	14	18
Profit before Interest and Tax excluding trading sales of goods imported from subject countries	INR/SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	96	44	85	16	16
Profit before Interest and Tax including trading sales of goods imported from subject countries	INR in Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	112	13	100	18	21
Profit before Interest and Tax including trading sales of goods imported from subject countries	INR/SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	96	44	85	18	18
Cash Profit (Loss)	INR/SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	115	67	105	22	22
Cash Profit (Loss)	INR in Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	134	20	123	19	25
Capital Employed	INR in Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	93	91	91	103	103
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	123	62	115	15	15

100. From the above table, it is noted that:

- Profitability of Domestic Industry has been adversely affected due to intensified dumping by exporters from subject countries. Profit before interest and tax (PBIT) of the Domestic Industry have significantly declined during the POI (A). From PBIT of 100 indexed points in 2015-16, PBIT has substantially decreased to 15 indexed points during the POI (A).
- Profitability has reduced significantly even after adjusting profits from trading of the subject goods imported from subject countries. As can be seen above point a), from PBIT of 100 indexed points in 2015-16, PBIT has substantially decreased to 18

indexed points during the POI (A).

- c) Similarly, cash profits of the Domestic Industry have reduced significantly. From cash profit of 100 indexed points in 2015-16, it has decreased to 22 indexed points during the POI (A).
- d) Return on capital employed during POI has reduced drastically to 15 indexed points in POI (A) from 100 indexed points in 2015-16.

Employment, productivity and wages

101. Employment, productivity and wages of Domestic Industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	April-June 2018	April 17- June 18 (A)	July 2018-March 2019 - POI	July 2018-March 2019 - POI (A)
Employment	Persons	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	81	76	81	76	76
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	106	29	108	78	104
Productivity per employee	Million SQM	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	125	140	125	144	144

102. It is noted that the employment of the Domestic Industry has decreased throughout the injury period and during the POI (A).

Inventory

103. Inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	April-June 2018	April 17- June 18 (A)	POI
Inventory	Million SQM	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	89	87	87	147

104. It is noted that the inventories with the Domestic Industry have increased to 147 indexed points during POI as compared to 100 indexed points in 2015-16. Due to increasing imports, the market share of the Domestic Industry has come down and the increased demand has been significantly captured by dumped imports. As a result, the Domestic Industry is having significant accumulated inventories.

Growth

105. The Authority notes that growth of the Domestic Industry with regard to domestic sales, profits, return on investment have declined and are negative during the POI (A) as can be seen from the table below:

Particulars (Year on Year)	2015-16	2016-17	2017-18	April 17- June 18 (A)	POI (A)
Applicant's Production		4%	4%	1%	5%
Capacity Utilization		-	10%	3%	16%
Domestic Sales		7%	9%	1%	-3%
PBIT (Rs. Lakhs)		-12%	12%	0%	-82%
Return on investment		-8%	23%	15%	-84%

Ability to Raise Capital Investments

106. The Authority notes that given the rising demand of the product in the country, the Domestic Industry has made significant investments in plant and machinery. However, despite these investments, the performance of the Domestic Industry has deteriorated considerably, and further investment may get adversely affected.

Factors affecting domestic prices

107. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price and the non-injurious price of the Domestic Industry, causing significant price undercutting as well as price underselling in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period including the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, it is concluded that the main reason affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.

Magnitude of Injury and Injury Margin

108. The Authority has determined Non-Injurious Price for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the Domestic Industry has been worked out and it has been compared with the landed price from each of the producers/exporters from the subject countries for calculating injury margin. The 'all others' rate has been determined based on the facts available with the Authority.

S. No.	Country	Producer	Injury Margin	Injury Margin
			(%)	(Range)
1	China PR	Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd.	***	20-40
2	China PR	Kodak China Graphic Communication Co. Ltd.	negative	
3	China PR	Shanghai Strong State Printing Equipment Limited	***	20-40
4	China PR	Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd.	Negative	
5	China PR	All Others	Highest	
6	Korea RP	Jeil C&P Co. Ltd.	***	0-20

7	Korea RP	All Others	Highest	
8	Japan	Fujifilm Corporation	***	0-20
9	Japan	All Others	Highest	
10	Taiwan	All	***	0-20
11	Vietnam	All	***	20-40

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

109. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the Domestic Industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

Volume and price of imports from third countries

110. The imports from countries other than the subject countries are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the Domestic Industry. Imports from other countries accounted for less than 8% in total imports and less than 3% of total demand/consumption in India. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury. Also, the prices from the non-subject countries are higher than the prices of the subject countries.

Export Performance

111. The Authority has considered data for domestic operations only for injury analysis of domestic industry.

Development of Technology

112. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry. The interested parties have made submissions on certain types of digital plates not being manufactured by the Domestic industry which have been appropriately dealt in product under consideration.

Performance of other products of the company

113. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry does not appear to be a possible cause of injury to the Domestic Industry.

Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

114. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

115. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, it is concluded that the injury to the Domestic Industry was not due to contraction in demand.

J. CONCLUSION ON INJURY & CAUSAL LINK:

116. In view of the aforesaid analysis, Authority concludes as under:
- Imports of the subject goods from the subject countries has increased in absolute terms over the entire period of investigation.

- b) The landed price of imports from the subject countries has been declining significantly over the injury period and through the POI (A).
- c) Imports of the subject goods have increased relative to production and consumption in India.
- d) There is price suppression and depression due to low priced dumped imports coming in to India.
- e) Market share of the Domestic Industry has decreased from 2015-16 to POI even though demand for the subject goods has risen during the same period. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand.
- f) The Domestic Industry's profitability, cash profits and return on capital employed has been drastically affected.
- g) The price undercutting and price underselling from the subject countries during the POI is positive and quite significant.

K. Post Disclosure comments

K.1 Comments by the Domestic Industry

- a) Process-less plates and Process-free plates are one and the same contrary to what Kodak has sought to argue. Both the plates do not require any chemical processing in development stage prior to the press, which is otherwise required in different variants of plates. Even if there is any difference in chemical formulations and production process, the characteristic and end use process for both the plates remain unchanged. While the Applicant markets it in the name of Process-less Plates, some other manufacturers may choose to name it as Process-free Plates.
- b) No domestic customer has requested or placed any order with the Applicant for double later CtCP plates during the POI. Double layer CtCP plates would be commercially unviable for users since CtCP plates are mostly used for shorter run length print jobs which can be fulfilled with single layer CtCP plates (i.e. conventional CtCP plates).
- c) The exclusion of waterless CtP plates should be limited to Toray Industries like the Preliminary Findings. If the exclusion is not limited to Toray Industries, there is high likelihood of large-scale circumvention of anti-dumping duty as has been the experience in past.
- d) Interested parties have not addressed the issues of confidentiality or deficiencies raised by the Applicant and accordingly, the response filed by interested parties must be rejected.
- e) The Authority has disclosed certain confidential information of the Applicant in the Disclosure Statement and the same may be indexed in the final findings. While the Applicant considers that the disclosure of the above information has already caused irreparable injury, the Authority must at a minimum take necessary steps to mitigate the injury caused by such a disclosure.
- f) There is no requirement under law to accord duty separately for each product-type. The Appellate Body Reports clearly suggest that the dumping margin needs to be determined for the PUC as whole and consequently duty must also be determined for the PUC as a whole. The Authority may recommend single fixed duty for the PUC as a whole to discourage misdeclaration and circumvention of the anti-dumping duty as was confirmed in the provisional findings.
- g) The Authority is requested to clarify whether Applicant's information has been considered for the purpose of determining the constructed normal value, where applicable. If so, there should be no reason to withhold the confidential version of the normal value calculation from the Applicant since the data being used is either general international price data or the Applicant's information.
- h) The Authority is requested to clarify the reasonable profit margin considered for the purpose of determining the constructed normal value. If the Authority has considered 5% as the reasonable profit margin as per the practice of the Authority, it is humbly

submitted that the actual profit margin of the respective producer/exporter should be considered if such producer/exporter is making profit more than 5% as this is the best information available on record.

- i) Constructed normal value must take into account the data on aluminium prices as submitted by the Applicant.
- j) Fujifilm Japan has not furnished data for the complete value chain and in particular certain information on domestic sales is missing and therefore it must be treated as non-cooperative.
- k) Non-cooperating producers/ exporters must be accorded highest possible margin based on the lowest price transactions from DGCIS data in order to incentivize greater participation in the investigation and avoid any undue benefit to non-cooperating producers.
- l) Lucky and Kodak are not “related entities” and therefore, there is no question of grouping them together for the purpose of determining anti-dumping duty. Lucky has purchased Kodak’s plant through an asset sale.
- m) Kodak’s sale of its plant to Lucky is a post-POI development and the Authority is required to determine dumping and injury margin based on the facts as they existed during the POI.
- n) The Applicant agrees with the Authority’s observations and conclusions on injury and causal link determination and requests the Authority to confirm the same in the final findings.
- o) There seem to be certain errors in the calculation of NIP. The Authority has made an adjustment of “other operating income” while calculating the NIP. The other operating income comprises of income generated from annual maintenance contract and click charges activities which are exclusively related to trading division and not at all related to the product concerned. Accordingly, these incomes should not be allocated to the product concerned. The Authority is requested to correct this error in the final findings.

K.2 Comments by Exporters

117. Comments by M/s.. Fujifilm Corporation

- a. Kodak and Lucky should be not be granted separate duty: We appreciate the Authority for considering the issue raised by the respondents with respect to the association between Lucky and Kodak & the admission made by Lucky regarding the takeover in para 33(b) of the Disclosure Statement. It is pertinent to note that Kodak does not have any manufacturing base in China for DOPP plates. In the present disclosure statement, the dumping margin and injury margin for Lucky is higher than Kodak. We apprehend that grant of separate duty margins to Kodak and Lucky despite the takeover (& the fact that Kodak does not any manufacturing base in China) would result in undue advantage to Lucky as they would easily circumvent/route their exports of PUC through Kodak into India without paying any duty or lesser duty. Thus, in order to put a check on this possible circumvention, the respondents request the Authority to revisit the individual margins granted to both the companies since Kodak will be no longer manufacturing in China.
- b. Royalty payment made by Technova to AGFA should not be considered for determining NIP: The Authority in para 118(g) of the Disclosure statement noted that Full amount of royalty paid by Technova to AGFA has been allowed while determining NIP. As per Annexure III para 4 (VII)(e) of the Rules, it does not allow the inclusion of royalty for determination of NIP as a Rule but only as an exception i.e. when royalty payment pertains to technical knowhow for the product. Since the terms ‘Royalty’ and ‘Technical Know-how’ have not been defined in the relevant AD provisions, reference is drawn to common parlance and other related laws (these have been highlighted in detailed submissions). Further referring to Rule 10(1)(c) Customs Valuation Rules, 2007, the present royalty doesn’t satisfy twin conditions of being ‘relatable to imported goods’ and ‘a condition of sale of imported goods.
- c. In light of the detailed jurisprudence (as per detailed submission), it is alleged that these royalty payments cannot be considered as Royalty for the purpose of AD Rules for the

following reasons and accordingly, it is requested that the Authority should not allow the royalty payment in determination of NIP after examining all the facts in details before the issuance of final recommendation:

- Royalty payments made are for post manufacturing marketing assistance. Mere providing assistance in exploring additional sales channels in the territory cannot be termed as imparting of technical industrial, commercial or scientific knowledge, experience of skill of the supplier.
 - Royalty paid for providing assistance in exploring additional sales channels in the territory (SAARC countries) does not contribute in the cost of production of PUC or for achieving the fair price.
- d. Inclusion of actual handling charges in determination of Landed Value: The Authority in para 60 of the Disclosure statement proposed to determine the Landed Value without considering the handling charges contrary to the Preliminary Findings. The same puts all the importers in prejudice which have borne the cost of handling charges for the purpose of comparison with the NIP and eventual calculation of injury margin. The kind attention of the Authority is invited to the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the matter of *M/s. Wipro Ltd. Vs Assistant Collector of Custom wherein it was held that the landing charges to be added to the value of goods, should be based on actual charges incurred, and not a notional charge of 1% as has been provided in the Rules. The main contention of the appellant was that a notional fixation of the handling charges with the addition of one per cent of free on board value of the value of goods, irrespective of the nature of goods, size of the cargo, was in total disregard to the total handling charges, even when such actual handling charges could be ascertained*. We submit that the intention of the legislation was that wherever actual cost of the goods or the services is available, the same should be considered. Only in the absence of actual cost, deemed cost was to be adopted.
- e. Even the NIP considers various expenses which are incurred to make a product ready for supply from the facility of production. In the present case, FFIN incurs various expenditure before the goods are being cleared for home consumption into India. These expenses include Shipping Line Charges, and Container freight station (viz. incurred for storage of digital plates in controlled temperature at the port). These expenses are being incurred at the discharge port and are only those charges which are incurred for delivery of goods "to" the place of importation. These expenses are squarely allowed even post amendment in law in the month of September 2017. Thus, we humbly request the Authority to kindly consider the actual handling charges associated with the delivery of goods at the place of importation borne by FFIN for consideration in the Landed Value.
- f. Due to COVID lockdown, we are unable to ascertain the actual charges for the POI. However, we have ascertained the shipping line charges and container freight charges for the period from Dec 19 to Feb 20 actual charges. As a percentage of assessable value, these charges are equal to *** per cent in case of imports from Japan and *** per cent in case of China. In our view, the period considered above for ascertaining these charges is a fair representative and should be considered as a reasonable for the purpose of the ascertaining the landed value in the present investigation. Therefore, we request to kindly consider these actual charges for the purpose of calculation of the Landed value.
- g. FFIN is selling the PUC at a price higher than that of the selling price of the subject goods by the domestic industry in the Indian market: FFIN is selling the subject goods at a price higher than that of the selling price of the subject goods by the domestic industry in the Indian market. The details of the same has been submitted to the Authority earlier. The PUC is being imported from the exporters from China PR and Japan by FFIN and resold to the Indian customers, here the importer acts as a reseller. While Technova is providing these sales services directly to the customers. Hence the respondents request that comparison shall be made to the end price charged to the customers in order to examine the trade at same level in line with India's proposal to WTO TN/RL/W/170 dated 9 February 2005. We wish to also submit that non consideration of the same actually result in distorted picture specially so when the Landed Value of imports individually by Fuji Japan and China is comparatively higher than others.

- h. No injury on account of imports of the subject goods from Japan: There is no injury on account of the imports of PUC from Japan as evidenced from the following facts provided below:
- i. The share of the imports of PUC from Japan in total imports during POI is only 6%. Further, it is also submitted that the share of the imports of PUC from Japan in total demand during POI is only 2.3%.
 - ii. The landed value (INR *** per Sqm) of PUC from Japan and from Fujifilm Japan (INR *** per Sqm) and Fujifilm China (INR *** per Sqm) is significantly higher as compared to the landed value of PUC from other subject countries.
- i. In view of the above, it is submitted that imports made by FFIN from its group companies in China and Japan are not the cause of volume and price injury to the Applicant as they are being made at a fair price.
- j. Injury, if any, is on account of imports from China PR (other than Fujifilm group): There is no injury on account of imports made by Fujifilm India Private Limited (FFIN) from its related group companies based in Japan and China. The injury, if any, to the Applicant is on account of imports from China PR (other than from Fujifilm group).
- k. There are significant surplus capacity is available with the Chinese exporters particularly with Lucky Huaguang Graphics Co China and Kodak China resulting is low prices from China PR and post COVID situation, the surplus capacity is likely to increase. FFIN also imported some quantities from it related company in China during the POI but was not able to compete in the market due to aggressive pricing from other exporters from China particularly of Kodak China and Lucky Huaguang Graphics Co China. FFIN imported the subject goods from its related company during the POI at arm's length price, which is significantly higher than the prices from the European union (Non-subject country).
- l. Accordingly, it is submitted that the AD duties should be levied only on the exporters from countries which are engaged in dumping causing the real injury and not on Fujifilm group.
- m. The Applicant does not qualify as eligible Domestic Industry as per Rule 2(b): The Applicant, who is a regular importer (imported significant quantities during POI) and is related to M/s. Toray Industries, does not qualify as the Domestic Industry as per the provisions of Rules. Accordingly, it is requested that the Authority should re-examine the issue in light of the above-mentioned facts before issuance of final recommendation.
- n. The selling price of the Applicant is influenced by factors other than alleged dumped imports and cannot be relied upon for ascertaining injury to the Applicant: Kind attention of the Authority is invited to the following:
- i. *Impact of MoU on the present investigation:* The MoU was in existence during the injury period (April 2015 - March 2016, April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018-June 2018) of the present investigation. Determination of injury without considering the impact of MoU during these periods would show a distorted picture. The cooling off period should be provided since MoU (as stated above) effects the performance of the Domestic Industry significantly.
 - ii. *Other Factors:* The selling price of the Applicant is affected by various factors such as the volatility in the price of Aluminum, internal competition etc. as was noted by the Authority in the Sunset Review Finding dated 23rd April, 2018. The examination of price injury gets distorted with the fact that there are other factors playing a major role in the determination of prevailing prices of the subject goods in India.
- o. Applicant has not suffered injury on accounts of the alleged dumped imports: In reference to Para 78 of the disclosure statement, the respondents reiterate that apart from the imports made by the Domestic Industry, there are several other factors which has resulted into the injury, if any, to the Domestic Industry. The imports made from Fujifilm Group (China and Japan) are at fair price and do not cause any injury to the Applicant as clear from the below:

- i. Market share of the domestic industry is significant despite discontinuation of anti-dumping duty
- ii. The production and capacity utilization of PUC has increased positively
- iii. The domestic sales of the Applicant have increased positively
- p. Productivity per employee, inventory and growth is unreliable since the numbers varies significantly from the Preliminary Findings to the Disclosure Statement: The productivity, inventory and growth parameters determined at the time of issuance of Preliminary Findings viz the present Disclosure statement vary in the injury period as well as POI without any justification. The change of numbers indicates the unreliability of the Applicant's data. Further the downfall of the inventory from 148 to 147 (indexed) itself suggest that the Applicants have been able to gather market to dispose of their inventories in Indian market. Thus, the respondents request the Authority to revisit the final recommendation after due consideration to the above submission.
- q. No uniformity in the range provided in the Preliminary Findings and the disclosure statement: In the Preliminary Findings, the Authority has taken the range of 10 for demonstrating the dumping margin, injury margin and price injury i.e. undercutting and underselling. However, in the disclosure statement there is no uniformity and hence, a fair comparison between the PF and Disclosure Statement cannot be made. Thus, the respondents request the Authority to revisit the final recommendation after due consideration to the above submission.
- r. PCN methodology should be adopted: In reference to para 33(e) of the disclosure statement, the respondents reiterate that although there is no mandate of law regarding the PCN wise duty but in line with the present fact of the investigation (where there is a huge price variation in all the three categories, resulting into comparison of low-priced product with high priced), PCN wise duty should be provided.

K.3 Comments by M/s. Kodak (China) Graphic Communication Company Limited

118. No injury qua goods exported by Kodak: In the Disclosure Statement issued on April 20, 2019, the Authority has determined a negative injury margin for Kodak and an individual dumping margin for KCGCCL as a producer and exporter of subject goods. Accordingly, in terms of the lesser duty Rule, it has been concluded by the Authority that imports from Kodak have not caused any injury to the Domestic Industry and therefore, no duty should be recommended for KCGCCL.
- a. Landed Value: There is minor error in landed value for Kodak as computed in confidential Disclosure Statement and the same is requested to be rectified. As per the confidential disclosure statement, landed value for thermal plates has been determined as *** USD/sqm and that for violet plates has been determined as *** USD/sqm. However, as per the estimates by Kodak, the landed value for Thermal Plates and Violet plates should be *** USD/sqm and *** USD/MT. For ease of reference, the computation of landed value is summarized.
 - b. The data filed by the responding companies has been verified by the Authority including the CIF value of imports which has been specifically been verified with DG System data. Therefore, it appears that the Authority has computed the Landed Value based on incorrect invoice value or exchange rate. In view of the inconsistency, the Authority is requested to revise computation of Landed Value.
 - c. Individual margin for Kodak: The Authority should determine an individual rate of duty for Kodak and Lucky. To support the said submission, Kodak submits that the Authority has limited the overall evaluation based on POI and post POI developments were not relevant for the investigation. Accordingly, since KCGCCL divestiture materialized after the POI, the same is not required to be accounted for determination of duty for KCGCCL.
 - d. Post POI developments are outside the scope of investigation: TechNova has imported subject goods from subject countries as well as not subject countries. However, the Authority has not accounted post POI imports to evaluate eligibility of TechNova as domestic industry. Further, in terms of Manual of Operating Procedure for Trade Remedy Investigations, the Authority has categorically noted that 'the determination of

prima facie dumping and injury for the purpose of initiation and subsequent investigation is entirely based on POI and injury period' (Page 70 of the Manual). Accordingly, KCGCCL Divestiture which materialized after the POI should not be accounted for the determination of duty/margin for Kodak. Moreover, the Designated Authority in the anti-dumping Final Findings concerning imports of Flat Base Steel Wheels, originating in or exported from China PR has acknowledged that the developments such as acquisition which has taken place after the POI are not relevant for the investigation.

- e. Since divestiture materialized after the POI, the said development cannot be considered for the POI. TechNova on the other hand, however, still has a legal remedy to file a mid-term review investigation before the Designated Authority (in terms of Rule 23 of AD Rules) for seeking review of duty, if required. KCGCCL Divestiture and impact thereof (if any) on the domestic industry requires detailed investigation which can only be undertaken through MTR and not in the present investigation.
- f. Duty should be determined for Thermal, Voilet and Ctcp plates separately: In the original investigation, the Authority dealt with the appropriate form of duty and recommended a reference price from of duty. Further, there has been no change in factual matrix which calls for any deviation in the form of duty, as determined in the original investigation.
- g. The Domestic Industry/ TechNova had filed an appeal against the determination of the Designated Authority in the original investigation. In the said appeal, TechNova had impugned the final findings on form and determination of duty for the exporters. However, the CESTAT dismissed the said appeal and confirmed the Final Findings as well as the methodology for recommending anti-dumping duty. More specifically, the CESTAT while upholding the Final Findings, noted that there were no material grounds to interfere with the determination of the Authority and Appeal was dismissed being devoid of. In view of the said decision, the Authority should determine/recommend duty in the present investigation in line with the methodology adopted in original investigation i.e. individual rate of duty for each PCN.
- h. Exclusion of process free plates: The domestic industry does not have the capacity / technical expertise to produce 'process free' plates. Moreover, TechNova only claims to produce 'process less' plates and not 'process free' plates. The Authority may also note that TechNova itself is dependent on imports of 'process free' plates from Agfa and/or other sources to meet demand in India which confirms the preceding submission extended by Kodak. Accordingly, the Authority is requested to revisit the scope of PUC to exclude 'process free' plates from the present investigation.
- i. NIP: Royalty paid by TechNova for development of new product and to promote additional sales channels in the territory (SAARC countries i.e. India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan and Pakistan) should not be allowed for computing NIP.
- j. Injury is self-inflicted: It is undisputed that the domestic industry has imported subject goods from Shanghai Strong State Printing Equipment Limited. Further, the Authority has determined dumping margin of 40-60 percent for the said exporter. Therefore, it is evident that TechNova has imported the subject goods at an unfair price. Therefore, the Authority is requested to assess the impact of unfair price imports by TechNova on all the relevant economic parameters and not to attribute the same to the alleged imports.
- k. As per the current Disclosure Statement, the Authority has proposed to determine NIL rate of duty for Kodak. Accordingly, the Authority is requested to provide an opportunity to Kodak, in case the Authority intends to render final findings in contrast to the essential facts disclosed in the instant Disclosure Statement.

K.4 Comments by M/s. Lucky Huaguang Graphics Co. and M/s. Kapoor Imaging Private Limited

119. With regard to the observation of the authority on PCN, the Respondent does not dispute the same but any such protection should not result in over protection to the domestic industry. Though, the Respondent disputes that there is any justification for invoking ADD in the present matter.

- a. The domestic industry had admitted that there are new variants which are being imported by them as they are not being produced by Applicant. Such grades ought to have been excluded from the scope of product under consideration. The Applicant cannot demand ADD on a product which is not being produced by the Applicant, irrespective of the fact whether it is being imported or not.
- b. Imports shows significant increase only because of substitution of PS plates by CtCP. To the extent the imports of CtCP have increased, PS plates have consumption has declined. The Applicant has however not refuted this with any verifiable evidence.
- c. With regard to Authority's view that the Applicant is an eligible domestic industry by applying the core business test, the respondents strongly dispute because the decision is contrary to law, practice and past several decisions of the Designated Authority. With much lower volume of imports, the Designated Authority has treated a domestic producer ineligible. There is no justification for a differential treatment in the present case. The Applicant has imported the product in significant volumes, participated in alleged dumping practices and joined other importers. It is dissimulatory to treat some imports as condonable and some imports as unfair.
- d. The Authority has considered Applicant to be eligible domestic industry despite it importing subject goods amounting to 3.2% of its own production and much more than 3% of total imports and import volumes exceeding even one of the subject countries under investigation. Considering the capacity of the domestic industry, imports made by the Applicant is around 6% of its production, in case it is considered that the domestic industry is running into 100% utilization
- e. The respondents earlier submitted that 3% share in imports from a country is considered significant enough to cause injury. The Applicant is party to the alleged dumping, and hence cannot claim injury on account of alleged dumped imports. Applicant has imported the subject goods because of capacity constraints and suffering injury on account of other factors than imports. The reason given by the Applicant is without evidence, misleading and factually incorrect.
- f. The Authority has taken note of this fact that Lucky and Kodak have merged into one entity and the impact of merger Lucky and Kodak (China) and determined the normal value for Kodak in the same manner as Lucky. In future, the exports made by Lucky or Kodak China will take as exports made by one entity and practically there is no reason why the authority should determine two dumping margin for these entities. The Authority has in past collapsed dumping margin determined for different related producers.
- g. With regard to the observation of the authority that injury margin is positive from all the countries, Lucky/Kapoor Imaging dispute the same. The injury margin determined is unfair, as NIP determined is at a level different from the import price. Whereas the import price is at the level of importer, the sales by the Applicant is at a retail level. Significant selling & distribution costs incurred by the Applicant are part of NIP, whereas similar expenses incurred by respondent Lucky have been completely ignored. Further, whereas the injury margin in case of Fujifilm and Kodak is determined from resale price, the injury margin for Lucky/Kapoor is based on CIF import price. The injury margin methodology is not only unfair but also penalizing the respondents and shows positive injury margin when none in fact exists. Kapoor has filed questionnaire response and has provided all relevant information. The same is required to be considered for determination of injury margin.
- h. The decline in market share of Applicant is not due to decline in sales of the domestic industry and consequent decline in production and capacity utilization. The decline in market share is due to absence of capacities with the domestic industry. When the Applicant is already operating at 117%, it follows that the company could not have produced more. Demand for the product under consideration increased and the same has been met by imports. Decline in market share cannot be claimed as injury to the domestic industry.
- i. The production and capacity utilization could not increase when the same was already at optimum levels. Reason for these parameters not improving is not dumping. It is

inability of the Applicant to increase production beyond the levels already achieved.

- j. There is no injury to the Applicant and even if there is any deterioration in the performance of the Applicant, it is on account of other factors. The Applicants have failed to show any causal link between the injury and alleged dumped imports.
- k. Deterioration in profits, cash profits and ROI, is not real and is driven out of accounting issues.

K.5 Comments by users/importers

120. Comments by M/s. Bright Enterprises

- a) We have already filed our detailed submissions and the same may be treated as part and parcel of this comments also though the same is not being repeated for the sake of brevity.
- b) We wish to file the following specific comments on the subject Disclosure statement for the kind consideration of the Authority;
- c) The proposal of the Authority to evaluate dumping and injury margin plate wise is appreciated and we feel it's the correct approach. To make such examination more fruitful, we request the Authority to recommend Anti-Dumping Duties plate wise so that the users are not forced to pay any anti-dumping duties disproportionately. The Authority has all the powers to recommend any anti-dumping duties in such manner so that the trade of the product is not distorted in such manner that after imposition of duties the users are forced to close their operations.
- d) It has been our contention that the impact of the imports and sales made by the Applicant in the injury should be analyzed and segregated. Though the Disclose statement says that this aspect has been examined by the Authority and impact of the imports and their resale made by the domestic industry has been appropriately addressed, it is apparent that the examination is limited to just market share parameter which is grossly insufficient. In the absence of such imports, the Applicant would have produced that much quantity in their plants which would have bolstered the volume and price parameters of the Applicant as a subsequent effect. It is also important that the Applicant has alleged injury on account of dumped imports from subject countries. But it shall be very unfair and unjust on the part of the Authority to compensate and reward the Applicant for the dumped and injurious imports made by them unless a meaningfully examination of impacts of such self imports is made covering all the prescribed injury parameters. It is respectfully submitted that the examination of this aspect as it stands in the Disclosure is insufficient and do not accord for the real impacts of such significant imports made by the Applicant himself. The Applicant abetted the alleged dumping and injury and this cannot be rewarded by imposing final anti-dumping measures.
- e) The Disclosure statement now makes it clear that the Applicant has imported 0.761 Million SQM of subject goods from subject countries which is 5.75% in total imports and 6.22% in imports from subject countries which is a significant share in all the sense and that the Applicant has not changed its core business or essential characteristics of being a manufacturer of the PUC. This argument simpliciter ignores the mandates of Rule 2 (b) and the amount of self inflicted injury from such imports by the Applicant himself. The examination do not justify the rational of treating a produced who himself imported such high quantity of subject goods which is the moot issue of the present investigation and the significance of the volume of such imports should lead to the disqualification of the Applicant as domestic industry. Interestingly, the examination does not cover any discussion of why is it proper to accord the status of domestic industry to the Applicant when the share of its import in total imports into India is very significant. A comparison of such import viz. total production proposed by the Applicant has no meaning and is only an attempt by the Applicant to camouflage the issue of imports by them only. Protection by way of anti-dumping duties to the Applicant for the dumped imports made by them grossly vitiates the purpose of anti-dumping duties and the Applicant should not be rewarded for the dumped imports made by them. Therefore, from the foregoing it is submitted as follows;
- f) The Applicant has imported significant quantities of subject goods from subject countries like any other importer and cannot be treated as an eligible domestic industry;

The imports from subject countries did not cause any dumping and consequent injury to the Applicant. Any alleged injury having been suffered by the Applicant at the best are on self-inflicted reasons leading to breach of causal link and such any injury on account of such other factors cannot be attributed to imports from subject countries;

- g) In view of the above, the Authority should terminate the present investigation in the interest of justice and fair play and recall the provisional duties imposed.
121. M/s. DGS Associates representing M/s. Jeil C&P Co. Ltd., Korea RP and M/s. WTC representing M/s. Anhui Strong State Printing Materials Co. Ltd, M/s. Shanghai Strong State Printing Equipment Ltd., China PR have stated that do not have any further comments on the disclosure.
122. M/s. CEI Print Pack Pvt. Ltd., and M/s. Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. have submitted that official sanction should not be provided to M/s. Technova Imaging Systems (P) Ltd. of its monopoly position. M/s. Technova Imaging Systems (P) Ltd. has bought over all manufacturers and through this investigation their monopoly position is strengthened. There are problems related to non availability, delivery and high price charging by them. Anti-Dumping will badly impact the Indian Printing Industry.
123. M/s. Khandelwal Graphics Pvt. Ltd. have submitted that the M/s. Technova's dealer are selling the subject good at price which have not been increased after ADD imposition and therefore ADD on CtCP Plates is not warranted and should be abolished.
124. M/s. Vaish Associates on behalf of All India Federation of Master Printers have submitted that they do not want to add anything further and request that in terms of the alternate prayer made through submission dated 11th November 2019, the Designated Authority may decide to impose anti-dumping duties at nominal rates on the subject goods so that interests of both the domestic industry and the user industry (mainly the printing industry) are adequately protected and fair competition and a level playing field is allowed to prevail in the market, keeping in view the affordability of the printer community.
125. The legal representative of M/s. NPT Offset Press Pvt. Ltd. and M/s. RKL Printers has submitted the following:
- i. The Authority has not dealt with the fact that the admitted volume of imports by Technova Imaging Systems (P) Ltd. is not *de minimis*. Admittedly, the quantum of import of the Product Under Consideration by Technova is higher than the value indicated in Rule 14(d) of the Rules. The interested parties call upon the Authority to appreciate the submission that Technova is not a domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Rules.
 - ii. The Authority has not taken into consideration the data submitted by the interested parties in its Written Submissions dated 12.12.2019. The data clearly demonstrates that for the period from April, 2018 – July, 2019, Technova has imported 2.4 million sq. mts. of the PUC. Furthermore, Technova has deliberately caused the period of April, 2018 - June, 2018 to be excluded from the POI since it has made the highest imports of the PUC during this period, i.e., 821,309.21 sq. mts and would not be considered a “domestic industry” under Rule 2(b) of the Rules, in view such imports.
 - iii. Assuming without accepting that the Period of Investigation can be for a duration less than 12 months, the Authority has failed to address the submission that Technova has mischievously sought to exclude April, 2018 – June, 2018, being the period when Technova has recorded its highest imports.
 - iv. The Authority merely recorded that it is satisfied regarding the sufficiency of Technova's confidentiality claim but has failed to provide any reasons, let alone cogent and sufficient reasons to support its conclusion. Further, the Authority has not adequately appreciated that the entire injury investigation has been rendered confidential and that the interested parties were deprived of an opportunity to meaningfully present its case. Further, the Authority has not considered the fact that Technova has chosen to claim confidentiality in respect of various information that it had previously disclosed during the 2018 Sunset Review, without any basis whatsoever.
 - v. As regards Trade Notice No.10/2018 dated September 7, 2018, it is submitted that the same does not deal with criteria to be taken into account by the Authority to determine

confidentiality claims. It also does not lay down guidelines as to the circumstances when information must be rendered confidential. On the contrary, it simply lays down the manner or format in which confidential and non-confidential information must be furnished. Accordingly, the question of the said notice conferring any 'right' to claim confidentiality, does not arise. Merely citing compliance with Trade Notice No.10/2018 does not justify rendering any information confidential, as sought to be done in the Disclosure Statement.

- vi. The Authority has not considered that the levy of anti-dumping duty would have drastic economic consequence on, including the complete destruction of the business of, 2.5 lakh commercial printers with short run jobs. The interested parties call upon the Authority to duly consider the data furnished in its Written Submissions dated 12.12.2019 in support of this submission.
- vii. The Authority has not dealt with the submission that in the absence of significant/fundamental change in circumstance, there can be no levy of anti-dumping duty on the PUC, especially when the 2018 Sunset Findings specifically recorded that there was no reason to continue levy of anti-dumping duty on the PUC.
- viii. From the observations in the Disclosure Statement, it appears that market demand has increased substantially whereas the production capacity of Technova has remained constant, leading to excess demand over supply. Further, it appears that Technova has admittedly reached its optimum capacity of production. Accordingly, it appears that the PUC has been imported owing to Technova's inability to maximize production and incapacity to cater to the local demand.
- ix. The Authority should take into account the significant differences between CtCP, Thermal and Violet plates (including their method of manufacturing, coating costs and the final price) and appreciate that there cannot be uniform levy of Anti-Dumping Duty for all three types of plates. The Authority should terminate the investigation forthwith and/ or dismiss the complaint filed by Technova.

126. **Comments by M/s. Nippon Color**

- i M/s. Nippon has submitted that while all their submissions have been mentioned in various para of the said Disclosure statement but note with but have not been addressed individually in the said Disclosure Statement and that the following issues may be considered before making final recommendation.
- ii Most of the production data etc submitted by the Applicant has still been shrouded in mystery asterix(*) so that the statistics being submitted by the Applicant are not amenable to verification by any of the other interested parties, who are more likely to detect falsehoods being peddled by the Applicant. It is in the interest of transparency that the DGTR encourage all Applicants to reveal the data excepting the trade secrets and customer base. i.e actual production, installed capacity and other statistics
- iii Exchange Rate has been taken @US\$ = Rs. 71.06, which is not reflective of the market realities and the correct exchange rate, as on date, as published by the DOR ought to be taken and parameters reworked.
- iv ADD has been proposed on some companies from the same countries but not on others. Due to mergers and acquisitions, such company may be in a position to market the goods of its other partner and hence it may be incorrect, not to impose any ADD at all on such producers. It may be reconsidered in terms of Rule 19 of the AD Rules.
- v The Sale volumes of other domestic producers have been taken on basis of estimated volume provided by Applicant, which is not backed by a visit by the Authority to verify this. It appears that the whole working of the NIP, Injury Margin, Production, Productivity figures are incorrect.
- vi In Para 88, while working out the Price Undercutting, the table doesn't indicate whether the comparison is made for Violet, Thermal or CtCP, whereas the DGTR is well aware that the prices of all three types of Plates vary. Even in the earlier ADD regime, the DGTR has worked out the dumping on each type of Plate separately.
- vii It is not clear as to how the Landed Value of imports has been reckoned, wherein the DGTR has not spelt out the method of working out the landed value but seems to have

- simply adopted the tables given by the Applicant, therefore it is not known whether the Customs Duty component (7.5%) has been added so as to arrive at the Landed Value therefore the same may be got verified.
- viii The NSR has not been revealed, unless the same is revealed, it would not be possible to verify the correctness or otherwise of the same. The accounting books have also been deemed to be confidential and hence it is not possible to verify whether the same is correctly verified by the DA.
 - ix While working out the Price Suppression and Depression, the DGTR has taken a common landed value for all types of plates, for each of the years. It is submitted that such Price Suppression and Depression ought to have been worked out for each type of plate since their pricing pattern is different and for each country separately.
 - x The Disclosure Statement clubs both the Non-Market Economy (China PR) with other Market Economies (Taiwan, Vietnam, Korea RP, Japan), which is unfair, improper and incorrect. The ADD imposed on Taiwan imports in the Preliminary Findings is exorbitant and may kindly be reconsidered.
 - xi In Para 96 relating to Production Capacity, Sales and Capacity Utilization, while these simple figures are hidden from Public Scrutiny, which does not imply any infringement of technology or customer base, it can be seen that the Installed Production Capacity has come down in 2017-18 & 2018-19, whereas as per the Balance Sheets for the years, there is no change in installed capacity. It is hoped that the DGTR has visited the plant and ascertained as to whether any production capability has been scrapped during the preceding two years. If not, then how the installed production capacity can come down in the past two years is beyond comprehension. While actual production may come down due to dumping or otherwise, how the production capacity has come down is beyond comprehension. It is hoped that the DGTR has cross-checked the data submitted by the Applicant with the returns filed by the Applicant with the Income Tax Department and the ROC.
 - xii Profitability as a percentage of sale is meagre during the period, even when the ADD was in force during the previous ADD regime. Therefore, the proposal of the DGTR to work out reasonable profit @ 22% is quite high and the ADD may be imposed to adjust for the meagre profit.
 - xiii In Para 102, DGTR has found that the inventory has increased by 47% during the POI over 2015-16 on indexed basis. During 2017-18, when the earlier ADD regime was in force, the inventory was to the extent of 89 basis points. Therefore, there is an increase of 58 basis points over the next one year which seems highly doubtful. It is not known whether the physical check of the inventory books was done by the DGTR during the factory visit and whether the inventory figures tally with the returns filed with the Income Tax Department & the ROC for the year. It is requested that the same may be rechecked again.
 - xiv As far as Taiwan Import data is concerned, as already noted by the DGTR in Para 64, we have already submitted the production and sale data of the only Taiwan Manufacturer M/s. Top High Image Corporation. The DGTR has stated that certain import data was also submitted by M/s. Bright Enterprises. In this regard, the data of export by M/s. Top High Image Corporation, Taiwan during the POI and past 3 years is provided.
 - xv The Disclosure Statement states that the data given by Bright Enterprises and Nippon Color has been compared with the DGCIS data for Taiwan. In this regard, we have ourselves gone through the DGCIS data and find that there is hardly any data of import of CtCP/Violet/Thermal from Taiwan. It is once again reiterated that the imports from Taiwan are less than 3% whereas the DGTR has found the same to be 3.02%
 - xvi The DGCIS has supplied with two Excel Sheets bearing Numbers Data 1 & Data 2. It may be seen from Data 1 sheet, when filtered shows only 204 imports out of total of 10001 records as pertaining to imports from Taiwan. Even these 204 records pertain to Aluminium Parts, Al Copper Clad Laminates, Al PS Plate (Sr No 3608,3615, 3620,3659,8961), Aluminium Strips, Aluminium Plates, Flexographic Photo Polymer Plates, Photo Resist Film for PCB, Photo Polymer Film for PCB but not a single import of Violet, CtCP or Thermal Plate. It is requested that the DGTR may go through the excel worksheets by using filters to pluck the Taiwan imports and then check the description.

- xvii In respect of Data 2, there are total of 25 out of 4817 records which pertain to imports from Taiwan. The description of these records show that there are Aluminium Strips for Venetian Blinds, Copper Clad Laminates, Lithographic Plates (in kg or pcs), PS Plates (Sr No. 4142, 4143, 4158) and two cases of CtCP Plates (SR No. 4170 & 4277 where the quantity is given in KG and not in Sq Mtrs). Thus it is not known as to which of the DGCIS data has been referred to by the DGTR and whether the unit quantity is in Sq Mtrs and the description is clearly Violet or CtCP or Thermal.
- xviii Therefore the DGCIS data is not correct and does not reflect the imports of the goods from Taiwan and therefore requires to be rejected. The DGCIS data tables are attached, which may be filtered for country Taiwan and description may be rechecked once again, which will indicate that DGCIS data is not reliable in case of Taiwan and perhaps of other countries as well.
- xix As already prayed before but not considered by the DGTR, the data relating to imports from Taiwan, which is a market economy has to be taken from the selling price in the domestic market, which can be easily obtained from the Customs Department either through the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) or the Directorate of Valuation (DoV) but no attempt has been made towards such procurement. Section 9A(1)(c) provides that if the domestic price is not available, then the price at which Taiwan sells in the international market to appropriate third country ought to be procured and compared. It appears that no attempt has been made to obtain such data which can be easily obtained through Customs Sources. It is again prayed that the data relating to Taiwan may be obtained from such sources and compared with the import price of the goods from Taiwan to examine if there is dumping of the said product by Taiwan. The Disclosure statement holds that the Injury Margin from Taiwan is between 0-20 and accordingly, it is requested that the matter may be got re-examined and minimal ADD, if any, may be imposed.
- xx It is submitted that in spite of the imposition of provisional Anti-Dumping Duty on all types of Digital Printing Plates vide Notification No 02/2020 – Customs (ADD) dated 30th Jan 2020, the Applicant is still selling the goods at the same price as before, clearly indicating that in spite of the fall of imports & imposition of Anti-Dumping Duty, the Applicant is still selling at the same price, which means that imposition of ADD has no effect on the pricing of the Applicant. It is simply a ploy to ensure that the Applicant destroys all kinds of imports and attain complete monopoly of the market. We are enclosing some of the invoices of the Applicant, which show that the price has remained constant whether or not ADD is imposed.
- xxi The Applicant has made export sales amounting to Rs. 163.54 Crores during the year 2018-19. It is requested that the import values may be compared with the export values made by the Applicant so as to arrive at the variation, if any, in the price of alleged dumped imports and the export made by the Applicant.
- xxii It is requested that the data may be got re-examined and even if ADD is imposed, it is once again requested that since M/s. Top High Image Corporation, Taiwan manufactures high quality Digital Printing Plates and therefore of high valuation, there is hardly any injury to the DI. It is requested that the ADD, which is imposed on Taiwan imports being the highest of the impositions, the same may be reconsidered and a reasonable amount be fixed for Top High Image Corporation, Taiwan.
- xxiii The attached invoices relating to sale of the Digital Printing Plates in India by the Applicant that indicates that the Applicant is still selling the plates @ Rs *** Sq Mtr in spite of the imposition of the Anti-dumping Duty on all types of Printing Plates from Jan 2020. This clearly shows that the fluctuations of the Dollar Rate or imposition of Anti-dumping Duty has no effect on his selling price. We are enclosing a work sheet and a copy of Invoice of the Applicant showing that he is still selling the goods @Rs. *** /Sq Mtr. It may be contrasted with his own Application, wherein he had claimed that he has been saddled with a huge inventory in the year 2018-19, which has resulted in huge losses to the Applicant. Yet, in spite of the imposition of the Anti-dumping Duty, the Applicant is still selling at the prices below the import costs of such plates from China (NME) and other Market Economy Countries. This clearly proves that the Applicant is seeking the protection of Anti-dumping Duty, not because there is dumping of the Plates in India but so as to only consolidate his monopoly over the Indian Market by killing all types of Imports.

- xxiv In view of the above, it is once again requested that this sale price may be compared with the export sale price of the product by the said Applicant and derive conclusion as to whether the level of Anti-dumping Duty needs to be revised to enable healthy competition and import of quality plates into India.
- xxv Attached is the price of Primary Aluminium of LME & ShME for the period Jan – Mar 2020. It may be seen that the price of Aluminium on the LME has dropped from US\$ 1772/MT on 02.01.2020 to 1489 US \$/MT indicating that drop of 16% in the price of Aluminium Ingots. Interesting, it may also be noted that over the 3 month period, the ShME is higher than the LME as against the claim of the Applicant that the ShME is always lower than the LME thus imputing that Chinese manufacturers source their requirement at a lower price hence ADD is appropriate. This also points to the fact that in spite of the 16% drop in price of Aluminium since the imposition of Anti-dumping Duty, the Applicant has not changed his sale price of Digital Plates over the period, exposing the game plan of the Applicant to destroy all competition through the aegis of the DGTR.
- xxvi DGCIS data may be filtered for Country of Origin – Taiwan and subsequently filtered again for Digital Printing Plates – CtCP, Violet and Thermal, which will show that the imports are less than *de minimis* and hence imposition of such high rate of Anti-dumping Duty on M/s. Top High Image Corporation, Taiwan may be reconsidered to a reasonable level. We have already submitted the local sale invoices and export invoices of Top High Image Corporation, which can be checked through the DRI Sources at Hong Kong.
- xxvii It is requested that the whole issue may be got re-examined and it may be considered whether the assertions of the Applicant that the Shanghai Prices are lower than LME prices is correct while also taking into consideration the fact that the price of the Applicant has remained unchanged in spite of the fluctuations of the US Dollar/Rupee price & fall in price of Aluminium during the Jan-Mar period since the imposition of provisional Anti-dumping Duty.

L. Examination by the Authority

127. The Authority has examined the the post-disclosure comments/submissions made by the interested parties including reiterations which have already examined suitably and adequately addressed in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions made by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
128. The Authority notes that interested parties have reiterated the issue of eligibility of standing of Applicant as domestic industry in view of imports done by them stating that these are of high volume i.e even above the threshold stated in 14(d) and that these imports have been regularly made by the domestic industry both from subject and non-subject countries. The Authority notes that imports by domestic industry from non subject country i.e. M/s. Agfa has been ongoing for past many years which are essentially to facilitate technology transfer and not for trading. The imports from subject countries during POI as stated in the Preliminary Findings were undertaken by the Applicant to cater to its regular customers. The threshold of imports under 14 (d) is not relevant for determining the standing of domestic industry in event of imports made by them from the subject countries. The Authority notes that the Applicant is, in fact the major producer of the subject goods and the imports made by it have been for specific purpose either to strengthen and diversify its manufacturing capabilities or to sustain its existing customers on a temporary basis. The Authority therefore holds that the Applicant satisfies the requirements as domestic industry as per Rule 2 (b).
129. The Authority notes that one of the interested party has mentioned that variants of digital plates which are not made by the domestic industry be excluded. The Authority reiterates that the plate variants proposed to be excluded are in fact used for the same Applications of that plate type and are covered in PUC as such. Domestic Industry has capability and also actual production of various variants and that exclusion of different variants has no merit.
130. The Authority notes that, as regards waterless plates used for security printing purposes exported by M/s. Toray Industries, Inc., Japan to India, one of interested parties has stated that the domestic industry is related to M/s. Toray Industries, Inc. and that this product should not be excluded from the purview of ADD levy. Domestic Industry has further argued that exclusion be limited only to M/s. Toray Industries, Inc. and not to the waterless plates category as it might

lead to circumvention. The Authority holds that it has excluded the waterless plates used for printing on specialised materials i.e. on credit card and security card and not on paper from the purview of PUC itself. Therefore, the exclusion cannot just be limited to M/s. Toray Industries, Inc. only. As regards the issue of circumvention, the Authority holds that the waterless plates have different Application than the three types of digital plates of PUC, and has significant higher price than the PUC. These two features would enable field formations of the Ministry of Finance to identify these plates at the ports.

131. As regards submission that Authority has not provided any reasons regarding claims of confidentiality by M/s. Technova, it is clarified that the provisions of claiming an information as confidential by an interested party are fully compliant with the WTO provisions. These provisions apply equally to all interested parties i.e. domestic industry, exporters, importers/users. To streamline filing of non-confidential version of an information claimed confidential in accordance with relevant Rules, the Authority has issued Trade Notice No. 10/2018 dated 7/9/2018. The non-confidential versions in this investigation have been filed by various interested parties in accordance with the relevant Rules and the above Trade Notice. The Authority notes that while all claims of domestic industry for confidentiality including those which were not claimed confidential in the SSR were accorded confidentiality as claimed in accordance with Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018, the profitability percentage was inadvertently not asterixed in the disclosure circulated to interested parties which has been pointed out by the domestic industry. As requested by domestic industry, the same have now been asterixed in the final finding.
132. As regards change in circumstances in current investigation as compared to the last SSR of the subject goods, the Authority holds that the circumstances in the present investigation are different as compared to the SSR. The scope is enlarged with four additional subject countries and further the domestic industry does not have a MoU with the user industry on price fixation. The POI is different in the current investigation and evaluation of dumping and injury has been considered for the present POI. It has been submitted by one of the interested parties that April 18 to June 18 has been deliberately excluded by the domestic industry from POI as it has made significant imports in that period. The Authority holds that the POI has been chosen as 1st July 2018 to 31st March 2019 since the earlier AD duty existed till 3rd June 2018. The POI of 1st July 2018 to 31st March 2019 wherein there was no ADD was appropriate and justified.
133. It has been submitted by one of the cooperating producer/exporter that non uniform and varied range of indexation of parameters in disclosure as compared to Preliminary Findings, has impacted comparability of Preliminary Findings with the disclosure statement. The Authority clarifies that all cooperative producers/exporters and domestic industry were provided with confidential disclosure on their data and comments made thereon have further been appropriately addressed. Further, all interested parties had access to public file and non-confidential submissions of other interested parties at different stage of investigation and therefore in view of the aforesaid, the range of indexing in the disclosure should not be considered as a limitation to offer comments. Further, in cases where there is no Preliminary Findings, the comments are offered only on the basis of the disclosure statement.
134. The Authority notes that the opposing interested parties have also submitted that injury to Applicant is self inflicted due to imports by it. To address this issue the Authority has evaluated both volume and price impact of these imports by analysing market share of domestic industry and price undercutting by including imports of domestic industry in the quantum of imports from the subject countries. It is noted that market share and price undercutting parameters depict the same impact of dumped imports even by including the import of domestic industry. The Authority further clarifies that Applicant has been considered as domestic industry as per Rule 2 (b) and injury assessment including NIP determination is only required to be done for the Applicant. Accordingly, on site verification of data provided by the Applicant was carried out. The issue raised that verification should have been carried out for other existing domestic producers, though supported the Applicant, is not relevant as other producers did not file relevant data.
135. As regards submissions that certain economic and financial parameters of Applicant have undergone a change in the disclosure as compared with the Preliminary Findings, it is clarified that onsite verification of the data provided by the Applicant was carried out and the verified data has been adopted in the Disclosure Statement and in the final finding. As regards submission made by interested parties that Applicant during the SSR and in the current

- investigation has made claims about their capacity as convenient to them, the Authority holds that it has evaluated both volume and price parameters for injury assessment, including the capacity utilisation. The demand supply gap does not imply that an Anti-Dumping measure need not be applied.
136. It has been submitted that price undercutting and underselling have not been computed plate type wise. The Authority holds that all injury parameters of domestic industry have been analysed for the PUC as a whole. For the purpose of computation of quantum of injury, i.e. the injury margin, the NIP has been determined plate type wise and the comparison has been carried out with the corresponding landed value only so as to determine plate wise injury margin. Since the injury through price underselling and price undercutting ultimately gets manifested in the injury margin, the price injury has, thus, been captured plate wise only.
 137. Some interested parties have submitted that royalty payment made to M/s. Agfa by M/s. Technova should not be included in non-injurious price (NIP). The Authority notes that royalty payment has been made on the subject goods which are manufactured by domestic industry in India after obtaining technology from M/s. Agfa, Belgium. However, no royalty is paid on domestic sales of imported subject goods from M/s. Agfa. Therefore, Royalty payments included in NIP are related to technology transfer and not for consideration of any territorial rights of sales given to M/s. Technova.
 138. As regards domestic industry's request not to consider miscellaneous income in NIP determination, it is clarified that NIP has been determined in accordance with Annexure 3 of the Rules and relevant information as provided by the domestic industry during the course of investigation.
 139. The Authority notes that M/s.. Fujifilm Corporation, Japan have submitted that they have exported at fair prices and their export price have not caused injury to the domestic industry. Further, for the purpose of comparison to assess injury the reselling price of M/s.. Fujifilm India Private Limited in India's domestic market be considered. The Authority holds that as regards the export price of M/s.. Fujifilm Corporation, Japan, the same has in fact been held to be unfair (dumped) which has not been disputed by M/s.. Fujifilm Corporation, Japan. For the purpose of computing quantum of injury, the injury margin has been computed by comparing non injurious price with the landed value as per Authority's consistent practice. The landed value has been computed by adding basic custom duty and cess to the CIF price. Since, actual handling charges have not been provided by M/s.. Fujifilm Corporation, Japan, the Authority has confirmed the landed value as evaluated and provided on confidential basis to the exporter in the disclosure statement. The Authority also notes that domestic industry has stated that since M/s.. Fujifilm Corporation, Japan has not provided complete data of domestic sales with relevant breakup and, therefore, they be treated as non-cooperative. The Authority holds that it has evaluated significant dumping margin for M/s.. Fujifilm Corporation, Japan on the basis of the data filed by them which has not been disputed by the exporter. Even if 'normal value' data provided by an exporter is not reliable or complete and accordingly gets disregarded, the Authority considers the export price data of such a responding producer/exporter. In instant investigation, the non-claim of market economy treatment by China's producer/exporter have not led to rejection of their export data. The export price of M/s. Fujifilm Corporation has therefore, been considered and the measure has been recommended on the injury margin, thus making the dumping margin quantum only academic. However as M/s.. Fujifilm Corporation, Japan has expressed inability to provide actual handling charges with evidence in accordance with the custom circular 39/2017-Customs dated 26th September 2017, the Authority has not considered the notional handling charges in determination of the landed value of M/s.. Fujifilm Corporation, Japan as requested by them.
 140. The Authority taking note of submissions of M/s. Kodak China Graphic Communication Co. Ltd. on correction of its landed value has revisited the data filed by it. It is noted that handling charges were not included in the landed value. However, CFR value has been corrected to CIF. The injury margin of M/s. Kodak China Graphic Communication Co. Ltd., however, continues to be negative.
 141. The Authority notes that M/s. Kodak China Graphic Communication Co. Ltd. has requested for granting it an individual measure based on analysis of its POI data. The domestic industry in its earlier submission dated 14/8/2019 had stated that M/s. Kodak should not be granted an individual margin/duty given that they do not manufacture in the region. However in response to the disclosure statement, the Domestic Industry has stated that it appears that both Kodak and

Lucky continue to operate independently where Kodak is likely to leverage its own brand name and act as marketing/selling company for plates in China market and there is a high likelihood that the plates will be manufactured in their legacy plants – now operated by Lucky. Therefore, Lucky and Kodak are not “related entities” and the Authority’s observation that the related entities are accorded same quantum of measure even though their individual margins may be different in context of the sale of assets by Kodak to Lucky seems to have no basis in fact.

142. The Authority notes that it has been stated by one of the interested parties that with M/s. Kodak China Graphic Communication Co. Ltd. being taken over by M/s.. Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd., there is a likelihood of circumvention of duties by M/s.. Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd.. The domestic industry in its submission has argued that M/s. Kodak China Graphic Communication Co. Ltd. and M/s. Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd. are not related entities and can not be given a combined margin. M/s. Kodak China Graphic Communication Co. Ltd. has stated that the Authority in its earlier findings have not considered the post POI developments, and that such issues could be addressed under a review later. The Authority, noting the aforesaid comments of various interested parties including the domestic industry, holds that granting a combined margin to M/s. Kodak China Graphic Communication Co. Ltd and M/s.. Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd. is not needed at present. For undertaking a combined analysis, the export pricing behaviour of the merged entity may be evaluated under a review investigation as and when filed by any interested party, in accordance with the relevant Rules/procedure.
143. M/s. Nippon Color, an importer, has disputed the import quantum of DGCIS, specifically for Taiwan. The Authority notes that the importer was provided with the DGCIS data as adopted by the Applicant in accordance with the relevant Trade Notice. M/s. Nippon Color also obtained the DGCIS data directly from DGCIS. The importer has provided results of their analysis to DGTR. M/s. Nippon Color has been authorised by M/s.. Top High Image Corporate, the producer/exporter from Taiwan, at a belated stage in February 2020. M/s. Nippon Color has stated that imports of *** sqm. has been made from Taiwan during 1/6/2018 to 31/3/2019 whose details have been provided by them to DGTR. However the submitted by Nippon evidence does not contain the data of exports of M/s.. Top High Image Corporate, Taiwan as submitted by M/s. Nippon Color in their submissions. The Authority notes that M/s. Nippon Color has not included data of all ITC HS heads under which subject goods have been imported in the DGCIS data provided by them to DGTR. Being a representative of the exporter from Taiwan, M/s. Nippon Color has not included in the analysis, the relevant ITC HS heads under which the exports of M/s.. Top High Image Corporate, Taiwan have been cleared in India. Accordingly, the analysis of M/s. Nippon Color is incomplete and inaccurate. The Authority had reported the imports from Taiwan in POI based on DGCIS statics after correlating the same with response filed by M/s.. Bright Enterprises, an importer from Taiwan. The submission made by M/s. Nippon Color that Directorate of Valuation/ Directorate of Revenue Intelligence may be requested for the import data does not have any merit, as DGCIS/DG-Systems data is in fact based on the imports captured at all ports by customs and is referenced by the Authority in all its investigations. M/s. Nippon Color has also requested to consider domestic selling price in Taiwan or Taiwan’s export price to other countries as the normal value for M/s.. Top High Image Corporate, Taiwan. The Authority notes that M/s. Top High Image Corporate, Taiwan is a non-cooperative producer/exporter who did not respond to the investigation nor did file the exporter questionnaire response. M/s. Nippon Color at belated stage in February 2020 has made some submissions on behalf of the non-cooperative producer/exporter and, surprisingly, thereby has also requested to grant an individual normal value to the producer/exporter who has not even filed the exporter questionnaire response. The Authority has referenced the CNV for all producers/exporters of Taiwan as per its consistent practice in the Preliminary Findings as also stated in earlier paragraphs. The Authority has adopted the CNV as per the methodology stated in the Preliminary Findings. The Authority also notes that M/s. Nippon Color has also submitted that a nominal AD duty on imports from Taiwan be levied.
144. As regards providing separate measure to the three types of digital plates, the Authority clarifies that it has undertaken dumping margin and injury margin evaluation separately for the three plate types. The three plates can not be identified on the basis of visual inspection/physical check at customs ports but need to be evaluated in a processor at a printer’s premises. Further many new variants of these plates have been developed which include process less, process free, double layer, positive/negative, chem free plates etc. As the PUC is defined as “*Digital Offset Printing Plates*”, also commonly referred to as “*Digital Plates*”. *Digital Plates are used in the printing*

industry for transferring data as an image (dot patterns or text) onto paper or on non-absorbent substrates like tin sheets or poly films, etc.,” the Authority holds that a single quantum of AD measure would check circumvention. However a weighted average measure has been computed based on plate wise comparisons of all categories/types of PUC, to capture the price variations of all the types of PUC.

145. The Authority notes that one of the interested parties viz exporter, has stated that despite cooperation, the measure recommended on them is the same as the residual/non-cooperative producers/exporters category. The Authority has accorded the highest measure referencing data of cooperative producers/exporters. Though this aspect was pointed out in case of China, the non-cooperative/residual category of producer/exporter in Korea and Japan have also been accorded duty based on the data of cooperative producer/exporter of the subject country by adopting highest evident margins.
146. The Authority notes that submissions have been made that even after levy of provisional ADD, the domestic industry has not increased its selling price to its dealers/customers and that the Applicant’s intention behind the ADD request is only to consolidate its monopoly position. The Authority holds that it has examined the price injury and is recommending ADD only to the extent required to mitigate injury to the domestic industry. For this purpose, a NIP has been computed to determine the injury margin. This approach also ensures that AD protection is granted to the Applicant domestic industry to mitigate the injury to them but it does not unduly adversely impact the user industry. The behaviour of domestic industry not to raise prices of subject goods post levy of Preliminary Findings does not imply that ADD is not warranted as ADD ensures that domestic industry is buffered by the applied AD measure against the price undercutting caused by dump subject goods. The selling price of domestic industry after the ADD levy would also be dependent on other prevailing factors which, therefore, in no way justifies for withdrawal/non recommendation of the AD measure. The interested parties have also contested that since domestic industry’s profitability has remained in the range of *** % to ***%, 22% return in NIP is not warranted. The Authority in this regard clarifies that NIP is computed in accordance with principles stipulated in Annexure III of the Rules and consistent practice thereof.
147. The Authority notes that M/s. All India Federation of Master Printers have also requested that the ADD duty should be nominal. Similar submissions have been made by the legal representative for M/s. NPT Offset Press Pvt. Ltd and M/s. RKL Printers that AD levy would have domestic impact on user industry. The Authority, in this regard, holds that AD duty is being recommended to ensure a level playing field in the country so as to mitigate the injury to the domestic industry due to dumped imports. The AD duty is limited only to the extent of injury margin and not up to the full dumping margin in event of dumping quantum being higher than the quantum of injury. Therefore, this provision takes care of the user industries interest as well.

M. Indian Industry’s Interest & Other Issues

148. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measure would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
149. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

N. Conclusions

150. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- a) There is substantial increase in imports of subject goods from subject countries in absolute terms as well as in relation to production & consumption in India during the POI (A) as compared to the previous years.
- b) The product under consideration has been exported to India from the subject countries below their normal value.
- c) The Domestic Industry has suffered material injury.
- d) Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries.

O. Recommendations

151. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the authority is of the view that imposition of Anti-Dumping Duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
152. Having regard to the lesser duty Rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. The Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods, originating in or exported from subject countries, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

Duty Table

Sl. No	Heading	Description***	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	People's Republic of China	People's Republic of China	Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd.	0.55	sqm	US Dollar
2.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	People's Republic of China	People's Republic of China	Kodak China Graphic Communications Co. Ltd.	Nil	sqm	US Dollar
3.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	People's Republic of China	People's Republic of China	Shanghai Strong State Printing Equipment Limited and M/s.. Anhui Strong State Printing Materials Ltd.	0.60	sqm	US Dollar
4.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	People's Republic of China	People's Republic of China	Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd.	Nil	sqm	US Dollar
5.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000,	Digital Offset Printing Plates	People's Republic of China	People's Republic of China	Any other producer except S.No. 1 to 4 mentioned above	0.77	sqm	US Dollar

	7606.1190, 7606.9190, 7606.9290				in column no. (6)			
6.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	People's Republic of China	Any country other than People's Republic of China	Any	0.77	sqm	US Dollar
7.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	Korea RP	Korea RP	Jeil C&P Co. Ltd.	0.15	sqm	US Dollar
8.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	Korea RP	Korea RP	Any other producer except Jeil C&P Co. Ltd.	0.37	sqm	US Dollar
9.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	Korea RP	Any country other than Korea RP	Any	0.37	sqm	US Dollar
10.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	Japan	Japan	Fujifilm Corporation	0.13	sqm	US Dollar
11.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	Japan	Japan	Any other producer except Fujifilm Corporation	0.27	sqm	US Dollar
12.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	Japan	Any country other than Japan	Any	0.27	sqm	US Dollar
13.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	Vietnam	Vietnam	Any	0.60	sqm	US Dollar
14.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	Vietnam	Any country other than Vietnam	Any	0.60	sqm	US Dollar

15.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	Taiwan	Taiwan	Any	0.41	sqm	US Dollar
16.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	Digital Offset Printing Plates	Taiwan	Any country other than Taiwan	Any	0.41	sqm	US Dollar

***** Excluding waterless CtP Plates used for printing on specialised materials such as credit card, security card etc. and not on paper.**

153. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
154. Subject to above, the Authority confirms the Preliminary Findings vide Notification No. 6/7/2019-DGTR dated 3rd October, 2019 and the duty recommended in the Duty Table above would be applicable for a period of 5 years from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty imposed vide Customs Notification No. 02/2020-Customs (ADD) dated 30th January 2020.
155. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate tribunal, in accordance with the relevant provisions of the Act.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority